(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 10

बुधवार,

22 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरेन्द्र मिर्धा।

पुलिस फायरिंग प्रकरण

207. श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत पांच वर्षों में प्रदेश में पुलिस फायरिंग से कब-कब कितने-कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं कितने घायल हुए? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मृतकों एवं घायलों को राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब दी गयी? उक्त राशि स्वीकृत करने की नीति क्या है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस फायरिंग की जांच कहां-कहां कब करवायी गयी और उसके क्या परिणाम रहे?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री परसादी लाला मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में जवाब आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित का यही मतलब होता है कि नैक्स्ट टर्न पर जवाब आ जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी डाइबिटीज पेशेंट हैं। ये पूरा इलाज करा लेंगे तो इनको गुस्सा भी कम आएगा। मैं समझता हूं कि जब यह प्रश्न दुबारा लिया जाए तो आप संतुलन नहीं खोएंगे और किसी डाक्टर से गृह मंत्री जी अच्छा इलाज करा लेंगे। डाइबिटिज पेशेंट के साथ ऐसा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

भरतपुर में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का आय-व्यय

208. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) भरतपुर शहर के अस्पतालों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की स्थापना कब की गयी?

(2) उक्त सोसायटी को आज तक विभिन्न वर्षों में कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई?

Page No. 2

(2)

(श्री आर. पी. शर्मा)

(3) उक्त सोसायटी ने आय में से कितनी-कितनी राशि वर्षानुसार किस-किस मद में व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) भरतपुर शहर के अस्पतालों हेतु मेडिकेयर सोसायटी की राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण से दिनांक 30 नवम्बर, 1995 को स्थापित की गयी।

(2) उक्त सोसायटी के गठन से दिनांक 30-6-98 तक की वर्षवार आय का विवरण संलग्न है।

(3) उक्त सोसायटी द्वारा गठन से दिनांक 30-6-98 तक किये गये व्यय का वर्षवार एवं मदवार विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री आर. पी. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्रीजी अपने विभाग पर पूर्ण रूप से सक्षम हैं, काबिज भी हैं लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोसायटी बनी, उसकी जो आमदनी हुई उस आमदनी से मूलभूत आवश्यकताओं के लिये पैसा खर्च होना चाहिये था, जैसे कि नये पलंग, टूटे पलंगों की मरम्मत, चादर, गद्दे, कम्बल, रोशनी के लिए लालटेन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और छोटी-छोटी सफाई सम्बन्धी व्यवस्था। इस सोसायटी की आज 30-6-98 तक 42,38,432 रुपये की आमदनी हुई है उसमें से मात्र 34,00,449 रुपये इन पर खर्च किये गये हैं। उसमें से भी 5 लाख की एफ.डी. करा दी गयी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि 14,34,983 रुपये हमारी संस्था के पास में होने के बावजूद भी आज जनरल अस्पताल में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सोसायटी से आप अपने स्तर पर मूलभूत आवश्यकताएं जो मैंने बतायी हैं, उन पर खर्च करने के लिए निर्देश दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन कोई सरकारी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अन्दर दवाई विक्रेताओं ने मनमानी कर रखी थी। लाइफ सेविंग ड्रग्स हों या दूसरी दवाइयां हों, उनके मनमाने दाम वसूल करने की वह संगठित रूप से कार्यवाही करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने देखा तो नहीं है, सुना जरूर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, हमने इन मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के गठन से लाइफ लाइन ड्रग स्टोर खोलने शुरू किये। बाजार में जो ग्लूकोज और दूसरे 35, 36 और 38 रुपये के मिला करते थे, आज इन लाइफ लाइन स्टोर से आपको वह 8 और 9 रुपये के मिल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आय 42,38,000 रुपये हुई है और व्यय 34 लाख हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और कार्यवाही इस चिकित्सालय के संचालन के लिए प्रस्तावित है विशेष तौर पर जन-स्वास्थ्य चेतना दिवस के रूप में वहां एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भवन का निर्माण, सामान्य चिकित्सालय में बाउंड्रीवाल का निर्माण, जनाना चिकित्सालय में ई.सी.जी., शिशु वार्ड में फोटो थिरेपी इमेज इन्टेसिफायर व आई.सी.यू. वार्ड में गद्दे। अभी आपने कहा था आधारभूत आवश्यकताओं पर धन खर्च नहीं किया जाता, उपाध्यक्ष महोदय, हमने निर्देश दे रखे हैं कि इसमें जो भी आय हो उसमें से एक निश्चित प्रतिशत जो कम से कम 30 प्रतिशत हो, चिकित्सालय के सामान्य कार्य में खर्च होगी। कहीं पंखे खराब हैं, जिस तरह आपके यहां सौ पंखे खराब थे, अभी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी ने खरीद कर दिये हैं। गद्दे खराब हों, बैड्स खराब हों, इन सारी चीजों के लिये हम देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर वर्तमान में 55 मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज चल रही हैं, जिसमें 312 लाख रुपये तो राजस्थान सरकार ने मार्जिन मनी के रूप में दिये हैं। इसके अलावा पहले जो काटेज के और दूसरी जांच हुआ करती थी उनके पैसे सरकार के पास आया करते थे, सरकार के यहां डिपोजिट हो जाया करते थे, अब उप मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी कृपा की कि सारा पैसा वहीं उस सोसायटी के पास रहता है, जिसमें जिला स्तर पर कलक्टर चेयरमैन है और जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल कर रखा है। आपके यहां भरतपुर में भी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं। बैठकर किस तरह की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति की जाए, इसके लिए इसका गठन किया गया है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। आप किसी और बात के लिये कहेंगे, इसमें किसी और तरह की गतिविधियां और चिकित्सालय के सुधार के लिये कोई कार्यवाही करनी है वह निश्चित तौर पर की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। केवल सवाल पूछें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : बिलकुल रेलेवेंट सवाल। मेडिकल रिलीफ सोसायटी और लाइफ लाइन ड्रग्स के लिये आपने कहा है कि 35 रुपये में बोतल आती थी, अब 12 रुपये में आती है। मेरा निवेदन यह है कि पहले गवर्नमेंट में जितने भी होस्पिटल में उपकरण खरीदे जाते थे, उनको गवर्नमेंट की स्वीकृति के लिये एक बोर्ड बना हुआ था, लेकिन अब मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से गवर्नमेंट को बाई पास कर दिया और बड़े-बड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लाखों और करोड़ों की कीमत के हैं, उनकी सीधे परचेजिंग हो रही है और उसमें गबन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा प्रश्न है कि क्या मेडिकल रिलीफ सोसायटी को खरीद फरोख्त करने के लिए सरकार को बाई पास कर दिया गया है? दूसरा, जयपुर में मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बोतल दस रुपये में उपलब्ध है कोआपरेटिव की दुकान पर, लेकिन मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा आज वह 12 रुपये में, दो रुपये पर बोतल महंगी मिल रही है। मंत्री महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री मोटवानी।

श्री आर. पी. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। मेरा अर्थ

(5)

(श्री आर. पी. शर्मा)

यह है कि लगभग 42 लाख रुपये का हमारा कलेक्शन हुआ और जैसा कि मंत्रीजी बता रहे थे 30 प्रतिशत तक खर्चा मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्चा हुआ है मात्र तीन लाख रुपये। बाकी पैसा आज भी इनके पास बैलेंस है, 9 लाख रुपये। भरतपुर की जो मूलभूत आवश्यकता है, न तो गद्दे हैं, न चादर है, पलंग टूटे हुए हैं या पलंग हैं नहीं, स्टैंड हैं नहीं, ट्रोली है नहीं, पंखे केवल सौ लगे हैं, जबकि पूरे अस्पताल में चार सौ, पांच सौ पंखे चाहिये, कूलर हैं नहीं और लैट्रीन, बाथरूम की हालत बहुत खराब है। तो आप कृपया यह बताएं कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिये 30 परसेंट जो आपका निर्धारित है, वह कब तक खर्च करवा देंगे? या ऐसे ही इनकम हम करते रहें? सात रुपये इनडोर पेशेंट से लेते हैं, दो रुपये आउटडोर पेशेंट से लेते हैं, उनकी सुविधाओं का भी तो ध्यान रखें हम। एक्सरे मशीन ले लें, हम सोनोग्राफी की मशीन ले लें, लेकिन खास तौर से जिन पेशेंट से हम पैसा लेते हैं, उन पर पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, यह मेरा प्रश्न है इसका जवाब दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से थोड़ा लीक से हटकर प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का उद्भव स्वागत योग्य है। इससे हास्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरा इसमें एक सुझाव है। मेडिकल कालेजेज जहां-जहां हैं, वहां भी मेडिकेयर सोसायटीज हैं और वहां की आय अन्य हास्पिटल्स जो एस. डी. एम. लेबल, जिला लेवल की हैं, उनसे ज्यादा है। इसमें अगर थोड़ा हम स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करें। जैसे हमारे यहां हार्ट इंस्टीट्यूट है, वह इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया और उसमें हमारे यहां ख्याति प्राप्त डाक्टर हैं। हमको गर्व है इस बात का और राजस्थान को भी गर्व होना चाहिये कि अजमेर में जो हार्ट इंस्टीट्यूट है उसका जो हैड है, आज उसकी ओपीनियन वर्ल्ड ओपीनियन है। माना जाता है वह हार्ट में। तो उसको फरदर स्ट्रेन्थन करने की बात है। वह अगर सरकार करे तो उसमें हम आपको और भी योगदान दिलाने की कर दें, हमारे चार करोड़ की आवश्यकता है, अगर हमारे यहां हो जाए, हमारे यहां एक्सपर्ट हैं एंजियोग्राफी का, डोपलर टेस्ट का किन्तु वे एस्टेबलिश हो जाएं तो मैं समझता हूं जयपुर पर जितना आज लोड है वह लोड कम होकर अजमेर में भी आ सकता है। It can be a very good institution of Rajasthan itself. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन मेडिकेयर सोसायटियों के माध्यम से, वहां पर सुपर स्पेशलिटी कायम हो जाए, आपके यहां भी लास्ट ईयर तो आपने सुपर स्पेशलिटी कैम्प के लिये पैसा दिया था, इस वर्ष नहीं दिया। लास्ट ईयर हमने वहां ब्यूरोलॉजी के कैम्प लगाये और आपने जितना सहयोग दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं, किन्तु इस वर्ष नहीं दिया उसको कराएं। यूरोलाजी जैसी स्पेशलिटी है, हम उसको क्रीएट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री किशन मोटवानी : एक छोटी-सी फाइल आपके यहां है। मेरा कहना यह है, प्रिंसिपल यह है कि जहां मेडिकल कालेजेज हैं वहां उसको सुपर स्पेशलिटी के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करिये, उसका स्पेशल सैट-अप बनाइये जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा और यह मेडिकेयर सोसायटियों के माध्यम से संभव है।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे यह अलग से प्रश्न है। श्री जगदीप धनखड़।

श्री किशन मोटवानी : मंत्री महोदय जवाब देंगे। सबके इंट्रैस्ट का मामला है।

श्री उपाध्क्ष : जवाब दें तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मोटवानी जी का जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बताएं इनको।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सोसायटियां बनीं, इनका उद्देश्य बहुत बढ़िया रहा कि कन्जूमर को सस्ती दवाइयां मिलें, सुलभ तरीके से मिलें और उसमें प्रोफिट का जो मार्जिन है वह नियमानुसार हो। मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन समितियों ने जयपुर में करोड़ों रुपये ड्रग प्राइज कंट्रोल आर्डर में जो निर्धारित की गयी है परसेन्टेज, उससे अधिक लेकर एकत्रित नहीं किये हैं कन्जूमर के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है? मान्यवर, यदि 100 रुपये की कोई बोतल आती है और अगर इस सोसायटी से 70 रुपये में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है कि 30 रुपये जो ज्यादा देते वह कम में आ गयी पर जो प्राफिट परसेन्टेज लिया वह नियमों के खिलाफ लिया है। यह पूरा अमाउंट करोड़ों में है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि क्या इस प्रकार की घटना जयपुर में हुई है, नम्बर एक? और यदि हुई है तो इस आपराधिक कृत्य की जांच आप करवाना चाहते हैं? यदि हां, तो कब तक और किससे?

श्री उपाध्यक्ष : यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी और लाइफ लाइन ड्रग स्टोर इन दोनों का किसी तरह के लाभ की दृष्टि से संचालन नहीं किया गया है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमने उपभोक्ता से लाभ की दृष्टि से ज्यादा पैसा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हास्पिटल के बाहर की दुकानों में किसी भी चीज की कीमत पर कोई कन्ट्रोल नहीं होता था, अब एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूर प्रारम्भ हुई है मैं समझता हूं अभी जो बोतल 9 और 10 रुपये में मिलती है वह पहले 34 रुपये में मिला करती थी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो प्रश्न यहां उठाये गये। एक प्रश्न तो यह उठाया गया कि जो अभी खरीद-फरोख्त हो रही है उस खरीद फरोख्त में जो हमारे नियम बने हुए हैं उन नियमों को बाई पास करके किसी तरह की हेराफेरी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन अलग से है। हमने इसको स्वायत्तशासी करने का प्रयास किया है परन्तु

Page No. 6

6

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके साथ ही यह निर्देशित भी किया है कि स्टोर परजेच के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने जो गाइड लाइन दी हैं उन्हीं के तहत उनकी निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, उसी के तहत उनको जहां नेशनल इंट्रेस्ट बिड की आवश्यकता होगी वह बिड की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल के अंदर, मैं सिर्फ मेडिकल कालेजेज की बात कर रहा हूं जो संभागीय स्तर पर हैं, 6 करोड़ 52 लाख 52 हजार पांच रुपये की दवाइयां लाइफ लाइन ड्रग स्टोर के माध्यम से गरीब लोगों को मिली हैं। ये दवाइयां अगर यह लाइफ लाइन ड्रग स्टोर नहीं होते और बाजार से खरीदी जातीं तो इनकी कीमत जो पहले मूल्य थे उनके अनुसार लगभग 15 करोड़ के आसपास आती। राजस्थान के गरीब व्यक्ति को एक इसी के माध्यम से कितने करोड़ों रुपयों का फायदा हो गया।

इसके साथ ही अभी मोटवानी साहब ने सवाल किया कि हम सुपर स्पेशलिटी के अंदर भी ध्यान दें। निश्चित तौर पर ये सारे निर्णय कि इसकी राशि का उपयोग कैसे हो, राज्य सरकार नहीं करती। आपके वहां भी जो समिति बनी हुई है उसमें जन-प्रतिनिधि भी हैं, उसमें दो दानदाता भी हैं, उसमें प्रोफेसर स्तर के दो व्यक्ति होते हैं जो रोटेशन से बदलते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका मकसद यह नहीं है कि इसमें किसी तरह का लाभ कमाया जाए मैं फिर भी सुनिश्चित करूंगा और हमने यह निर्देश भी दे दिये हैं कि सारी मेडिकल रिलीफ सोसायटी और लाइफ लाइन ड्रग स्टोर की इंटरनल आडिट हो, आडिट प्रारम्भ हो गयी। भरतपुर में आडिट पिछले साल की हो गयी। ड्रग की आडिट हो रही है। उसके पश्चात् भी जिस तरह मैंने निवेदन किया, एक निश्चित राशि इसके अंदर से इन चिकित्सालयों के रख-रखाव और सामान्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने एस.एम.एस. की हालत देखी होगी। एस.एम.एस. के अंदर आज आप देख रहे हो कि वहां 10 काटेज में एयर कंडीशनर लग गये, पिछले वर्ष हमने 200 लाख रुपये के उपकरण खरीदे हैं और ये उपकरण भी गरीब के लिए खरीदे हैं। इस वर्ष प्रस्तावित है कि 500 लाख रुपये से ज्यादा के उपकरण मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से खरीदे जाएंगे। जहां सी. टी. स्कैन भी है, टी.एम.टी. मशीन भी है, हार्ट लंग्स मशीन है, बाई पास सर्जरी के लिये आल्टर मानिटर भी है, आर्थोपेंटोग्राम भी है, ब्ल्ड गैस मशीन भी है, सारी चीजे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, आपने अपनी संस्था के बारे में जो विचार रखे, निश्चित रूप से कई बार इस तरह के विचारों से वह व्यक्ति जो सेवा के भाव से काम करता है, उसका मनोबल बढ़ता है। किस तरह आपके यहां कार्डियोलाजी का विस्तार किया जाए और इन मेडिकल रिलीफ सोसायटियों द्वारा अर्जित आय में से कुछ आय इधर ट्रांसफर करने की बात है, तो आप भी उस समिति में शायद हो, बैठकर आपस में चर्चा करेंगे और मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा।

Page No. 7

(7)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामस्वरूप मीणा......... कृपया बिराजें। मैंने नैक्स्ट सवाल पुकार लिया। बोलिये। थोड़ा-सा धीरे से बोला करें। (व्यवधान)

तहसील नादौती तथा टोडाभीम की अपूर्ण सड़कें

209. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत हुई ?

(2) तहसील नादौती एवं टोडाभीम (करौली) में कितनी सड़कें पूर्ण की गई एवं कितनी अपूर्ण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्री महावीर जी से टोडाभीम को जोड़ने वाली सड़क जो पाहलड़ी एवं सेकपुरा के बीच अपूर्ण है, को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो इनको कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) तहसील नादौती में 19 सड़कें पूर्ण की गई एवं 11 सड़कें अपूर्ण हैं तथा तहसील टोडाभीम (करौली) में 15 सड़कें पूर्ण की गई एवं 14 सड़कें अपूर्ण हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। श्री महावीर जी से टोडाभीम सड़क पाहलड़ी एवं सेकपुरा के बीच 5 किलोमीटर लम्बाई में अपूर्ण है। इस अपूर्ण सड़क के भाग को 3 किलोमीटर लम्बाई में मैटल सड़क निर्माण हेतु 10.00 लाख रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना प्रस्तावित है। अपूर्ण सड़क भाग का शेष 2 किलोमीटर लम्बाई में सड़क निर्माण उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(4) जी, हां। उक्त स्वीकृत चार सड़कों में से तीन सड़कों का कार्य प्रगति पर है तथा एक सड़क का कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। कार्यों के पूर्ण होने का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे नम्बर पर लिखा है कि श्री महावीर जी से टोडाभीम सड़क पाहलड़ी एवं सेकपुरा के बीच 5 किलोमीटर लम्बाई में अपूर्ण है, इसके लिए 10 लाख रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 1996-97 में स्वीकृत किये जा चुके हैं, वित्त वर्ष में पूर्ण होना प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कि कृपया इस कार्य को कब आप शुरू करेंगे और कब तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा? फिर आपने आगे बताया है कि स्वीकृत कार्य चालू कर दिया गया है। यदि हां, तो इसको कब तक पूर्ण कर दिया? इसमें आपने उत्तर दिया है कि उक्त स्वीकृत कार्यों में से 3 सड़कों का कार्य प्रगति पर है तथा एक सड़क का कार्य भूमि विवाद के कारण पड़ा हुआ है। यह जो आपने मुझे उत्तर दिया है, ऐसा गलत उत्तर है जिसकी सारी बातों को हां हां ही किया है, पूर्ण ही पूर्ण बताया है। मैं इस सदन के सामने आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों के ये कार्य पूर्ण निकल जाएं या इनका कार्य चलता हुआ पाया जाए तो मैं इस राजस्थान के सदन से इस्तीफा दे सकता हूं। इतना बड़ा झूठा तथ्य दिया गया है, आपके विभाग ने यह उत्तर दिया है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, तीन महीने और धैर्य रखिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : तहसील नादौती की बाड़ाराजपुर की सड़क, इन्होंने बताया है कि कार्य प्रगति पर है। माननीय मंत्री महोदय, यह राजपुर के लिये सड़क जो आप बना रहे हैं, इसका कार्य बंद है। मौका दिखा लें। दूसरा आपने बताया सम्पर्क सड़क बड़ा गांव, यह सड़क भूमि विवाद के कारण बंद है। मैं भूमि विवाद को सुलझाने को तैयार हूं, आप मेरे साथ चले चलो या कोई अधिकारी को भेज दो। आपका भूमि विवाद समाप्त नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है। कृपया आप इस बात के लिए प्रयास करें, भूमि विवाद समाप्त हो सकता है। कुदावल और बोंल, इनका कार्य प्रगति पर बताया गया है, हरिसिंहजी बताएंगे कि ये कार्य प्रगति पर हैं या बंद है। नादौती में भीलापाड़ा की सड़क का आपने बताया कि कार्य पूर्ण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य अपूर्ण है। कतई पूर्ण नहीं हुआ, मौका देख लिया जाए, अगर मेरी बात असत्य हो। अलूदा से जीतकीपुर सड़क, इसका कार्य पूर्ण बताया है, यह जरूर पूरा हुआ है। गंगापुर से नादौती सड़क का कार्य, यह जरूर पूरा हुआ है। गुढ़ाचन्दजी से दलपुरा, कार्य पूर्ण बताया, यह भी कार्य अपूर्ण है। पल का कार्य पूर्ण बताया है, यह भी अपूर्ण है। बाड़ा केमरी से जो बात बताई है कार्य पूर्ण, यह भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। मेढेकापुरा कार्य पूर्ण बताया है, यह भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसमें जो विवरण दिया है कार्य प्रगति पर है, वे बंद पड़े हैं। भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं भूमि विवाद को खतम कराने को तैयार हूं। इसी प्रकार इन्होंने जो बताया है कि नालियां बना दी गई हैं केमला के अन्दर, एक भी नाली नहीं बनाई गई हैं, खाली गड्ढे खोदकर छोड़ दिये गए हैं। इसी प्रकार आपने जो बताया है, सारी सड़कों के कार्य अधूरे हैं। इसी प्रकार मेहन्दीपुर बालाजी का बाई पास, जिसको आप स्वीकृत करके आए थे, उसका कार्य आज तक चालू नहीं हुआ। आप उसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। आप बिराज जाएं।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसी में है, साहब। टोडाभीम में आता है, साहब। श्री महावीरजी की जो सड़क है

श्री उपाध्यक्ष : अब आप उत्तर सुनें। आप इन सड़कों को पूरा करवाना चाहते हैं? बिराजें आप। इस प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये। पहले थोड़ा सा वेट कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी इस मामले में।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी यह घोषणा करें कि कब तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रमांक 3 के प्रश्न के करते समय माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (वृत्त सवाईमाधोपुर), ने दिनांक 30-12-96 द्वारा उक्त सड़कों के कार्य की निविदाएं स्वीकृत की थीं, जो जयशिव कन्स्ट्रक्शन, गंगापुर सिटी के पक्ष में स्वीकृत हो गई थीं। संवेदक द्वारा पांच प्रतिशत प्रोफार्म गारंटी जमा नहीं कराने के कारण उनकी दो प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर ली गई। इसमें निविदा दुबारा आमंत्रित हो गई है। इस विषय में जैसा मैंने निवेदन किया है भाग तीन में, निविदाएं आमंत्रित होने के तुरंत बाद इस काम को गति देकर पूर्ण कराया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न 2 के बारे में चिंता की। नादौती की एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विभाग ने कोई कार्य पूर्ण लिखा है और आप उसकी सूचना अपूर्ण दे रहे हैं तो इसकी जांच कराकर जिसने पूर्ण लिखा है, उस अधिकारी को पनिशमैंट दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से नादौती के विषय में कहना चाहता हूं कि 30 सड़क कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 10 कार्य प्रस्तावित हैं। शेष में से 4 कार्य दिसम्बर, 98 तक, 4 कार्य मार्च, 99 तक और दो कार्य जून, 99 तक, इस तरह नादौती में मेरी दृष्टि से सब काम पूरे हो जाएंगे। पूर्ण और अपूर्ण के बारे में आपने चर्चा की, उसके बारे में मैंने कह दिया कि निश्चित रूप से आपकी जानकारी के द्वारा एक्शन किया जाएगा।

जहां तक टोडाभीम का सवाल है, जैसी मैंने चर्चा की, आज टोडाभीम में 11 कार्य ऐसे हैं जो अपूर्ण है इसी दृष्टि से निश्चय किया गया है कि 6 कार्य दिसम्बर, 98 तक, 3 कार्य मार्च, 99 तक और 3 कार्य जून, 99 तक पूरे किए जाएंगे। इसलिए पूर्ण और अपूर्ण कार्य, पूरा करने की तिथियां मैंने माननीय सदस्य को बता दी हैं। दूसरी बात मैं फिर दोहराता हूं कि पूर्ण को अपूर्ण और अपूर्ण को पूर्ण बताने वाले पर एक्शन करने की बात है। माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, महावीरजी से टोडाभीम जिस सड़क का मुख्य सवाल है, मेरी भी श्रद्धा है, पांच किलोमीटर का बीच में मिसिंग लिंक है, तीन किलोमीटर की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसकी मैंने चर्चा की। जैसा आपका सवाल आया था कि दो किलोमीटर और बचे हैं, मैंने कलक्टर से बात की है उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और दो किलोमीटर का काम ई.ए.एस. में तुरंत वे प्रारम्भ करने वाले हैं और जैसे ही वह काम पूरा हो, उसका बी.टी. का काम पूरा करवाएंगे। इस प्रकार जून 99, तक पांच किलोमीटर का मिसिंग लिंक भी पूरा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर दिया जायेगा। यह सारे सवाल का उत्तर आ गया जिसको मैंने आपके सामने बता दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त उत्तर आ गया जो आप चाहते थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ....(व्यवधान). ....मेरी भी भागीदारी है। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र महुवा में टोडाभीम तहसील की 12 पंचायतें सम्मिलित हैं, उनके सम्बन्ध में आपकी पूर्ण और अपूर्ण की सूची मैंने देखी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले घोषणा कर दी कि जिन्होंने गलत जवाब दिया है उन अधिकारियों को लाइबल ठहराया जाएगा।

मान्यवर, आप नोट कर लें, मैंने यह सूची देखी है, एक सड़क है, महू इब्राहिमपुर से पंचायत हैड क्वार्टर टिकरिया, यह सड़क पूर्ण दिखा दी गई है लेकिन जिस जगह से यह स्टार्ट होनी चाहिये वहां 600 मीटर और अभी अधूरी है और गांव तक पहुंचने में 500 मीटर अधूरी है। पिछली बार विधान सभा में मेरे प्रश्न के जवाब में आपके विभाग ने बताया था, आप कृपया नोट कर लें, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? इस सड़क पर दो-तीन पुलियाएं टूट गई, उनकी भी बहुत लम्बे समय से मरम्मत नहीं हुई। साथ ही इसमें आपने जो दिया है लपावली से कटारा अजीत पंचायत मुख्यालय तक, दो साल हो गए, पैसा डी.आर.डी.ए. ने आपके विभाग को भिजवा दिया और यहां इसमें लिखा हुआ है, भूमि विवाद है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बात और कह दूं, भूमि विवाद के बारे में माननीय सदस्य ने जो सहयोग करना तय किया है, कल ही या विधान सभा सत्र के तुरंत बाद ही मैंने ए. ईएन. को बुला लिया है, आप उनसे बात करके कृपया तारीख तय कर दें, भूमि विवाद समाप्त करा दें तो सड़कें बन जाएंगी। आपका सहयोग अपेक्षित है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके साथ बैठकर तारीख तय कर लेंगे, उनको मेरे साथ आप भेज दें मैं मौके पर जाकर निपटारा करा दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने जो सूची है उसमें कटारा अजीत पंचायत मुख्यालय है, डी. आर. डी. ए. सवाईमाधोपुर नाऊ करौली, इन्होंने दो लाख रुपये सड़क निर्माण के लिए पंचायत मुख्यालय को दो वर्ष हुए भेज दिए, आपके विभाग ने कार्य शुरू ही नहीं किया। चार हजार खर्चा बता दिया और कह दिया कि इसमें विवाद है। सच्चाई यह है कि जी.टी.सी. पर बैठे-बैठे, वहां से नक्शा देखा और एस्टीमेट बना दिया। ये दो लाख रुपये मंजूर हुए ये बहुत कम हैं इसलिए उनकी आंखें खुलीं, अब काम शुरु नहीं कर रहे हैं। इस पंचायत मुख्यालय को आप कब तक सड़क से जुड़वा देंगे, कब तक सड़क का काम प्रारम्भ करवा देंगे? साथ ही बालदेवली से बालघाट जो सड़क जा रही है, उसमें अभी इसी बरसात में चार-पांच दिन पहले, चार-पांच जगह से पुलियाएं टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, इन पुलियाओं को आप पुनः कब तक बनाएंगे? आप कब तक इन पर साधन निकालने लायक

(श्री हरिसिंह)

बना देंगे, ज्यादा तो आप क्या करेंगे? आप इन्हीं प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का जो उत्तर मैंने माननीय सदस्य के विषय में दिया है, वैसा ही आपके लिये है। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विवाद का सवाल भी कैसा है, वह समझाना चाहता हूं आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न मेरा है और जवाब उनका दे रहे हैं। ऐसी क्या एलर्जी हो गई आपको? स्पेसिफिक पूछा है, कटारा अजीत........

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बता रहा हूं सारी सड़कें जिनके बारे में आपने चर्चा की है, उनका टाइम बाउण्ड प्रोग्राम मैंने दिया है। यह बात सच है कि कलक्टर के यहां से ई.ए.एस. का जो पैसा मिलता है, सेंक्शन तो हो जाता है, आपको भी जानकारी है, किन्तु पैसा रिलीज करने में लगातार देर होती चली जाती है, बात नम्बर एक। फिर वे सब अलग-अलग कामों के हिसाब से पैसा नहीं भेजते हैं, एक साथ भेजते हैं इसलिए, लेबर की भी प्राब्लम्स होती हैं ई.ए.एस. में। इन सबके बावजूद माननीय सदस्य ने जिस गांव की चर्चा की है उसके बारे में, सब कामों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि चार काम इतने, छह काम इतने, उनकी तारीखें तय कर दीं और ये तारीखें परिशिष्ट में दी गई हैं, इसलिए उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विवाद का जो सवाल आया है, जो किसान बन्धु हैं, उन्होंने टोले बना लिये, टोले बनाने के बाद वे मिट्टी देना स्वीकृत नहीं करते। इसीलिए आप आपके प्रभाव का उपयोग करके उन टोलों से मिट्टी दिलावें ताकि कार्य पूरा करवा सकें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरे यहां भूमि विवाद नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बात के लिये गांव वाले तैयार हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसमें तेलिया का नाम नहीं है। पिछली विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि 600 मीटर तो स्टार्टिंग पाइन्ट से अधूरी है और गांव तक पहुंचने में 500 मीटर और अधूरी है इस सूची में वह नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जितना प्रावधान किया गया होगा उस प्रावधान के अंतर्गत जितनी सड़क की लम्बाई बनेगी मैं करूंगा। बचेगी तो और सेंक्शन करने की कोशिश की जाएगी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : न तो इधर मुख्य सड़क से जुड़ी और न गांव तक पहुंची।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य। कृपया बिराजें श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेंहदीपुर बालाजी बाई पास आप स्वीकृत करके आए थे..............

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। सीधे बातचीत न करें, रामस्वरूप जी।

जन सेवा मण्डल, पहुंना (चित्तौड़गढ़) का आय-व्यय

210. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जन सेवा मण्डल, पहुंना (चित्तौड़गढ़) की स्थापना कब की गई व इनके कौन-कौन सदस्य हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जन सेवा मण्डल का गत दस वर्षों का आय-व्यय विवरण मय वर्षवार अनुदान के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान अध्यक्ष द्वारा जन सेवा मण्डल के ट्रकों व अन्य वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त जन सेवा मण्डल की स्थापना से अब तक चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जन सेवा मण्डल की वर्तमान वित्तीय वर्ष की लेनदारियां/देनदारियां क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री किशन सोनगर) : (1) जन सेवा मण्डल पहुंना की स्थापना जनवरी, 1959 में हुई। वर्तमान में संस्था में 10 सदस्य हैं। नाम एवं पते का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त संस्था का गत दस वर्षों का आय-व्यय विवरण मय अनुदान के सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्तमान अध्यक्ष द्वारा संस्था के ट्रकों व अन्य वाहनों का दुरुपयोग करने की कोई जानकारी नहीं है। संस्था के वाहनों का प्रयोग संस्था से संबद्ध बिक्री कार्य आदि के लिए किया गया है।

(4) जन सेवा मण्डल पहुंना की चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जन सेवा मण्डल की वित्तीय वर्ष 97-98 में लेनदारियां 40.19 लाख रुपये की तथा देनदारियां 14.98 लाख रुपये की हैं। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में दर्शाया गया है कि इसमें वर्तमान में 10 सदस्य हैं, क्या इस संस्था के अंदर कोई नियम हैं कि किसी निश्चित आयु तक कोई भी सदस्य संस्था का हो वह उस संस्था के अंदर पदाधिकारी रह सकता है ? उसके लिए कोई आयु सीमा निश्चित है या नहीं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो सदस्य इस संस्था के थे और जो देवलोक हो चुके हैं उनके रिक्त पदों पर आज तक किसी को सदस्य बनाया या नहीं ? अगर बनाया तो उसकी क्या प्रक्रिया रही है ?

तीसरा इसमें मैंने पूछा था कि ट्रकों और वहां के वाहन हैं उनका दुरुपयोग होता है। मंत्री जी ने कहा कि आज तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जबकि कई बार इस संस्था के द्वारा वाहन का दुरुपयोग किया जाता

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

है। जो वर्तमान अध्यक्ष है उसकी किराने की दुकान है, उसमें सामान लाया जाता है, सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं। नीचे किराने का सामान, ऊपर संस्था का सामान भरकर ले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। कई बार लिखने के बाद भी ऐसा हो रहा है। ट्रक के ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है ताकि उसको कोई चैक नहीं कर सके। इसकी शिकायत भी कई बार की गई। क्या कोई भी संस्था भारत सरकार लिख सकती है?

उपाध्यक्ष जी, अनुदान की राशि अलग से नहीं दर्शायी गई है। जो आय और व्यय का आंकड़ा मांगा है उसमें ऐसा नहीं दर्शाया, जबकि खादी बोर्ड से ये हर वर्ष लाखों रुपये का ऋण लेते हैं और लाखों में ही उसकी छूट मिलती है 30 परसेंट उसको संस्था के पदाधिकारी लेकर हड़प रहे हैं।

अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या पांच में लेनदारियां और देनदारियां दर्शायी हैं। अच्छी बात है कि यह संस्था फायदे में है। इसकी लेनदारियां है 40.19 लाख और देनदारियां हैं 14.98 लाख। जब मूल प्रश्न बनाया था तब मैंने पूछा था, यह संशोधित कर दिया गया है कि जो लेनदारियां हैं वे किनमें हैं? क्या लेनदारियां फर्जी आदमियों के नाम पर लिखकर अध्यक्ष ने अपनी जेब में पैसा रख लिया? यही हालत हो रही है। जो लेनदारियां बतायीं उसमें 22.96 लाख रुपेय प्रान्तीय के नाम हैं। ऐसी कोई संस्था का नाम बताओ जिससे आप पैसा मांगते हो। इसी प्रकार से इन्होंने फर्जी नाम लिखे हैं, मेरे पास उनकी सूची है। 23 हजार रुपये इन्होंने फर्जी लिखे हैं विजय टेलर्स, जयपुर के नाम। वह संस्था मुझे कहीं दिखी नहीं, मैंने जयपुर में पता करा लिया। एक और नाम लिखा है, तीन हजार रुपये प्रोवीडेण्ट फण्ड में। यानी भविष्य निधि खाते में फर्जी रूप से लिखे गए हैं। उसकी जांच राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो में चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए आप। बैठिए। बहुत प्रश्न हो गये। एक या दो प्रश्न हो सकते हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सदन में + + + नहीं चलतीं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, लाखों रुपये का घोटाला किया है। मैंने जन सेवा मण्डल कार्यकर्ता यूनियन है उससे एक सूची मंगायी कि किस प्रकार के घोटाले किन-किन के नाम लिखे गए हैं। जो-जो भी इस संस्था का आडिट करने गए, जिस-जिस व्यक्ति ने आडिट की है वे आंख बंद करके आडिट करके आते हैं और संस्था से कोई तो स्टूल ला रहा है, कोई अलमारी ला रहा है, कोई क्या ला रहा है और उन सबके नाम लिखे हुए हैं। मैंने जो आडिट की थी उसकी सूची मंगायी है। इन आडिटर्स से जाकर सम्पर्क किया। मैंने कहा कि इस संस्था में पैसे नाम लिखे गए हैं, क्या आप सामान लाये हैं। उन्होंने कहा, हम किसी प्रकार का सामान नहीं लाये, हमने

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

इस संस्था से कोई सामान नहीं लिया। मैंने कहा, आपने संस्था से सामान नहीं लिया, लेकिन इनके बहीखाते बता रहे हैं, यह लिस्ट बता रही है। उसमें 2,607 रुपये इन्द्र सिंघवी, यह खादी बोर्ड जयपुर में है। 1,537 रुपये ओमप्रकाश नागौरी, आडिटर, एक हजार रुपये इन्द्र कुमार, 1530 रुपये सलीम, 1057 रुपये हरीश कुमार, इस प्रकार से अनेक नाम हैं। इस प्रकार के घोटाले करने वाले जो चेयरमैन हैं, ऐसी संस्था के सदस्य हैं सरकार उनको हटाकर प्रशासक नियुक्त करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? मेरा यही स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक जानकारी संस्था के अध्यक्ष की आयु के संदर्भ में चाही है। यह संस्था जो बनती है उनके चुनाव होते हैं, अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। वह निर्वाचित हो जाता है और वह संस्था में स्थापित हो जाता है। एक स्थिति तो यह है।

दूसरा आपने जो सदस्य स्वर्गीय हो जाते हैं उनके संदर्भ में सवाल किया है। संस्था अपने सदस्य बनाती है, वह उनकी अपनी एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत बनाती है। जो स्वर्गीय हो जाता है उसकी जगह और बनाने की जरूरत होती है तो बनाती है।

एक तीसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि संस्था के वाहन का दुरुपयोग होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस संदर्भ में यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस संस्था को बोर्ड के द्वारा वाहनों के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया है। अगर उन्होंने अपने निजी खरीदे हैं और निजी उपयोग कुछ भी करते हैं तो उसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता।

आपने लेनदारियों और देनदारियों की बात की है, वह हमने टोटल रकम तो आपको बता दी जैसा आपका सवाल था। अगर एक-एक व्यक्तिवाइज पूछते हैं.....

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि क्या वह भारत सरकार लिख सकता है?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यदि उसमें व्यक्ति की दृष्टि से ये सूची मांगते तो वह भी उपलब्ध करा देते। माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको सूची की आवश्यकता हो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने एक बात और कही है अनुदान के संदर्भ में। हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो राशि वित्त पोषित करने के लिए संस्था को दी जाती है अगर उसमें कुछ आइटम हैं, यदि वे उनमें मांग करते हैं तो उनको अनुदान मिल जाता है। उस संस्था ने एक बार हमसे अपने खादी भण्डार के फर्नीचर के लिए आवेदन किया तो उसमें 10 लाख रुपये हमने उसको अनुदान दिया। इसी तरह से उन्होंने हथकरघा के लिए आवेदन किया तो उसमें भी उसको अनुदान दिया गया था। अन्यथा हम कोई जबर्दस्ती तो अनुदान देने से रहे।

माननीय सदस्य ने एक सवाल यह उठाया कि वहां वित्तीय अनियमितताओं के

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

घपले हैं। इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बोर्ड के आडिटर अपनी जांच करते हैं, आडिट करते हैं। इसके साथ यह भी प्रावधान है कि वे सी.ए. के द्वारा भी अपनी सारी खाताबहियों की जांच प्रस्तुत करेंगे। तो सी.ए. भी करता है। विभाग का आडिटर भी करता है और भारत सरकार के आयोग के आडिटर भी आकर जांच करते हैं। तो ऐसे सन्दर्भ में मैं कह सकता हूं कि तीन स्तर पर उसकी जांच होती है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।

चौथी बात जो माननीय सदस्य ने उठायी वह यह उठायी कि वहां यह सब अव्यवस्था हो रही है यह बात है तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर तत्काल कार्यवाही करेंगे। उस सब के बाद भी जो आपने कहा कि वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए तो इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन तब नियुक्त किया जाता है जब लम्बे समय तक जो हमने ऋण दिया है उसका भुगतान नहीं होता हो। लम्बे समय तक संस्था हानि में चलती हो लम्बे समय तक वह संस्था हानि में चलने के बाद अगर ऐसी स्थिति में आती है तो सरकार उसको अपने हाथ में लेती है, अन्यथा वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है। इस संस्था के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यह लाभ में भी चल रही है, हानि में भी नहीं है और समय पर हमारी जो किश्तें वगैरह हैं वह हमको प्राप्त हो रही हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा और भी बिन्दु हैं, अगर माननीय सदस्य यह सोचते हों कि वहां प्रशासक लगाया जाए तो माननीय सदस्य भी उस संस्था के सदस्य हैं, अगर वहां का कार्यकारी मण्डल और माननीय सदस्य उनसे बात करके हमको प्रस्ताव दे देंगे तो हम प्रशासक लगा देंगे। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। मैं उस संस्था का सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संस्था के सदस्य हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : मैं संस्था का सदस्य हूं तभी तो इतना पता चला कि वहां घोटाला हो रहा है, वरना तो मैं क्यों उठाता? इतने वर्ष हो गये वहां पर किसी विधायक को सदस्य नहीं बनाया गया। मैंने ताल ठोककर कहा कि मैं इसमें रहूंगा। आदमी जब तक पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरेगा कैसे तो मैं यह चाहता हूं कि संस्था लाभ में है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक कानूनी प्रक्रिया है, सुनिये आप। जो माननीय सदस्य जिस संस्था का सदस्य हो वह सवाल नहीं पूछ सकता। आप बिराज जाएं। कृपया विराज जाएं। श्री हरजीराम बुरडक।

जयपुर शहर में आपराधिक घटनाएं

211. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) दिनांक 1 जनवरी, 1997 से जून, 1998 तक जयपुर शहर में कितनी चोरी, नकबजनी, डकैती एवं हत्याएं हुई और उसमें कितना-कितना सामान गया, जिसमें

Page No. 16

(16)

(श्री हरजीराम बुरडक)

कितना-कितना बरामद किया गया है? तिथिवार, घटनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त घटनाओं का राज्य के अन्य सभी जिलों का तुलनात्मक विश्लेषण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल स्थगित है। श्री खेतसिंह जी। श्री जगदीप धनखड़।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था दें कि इसी सदन में जवाब आप करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट टर्न पर।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उसमें निवेदन करना है। मैंने सवेरे माननीय विधायक से भी निवेदन किया था और आपसे भी निवेदन किया था कि इसको री-एडिट करवाएं आप। क्योंकि इसमें जो पूछा गया है, मैं थोड़ा पढ़कर बता दूं। इसके खण्ड दो का मतलब मैं नहीं समझ पाया, मैंने आपसे भी निवेदन किया था। जयपुर शहर में आपराधिक घटनाएं पहला खण्ड है वहां तक तो ठीक है कि क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1997 से जून, 1998 तक जयपुर शहर में कितनी चोरी, नकबजनी, डकैती एवं हत्याएं हुई और उसमें कितना-कितना सामान गया.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, मैंने स्थगित कर दिया इसलिए आप कृपया। श्री धनखड़ साहब। पूछिये आप। (व्यवधान) बिराजिये।

जिला जोधपुर में राशन सामग्री का वितरण

212. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) (श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) के स्थान पर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री समय पर नहीं मिलती है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। यह सही नहीं है कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री समय पर नहीं मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 98 से जून, 98 के मध्य वितरित की गयी नियंत्रित वस्तुओं का विवरण संलग्न है। चूंकि राशन सामग्री का समय पर वितरण करवाया जाता है अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय खेतसिंह जी की अनुपस्थिति में, उनके निर्देशन पर और आपकी अनुमति से मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया

(श्री जगदीप धनखड़)

है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने जानकारी दी है, जरा उसको ध्यान से देखें। गेहूं का जो आबंटन किया गया है और जो उठाव है इसमें, मान्यवर जो फर्क है वह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि इनकी वितरण प्रणाली में कहीं न कहीं कोई कमी है। पूरे राजस्थान में यह देखा गया है कि लोग इस व्यवस्था से पूरी तरह पीड़ित हैं, फिर भी आपके यहां पर आबंटन ज्यादा है और उठाव कम है। चीनी के बारे में बिलकुल अर्थमैटिक तरीके से कर दिया, आबंटन जितना है उतना ही उठाव कर रखा है। इसका क्या कारण है? गेहूं के मामले में समस्या है, वहां पर आबंटन तो है पर उठाव कम है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार जो वितरण किया जा रहा है____

श्री सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले का है इसलिए मैं भी पूछ लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना, पहले इनका जवाब दे दें।

श्री अनंग कुमार जैन : गेहूं को छोड़कर बाकी सभी आवश्यक वस्तुएं पूरी मात्रा में उठायी जा रही हैं। गेहूं दो माह का इकट्ठा हम लाते हैं क्योंकि 10 किलो देते थे और गांव वालों को आना पड़ता था, उनको परेशानी होती थी तो दो महीने का इकट्ठा देने लग गये। और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गेहूं कई बार बिलकुल उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसकी वहां की स्थानीय परिस्थिति होती है। यदि लोकल फसल हो जाती है, वहां लोकल फसल में दूसरा खाद्यान्न उनको अवेलेबल होता है या भाव कम हो जाता है, बाजार से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो आदमी बाजार से या अपने गांव में खरीद लेते हैं। इसलिए गेहूं का उठाव कम है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इसमें कमी नहीं की गयी है। राज्य सरकार की तरफ से जो कोटा निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक हमेशा गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि सिर्फ आंकड़े ही बता रहे हैं कि कम होता है, अगर यही आंकड़े बताते तो केरोसिन है, शक्कर है, सारी चीजें पूर्ण मात्रा में उठायी जा रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह प्रश्न नहीं था। उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब पूरे प्रांत में अभाव की स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि हमें ज्यादा गेहूं मिलना चाहिये, वे कह रहे हैं कि हमारा कन्सेप्ट भी आप रिवाइज कीजिये कि पर कैपिटा क्या मिलेगा, तो आपने जो फिगर दिये हैं उनमें 6 महीने में 1500 टन गेहूं का आबंटन हो गया उसका उठाव ही नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जब बीमारी है, जब लोग परेशान हैं, जब लोग कह रहे हैं कि पर कैपिटा आबंटन हमारा बढ़ाइये तो यह उठाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने इसकी जांच करायी है? कल मान लो आप आबंटन कर देते हो 5 हजार टन का और 5 हजार टन में 4 हजार टन का उठाव नहीं होता है तो यह नहीं कह सकते कि अभाव नहीं है। अभाव की स्थिति तो बनी हुई है। क्या मंत्री जी यह बताने का श्रम करेंगे कि 1500 टन गेहूं 6 महीने आबंटन होने के बावजूद उसका

(श्री जगदीप धनखड़)

उठाव क्यों नहीं हुआ? क्या आवश्यकता नहीं थी या अन्य कोई समस्या थी?

श्री रामनारायण चौधरी : कोई जानकारी भी है क्या आपको?

श्री हरिसिंह (महुवा) : He is not in capacity to reply.

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है, राज्य सरकार को कहीं की कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि फलां जगह गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है। गेहूं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और राज्य सरकार ने जो कोटा तय किया उतना गेहूं हम सप्लाई कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य ने एक वेग प्रश्न पूछ लिया कि सभी जगह कमी है। आप मुझे कहीं के दो उदाहरण दे दें, कहीं बता दें कि फलां दुकान पर गेहूं अवेलेबल नहीं था और पब्लिक वापस आयी तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा। जिस भी अधिकारी ने उत्तर दिया, उसने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 6 महीने में .....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा प्रश्न दूसरा है कि आपने इस बीमारी का डाइग्नोसिस किया है क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आप बताओ तो सही कि कहां है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह 1500 टन कहां गया, जब रेट में इतना भारी फर्क है? यह सोचा ही नहीं जा सकता। गेहूं का आबंटन हो गया तो उसका उठाव क्यों नहीं होगा? कीमत में भारी फर्क है। आप सुलभ तरीके से यदि उपलब्ध करा रहे हैं तो आप कृपा करके यह बताने का श्रम करें कि यह 1500 टन गेहूं का उठाव क्यों नहीं हुआ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है गेहूं को उपलब्ध करवाना। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : 6 महीने से राशनकार्ड बनाना क्यों बन्द कर रखा है, यह तो बता दें। इसलिए गेहूं का उठाव नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : गेहूं की हमारी ओर से सप्लाई में कहीं कमी नहीं है माननीय सदस्य जानते हैं, स्वयं एडवोकेट रहे हैं, कोर्ट में खड़े होते हैं तो जबानी जमा खर्च से हाई-कोर्ट कोई बात नहीं मानता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब व्यवधान डालते हैं तो जोर-जोर से बोलते हैं और रिप्लाई देना होता है तो धीरे बोलते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : उसमें जो भी चीज है वह लिखित में कोट करनी पड़ती है। आप कोई कागज मुझे लिखित में दो तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवा लूंगा। आज तक आपने कोई रूलिंग बोल दी हो जबानी और उसको हाई-कोर्ट के जज ने मान लिया हो तो मुझे समझा दें। आप को दो किताबें पेश करनी पड़ती हैं कि यह ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट, 1979 पेज नम्बर 1330 के पैरा नम्बर 3 पर है। फिर उसमें

(श्री अनंग कुमार जैन)

ओविटर डिक्टा क्या है, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके माननीय मंत्रीजी पर लगाम लगाएं।

श्री अनंग कुमार जैन : अब आप तो वेग क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने राशनकार्ड में गेहूं क्यों नहीं उठाया है ? अब ये नहीं उठा रहे हैं तो सरकार क्या करें ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप किस प्रावधान में पूछ रहे हैं ? (व्यवधान) आप किस प्रावधान में पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूछिये आप। महावीरजी, आपको जो पूछना है, पूछिये हम जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुख्य सचेतक महोदय, आप किस प्रावधान में पूछ रहे हैं कि राशनकार्ड से उठाया है या नहीं ? मैं पूछ रही हूं कि राशनकार्ड 6 महीने से क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ? नये राशनकार्ड बनाना बन्द क्यों कर रखा है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि सरकार का उत्तरदायित्व मात्र आबंटन तक ही सीमित है, उसके बाद सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री राधेश्याम गंगानगर : गरीब लोगों को मिलता नहीं है। मिट्टी के तेल की यह हालत है, गंगानगर जिले का रोस्टर पहले से चार गुना कम कर दिया। गंगानगर जिले में (व्यवधान) राजस्थान का एक ही है, पहले जो रोस्टर था उसको छोड़कर सारा हनुमानगढ़ को अलाट कर दिया गया और गंगानगर में लोग मिट्टी का तेल लेने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं गरीब आदमी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर खाद्य विभाग के अन्दर अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है कहीं पर एकरूपता नहीं है, कहीं सप्लाई नियमित नहीं है। किसी को सामग्री नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है, गेहूं नहीं मिल रहा है, केरोसिन नहीं मिल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : केरोसिन कहीं मिलता नहीं है। भ्रष्टाचार जितना इस विभाग में है, मेरे ख्याल से अंत दर्जे का भ्रष्टाचार इस विभाग में है। गंगानगर में केरोसिन कोई नहीं.....(व्यवधान) जो पहले से है, उसका डबल होना चाहिये। उसको घटा दिया गया है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर ही भ्रष्टाचार व्याप्त है इस विभाग के अन्दर, उसको सुधारने की कोशिश करें। दौसा जिले के अन्दर कहीं भी राशन की दुकानों को चैक करें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : कृपया मंत्रीजी इस बात का उत्तर दें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : न जनता को केरोसिन मिल रहा है, न गेहूं मिल रहा है, न चीनी मिल रही है (व्यवधान) पूरे दौसा जिले के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है इस विभाग के अन्दर, तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि इन लोगों को, गरीब लोगों को और जनता को समय पर नियमित रूप से राशन सामग्री मिले, यह व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी कि आलू-प्याज देंगे, सस्ते आलू-प्याज देंगे। कहीं आलू-प्याज नहीं दिया गया, ये सारा आलू-प्याज खुद ही खा गये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा अंतिम सप्लीमेंट्री है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह कहा कि सरकार का उत्तरदायित्व तो आबंटन तक सीमित है, उसके बाद क्या कुछ होता है, इससे सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि नियमानुसार आबंटन हो, उसका नियमानुसार उठाव हो, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो ? जब कम कीमत के ऊपर इस प्रकार के गरीब उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जा रही है, तो मंत्री महोदय अपना पल्ला झाड़ दें और यह बताएं कि उच्च न्यायालय में कौनसी किताब कैसे की जाती है ? मैं समझता हूं कि सारे विपक्ष को

श्री उपाध्यक्ष : कहीं कुछ हुई है गड़बड़ ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां, हुई है ना, यह देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो बताइये ना।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छह महीने में 1500 टन गेहूं का उठाव नहीं हुआ जबकि पूरे प्रांत में कमी है। कम कीमत पर गेहूं आबंटन हो गया लेकिन उठाव नहीं हुआ, इसका मतलब कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। कागजों में उठाव हुआ है, आबंटन कागजों में हुआ है। यदि सही आबंटन होता तो निश्चित रूप से उठाव होता। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन क्या यह कल्पना की जा सकती है, इस प्रकार की सामग्री कम कीमत में उपलब्ध है तो उसका उठाव नहीं होगा ? इसकी कोई जांच ये नहीं कराना चाहते।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रमाण देता हूं, मैं प्रमाण सहित आपसे निवेदन कर रहा हूं। केरोसिन गंगानगर में जो पहले वितरित होता था, दिया जाता था, उससे 25 प्रतिशत कर दिया गया जबकि आबादी बढ़ गई।

श्री उपाध्यक्ष : यह गंगानगर का नहीं है, माननीय सदस्य। गंगानगर का सवाल नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सवाल सारे राजस्थान का है। सारे राजस्थान के अन्दर ऐसी हालत है, गरीब मारा-मारा फिर रहा है

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

और मिट्टी के तेल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, करोड़ों रुपये कमाये जाते हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें क्या करोगे आप ? (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि इन्होंने भ्रष्टाचार की नई नीति बनाई है बैरल पाइंट इश्यू करने की।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह बैरल पाइंट का मामला नहीं है इसमें। बैरल पाइंट नहीं है इसमें। (व्यवधान) इसमें नहीं है, माननीय सदस्या।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, खेत सिंहजी के प्रश्न में.......

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह इस विभाग के अन्दर आता है..... (व्यवधान) यह भी खाद्य विभाग के अन्दर आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। हां, आप पूछिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह प्रश्न जोधपुर का है, सारे ही लोग खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से तो संतुष्ट हूं मगर मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी। (व्यवधान) देखिये। आप सुनिये तो सही। आप सुनने ही नहीं दोगे क्या ? यह क्या बात हो गई ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्या जवाब से संतुष्ट हैं तो फिर प्रश्न किस बात का है, सवाल किस बात का रह गया ? यह तो कोई नियम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यदि आप संतुष्ट है तो आप पूछ क्या रही हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप बोलने दें। मैं गलत बोलूं मैं सही बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, आप सुनें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : जब मर्जी आये तब आप बोलते हैं। जब महिला बोलती है तो आप खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक करके बोलिये, माननीय सदस्य, एक-एक करके। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे खाद्य विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार मचा हुआ है और आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जवाब ठीक दिया मगर आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन है, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा पैसे कब जमा कराये और उनको गेहूं तथा चीनी कब सप्लाई की गई ? प्रश्न मेरा एक है। मेरा दूसरा प्रश्न है, (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आप बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं हम सुनते हैं। गलत है, सही है, यह आप बाद में बात करना। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्य, आप लोग बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप उपाध्यक्ष बनने जा रही हैं आप उपाध्यक्ष बनने की तो बात करती हैं और यहां झगड़ा करती हैं हमीं से, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपको उपाध्यक्ष बनाकर कोई क्या करेगा? इस तरह बोला जाता है क्या? (व्यवधान) नहीं, यह सभ्यता है क्या? (व्यवधान) सीधी बात करो ना अध्यक्ष महोदय से।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य। नैक्स्ट, श्री भीमसेन चौधरी। बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपने व्यवधान में सारा समय निकाल दिया। आप बिराज जाएं। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया। श्री भीमसेन चौधरी। आप बैठिये।

लूणकरणसर क्षेत्र के छात्रावासों में प्रवेश प्रकरण

213. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पूगल, छत्तरगढ़ व लूणकरणसर में छात्रावास कब स्वीकृत किये गये थे?

(2) उक्त छात्रावासों की स्वीकृति के वक्त कितने छात्रों के प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी? क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर छात्रों की संख्या बढ़ाने की बार-बार मांग की गई है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के कई स्थानों पर स्वीकृत छात्रों के अनुपात में छात्रों की भर्ती नहीं हो रही है? यदि हां, तो ऐसे कितने छात्रों की स्वीकृति का उपयोग संबंधित संस्था या विभाग नहीं कर पा रहे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि लूणकरणसर छात्रावास में भर्ती हेतु 1997-98 में 110 छात्रों ने आवेदन किया था? क्या सरकार राज्य के अन्य स्थानों के अनुपयोगी बजट में से उक्त छात्रावास में 40 छात्रों के प्रवेश हेतु स्वीकृति देगी?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) विभाग द्वारा पूगल एवं छत्तरगढ़ छात्रावास वर्ष 1965, 1966 व लूणकरणसर छात्रावास 1978 में स्वीकृत किये गये थे।

(2) पूगल व छत्तरगढ़ छात्रावास की स्वीकृत संख्या 30-30 है। लूणकरणसर छात्रावास की स्वीकृत संख्या 25 स्वीकृत की गई थी। यह सही है कि उक्त छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या को बढ़ाने की मांग की गई थी। मांग के अनुसार वर्ष 1994 में उक्त छात्रावासों की स्वीकृत छात्र संख्या क्रमशः 36, 53 व 27 की गई परन्तु स्वीकृत छात्र संख्या के अनुरूप प्रवेश नहीं होने के कारण वर्ष 1995 में छात्रावास संख्या में संशोधन कर पूगल की 36, छत्तरगढ़ की 43 की गई तथा लूणकरणसर की पूर्व स्वीकृत 25 छात्र संख्या यथावत रखी गई।

(3) जी, हां। यह सही है कि कई छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या के अनुरूप

Page No. 23

(23)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

छात्रों द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता परन्तु राज्य में स्वीकृत छात्र संख्या के विरुद्ध लगभग 90 प्रतिशत छात्र छात्रावास में प्रवेश लेते हैं तथा भविष्य में यह संभावना बनी रहती है कि स्वीकृत छात्र संख्या में अनुरूप प्रवेश लेंगे। अतः किसी भी छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या को कम करके किसी अन्य छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या बढ़ानी उचित नहीं है।

(4) जी, नहीं। केवल 42 छात्रों ने छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन किया था। संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में साही तहसील के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां सारे गांव के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर छात्रावास स्वीकृत कर रखा है 1978 से, उसकी छात्र संख्या केवल 25 है। 20 साल हो गये, वह केवल 25 संख्या ही रखी है और वहां पर सारे गांव के छात्र आते हैं संख्या कम होने से हमारे हरिजन छात्र हैं वे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं इसलिए लूणकरणसर की मांग है कि छात्र संख्या कम से कम दुगुनी होनी चाहिये, 50 होनी चाहिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कब से होगा? जब से इन्होंने इस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया है, इस समाज कल्याण विभाग का भट्टा बैठा दिया है। श्रीमान्जी ने जब से चार्ज लिया है, सारे राजस्थान के समाज कल्याण का भट्टा बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं। (व्यवधान) कोई सुविधा नहीं दी गई है। घोर अनियमितता है। (व्यवधान) आप खुद वाकिफ हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने लूणकरणसर में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मांग की है परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, 25 छात्रों की संख्या 27 की गई थी और हमने 27 स्वीकृत करके आवेदन मांगे थे, आवेदन नहीं आये, 25 ही आये इसलिए वहां पर यथावत 25 रखे हैं। आवेदन ही नहीं आते हैं तो..... (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य जवाब दे रहे हैं। बिना किसी सूचना के वे एडमिशन क्यों कर लेते हैं? वह सूचना नहीं है एडमिशन के लिए.......

श्री मदन दिलावर : मैं आपको आर्डर की कापी बताता हूं। हमने छात्र संख्या जो बढ़ाई है, इसका हमारे पास है कि उन्होंने 1994-95 में हमसे मांग की थी, उसी आधार पर 27 की थी। आपको जानकारी होगी, आपके प्रश्न के जवाब में मैंने यह कहा था कि जिस वर्ष जितने छात्र आएंगे उतनी संख्या कर दूंगा। वहां छात्र नहीं आये, इसलिए आखिर मैं संख्या कैसे बढ़ा सकता हूं?

(12.00 बजे)

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य जवाब दे रहे हैं। वे गुपचुप में एडमिशन करते हैं, नोटिस देकर लोगों की अप्लीकेशंस इनवाइट नहीं करते हैं इसलिए छात्र संख्या आपकी कम दिखाई दे रही है। 110 छात्र मांग कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अब आपके पास मांग आएगी बढ़ाने की, तो आप बढ़ाने की मंजूरी देंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो सुविधाएं छात्रावासों में होनी चाहिये वे सुविधाएं नहीं है, इसलिए छात्र आते नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : फिर मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं........

श्री रामनारायण चौधरी : अब सुनो, एक पर्टीकुलर मामला है। अब अगर इस छात्रावास के लिए मांग आये, उपाध्यक्ष महोदय, और छात्रों की भर्ती के लिए मांग हो, तो आप स्वीकृति देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ बता रहे हैं। मंत्री महोदय को सुनिये।

श्री मदन दिलावर : मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि लूणकरणसर छात्रावास में इस साल छात्रावास में प्रवेश लेने की जो पात्रता रखते हैं वह पात्रता रखने वाले जितने भी छात्र इस वर्ष आएंगे, उनको हम प्रवेश दे देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भीमसेन चौधरी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, इम्पोर्टेन्ट पाइंट आफ आर्डर है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसी से संबंधित प्रश्न था, उपाध्यक्षजी। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बनास नदी (टौंक) की बजरी का ठेका

268. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला टोंक की बनास नदी में बजरी के ठेके आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों से यह ठेके किस किस व्यक्ति के पास हैं और कितनी-कितनी राशि में दिये गये हैं ? प्रत्येक ठेकेदार में सरकार की कितनी-कितनी राशि बकाया है और वसूली के क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। गत तीन वर्षों में टौंक जिले की बनास नदी में बजरी के ठेके निम्नानुसार स्वीकृत किये गये हैं:—

(खनिज मंत्री)

क्र.सं.	नाम ठेकेदार	तहसील	ठेका अवधि	वार्षिक ठेका राशि
1.	श्री मुरारी लाल सिघंल	टोंक	23.5.94 से 22.5.96	रु. 92,21,000/-
2.	मैसर्स बनास सैण्ड	टोंक	23.5.96 से 22.5.98	रु. 1,12,25,075/-
3.	—एजन—	टोंक	23.5.98 से 22.5.2000	रु. 1,25,05,000/-
4.	श्री मोहन सिंह	देवली	7.10.94 से 6.10.96	रु. 5,17,200/-
5.	श्री किशनलाल गुर्जर	देवली	7.10.96 से 6.10.98	रु. 25,32,000/-

क्रम सं. 5 पर उल्लेखित बजरी के ठेके को दिनांक 10-12-96 को खण्डित कर दिया गया है। वर्तमान में इस ठेके से संबंधित रु. 2,37,083/- दिनांक 7-11-96 से 11-12-96 की अवधि की किस्त के एवं ब्याज रु. 4639/- कुल रुपये 2,41,722/- श्री किशन लाल गुर्जर निवासी डागरकला तहसील देवली जिला टौंक में बकाया है। अन्य किसी ठेके के विरुद्ध कोई बकाया नहीं है। उक्त बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही एल. आर. एक्ट के तहत की जा रही है।

जिला बांसवाड़ा में ईमारती पत्थर का खनन

269. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : **क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —**

(1) जिला बांसवाड़ा के मार्बल खनन क्षेत्र में किस-किस जाति के व्यक्तियों को अब तक पट्टे आबंटित किये गये हैं? सूची मय जाति व क्षेत्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में कितने मूल निवासियों तथा कितने बाहरी व्यक्तियों को मार्बल खनन के पट्टे अब तक आबंटित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बांसवाड़ा जिले के मार्बल उद्योग के विकास हेतु जिले के बेरोजगारों को मार्बल खनन के पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के मार्बल क्षेत्र में राजपूत, ब्राह्मण, जैन, मीणा (भील) इत्यादि जाति के लोगों को अब तक खनन पट्टे आबंटित किये गये हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में प्रेषित है।

(2) बासंवाड़ा जिले के मूल निवासियों के पक्ष में 78 तथा जिले के बाहर के निवासियों के पक्ष में 117 मार्बल के खनन पट्टे अब तक आबंटित किये गये हैं जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ब" व "स" में प्रेषित है।

(3) मार्बल के खनन पट्टे घोषित मार्बल पालिसी 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं जिसके अनुसार राजकीय भूमि में राज्य सरकार प्लाट्स डेलीनियेट कर विज्ञापित करती है एवं आबंटन नीलामी/टेण्डर/आवेदन पत्रों द्वारा किये जाते हैं। वर्तमान में बांसवाड़ा जिले के अधिकांश मार्बल भण्डार वन क्षेत्र में होने के कारण डेलीनियेट नहीं किये गये हैं। जब भी वन

(खनिज मंत्री)

मुक्त क्षेत्र में मार्बल की उपलब्धता की जानकारी होगी, मार्बल नीति, 1994 के अनुसार खनन पट्टे आबंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला राजसमंद में खानों के गैप क्षेत्र की नीलामी

270. श्री शांतीलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सरकार राजसमंद जिले के मार्बल खनन क्षेत्र के गैप एरिया का सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त गैप क्षेत्र की नीलामी का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के अन्तर्गत मार्बल खनन क्षेत्रों के गैप क्षेत्रों का पूर्व में सर्वे किया जा चुका है। अतः अब पुनः सर्वे की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी, हां। चिन्हित किये गये गैप क्षेत्रों में से 33 क्षेत्रों की नीलामी में लिया गया था। 16 मामलों में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश होने के कारण नीलामी नहीं हुई। इन मामलों में न्यायालयों के स्थगन आदेश हटने के बाद नीलामी किया जाना संभव होगा।

जिला भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

271. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक कितने सरपंचों अथवा अन्य जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध गबन, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में किस-किस में क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों का अन्तिम निस्तारण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त सभी प्रकरणों का अन्तिम निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में सन् 1990 से मार्च, 1998 तक कुल 33 जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध गबन अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुल 40 अभियोग दर्ज हुए। अभियोगवार सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) प्रकरणवार सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) प्रकरणवार सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) अनुसंधानाधीन अभियोगों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील सागवाड़ा में अपराध वृद्धि

272. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत तीन वर्षों में तहसील सागवाड़ा एवं चितरी थाना क्षेत्रों में डकैती, चोरी, नकबजनी, हत्या एवं अपहरण की कितनी-कितनी घटनाएं घटित हुई? अपराधों में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है और उनकी रोकथाम के लिये क्या कोई कार्यवाही की जा रही है।

(2) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें होने के बाद भी वह लम्बे समय से वहां कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? उनका स्थानान्तरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के थाना सागवाड़ा एवं चितरी थानों में वर्ष 1995 से 31-5-98 तक डकैती, चोरी, नकबजनी, हत्या एवं अपहरण के दर्ज शुदा अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है: —

क्र.सं.	नाम थाना	वर्ष	डकैटी	चोरी	नकबजनी	हत्या	अपहरण	योग
1.	सागवाड़ा	1995	–	6	8	4	5	23
		1996	–	9	6	–	6	21
		1997	1	6	16	2	1	26
		1998	–	9	2	1	3	15
2.	चितरी	1995	–	2	6	3	5	16
		1996	–	–	1	–	10	11
		1997	–	8	4	1	3	16
		1998	–	1	–	4	2	7

गत वर्षों की तुलना में कुछ अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्या एवं आवागमन के साधनों में वृद्धि है। अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त एवं नाकाबन्दी तथा समय -समय पर इंसदादी कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

फतेहपुरा (सीकर) में डकैती/तथा हत्या के प्रकरण

273. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जिला सीकर के फतेहपुरा-भूमा, खातीवास तथा लोसल में हुए डकैती/हत्याकाण्डों में अब तक पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री अमराराम)

(2) क्या यह सही है कि पुलिस को उक्त काण्ड में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों और अब तक तक मुजरिमों को पकड़ लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला सीकर के फतेहपुरा-भूमा खातीवास तथा लोसल में हुए डकैती हत्या काण्डों के सिलसिले में दर्ज निम्न तीन अभियोगों में की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है: —

1. मु. नं. 119/97 दि. 12-6-97 धारा 147, 148, 149, 302, 307, आई.पी.सी. पुलिस थाना लोसल (ढाणी तन फतेहपुरा) घटनास्थल का नक्शा मौका कशीद किया गया व गवाहान के बयान लिये। घटना स्थल से फुट प्रिन्ट उठाये गये, पतारसी थाना ईलाका जिला नागौर में मकराना व कुचामन सिटी तथा छापर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, हमीरवास, में की गई। समस्त थानाधिकारियों को घटना की सूचना दी गई एवं पम्पलैट भिजवाये गये। मुकदमा के माल मुलजिमान की तलाश के भरसक प्रयत्न किये गये मगर कोई सुराग नहीं मिला। अतः मुकदमा में नतीजा आखरी अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.नं. 21 दिनांक 17-4-98 अदम पता माल मुलजिमान में दिया गया। दिगर मुकदमात् का तफ्तीश के दौरान मुकदमा के माल मुलजिमान की पतारसी जारी रहेगी।

2. मु. नं. 188 दिनांक 10-7-97 धारा 458, 380, आई.पी.एस. थाना लक्ष्मणगढ़ (ढाणी-मुस्तगीसा तन ग्राम भूमा बड़ा) घटना स्थल का निरीक्षण का नक्शा मौका कशीद किया गया गवाहान के बयान लिये गए। मजरूबान का मुआयना डाक्टरी करवाया गया। घटना स्थल की फोटो करवाई गई व घटना स्थल से मिट्टी, खून आलूदा व सादा गूदड़ा, टूटा हुआ डोन एवं चूड़ियों के टुकड़े जप्त किए गए तथा घटना स्थल के आस-पास मिले हथियार गण्डासी, सरिया, दन्ताली, लकड़ियां बैट व लोहे के चाबी आदि बरामद किये। आरोपीगण ओमप्रकाश व शिवनाथ से गहन पूछताछ की गई परन्तु उक्त दोनों का शरीके जुर्म नहीं पाया। इसी तरह चूरू जिले का अन्य वारदातों के अभियुक्तगणों से पूछताछ की गई मगर माल मुलजिमान की कोई पतारसी नहीं चली व मुकदमा में नतीजा आखरी अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) नं. 106 दिनांक 31-10-97 अदम पता माल मुलजिमान दिया गया। पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। मुकदमा के माल मुलाजिमान की तलाश दिगर मुकदमात के साथ जारी है।

3. मु. नं. 17 दिनांक 2-2-98 धारा 395 (आई.पी.सी. थाना दातारामगढ़) ढाणी घायलों की तन खातीवास घटना-स्थलका निरीक्षण कर नक्शा मौका कशीद कर बयान गवाहान के लिये गये। मजरूबान की चोटों का डाक्टरी मुआयना करवाया गया। मौके से लकड़ियां, अलाए, जर्ब जप्त कर सील्ड किये गये।

मिट्टी खून आलूदा व सादा बतौर सबूत जप्त कर सील्ड की गई। डिग्गी कल्याण मंदिर के अभियोगों में पकड़े गये अभियुक्तों से तफ्तीश की गई। अन्य मुस्तफा श्योबक्श राम, प्रहलाद, हनुमान, गणेशराम, रामपाल, रतनलाल व अन्य अजनबी शक्सों से तफतीश

(गृह मंत्री)

की गई। माल मुलजिमान की काफी तलाश की गई। मगर कोई पता नहीं चलने पर दिगर मुकदमात के साथ पतारसी जारी रखते हुए मुकदमा में नतीजा एफ.आर. (अंतिम प्रतिवेदन) नं. 29 दिनांक 31-5-98 अदम पता मुलजिमान में दी गई। दिगर मुकदमात के साथ पतारसी जारी रहेगी।

(2) जी, हां। अन्य अभियोगों के अनुसंधान के साथ इन प्रकरणों के माल मुलजिमान की पतारसी के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

थाना नोहर (हनुमानगढ़) के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

274. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ में मई, 1998 में एक व्यक्ति की निर्मम पिटाई की गई ?

(2) क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो पुलिस अधिकारियों सहित छः जनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे? उक्त आदेश की पालना में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस मामले की जांच शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। मई, 1998 में थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की निर्ममतापूर्वक पिटाई नहीं की गई। दिनांक 23-3-98 को छबीलाराम व अन्य को नोहर पुलिस द्वारा 151 जा.फ़ो. में गिरफ्तार किया गया था जिस पर दिनांक 26-3-98 को छबीलाराम द्वारा अदालत सिविल न्यायाधीश एवं मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट नोहर में मारपीट करने बाबत शिकायत पेश की थी।

(2) यह सही है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 18-5-98 को छः आदमियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर तामील हेतु सी.ओ. नोहर को भेजे थे परन्तु उच्च न्यायलय ने उन वारन्टों को जमानती वारन्ट में तब्दील कर दिया जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुनः जमानती वारन्ट जारी किए जिनकी तामिल करा कर न्यायालय में पेश किये गये।

(3) मामले की जांच सी.ओ. नोहर द्वारा कराई। श्री छबीलाराम द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या पाये गये। घटना से सम्बन्धित शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर की अदालत में विचाराधीन है एवं आगामी तारीख पेशी 11-8-98 है। अदालत द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है, इसलिए अलग से जांच कराने का औचित्य नहीं है।

पुलिस थाना दूदू में दर्ज प्रकरण

275. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पुलिस थाना, दूदू में माह अप्रेल एवं मई, 1998 में चोरी/लूट-पाट नकबजनी की कितनी-कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुरा में कुछ समय पूर्व मकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना भी हुई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त थाने में जबरन जीप को लूटने एवं रुपये छीनने का मुकदमा भी कुछ समय पूर्व दर्ज कराया गया था? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में संबंधित पुलिस अधीक्षक के पदस्थापन के बाद मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब होने लगा है? यदि नहीं, तो उक्त दोनों प्रकरणों में अभी तक मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं होने के क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार उक्त दोनों प्रकरणों में मुल्जिमों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो मुल्जिमों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) उक्त अवधि में चोरी के 8, नकबजनी के 3 एवं लूटपाट का एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ है।

(2) जी, हां। दिनांक 29-4-98 को श्री हनुमान पुत्र श्री रामकरण जाट निवासी महेशपुरा थाना दूदू की लिखित रिपोर्ट पर अभियोग सं. 137/98 धारा 457, 380 भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर माल मुलजिमान की पतारसी के हर संभव प्रयास किये गये। परन्तु सफलता नहीं मिली। इस अभियोग में बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 47 दिनांक 29-6-98 अदम पता माल मुलजिमान में दी गई।

(3) दिनांक 29-5-98 को श्री शंकरलाल पुत्र श्री जोधाराम जाट नि. भगवतपुरा थाना फुलेरा द्वारा जनरल अस्पताल दूदू में रिपोर्ट करने पर अभियोग सं. 199/98 धारा 392, 328 भा.द.सं. पंजीबद्ध किया गया। जिसमें अनुसंधान जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) यह सत्य नहीं है। वर्तमान पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जिले में माह सितम्बर, 1997 से पदस्थापित हैं। माह सितम्बर, 1997 से 30 जून, 1998 तक जिले में भा. द. सं. के अन्तर्गत 5759 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 5083 का निस्तारण किया गया। शेष 676 अभियोग अभी अनुसंधानाधीन हैं। इससे स्पष्ट है कि इनके पदस्थापन के दौरान निस्तारण का कार्य उत्कृष्ठ रहा है। विवरण परिशिष्ठ "ख" संलग्न है।

(5) मुलजिमान की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास जारी हैं। ज्ञात होने पर अविलम्ब गिरफ्तार किये जावेंगे।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पर्यटक स्थलों (जयपुर) का भिखारी प्रकरण

276. श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों यथा हवामहल, सिटी पैलेस, जन्तर-मन्तर आदि को देखने देश-विदेश के पर्यटक काफी संख्या में आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पर्यटकों के आते ही अनेक भिखारी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे देश की साख विदेशों में खराब होती है ?

(3) क्या सरकार पर्यटक स्थलों से भिखारियों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन पर्यटक स्थलों से भिखारियों को कब तक हटा दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भिखारियों के पर्यटकों का पीछा करने की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं।

(3) इन पर्यटक स्थलों पर जिला पुलिस जयपुर शहर द्वारा माकूल पुलिस जाप्ता लगाया जाता है, जो भिखारियों के पर्यटकों के पास आने पर उन्हें हटा देते हैं।

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन पुलिस की स्थापना का विचार किया जा रहा है। यह पुलिस पर्यटकों को अधिकाधिक सहयोग करेगी। पर्यटकों को भिखारियों से बचाना भी इसके कार्यों में से एक होगा।

थाना प्रभारी नोखा (बीकानेर) के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण

277. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या थाना अध्यक्ष नोखा, जिला बीकानेर के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लम्बित है ? यदि हां, तो कितने समय से व अब तक उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या जांच के दौरान उक्त पुलिस अधिकारी को उसी जिले अथवा उसी स्थान पर नियुक्त रखना उचित है ? क्या इससे मामले की निष्पक्ष जांच पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ? यदि हां, तो सरकार उक्त अधिकारी का कब तक स्थानान्तरित कर देगी ?

(3) वर्तमान नोखा थाना अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न थानों में नियुक्ति के समय क्या-क्या गम्भीर आरोप लम्बित हैं ? क्या आरोपों की विभागीय जांच कराई गई है ? यदि हां, तो विभागीय जांचों का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। 11-4-94 से प्रकरण अनुसंधानीत है।

(2) प्रकरण थाना नया शहर बीकानेर में पंजीबद्ध हुआ था तथा अधिकारी की तैनाती शहर से बाहर ग्रामीण थाना नोखा पर है। इस प्रकरण में गवाहानों को डराने व धमकाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। स्थानान्तरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। यदि किसी भी स्टेज पर उप निरीक्षक द्वारा अनुसंधान में बाधा पहुंचाने अथवा परिवादी पक्ष को डराने, धमकाने के तथ्य पाये जायेंगे तो उसके स्थानान्तरण पर विचार किया जावेगा।

(गृहमंत्री)

(3) वर्तमान थानाधिकारी श्री नन्दलाल, उप निरीक्षक के विरुद्ध जिला बीकानेर में पदस्थापन काल में वर्ष 1993 से अब तक कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध 2 शिकायतों में सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच की गई। एक जांच में दोषी पाया जाने से उसे दण्डित किया गया तथा दूसरी शिकायत की जांच लम्बित है। शेष 5 शिकायतों में नियम 17 सीसीए के तहत विभागीय कार्यवाही की गई जिनमें 4 असत्य पाई गई एवं एक में दोषी को परिनिन्दा की सजा दी गई।

बहरोड़ (अलवर) का लड़की हत्या प्रकरण

278. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि ग्राम रेवाना (बहरोड़), जिला अलवर में एक लड़की की कुएं में फैंक कर हत्या कर दी गई थी? उक्त प्रकरण के कुल अभियुक्तों में से कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं?

उत्तर

दिनांक 24-5-98 को लड़की को कुएं में फैंक कर हत्या बाबत अभियोग संख्या 79/98 धारा 147, 148, 149, 323, 302 भा. द. सं. थाना माढण में दर्ज कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

अजमेर काण्ड की पीड़ित लड़कियों का पुनर्वास

279. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि अजमेर ब्लैकमेल काण्ड की कुछ पीड़ित लड़कियों ने आत्म हत्या कर ली है? यदि हां, तो कितनी लड़कियों ने की?

(2) सरकार ने पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास के लिये अब तक क्या सहायता प्रदान की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सरकार द्वारा किसी पीड़ित महिला/लड़की को पुनर्वास के लिये किसी प्रकार की कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है एवं ना ही सहायता हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

महिला समितियों द्वारा पीड़ित लड़कियों की सहायता

280. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य के हर जिले में दिनांक 5 अगस्त, 1997 को गठित महिला समितियों में से कितनी समितियां सक्रिय हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 में उक्त समितियों के संबंध में कुछ राशि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कितनी पीड़ित लड़कियों को अब तक इस मद में कितनी सहायता प्रदान की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सभी समितियां सक्रिय हो गई हैं।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। जिला सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में एक-एक व जिला टौंक में दो लड़कियों को सहायता प्रदान की गई है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लम्बित जांच प्रकरण

281. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में काफी मामले विभिन्न थानों द्वारा जांच हेतु भेजे हुए हैं?

(2) यदि हां, तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कितने मामले कब से लम्बित पड़े हैं?

(3) क्या यह सही है कि थाना सामोद (जयपुर) के भी कुछ मामले काफी समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से मामले कब-कब से लम्बित हैं और इनका निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला जयपुर ग्रामीण के 675 प्रकरण 10 जुलाई, 1998 तक लम्बित हैं। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है: —

1994	76
1995	110
1996	144
1997	214
1998	131

(3) जी हां। 7 प्रकरण लम्बित हैं जिनका परीक्षण माह अगस्त, 1998 तक किये जाने की सम्भावना है। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम परसाद (उदयपुर) में पुलिस थाना की स्थापना

282. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या उदयपुर जिले की पंचायत समिति सराड़ा के ग्राम परसाद में पुलिस थाना खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रस्ताव पुनर्गठन योजना में विचारा- धीन है।

ग्राम चीथवाड़ी (जयपुर) में राशन सामग्री का वितरण

283. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चीथवाड़ी, तहसील चौमूं (जयपुर) का एक भाग का राशन वितरण फरवरी, 1997 से ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. चीथवाड़ी के माध्यम से कराये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं?

(2) यदि हां, तो फरवरी, 1997 से मई, 1998 तक किस-किस माह में सोसायटी ने चीनी का वितरण ग्रामवासियों को किया?

(34)

(श्री रामकिशन वर्मा)

(3) क्या यह सही है कि सोसायटी ने केरोसिन तेल का वितरण हर माह किया, किन्तु चीनी का वितरण नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सोसायटी के चीनी वितरण कार्य में असफल रहने पर अन्य किसी डीलर से राशन सामग्री वितरण का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत, चीथवाड़ी, तहसील चौमूं के वर्तमान वार्ड नम्बर 8 से 15 के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति, चीथवाड़ी को आदेश दिनांक 1-3-97 द्वारा राशन सामग्री वितरण हेतु अधिकृत किया गया।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा फरवरी, 1997 से मार्च, 1998 के मध्य किये गये चीनी के वितरण का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां, यह सही है कि सोसायटी द्वारा केरोसीन तेल का वितरण माह मार्च, 1997 से जून, 1998 के मध्य (माह मई, 1997 को छोड़कर) नियमित रूप से किया गया है परन्तु चीनी का वितरण उक्त अवधि में से 7 माहों में नहीं किया गया है, इसका कारण समिति द्वारा ऋण वसूली में व्यस्त होना बताया गया है। राज्य सरकार की सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की घोषित नीति के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति से वितरण करवाया जा रहा है तथा समिति केरोसिन नियमित रूप से उठाकर वितरण कर रही है तथा वर्तमान में चीनी का भी अप्रेल, मई माह का वितरण कर रही है।

(4) समिति के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण जो अर्द्ध न्यायिक प्रकृति का है, के निर्णय के पश्चात् ही समिति से अथवा किसी अन्य डीलर से वितरण का निर्णय हो सकेगा। पंचायत क्षेत्र में नियंत्रित वस्तुओं का वितरण सुचारू रूप से हो सके इसके लिए विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

विधानसभा क्षेत्र पाली में राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताएं

284. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनसंख्या के आधार पर राशन का केरोसिन व शक्कर उपलब्ध करवाने का क्या अनुपात निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पाली में जनसंख्या के अनुपात में राशन का केरोसिन व शक्कर अबाध एवं नियमित रूप से उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो वर्ष 1997-98 व 1 अप्रेल, 1998 से 30 जून, 98 तक कितना-कितना केरोसिन व शक्कर कब-कब उपलब्ध करवाई गई है? उक्त अवधि का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में राशन की सामग्री वितरण नहीं करवाने के लिए कौन दोषी हैं? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का

(श्री भीमराज भाटी)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को भारत सरकार से शक्कर वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुपात में 425 ग्राम प्रति यूनिट की दर से प्राप्त हो रही है तथा केरोसिन प्रतिमाह 47124 के.एल. प्राप्त होता है, जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता 10 लीटर होती है।

(2) यह सही नहीं है। माह अप्रेल, 1997 से जून, 1998 तक उपलब्ध करवाये गये केरोसिन एवं शक्कर का विवरण संलग्न है।

(3) क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में इनकी उपलब्धता के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

लाडनूं (नागौर) में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

285. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं तथा उनमें कब तक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जायेंगे?

(2) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र स्टाफ नहीं होने के कारण कब-कब से बन्द है? तथा उन में अब कब तक स्टाफ पदस्थापित कर दिया जायेगा।

(3) क्या यह सही है कि शहरों के समीप स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की कमी नहीं रहती जबकि दूर-दराज के गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्र रिक्त पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में निम्न 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिन पर उप केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

1. दादूबासनी, 2. आसोटा, 3. इन्द्रपुरा

चूंकि उक्त तीनों ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले गांवों में क्रमशः मण्डाबासनी, डाबडी एवं खींवज उप केन्द्र स्वीकृत है, अतः वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में की गई घोषणा अनुसार पंचायत क्षेत्र में उप केन्द्र स्वीकृत होने के कारण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप केन्द्र खोले जाने का औचित्य नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में स्वीकृत उप केन्द्रों की सूची मय प्रसाविका के पदस्थापन के सदन की मेज पर रख दी गई है। तीन उप केन्द्र क्रमशः योजना/विकास/दो. चिकि. संस्था/98/257 दिनांक 2-6-98 व योजना/विकास/दो. चिकि. संस्थान/98/249 दिनांक 22-5-98 द्वारा स्थानान्तरण लाडनूं पंचायत समिति में किया गया है, में प्रसाविका पदस्थापित नहीं है। उक्त रिक्त पदों पर शीघ्र प्रसाविका का पदस्थापन किया जायेगा।

(3) जी नहीं। केवल 3 उप केन्द्रों को छोड़कर जिन्हें हाल ही में स्थानान्तरित किया

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

है, अन्य सभी उप केन्द्रों में प्रसाविका पदस्थापित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

चिकित्सा विभाग में तकनीकी प्राविधिविज्ञ के रिक्त पद

286. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में वरिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक वरिष्ठ प्राविधिविज्ञ व प्राविधिविज्ञ के कितने पद है ?

(2) उक्त में से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्न प्रकार पद स्वीकृत हैं:—

1. वरिष्ठ तकनीकी सहायक	12 पद
2. तकनीकी सहायक	66 पद
3. वरिष्ठ प्राविधिविज्ञ	339 पद
4. प्राविधिविज्ञ	2507 पद

उक्त पद उनके सम्मुख अंकित वर्षों से रिक्त हैं:—

1. वरिष्ठ तक. सहायक	98-99	1 पद
2. तकनीकी सहायक	95-96	4 पद
	96-97	5 पद
	97-98	5 पद
		14 पद
3. वरिष्ठ प्राविधिविज्ञ	94-95	15 पद
	95-96	4 पद
	96-97	5 पद
	97-98	17 पद
	98-99	6 पद
		47 पद
5. प्राविधिविज्ञ	94-95	253 पद
	95-96	79 पद
	96-97	237 पद
	97-98	59 पद
	98-99	5 पद
		633 पद

वरिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक व वरिष्ठ प्राविधिविज्ञ पदोन्नति के पद हैं। इन पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर भरने की प्रक्रिया जारी है।

(2) प्राविधिविज्ञ अर्थात् लैब तकनीशियन के 633 पद वर्तमान में रिक्त हैं जिन पर 400 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिनकी नियुक्ति हेतु संयुक्त निदेशक, जोन्स को आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर का जेनरेटर

287. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय में बिजली चली जाने पर जेनरेटर की व्यवस्था की हुई है? क्या जेनरेटर चलाने का कार्य ठेके पर दे रखा है? यदि हां, तो किसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मई, 1998 में जनेरेटर में खराबी आ गई थी तथा जनरेटर ठीक होने में 2 माह का समय लगा था? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जनरेटर का पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पताल प्रशासन को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) गत वर्ष में जेनरेटर में कितनी मात्रा में डीजल व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। चिकित्सालय में उपलब्ध 62.5 के.वी.ए. के जेनरेटर को चलाने हेतु ठेका श्री मोहन लाल मिस्त्री, राहुल एन्टरप्राइजेज, श्रीगंगानगर को दिया हुआ है।

(2) यह सही नहीं है क्योंकि जनरेटर दिनांक 20-3-98 को ज्यादा लोड़ पड़ने के कारण खराब हुआ था तथा उसे दिनांक 6-5-98 को चालू कर दिया गया था अतः जनरेटर 47 दिवस तक खराब रहा। उक्त जनरेटर का बीमा करवाया हुआ था इसलिए उसकी रिपोर्ट नेशनल इंश्योरेन्स क. लिमिटेड को की गई जिस पर कम्पनी द्वारा सर्वेयर में भेज कर जांच करवाने तथा मरम्मत का एस्टीमेट पास होने में समय लगा।

(3) जी नहीं। जैसे ही विद्युत मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली बिजली बन्द होती है, जनरेटर चलाकर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) राजकीय चिकित्सालय गंगानगर में माह नवम्बर, 1997 से जनरेटर प्रारम्भ किया गया, तब से 30-6-98 तक कुल 1,154 लीटर डीजल का उपयोग हुआ है।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

288. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुन्झुनूं पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुरवाटी में किन-किन स्थानों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, इनमें से कितने के लिए भवन बन चुके हैं तथा कितने शेष हैं?

(2) अब ऐसे उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन कब तक बना दिये जायेंगे?

(3) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितनों पर कर्मचारी नियुक्त हैं और शेष केन्द्रों में कब तक स्टाफ की पूर्ति कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं पंचायत समिति के उदयपुरवाटी में 43 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

हैं (सूची संलग्न है) 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन हैं तथा 17 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से करवाये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से 8 भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 5 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। 4 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, निर्माण करवाने की प्रक्रिया जारी है शेष 12 उप स्वा. केन्द्रों के अपने भवन नहीं है।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) पंचायत समिति उदयपुरवाटी में सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी पदस्थापित हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्य के मेडिकल कालेजों के जांच उपकरण

289. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध बड़े अस्पतालों में उपलब्ध एक लाख से अधिक लागत की जांच मशीन/उपकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त मशीनों की गारन्टी अवधि में खराब होने के सम्बन्ध में क्या कोई जांच/सर्वे किया गया? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध बड़े चिकित्सालयों में उपलब्ध रुपये एक लाख से अधिक लागत के उपकरणों/जांच मशीनों की सूची परिशिष्ट-1 के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जन लेखा समिति की दिनांक 24-4-97 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा किये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों में उपलब्ध सभी उपकरणों/मशीनों की जांच/सर्वे किये जाने के निर्देश दिनांक 12-5-97 को प्रदान किये गये। उक्त सर्वे/जांच के अनुक्रम में गारन्टी अवधि में खराब हुए उपकरणों/जांच मशीनों को तत्काल निःशुल्क ठीक करवाने की कार्यवाही की गई है। कालेजवार विवरण परिशिष्ट-2 के रूप में सदन के पटल पर रख दिया गया है। अधिकतर उपकरणों/मशीनों को वार्षिक रख-रखाव के अनुबन्ध के आधार पर ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। समस्त महत्वपूर्ण उपकरणों के रख-रखाव हेतु मेडिकेयर सोसायटीज को भी अधिकृत किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कामां (भरतपुर) में चिकित्सा सुविधा

290. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामां में क्या-क्या चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं?

Page No. 39

(39)

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां में वर्तमान में चिकित्सीय सुविधाओं में मुख्य रूप से विशेषज्ञ सेवाएं (स्त्री रोग, मैडिसिन एवं सर्जरी) रोगी वाहन एवं तीस रोगी शैय्याओं की सुविधा उपलब्ध है।

ग्राम लीड़ी (अजमेर) में चिकित्सा सुविधाएं

291. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीसांगन के पंचायत मुख्यालय ग्राम लीड़ी में कोई ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति पीसांगन की पंचायत मुख्यालय ग्राम लीड़ी में अस्पताल भवन सरकार व जन सहयोग से निर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां अस्पताल की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति पीसांगन के पंचायत मुख्यालय ग्राम लीडी में दिनांक 2-6-98 के आदेश द्वारा दोहरी चिकित्सा संस्थान से उच्चीकृत उप केन्द्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) जी हां। भवन उपलब्ध है, परन्तु उसका निर्माण विभागीय मापदण्ड अनुसार नहीं हुआ है। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य स्थानों के साथ ग्राम लीडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। पंचायत समिति पीसांगन में जनसंख्या मापदण्ड की आवश्यकता से तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिक स्वीकृत हैं।

तहसील छबड़ा तथा छीपाबड़ौद के ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं

292. **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा), **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के किन-किन गांवों में चिकित्सा की क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है ?

(2) क्या उक्त गांवों में चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त स्टाफ है ? यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के अन्तर्गत आने वाले गांवों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग एक की सूची में दर्शाए अनुसार चिकित्सा संस्थानों में निम्नलिखित स्टाफ के पद रिक्त हैं :—

पदनाम	संख्या
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	4
2. चिकित्सा अधिकारी	4
3. नर्स श्रेणी-प्रथम	2
4. नर्स श्रेणी-द्वितीय	6
5. एल.एच.वी.	1

Page No. 40

(40)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

पद नाम	संख्या
6. लैब टैक्नीशियन	1
7. प्रसाविका	8

उपरोक्त रिक्त पदों में से चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी होने पर, नर्स श्रेणी द्वितीय लैब टैक्नीशियन तथा प्रसाविका के रिक्त पदों को प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम तथा एल.एच.वी. के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) के नवीन स्वास्थ्य केन्द्र

293. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) में वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, एड पोस्ट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां के और सरकार उस पर क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) में वर्ष 1993-94 से वर्ष 1997-98 तक स्वीकृत किये गये उप स्वास्थ्य केन्द्र एड पोस्ट एवं प्राथमिक स्वा. केन्द्रों की सूची निम्न प्रकार हैं :—

विधान सभा क्षेत्र	वर्ष	स्वीकृत किये गये चिकि. संस्थान		
		उप स्वा. केन्द्र	एड पोस्ट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
सराड़ा	1993-94	–	–	–
(उदयपुर)	1994-95	–	–	–
	1995-96	1. नावडा	–	–
		2. बलुवा	–	–
	1996-97	–	–	–
	1997-98	–	–	–
	1998-99	1. अमरापुरा (दोहरी चिकित्सा संस्थान से स्थानान्तरित)		–

(2) जी, हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर से पंचायत समिति सराड़ा के ग्राम अमरापुरा हेतु एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके अनुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। पंचायत समिति, सराड़ा में कुल 46 ग्राम पंचायतें हैं एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा उसके अन्तर्गत आने वाले/ग्रामों में चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हैं। सराड़ा पंचायत समिति की ग्रामीण जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 1.71 लाख हैं। 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार निर्धारित मापदण्डों के लक्ष्यों की पूर्ति पंचायत समिति सराड़ा में की जा चुकी है।

लाडनूं (नागौर) की सड़कों का डामरीकरण

294. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में ऐसी कई सड़कें हैं, जिनका निर्माण बी.टी. रोड में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त राशि से किया गया है किन्तु उनका डामरीकरण गत तीन वर्षों से नहीं हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़क का और उनका बी.टी. कार्य कब हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि डामरीकरण नहीं होने के कारण उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो इनका डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में गत वर्ष चालू वर्ष में विभाग द्वारा किस-किस सड़क का डामरीकरण किया गया व इस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(4) इस क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़क मरम्मत योग्य है? तथा उनमें से इस वर्ष कौन-कौनसी सड़क की मरम्मत व रिकपिट किया जाना प्रस्तावित है तथा उन पर कितना खर्च आयेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में दो ऐसी डामर की सड़कें हैं जिनका निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त राशि से किया गया है। इन दो सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से डब्ल्यू. बी.एम. स्तर तक निर्माण किया गया है, एवं गत तीन वर्षों में निर्मित डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें जिन पर डामरीकरण का कार्य नहीं हुआ है उनका विवरण परिशिष्ट "ख" में वर्णित है।

(2) जी हां। डब्ल्यू. बी. एम. स्तर तक बनी सड़कों का डामरीकरण नहीं होने से इन सड़कों के कुछ भाग की गिट्टी उखड़ कर खड्डे हो गये हैं। जिन सड़कों पर वर्तमान में डामरीकरण का कार्य स्वीकृत है उनका विवरण परिशिष्ट "ग" में अंकित है एवं उन पर डामरीकरण का कार्य मार्च, 1999 तक कर दिया जाना प्रस्तावित है जिन सड़कों पर डामरीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं है उनका विवरण परिशिष्ट "घ" में अंकित है एवं उन पर डामरीकरण का कार्य सड़क विकास नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में गत वर्ष (1997-98) में 6 सड़कों के डामरीकरण पर 35.21 लाख रु. व्यय किये गये हैं तथा चालू वर्ष (1998-99) में एक सड़क पर डामरीकरण कर 1.87 लाख रु. व्यय किये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "च" में अंकित है।

(4) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में 23 सड़कों के 277 कि.मी. साधारण मरम्मत योग्य है जिन पर साधारण मरम्मत में 8.44 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है उनका विवरण परिशिष्ट "छ" में अंकित है एवं 16 कि.मी. रिकारपेटिंग के लिये 26.20 लाख रुपये व्यय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "ज" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील नादौती (करौली) में सड़क निर्माण

295. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले में भांडारेज मोड़ से नादौती एवं गढ़ मोरा होती हुई कोई सड़क स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या करौली जिले की तहसील नादौती के ग्राम कैमला में कोई नाली निर्माण के लिए विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो उसमें से कितनी राशि उपयोग की जा चुकी है और शेष बची राशि का उपयोग कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। भांडारेज मोड से नादौती एवं गढ़मोरा होती हुई सड़क आश्वासित रोजगार योजना के तहत वर्ष 96-97 में स्वीकृत किया गया है जिसके तहत करौली जिले में दो कार्य सम्पर्क सड़क लालसर से नादौती एवं इसी सड़क पर दो पुलियाओं के निर्माण हेतु क्रमशः राशि 9.60 लाख एवं 2.00 लाख स्वीकृत किये गये। सड़क कार्य के अन्तर्गत 1.5 किमी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य एवं सी.डी. वर्क्स की स्वीकृति के तहत 3 सी. डी. वर्क्स के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

(2) ग्राम कैमला में सड़कों के वार्षिक रख-रखाव कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में सड़क सुधार हेतु 2.10 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। इस स्वीकृति में मुख्यतः 400 मीटर लम्बाई में सड़क का ऊंचा करना व 50 मीटर लम्बाई में सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली बनाना एवं 200 मीटर में कच्ची नाली बनाना सम्मिलित है इसके तहत 400 मीटर लम्बाई में सड़क सुधार व 200 मीटर लम्बाई में कच्ची नाली का कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य इस वर्ष पूर्ण कर दिया जायेगा। इस कार्य पर राशि 1.60 लाख व्यय किया जा चुका है। शेष बची राशि 0.50 लाख का उपयोग 12/98 तक कर लिया जायेगा।

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) में क्षतिग्रस्त सड़कों पर व्यय

296. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

वर्ष 1997-98 में जिला झुन्झुनूं की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, पैचवर्क तथ बाढ़ग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क पर व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

वर्ष 1997-98 में जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत पैचवर्क तथा बाढ़ग्रस्त हिस्सों की मरम्मत हेतु सड़कों पर निम्न प्रकार खर्चा किया गया: —

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

क्र.सं.	सड़क का नाम	पैचवर्क	पेवर द्वारा रिन्यूवल	बाढ़ग्रस्त हिस्सों की मरम्मत खर्चा	सी.डी. वर्क मरम्मत खर्चा	योग (लाखों में)
1.	खण्डेला उदयपुरवाटी सड़क	–	6.15	0.71	–	6.86
2.	उदयपुरवाटी चला सड़क	1.61	–	0.48	–	2.09
3.	झुंझुनूं उदयपुरवाटी सड़क	–	5.25	2.33	–	7.58
4.	सीकर उदयपुरवाटी सड़क	1.30	–	–	0.51	1.81
5.	गुढ़ा पौंख मनकसास सड़क	1.93	–	–	–	1.93
6.	गुढ़ा-चंवरा एवं सम्पर्क सड़क चंवरा	3.87	–	–	–	3.87
7.	धौलाखेड़ा-घमोरा सड़क	0.37	–	–	–	0.37
8.	पंचलंगी झडाया सड़क	2.86	–	–	–	2.86
9.	उदयपुरवाटी से शाम्भबरी माता सड़क	0.71	–	–	–	0.71
10.	मणकसास-बागोली सड़क	0.94	–	1.86	–	2.80
11.	बालाजी-छावसरी सड़क	0.21	–	–	–	0.21
		13.80	11.40	5.38	0.51	31.09

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की सड़कों का डामरीकरण

297. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में कुशलगढ़ से भोपन घाटी सड़क प्लान में स्वीकृत है? यदि हां, तो कितनी राशि उक्त सड़क पर व्यय की जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि टिमेड़ा से विलड़ी के बीच गिट्टी कुटाई का कार्य हो चुका है व डामर के अभाव में गिट्टी उखड़ चुकी है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों हेतु राशि आवंटित होने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है? अब कब तक उक्त सड़क का डामरीकरण कर दिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि विलडी से भोपन के बीच डामरीकरण शेष है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां। कुशलगढ़ से भोपन घाटी सड़क के निर्माण हेतु नाबार्ड योजना में आर.आई.डी.एफ. के चरण द्वितीय में 31.46 लाख रु. की स्वीकृति हुई है। यह कार्य इस वर्ष प्रारम्भ कर मार्च 2000 तक पूर्ण किये जाने है। अभी तक इस कार्य पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

Page No. 44

(44)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उपरोक्त कुशलगढ़ से भोपन घाटी सड़क जिसकी कुल लम्बाई 27 कि.मी. है। इसके कि.मी. 8/0 से 15/0 व 19/0 से 20/0 मेटल सड़क है। जिसमें क्रमशः पंचायत मुख्यालय टिबेड़ा एवं भीलड़ी अवस्थित है में मेटलीकरण का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत करवाया गया था। उखड़े हुये मेटल का सुधारीकरण नाबार्ड के तहत स्वीकृत कार्य का डामरीकरण करते समय किया जायेगा। नाबार्ड योजना के अन्तर्गत इस वर्ष प्रारम्भ किया जाना है। अतः मेटल उखड़ने का कारण डामर का अभाव नहीं है।

(3) जी नहीं। आर.आई.डी.एफ. के चरण द्वितीय के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए बजट आबंटन वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में किया जायेगा। इसके अनुसार कार्य मार्च, 2000 तक पूर्ण करने हैं।

(4) जी हां। बिलड़ी से भोपन के बीच एक कि.मी. लम्बाई में मैटल सड़क शेष है व इसे डामर कराना राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है।

जिला सवाई माधोपुर की अपूर्ण सड़कें

298. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1995 से 1998 तक जिला सवाई माधोपुर में कितनी-कितनी राशि किन-किन मार्गों पर खर्च की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण है एवं किन-किन का पूर्ण कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 1998 तक जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर निम्न प्रकार राशि व्यय की गई। सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है:—

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	सड़क का वर्गीकरण	1995-96 निर्माण	1996-97 निर्माण	1997-98 निर्माण	कुल योग
1.	राज्य मार्ग	142.47	73.71	89.49	305.67
2.	मुख्य जिला सड़कें	96.12	208.67	31.46	336.25
3.	अन्य जिला सड़कें	18.28	31.89	11.84	62.01
4.	ग्रामीण सड़कें	438.76	555.71	270.88	1272.35
5.	परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें	448.39	480.89	587.03	1516.31
	योग	1144.02	1350.87	997.70	3490.59

(2) वर्ष 1995 से 1998 की अवधि में स्वीकृत कुल 282 सड़क कार्यों में से 134 सड़क कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 148 सड़कों का कार्य अपूर्ण है। विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

Page No. 45

(45)

कामां (भरतपुर) में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

299. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कामां क्षेत्र में पहाड़ी से कठोल व कठोल से जुरहरा सड़क वर्ष 1995-96 में आई बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है?

(2) सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या-क्या कार्य कराये गए? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के कामां में पहाड़ी से कठोल निर्माणाधीन सड़क वर्ष 1995-96 में आई बाढ़ से आंशिक क्षतिग्रस्त हुई थी। कठोल से जुरहरा निर्माणाधीन सड़क की डब्लू.बी.एम. वर्ष 96 की बाढ़ में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(2) पहाड़ी से कठोल निर्माणाधीन सड़क की पूर्ण मरम्मत वर्ष 1995 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त स्थानों पर संवेदक द्वारा कर दी गई थी परन्तु वर्ष 1996 की बाढ़ में हुई क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत को लेकर संवेदक वाद में चला गया इसलिए मरम्मत नहीं हो सकी। कठोल से जुरहरा निर्माणाधीन सड़क पर 3 किमी. में पुनः सड़क निर्माण कर डामरीकरण किया जा चुका है तथा शेष 6 किमी. में कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। पहाड़ी, कठोल निर्माणाधीन सड़क की मरम्मत का कार्य अनुबन्ध के अनुसार संवेदक को करना है उक्त कार्य का वाद एकल मध्यस्थ के यहां विचाराधीन है। वाद का फैसला होने के पश्चात् उक्त सड़क को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा। कठोल से जुरहरा सड़क का कार्य प्रगति में है व उसे माह दिसम्बर, 98 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में सड़कों का नवीनीकरण

300. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1998-99 में नागौर जिले में विभिन्न श्रेणी की सड़कों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में उक्त वर्ष में कुल कितनी राशि का प्रावधान सड़कों के नवीनीकरण/मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण हेतु रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डेगाना जंक्शन पर नागौर सड़क के रेलवे क्रासिंग से सहायक अभियन्ता कार्यालय अजमेर रोड तक सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इस सड़क को ठीक करने की क्या योजना है? इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है तथा

(श्री रिछपाल सिंह)

इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 हेतु नागौर जिले की विभिन्न श्रेणी की सड़कों के निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 1122.76 लाख का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न श्रेणी की सड़कों के निर्माण का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 1998-99 में सड़कों के नवीनीकरण/मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण हेतु क्रमशः 39.55 लाख रुपये एवं 78.60 लाख रुपये कुल राशि रुपये 118.15 लाख का प्रावधान रखा गया है। कार्यवार एवं मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, सड़क के उक्त भाग का सुधार सड़क मरम्मत एवं रख-रखाव मद में उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे। इस सड़क को ठीक करने हेतु लगभग 25.00 लाख की लागत आने का अनुमान है। उपरोक्त सड़क की मरम्मत वर्ष 1999-2000 में करवा दी जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पंचायत समिति इटावा (कोटा) की सड़कों का डामरीकरण

301. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सरकार की घोषित सड़क नीति के अनुसार ग्रामों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने के क्या-क्या प्रावधान हैं?

(2) क्या पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में प्रावधानों के अनुसार सभी ग्रामों व पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने ग्राम व पंचायत मुख्यालय शेष हैं? अब तक नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक उक्त शेष बच्चे ग्रामों व ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सरकार की घोषित सड़क नीति के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (सन् 2002) समस्त पंचायत मुख्यालय वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का प्रावधन है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर इटावा पंचायत समिति के अभी 1000 से अधिक आबादी वाले 17 ग्राम एवं 12 पंचायत मुख्यालय डामरीकृत सड़क से जोड़े जाने शेष है जिनकी सूची परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। 1000 से अधिक आबादी वाले 13 ग्रामों को एवं शेष 12 पंचायत पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ने की स्वीकृतियां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का यह द्वितीय वर्ष है और उक्त स्वीकृत कार्य

Page No. 47

(47)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं शेष 4 ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (2002 तक) वार्षिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) वर्ष 1991 की जनगणना वाले 1000 से अधिक आबादी के शेष सभी ग्रामों को एवं पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

प्रश्न सख्या-302

(स्थगित)

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष का पद रिक्त होने की प्रत्याशा में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप थोड़ा सदन का रिगार्ड करें। कृपया बैठें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : पाइंट आफ आर्डर रेज करने का यही समय है, साहब। यही समय है, इस पर आपको....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पाइंट आफ आर्डर आपसे ही संबंधित है, उपाध्यक्ष महोदय।

यह अति महत्वपूर्ण पाइंट आफ आर्डर है इसलिए अन्डर आर्टिकल 181 आफ कांस्टीट्यूशन एण्ड रूल 7 (1), (2), (3), (4) आफ रुल्स आफ प्रोसीजर बुक। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा से हमें एक बुलेटिन प्राप्त हुआ है कि कल विधान सभा के अध्यक्ष महोदय का चुनाव होने वाला है। यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है।

एक माननीय सदस्य : परसों।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : परसों चुनाव होने वाले हैं। इसमें लिखा गया है कि माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दशम् विधान सभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त होने की संभावना है। अतः महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलौदी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित दशम् विधान सभा के सदस्य श्री पूनमचन्द विश्नोई को दशम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन किये जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 24 जुलाई, 1998 को प्रातः 11 बजे से नियुक्त किया गया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार बिन्दु हैं, कृपया धैर्य से सुनियेगा।

पहला बिन्दु यह है कि कांस्टीट्यूशन सर्वोपरि है और इस कांस्टीट्यूशन का इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले हमें उस पर जाना चाहिये। आर्टिकल 180 (1) में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं कोट करूंगा—"While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the

Page No. 48

(48)

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

purpose." उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है कि जब अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय दोनों का पद वेकेन्ट हो तभी इस आर्टिकल के अन्दर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग गवर्नर महोदय कर सकते हैं। जब तक कि ये दोनों पद वेकेन्ट नहीं हों तब तक प्रो-टेम स्पीकर अपाइंट करने का गवर्नर महोदय को कोई अधिकार नहीं है। यह कांस्टीट्यूशन में स्पष्ट दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी नजीरें भी मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला तो वाकया यहां पर हुआ था जब माननीय पूनम चन्दजी साहब अध्यक्ष थे, 3 मई 1969 को उस वक्त भी इसी से संबंधित कुछ बिन्दु उठाये गये थे, तो माननीय विश्नोई साहब ने कहा था कि गवर्नर महोदय को यह अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति को अपाइंट करें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हों उस हालत में। यानि दोनों नहीं हों उस हालत में गवर्नर महोदय को अधिकार है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल भारत की लोक सभा के अन्दर हुआ था। मैं उसको कोट करना चाहूंगा। कौल और शकधर, माननीय मुख्य सचेतक महोदय के रेफरेंस के लिए, पेज 98 पर।

श्री अमराराम (धोद) : वह अंग्रेजी में है। किताब हिन्दी में नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त 1956 में अनंतसयानम आयंगर लोक सभा के उपाध्यक्ष थे और अनंतसयानम आयंगर साहब को अगले दिन लोक सभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था। उस वक्त उन्होंने एक दिन पूर्व, पांच बजे लोक सभा के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और लोक सभा के सचिवालय ने जब प्रेसीडेंट महोदय को सूचित किया उसके बाद में प्रेसीडेंट महोदय ने प्रो-टेम स्पीकर की साढ़े पांच बजे घोषणा की। यह इस बात को सिद्ध करता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब तक दोनों का पद वेकेन्ट नहीं हो, तब तक प्रो-टेम स्पीकर का अपाइंटमेंट नहीं हो सकता है और उपाध्यक्ष महोदय को भी इस पद से एक दिन पूर्व त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैं कोट करना चाहूंगा, अगर अध्यक्ष बनना है तो....... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप बताएं, आप इस्तीफा कब देंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं कोट करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय—

"On 7th March, 1956, M.Ananthasayanam Ayyangar, the Deputy Speaker and the only candidate proposed to the vacancy in the Office of the Speaker caused by the demise of G.V.Mavalankar, resigned his office of Duputy Speaker in view of his impending election as Speaker on the next day. At 17.30 hours after receipt of resignation, the Secretary submitted a note to the President informing him that both the offices of Speaker and Deputy Speaker were vacant and that the Prime Minister had suggested that Sardar Hukam Singh, a member of Lok Sabha be appointed to perform the duties of the Speaker until the election of the Speaker by Lok Sabha on 8 March, 1956....."

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला बिन्दु है कि जब तक दोनों पद वेकेन्ट नहीं थे, गवर्नर महोदय को कांस्टीट्यूशन ने यह अधिकार ही नहीं दिया कि वे प्रो-टेम स्पीकर का अपाइंटमेंट करें। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए आपको अगर चुनाव लड़ना है तो कृपया आप उपाध्यक्ष के पद से आज रिजाइन करें और प्रो-टेम स्पीकर का अपाइंटमेंट भी उस 24 तारीख से पहले, यानि आपके 23 को रेजिग्नेशन देने से पहले उस वक्त हो जाना चाहिए जिससे कि वे इस कार्य को संचालित कर सकें।

मेरा दूसरा बिंदु है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो प्रो-टेम स्पीकर है वह दो दिन के लिए क्यों होना चाहिये। हमने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी, आज से मध्याह्न समय से आज आप लेने लग जाएंगे इसके फार्म्स उसके बाद में नोमिनेशन फार्म और उसके बाद में उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद में यहां कौन-कौन इलेक्शन लड़ेंगे और कौन-कौन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यह प्रोसेस प्रारम्भ हो जाएगा, वह जो प्रोसेस प्रारम्भ हो चुका होगा, with all due regards to you, एक कहावत है कि it is not sufficient to be good, you should also appear to be good as well. यहां पर सचिवालय में सब का हम सम्मान करते हैं, हमें विश्वास है कि सब नेक-नीयति से अच्छी तरह से काम करेंगे लेकिन फिर भी, उपाध्यक्षजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका इलेक्शन है तो प्रोपराइटी डिमाण्ड करती है कि आपके ही यहां उपाध्यक्ष के कार्यकाल में, आपके ही संरक्षण में आपके इलेक्शन से सम्बन्धित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए इसलिए भी आपको रेजिग्नेशन इन एडवांस देना चाहिए जब यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाए तब।

मेरा तीसरा बिन्दु है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपके इस रूल 7 (2) के अन्दर, (3) के अन्दर, (4) के अन्दर, जो इसमें दिया हुआ है, हमारे प्रक्रिया संचालन के नियमों के अन्तर्गत, काफी फला है। यह आप जानते हैं कि वार्ड पंच का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, किसी का भी चुनाव हो, एक समय नियत होता है, 11 बजे तक फार्म देंगे, 12 बजे तक स्क्रूटनी होगी, 3 बजे तक विथड्रा करेंगे..........

श्री उपाध्यक्ष : आप भी यह सवाल कल उठाते, ज्यादा ठीक था। आज जल्दी उठा लिया आपने।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : Better late than never. अब उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष महोदय का चुनाव है, यहां पर समय नियत नहीं है। मध्याह्न पूर्व। मध्याह्न पूर्व कब तक फार्म देंगे? उनकी स्क्रूटनी कितने बजे तक होगी? विथड्रावल कब तक किया जाएगा? आपके रूल्स अगर साइलेंट हैं तो हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? इसलिए मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि इस चीज को स्पष्ट किया जाए कि कब तक फार्म दिये जाएंगे। समय नियत किया जाये, सिर्फ मध्याह्न पूर्व कहने से काम नहीं चलेगा। इस विषय में भी मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

चौथा मेरा बिन्दु है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राइट आफ वोटिंग हमें है, इसी में निहित है

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

सीक्रेसी आफ वोटिंग, सीक्रेसी आफ बैलट। किसने किस को वोट दिया, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम लोएस्ट लेवल के ऊपर भी इस राइट को मेनटेन करते हैं तो हाइएस्ट लेवल के ऊपर इस राइट को क्यों नहीं मेनटेन करें? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रूल 306 में आपको अधिकार है कि आप रूल सस्पैण्ड करें। रूल 74 में दिया हुआ है कि यहां पर डिवीजन के द्वारा वोटिंग होती है जो कि सीक्रेट वोटिंग नहीं है एक तरह से। इसलिए रूल 306 में दी हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए आप कृपया रूल 74 को सस्पेंड करें और इस इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मेरे चार बिन्दु हैं, आपसे आशा ही नहीं वरन् मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इनके ऊपर पूरी तरह सोच-समझ करके आदेश देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रक्रिया संविधान के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक बताई है, वह सही है। सारा कार्यक्रम उसी प्रक्रिया के अनुसार ही होगा उसका वायोलेशन नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर लिखा है, सम्भावना है कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला है। क्या कांस्टीट्यूशन का इंटरप्रिटेशन आप सम्भावनाओं से करते हैं? क्या कांस्टीट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन सम्भावनाओं से करते हैं? मेरे ख्याल से अगर सम्भावनाओं के ऊपर रहकर हम कांस्टीट्यूशन को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति होगी।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतः नियम यह है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है तो उसके बाद उस प्रक्रिया को किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने—

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, माननीय सदन में उपाध्यक्ष महोदय ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और कोई भी सदस्य जिसने कि इस्तीफा नहीं दिया है उसके एंसिपेशन में ये जो उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव की घोषणा की गई है वह गैरकानूनी है। मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय इस्तीफा दें उसके बाद ही उनके निर्वाचन की सूचना जारी हो सकती है, वही वेलिडिटी रखती है, लीगल सैंक्टिटी रखती है। आपका यह जो निर्वाचन रखा है यह बिल्कुल अस्पष्ट झलकता है। मेरा पाइंट आफ आर्डर इस बात का है कि एंटीसिपेशन में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती, किसी भी इलेक्शन की। We cann't move on anticipation.

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय, इसी पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं।........

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : पहले वे बोल लें। उनके बाद आप बोल लेना।

श्री जगदीप धनखड़ : But I have taken the Floor. Sir, I am not yielding.

श्री उपाध्यक्ष : वे बहुत देर से खड़े हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुन लो आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने 6 अप्रेल, 1995 को भी भारतीय संविधान के 180 (ब) के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया था। और तब इसी आसन से यह कहा गया, क्योंकि सदन में जब चर्चा हुई तो यह हुई कि यहां के बुलेटिन के सन्दर्भ में, महामहिम राज्यपाल के आदेश के सन्दर्भ में इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस सदन के अन्दर उनके किसी आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह परम्परा रही है इस सदन की। 6 अप्रेल, 1995 को जब यह प्रश्न उठा था, वह की वह स्थिति आज भी है। 6 अप्रेल, 1995 की प्रोसीडिंग्स को अगर ये देख लेते तो शायद भीम से आने वाले माननीय सदस्य यह प्रश्न यहां उठाते ही नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महामहिम राज्यपाल के आदेश पर इस आसन से किसी तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह परम्परा रही है इस सदन की।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है इसलिए डिस्कस हो रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : महामहिम सरकार का ही पार्ट है। He is part of the Government.

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : पढ़कर सुनाता हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। माननीय विश्नोई साहब को उस समय भी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उस पर इसी तरीके से आब्जेक्शन किया गया था। माननीय भाभड़ाजी ने उस बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा था, अपने विचार व्यक्त किये थे कि हमारी विधान सभा का बुलेटिन और गवर्नर साहब का आदेश इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। यह नियम भी है, यह परम्परा भी है इसलिए माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, पाइंट आफ आर्डर के रूप में तो उस पर बहस हो ही नहीं सकती क्योंकि इस पर व्यवस्था दे नहीं सकते एकेडेमिक संतोष के लिए चाहें तो इसमें 180 प्रावधान बिलकुल स्पष्ट है और भिन्न-भिन्न जगह पर भिन्न-भिन्न परम्परा है। लोक सभा में परम्परा यह है कि वहां पर इस्तीफा देकर उपाध्यक्ष ने फिर चुनाव में भाग लिया। यहां भी प्रोसेस शुरू हो गया था, 7 तारीख को प्रोसेस शुरू हुआ। 7 तारीख को अनंत शबनम आयगर वहां हाउस में मोजूद थे, सारी प्रोसीडिंग उन्होंने ही चलायी। 8 को उनका चुनाव हुआ तब चुने गये। इसी तरह से आज उपाध्यक्ष जी यहां कार्यवाही चला रहे हैं।

यह हाइपोथेटिक की जो बात कही जाती है, हाइपोथेटिकली नहीं है, कल जब चुनाव होगा उस समय दोनों ही स्पीकर और डिप्टी

Page No. 52

(52)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

स्पीकर का स्थान वेकेंट रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर गवर्नर महोदय ने आदेश दिये हैं, इसलिए इसको चेलेंज करना या उसकी लीगलिटी के बारे में किसी तरह का प्रश्न उठाना बिल्कुल उचित नहीं है। आर्टिकल 180 का प्रावधान है उसी का पालन किया जा रहा है और उसमें यह है कि जब दोनों वेकेंट होंगे तब वह इफेक्टिव होंगे। प्रो-टेम स्पीकर का अपाइंटमेंट भी कल 11.00 बजे से है, आज तो है ही नहीं और यह गवर्नर महोदय की इच्छा है कि वे किस तरह से आर्डर निकालें आज निकालें, कल निकालें। इस सम्बन्ध में पूरी चर्चा नहीं हो सकती। हम उनके आदेश पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। यह सारी बहस उस समय हो चुकी है, इस पर निर्णय हो चुका है और उसे सही माना गया इसलिए इस पर यह विचार नहीं किया जा सकता।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पूरा सदन लम्बे समय के बाद इस बात का आभार प्रदर्शन कर सकता है कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे की ओर बड़ी संजीदगी से ध्यान आकर्षित किया है। यहां माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न महामहिम राज्यपाल के किसी आदेश का नहीं है या विधान सभा के बुलेटिन से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य ने बहुत ही बढ़िया तरीके के संकेत दिया है कि पूरा मामला संविधान से जुड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपका मानस बन जाए कि आप अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करेंगे, हो सकता है और कोई चीज आपके लिये ज्यादा सार्थक साबित हो, भाग्य को किसने देखा है, तो महामहिम राज्यपाल ने जो आदेश पारित किया है, माननीय सदस्य ने जिस पृष्ठभूमि का जिक्र किया है उसका क्या होगा? On mere hypothetical situation, सिचुएशन को अमर्ज कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है?

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आर्टिकल 181 का अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 181 में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का संकेत सदन देता है तो आर्टिकल 180 सब आर्टिकल 2 लागू होता है अर्थ क्या है कि जब भी कोई कार्यवाही हटाने की, अविश्वास की या निर्वाचन की निर्वाचन उसमें नहीं है but we can always read into the Article.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संजीदगी से बहुत ही बढ़िया तरीके से जो चार मुद्दे उठाये गये हैं उन पर कुछ नहीं कहते हुए आपका ध्यान आकर्षित इस बात के लिये करूंगा कि constitutional provision is sacred, constitutional provision cannot be ignored. No rule of the Assembly comes in the way of protecting this Constitution. The constitutional provision is very clear. उसमें कोई एम्बीग्यूटी नहीं है कि किन परिस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय इस प्रकार का आदेश पारित कर सकते हैं।

Page No. 53

(श्री जगदीप धनखड़)

वर्तमान स्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो आदेश पारित किया है, + + +

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरी भावना को देखेंगे तो आर्टिकल 178 में.....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : (व्यवधान).....यह तो निकाल दिया जाएगा और पहले तो बहस भी नहीं हो सकती....

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदी जी, आप....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और बस होने के बाद सरकास्टिंग रिमार्क नहीं किया जाए। क्षमा करेंगे, आप बड़े वकील हैं but these are the proceedings of the House. क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : + + + अगर तो वह निकाल दिया जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कमाल है ! You are challenging. ये क्या बोल रहे हैं? यह पवित्र सदन है। कृपया उस प्रोसीडिंग को निकालें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : Mr. Chaturvedi is ignorant. Mr. Chaturvedi, you are ignorant. You have no understanding of this document. (interruptions).. Can you point out the Rule? + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : .....(व्यवधान)....यह संविधान में कोई भी भावी परिकल्पनाओं पर, सम्भावनाओं पर, आने वाली सम्भावनाओं पर कहीं कुछ कह नहीं रहे.....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : यह गलत बात है.....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महामहिम राज्यपाल के किसी भी आदेश को .....(व्यवधान)....अवहेलना करना है और ये कांस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बिहेव करता है।.....

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इमेजिनेशन पर.....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ....देश का संविधान.......(व्यवधान)....... यह संविधान से संबंधित मामला है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बाई पास दी कांस्टीट्यूशन संविधान को बाईपास नहीं किया जा सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके शब्द देखें जो लिये गये हैं.......

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ....(व्यवधान) ....राज्यपाल के किसी भी आदेश को.......(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कामन सेंस में बिहेव करती है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : किसी भी तरह का प्रश्न नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

महोदय, यह भारतीय संविधान के अंतर्गत ही......

श्री जगदीप धनखड़ : There can not be point of order on a point of order. Mr. Deputy Speaker, Sir, we are discussing one point of order. There cann't be another point of order on a point of order.'

Let me conclude.

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के आदेश को यहां किसी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता। इफ्स एण्ड बट्स नहीं उठाये जा सकते। यह बिलकुल गलत है और भारतीय संविधान के अनुसार, परम्पराओं और इस सदन के नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के इस आदेश को इस सदन में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, मान्यवर सदस्य, उसी संविधान के अन्तर्गत यह आदेश बने हुए हैं, परम्पराएं बनी हुई हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, would you ask him to take the seat? He is a senior Member.....(interruptions).....I am not yielding. I am holding the Floor.

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लें इनको कृपया, सुनिए। बोलिए आप, शार्ट में बता दीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्वेदी जी ने यह कहा कि मैंने महामहिम राज्यपाल के संबंध में जो कुछ कहा वह बहुत गलत किया। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, मैंने......

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे चलिए।

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिए, मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। सबसे ज्यादा कामेंटमेंट यदि किसी का है, आप और हम सबका, that is towards this Constitution.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, याद दिला रहे हैं आप यह जवाब दे कर।

श्री जगदीप धनखड़ : अगर राष्ट्रपति से लेकर महामहिम राज्यपाल या कोई कांस्टीट्यूशन के खिलाफ काम करता है तो उसको उठाया जा सकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 272 के नियम 11 में यह लिखा है, उसको आप पढ़िए कि राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा......

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आचरण पर आक्षेप नहीं है, आचरण पर आक्षेप नहीं है।

कई माननीय सदस्य : आचरण पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आचरण पर नहीं कर रहे हैं, आचरण पर कोई आक्षेप नहीं है। हम पूरा सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज राज्यपाल के आदेश को, आदेश का मतलब क्या है, आचरण नहीं है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मैटर है, आप ध्यान से बात सुनिए (व्यवधान) आप बीच में व्यवधान डालते हैं मंत्री होकर (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....कि उनके द्वारा किया गया कोई भी.......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने गवर्नर महोदय को मिसगाइड किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आपने किया है, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आपने गवर्नर साहब को.......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे ऊपर आक्षेप लगाओ, हमारे ऊपर आक्षेप लगाओ, इसका जवाब सरकार देगी, सरकार ने क्या गलती की है, वह लाइए। ऐसे केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील का.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें अब आप। माननीय सदस्य, आप बिराजें। श्री धनखड़ साहब, बिराजें। आप बिराजें पहले। यह अंगुली क्यों कर रहे हैं आप? इस अंगुली को नीचे करिए आप। नहीं, दिस इज बैड। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाइंट आफ आर्डर जो उठाया जाता है, कोई मामला विचाराधीन हो उस पर उठाया जाता है। चुनाव का मामला कब होगा, कब नहीं होगा, यह आज विचाराधीन नहीं है। इसलिए जो पाइंट आफ आर्डर श्री लक्ष्मण सिंहजी ने उठाया है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं (व्यवधान) सुनिए आप, सुनिए, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह स्पष्ट नियम दिए हुए हैं, इंटरप्रिटेशन आफ कांस्टीट्यूशन के पाइंट आफ आर्डर में ही आता है और.......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मेरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बैठिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और क्या कर रहे हैं आप?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेरा यह सब्मिशन है कि जब एक विषय समाप्त होता है, क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ दूसरा विषय लेने के बीच में आप पाइंट आफ आर्डर उठा सकते हैं। दूसरा, कांस्टीट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के संबंध में पाइंट आफ आर्डर उठाने का हमारा अधिकार है, कृपया हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये। रूल 74 में स्पष्ट दिया हुआ है इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मत कहिए कि पाइंट आफ आर्डर हम नहीं उठा सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अफसोस का विषय यह है कि इन्हीं माननीय सदस्य ने इसी

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं इसको लम्बा नहीं करना चाहता, मैंने रिजेक्ट कर दिया, आप बिराज जाएं आप बिराजें, सचेतक महोदय, कृपया बिराजें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इस पर फैसला होने तक कोई भी वकील अपने फैसले से एक बार.......

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप जरूर रिजेक्ट कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे डिटेल्स दीजिए। आप डिटेल्स के साथ रिजेक्ट कीजिए। कारण बताकर रिजेक्ट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दे दूंगा। मैं अभी दे सकता हूं, बाद में नहीं दे सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी तो कुछ कहलवाओ, वे क्या विचार रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य। माननीय श्री धारीवाल जी, कृपया बैठे-बैठे नहीं। धारीवाल जी बिराजें, बिराजें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तवों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हीरालाल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने से अभाव एवं अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में गत कुछ दिनों पूर्व लगातार 72 घंटे हुए वर्षा से हुई अतिवृष्टि पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर सदन में चर्चा हो चुकी है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम कल्याणपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

(4) श्री रतनलाल ताम्बी एवं 14 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से शाहपुरा की सड़कों की खराब स्थिति को ठीक करने हेतु आंदोलन कर रहे व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के संबंध में।

(5) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुदानित आदर्श छात्रावास निवाई को समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 का अनुदान नहीं देने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मुख्य प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री उपाध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री पराक्रमसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों को जिला परिषदों में नियुक्ति देने के संबंध में।

(2) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई तहसील के भगवान देवनारायण मंदिर, जोधपुरिया को पक्की सड़क से जोड़ने के संबंध में।

(3) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर विधान सभा क्षेत्र की पहाड़ियों में खनन कार्य खुलवाने के संबंध में।

(4) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोटपूतली को जिला बनाये जाने के संबंध में।

(5) श्री कमल कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन शहर में गंदे तथा बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के ग्राम धौलिया में गत दिनों तूफान से गिरे बिजली के खम्भों (पोल्स) को खड़ा कर विद्युत आपूर्ति शुरू करवाने के संबंध में।

(7) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कस्बा वजीरपुर में सब-तहसील की स्थापना करने के संबंध में।

(8) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति में आरक्षण का कोटा पूरा करने के संबंध में।

(9) श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं कार्मिक विभाग में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के नियुक्ति प्रक्रिया आदेशों के स्पष्ट नहीं होने के संबंध में।

(10) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आबाद करने के उद्देश्य से कब्जाविहीन रहे काश्तकारों को भूमि आबंटित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री परसादीलाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 में एक प्रस्ताव था।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने स्वीकृति मांगी थी, माननीय सदस्य अवकाश पर हैं, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : शून्यकाल में बोलने के लिये हमारी समस्या

श्री उपाध्यक्ष : अभी ठहरिए आप, बिराजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सैकण्ड में यह निवेदन करना चाहता हूं कि 295 का जवाब आज तक नहीं आया। कृपया आप इसकी व्यवस्था करिए। हमने जब से दिया है........

श्री उपाध्यक्ष : 295 के जवाब की मैं व्यवस्था इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इसके लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता, नियमों में ऐस प्रावधान है। बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, यहां नहीं कह रहा हूं, यहां मैं नहीं कह रहा। कम से कम हमें तो जवाब आए। जब यहां आप बोलने की आज्ञा देते हैं।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका यूज क्या रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए, कृपया आप सुनिए तो सही। आप बिराजिए। आदेश शिरोधार्य क्या है, आप बैठ ही नहीं रहे हैं।

295 के जो मामले यहां आते हैं, आप सुनिए, माननीय सदस्य, आपने + + + आपने आप बिराजें, बैठें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सरकार जवाब ही नहीं देती।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार आपके पास जवाब भेजती है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हीरालाल सहरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आसन से केवल यही व्यवस्था चाहते हैं। कभी जवाब नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें आप। आप बिराज जाएं। (व्यवधान) जिन माननीय सदस्यों के पास 295 के जवाब नहीं आ रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जवाब भेजे।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगंज) : 1996 में जाटों के आरक्षण

श्री उपाध्यक्ष : 96 का सवाल नहीं है अब। अब पता नहीं क्या हो गया।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति लालसोट के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुरा में सन् 1986 में खसरा नम्बर 179 में 5 बीघा भूमि खेल के मैदान के लिए आबंटित की गयी थी। अलाटमेंट करने के बाद उसका कब्जा दे दिया गया, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। गांव वाले सब लोग वहां पर गये, तहसीलदार ने अतिक्रमियों के खिलाफ या अतिक्रमण को हटाने की आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद फिर पंचायत समिति ने खसरा नम्बर सौ में से 5 बीघा भूमि अलाटमेंट कमेटी के द्वारा अलाटमेंट की थी। **आप** उसको मेहरबानी करके खाली कराएं और स्कूल के नाम पर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

उसकी खातेदारी कराएं तहसीलदार ने अब तक कार्यवाही नहीं की, तहसीलदार अतिक्रमियों से मिला हुआ है, पटवारी मिला हुआ है और रिपोर्ट करता नहीं। स्कूल के खेल के मैदान पर अतिक्रमियों का कब्जा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस जमीन को आप खाली करवाने के लिए कलक्टर को या किसी भी अधिकारी को आदेश देने की मेहरबानी करें। क्या करेंगे, साहब, आप बोल रहे हैं कुछ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अभी आफ हैण्ड कैसे बोलें? श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, क्या एक्शन ले रहे हैं, आप बताओ। क्या एक्शन ले रहे हैं? एक बात और, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। आपसे पहले रतनलालजी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी से कांकरोली जो राजमार्ग है, वह शाहपुरा कस्बे के बाहर जुड़ा हुआ सीमा से निकलता है। उस मार्ग की पिछले 3-4 साल से बहुत खराब हालत है और बाहर खड्डे पड़े हुए हैं आम तौर से उस पर भीलवाड़ा से देवली, भीलवाड़ा से विजयनगर, भीलवाड़ा से अजमेर, जयपुर सब जगह की बसों और बड़ी मात्रा में ट्रकों का आवागमन रहता है। लगातार चार वर्ष से वहां के जन प्रतिनिधियों ने, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनैतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया कि वह इन खड्डों को भरवाएं, ठीक करवाए। कोई रास्ता नहीं निकला तो 10 दिन पहले प्रशासन को नियमानुसार नोटिस देकर कल चक्का जाम किया गया था। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जो उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके निर्देश से हो या बिना निर्देश से, मैं नहीं कह सकता मगर जिस बेरहमी से डण्डे बरसाये उसमें कई लोगों के चोटें लगीं, मेडिकल बना, वे अस्पताल में दाखिल हुए और आन्दोलन करने में जो अगुवाई कर रहे थे उनको पुलिस ने जोर जबरदस्ती थाने में ले जाकर बैठा दिया। सैकड़ों नागरिक वहां गये और उन्होंने कहा, इनको कैसे बैठा रखा है काफी झगड़ा बराबर होता रहा। उसके बाद जिला प्रशासन, एस.पी. साहब वगैरह भी वहां आये। इस घटना पर आक्रोश इतना पैदा हो गया कि बड़ी संख्या में नागरिक भी वहां इकट्ठे हो गये। कुल मिलाकर पुलिस का यह बर्बरतापूर्वक और निर्ममतापूर्वक डण्डे बरसाने का आक्रमण हुआ उसको लेकर शाहपुरा की जनता में काफी आक्रोश है। जिन गृह मंत्री जी का पलक-पांवड़े बिछाकर जो हर बार सीट बदलते हैं, शाहपुरा की जनता ने मतदान करके स्वागत किया, उन्हीं गृह मंत्री जी के इशारे पर या उनके द्वारा निर्देशों पर या उनकी जानकारी में नहीं आने के बावजूद भी कल तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस प्रकार प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से, आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त है अहिंसक तरीके से, उसको कुचलने के लिए जो डण्डे बरसाये हैं, मैं समझता हूं बहुत ही शर्मनाक है। गृह मंत्रीजी का खुद का

(60)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

निर्वाचन क्षेत्र होने से, गृह विभाग उनके पास होने से मेरा यह आरोप है कि यह राजनैतिक कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए पुलिस के बलबूते पर किया गया काम है क्योंकि हाल ही में लोक सभा के चुनाव में उस क्षेत्र में गृह मंत्री जी के सारे प्रयत्नों के बाद भी 12-13 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। हारने के बाद वहां दमन चक्र बराबर चल रहा है, उसी की दिशा में वहां की जनता में आक्रोश है। गृह मंत्रीजी, वहां छोटे-छोटे काम जो खड्डे भरने के, सड़क के हैं वह बार बार मांग करने के बावजूद भी........

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप, दो मिनट हो गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, एक मिनट। इस प्रकार जो उन्होंने किया मैं उसकी निन्दा करता हूं गृह मंत्री महोदय, आपको जिस जनता ने वहां से चुनकर भेजा, वहां आप इतने नाकामयाब रहे कि चार साल में जनता की मांग पर खड्डे भी नहीं भरवा सकते हैं तो मैं समझता हूं आपको नैतिक तौर से पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है। मेरी यह मांग है कि गृह मंत्री जी स्वयं त्याग पत्र दें और कल जो घटना हुई उसकी पूरी तौर से न्यायिक जांच करवायी जाए वहां दमन कार्य जिन पुलिस अधिकारियों ने किया है........

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : उनके खिलाफ भी यह कार्यवाही की जाए, यह मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए तो मैं इनका आभारी हूं लेकिन जिस अतिरंजित तरीके से उन्होंने यहां पर तथ्य रखे हैं, वे सत्य से परे हैं। यह सही है कि 9 बजे नगर सेवा समिति के कुछ लोगों ने वहां धरना दिया था और रोड रोकी घंटे-डेढ़ घंटे तक उनकी समझाइश की गयी और समझाइश करने के बाद बल प्रयोग करके आवागमन चालू करा दिया गया। उसके बाद वे थाने पर गये। वहां पर एस.डी.एम. ने और एईएन; पी. डब्ल्यू.डी. ने उनको आश्वासन दे दिया कि हम ये ठीक करा देंगे खड्डे उसके बाद वे चले गये। इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं हुआ। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक को धन्यवाद दूंगा, पिछली बार ये वहां पर कांग्रेस के मुकाबले निर्दलीय लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनका समर्थन किया था और उसी क्रम में इन्होंने मुझे भी जिताने में मदद की थी इसलिए इनका मैं आभारी हूं। आज ये........

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में राजस्थान के गृह मंत्री इतनी असत्य बात कर सकते हैं, यह मैं उचित नहीं समझता।

श्री कैलाश मेघवाल : ये निर्दलीय लड़े थे कि नहीं? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थी। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही बात नहीं हैं ?(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, 10 हजार वोट इनको मिले और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गयी। (व्यवधान) राजस्थान के चुनाव विभाग की आंकड़े की पुस्तिका आपके पास मौजूद है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं, माननीय सदस्य। बिराजें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है, कृपया बिराजें। पुराने व्यवहार को खराब नहीं करें आप। श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये अब भी मेरा समर्थन करेंगे, इन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, यह गृह मंत्री जी को मालूम होना चाहिए, लोक सभा के चुनाव में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पूरे दल-बल के साथ ये पांच दिन रहे थे तब मैंने पब्लिक मीटिंग में भी चुनौती दी थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह प्रसंग समाप्त कर दिया। श्री बनवारी लाल बैरवा। कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। यह प्रसंग समाप्त।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये मौका परस्त हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं रहा

श्री पराक्रम सिंह : ताम्बी जी, फिर साथ हैं न ? फिर साथ है न आप तो ? (व्यवधान) ताम्बी जी, फिर साथ हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आपका तो लोक सभा में ही निकल गया दिवाला वहीं फ्लोर पर ही। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : ताम्बी जी, सच्चाई सामने आ जाएगी। (व्यवधान) ताम्बी जी ने लोक सभा में पैसा दिया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : लोक सभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दिया। आप शर्म से झुकेंगे। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : जिलाध्यक्ष कालूलाल गूजर का तो लोक सभा में दिवाला निकल गया। (व्यवधान) आधी सीटों पर हारे हो, आधी सीटों पर। आपकी सीटों पर हारे हो बुरी तरह से। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जाने के लिए अब झूठी वाह वाही कर रहे हैं। जिसको एक बार आजमा चुके हैं वह कांग्रेस अगर आपको ले ले, मुझे दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन जो कांग्रेस को धोखा दे चुका। (व्यवधान) अपने यहां एक कहावत है कि जो अपना नहीं वह किसी का नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ घटना से मुंह मोड़ना चाहते हैं। घटना के बजाय राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी, चुनाव

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की चर्चा शुरू कर दी। चुनाव में तो आपको फरवरी, 98 में ही जनता ने फैसला दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बैठिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए इस घटना के बारे में बात होनी चाहिए बजाय राजनीतिक चर्चाएं शुरू करके।

श्री उपाध्यक्ष : जिस मामले पर आप चर्चा कर रहे हैं, यह स्थान उपयुक्त नहीं है, बिराजें आप। यह सदन है, माननीय सदस्य। श्री बनवारीलालजी बैरवा। (व्यवधान) कृपया माननीय श्री परसादीलालजी, कम से कम आसन की तरफ भी देख लिया करो। नो, नो, इसलिए मैंने कह दिया।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य सचेतकजी को आप समय निर्धारित कर दें कि ये एक साथ बोल लिया करें, क्योंकि ये बीच-बीच में बहुत परेशान रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं। निवाई कस्बे के अन्दर एक अनुदानित छात्रावास था शिड्यूल्ड कास्ट के लिये। बहुत पुराने समय से यह काम करता चला आ रहा था। पहले यह रैगर समाज की धर्मशाला के अन्दर काम करता था लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वह बिल्डिंग बदलनी पड़ी। अब उन्होंने शिवाजी कालोनी के अन्दर वह स्थापित कर लिया है। गत वर्ष जब इसमें बच्चों का चयन होने लगा तो उसके अन्दर जो-जो भी उसके माननीय सदस्य थे, सब लोग उसके अन्दर पहुंच गये और उन्होंने उन बच्चों का चयन किया, सिवाय समाज कल्याण अधिकारी के। समाज कल्याण अधिकारी जो टौंक में रहते थे, निवाई में उस दिन मौजूद थे। उनको सूचना होने के बावजूद वे उस मीटिंग में नहीं आए। चूंकि कोई सुनियोजित तरीके से या किसी दबाव के तहत उसके अन्दर भागीदारी नहीं करके उस अनुदानित छात्रावास में बाधा डालने के लिए उनको प्रेरित किया गया था, लिहाजा वे नहीं पहुंचे। आज पूरे साल वह अनुदानित छात्रावास चला लिया गया। अब आप जानते हैं कि एस.सी. के लोग जब छात्रावास चलाते हैं तो उनकी कितनी तो इज्जत होती है, कितना उनको उधार मिल सकता है। एक साल उन्होंने बच्चों को उधार खिला दिया है। आज भी वे व्यापारी, जिनसे सामान लाये हैं, वे रात-दिन उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं और नये बच्चे आकर और खड़े हो गये।

अब मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन लोगों को जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्रावास चला रहे हैं उनको पिछले साल का तो पैसा दिलाया जाए और एक किश्त जो सबसे पहले दी जाती है वह किस्त भी दिलाएं ताकि उन बच्चों का हम लोग वहां पर एडमिशन कर सकें। इस छात्रावास से हजारों लड़के निकल गये हैं जो आज अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पर बैठे हैं। अगर यह छात्रावास बंद हो गया तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपार हानि होगी। मैं आपके

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देकर वह अनुदान की राशि दिलावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295, श्री पराक्रम सिंह।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर का समय नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर कब है समय, यह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह जीरो आवर चल रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह हर समय उठता है, साहब, सिवाय क्वेश्चन आवर के। परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर है, कोई परम्परा नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हां, जीरो आवर में भी। कभी भी नियमों का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से हो तो माननीय सदस्य अपनी बात उठा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजें। थोड़ा वेट कर लें, फिर उठा लेना।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्षजी, यह जीरो आवर इतना इम्पोर्टेण्ट है कि इसके हीरोज भी होते हैं और इसमें सब पाइंट्स रेज किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा वेट कर लें माननीय।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की जिला परिषदों में नियुक्ति

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करता हूं कि राज्य में बेरोजगार शिक्षकों की संख्या काफी है तो दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं चाहे शिक्षा विभाग हो या पंचायत राज के स्कूल हों। अतः आपसे अनुरोध है कि इन रिक्त पड़े पदों को इन प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों द्वारा भरा जाए।

राज्य सरकार ने इन अप्रशिक्षित अध्यापकों को इसलिए निकाला क्योंकि ये ट्रेण्ड नहीं थे। परन्तु अब जब इन्होंने एस.टी.सी. एवं बी.एड. की है तो अब इनको नौकरी नहीं दी जा रही है। सरकार ने अभी जिला परिषद में काफी विज्ञप्ति निकालीं पर इनको भरने का प्रयास नहीं किया गया। आज अकेले भीलवाड़ा में 700 पद रिक्त हैं परन्तु 222 पद ही रिक्त घोषित किये गये। सरकार ने यह भी तय किया था कि बोनस अंक देकर इन्हें नौकरी दी जाएगी पर सरकार ने यह भी बन्द कर दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि इनकी ओर विशेष ध्यान देकर इनका निदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। दिनांक 30 जून और 1 जुलाई हमारे निवाई क्षेत्र के अन्दर.......

श्री उपाध्यक्ष : आप वह पढ़िये जो लिखकर लाये हो, ऐसे नहीं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : स्थगन प्रस्ताव पर तो बोल चुका।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, पढ़ दें आप।

निवाई के देवनारायण मन्दिर जोधपुरिया तक सम्पर्क सड़क

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : तहसील निवाई में भगवान देवनारायण का मन्दिर जोधपुरिया में स्थित है, जहां पर वर्ष में दो बार बहुत बड़े मेले लगते हैं जिसमें राजस्थान के ही नहीं अन्य प्रान्तों के लोग भी पैदल चलकर आते हैं। यह एक प्रसिद्ध मन्दिर है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की यह घोषणा है कि सभी ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। राजस्थान के अन्य प्रमुख मन्दिरों को भी सरकार ने विशेष महत्व देकर सड़कों से जोड़ा है किन्तु यह प्रसिद्ध मन्दिर अभी तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में तो इस मन्दिर में जाकर दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है। शेष समय में भी लोग इस मन्दिर तक जाने में काफी परेशानियों का सामना करते हैं। रास्ते में कई बड़े-बड़े नाले पड़ते हैं, उन पर भी रपटें आदि नहीं बनने से लोग वर्षा ऋतु में नहीं जा सकते।

अतः माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रसिद्ध मन्दिर को पक्की सड़क से जोड़ा जाए तथा बीच में पड़ने वाले नालों पर रपटा बनाया जाए ताकि धर्मप्रेमी जनता को मेले में आने-जाने में परेशानी नहीं हो।

हां, तो बात कर लो, साहब, इसमें, बात कर रहे हो ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : पैसा पास होकर काम चालू हो गया।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पास हो गया, चलो धन्यवाद। बना दो, साहब। मान्यवर, पायलट साहब ने 28 लाख रुपया दिया था इस सड़क के लिये लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाये। पैसा तो मंजूर कर दें, उसको बनवाओ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि पिछली बार मैं वहां गया था। हमने उस सड़क के लिये पैसा पास करवा दिया, काम शुरू हो गया। बीच में उसमें व्यवधान इसलिए आ गया कि कुछ ढाणियां और कुछ गांव बीच में पड़ते थे। कुछ किसानों ने स्टे ले लिये। बाद में हमने उनको समझाकर उनका स्टे और जो केस चल रहे थे वह सब करा दिया। इस समय काम उसका चालू है। लेकिन बीच में कुछ डामर की कमी हो गयी थी, कुछ अधिकारियों की भी, एकाध अधिकारी हैं जो स्लो चल रहे थे हमने उनको टाइट करके कहा कि जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य पूरा किया जाए। वह काम चालू है और पूरा होने वाला है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : काम अनेक बार चालू हुआ है लेकिन उसे पूरा कराएं। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें बताओ आप, कहां दिक्कत आती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कौनसा स्क्रू टाइट किया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीरामजी जाट।

आमेर विधान सभा क्षेत्र की पहाड़ियों में खनन कार्य

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आमेर विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो बगरू (अजमेर रोड) से चौमूं रेलवे स्टेशन के आउटर सिंगनल तक तथा रुण्डल पंचायत मनोहरपुर के पास गोनाकसर व रामगढ़ को पार करके केशव विद्यापीठ की सीमा को छूता है।

पिछले दिनों पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काफी पहाड़ों में वन लगाने के लिये पहाड़ों का आरक्षण कर लिया गया जिससे गांवों में किसानों को कुआं व हौद बनाने के लिए पत्थर बाहर से लाने पड़ते हैं। अनोपपुरा पंचायत से सड़क निर्माण हो या स्कूल भवन का निर्माण हो, पत्थर व मोर्हरम हाथलेवा से लाना पड़ता है जिसकी दूरी 22 किलोमीटर पड़ती है। इसी तरह से खल्लीपुरा, देवपुरा, जालसु, बरना, रायथल सिरसली, जाहोता, रामपुरा, जयरामपुरा आदि कई पंचायतों के किसानों को पत्थर 20-25 किलोमीटर की दूरी से लाने पड़ते हैं। मेरा वन मंत्रीजी से आग्रह है कि किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जलोई का पहाड़, मोहन बाड़ी का पहाड़, मानपुरा पाचेडी का पहाड़, हरमाडा में विशनगढ़ का पहाड़ खनन कार्य हेतु खुलवाने की कार्यवाही कराएं। आमेर विधान सभा क्षेत्र जयपुर शहर के तीन तरफ बसा हुआ है तथा जयपुर शहर को सब्जी, दूध आदि जैसे महत्वपूर्ण मानव उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है।

अतः आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सड़क निर्माण महंगा नहीं पड़े इसलिए खनन कार्य हेतु पहाड़ों को वन विभाग से मुक्त कराने का श्रम करें। अवर्गीकृत वन जो जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित किया गया है, उसे वन क्षेत्र से मुक्त कराया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रावत।

कोटपूतली तहसील की जिले में क्रमोन्नति

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत लोक महत्व के तथ्यों पर सदन में चर्चा हेतु कोटपूतली तहसील को जिला नहीं बनाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मैं सदन व सरकार के समक्ष निम्न लोक महत्व के तथ्य सदन में विचारार्थ पेश कर रहा हूं।

कोटपूतली तहसील काफी आबादी वाली तहसील है। यह इलाका बहरोड मानपुर, नीम का थाना, शाहपुरा, विराट नगर तहसील के

(श्री रामचन्द्र रावत)

मध्य में लगता है। जयपुर शहर से 105 किलोमीटर दूर है। आने-जाने में काफी समय लगता है। मुकदमों आदि के लिए भी काफी दूर आना पड़ता है। कोटपूतली तहसील में इस समय एडीजे. कोर्ट है उप जिला मुख्यालय भी कोटपूतली में है। जिला परिवहन अधिकारी भी कोटपूतली में बैठता है। अस्पताल भी कोटपूतली का जिला स्तर का है। एडिशनल एस.पी. का कार्यालय है। जिला बनाने के सारे नार्म्स कोटपूतली तहसील पूरे करती है। भौगोलिक दृष्टि से भी कोटपूतली तहसील जिला बनने लायक है। रेवेन्यू भी कोटपूतली से काफी आता है।

सरकार से इस संदर्भ में मेरी मांग है कि तहसील कोटपूतली को जो उप जिला कार्यालय है, जिला कार्यालय घोषित करें और जिला कोटपूतली को करें। आज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या क्या प्रयास किये हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोटपूतली को जिला बनाने का विचार रखती है? इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान की जाए। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से........

श्री उपाध्यक्ष : बस, समाप्त।

श्री रामचन्द्र रावत : मुख्य मंत्रीजी से और उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली तहसील को जिला बनाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री कमल कोली।

हिण्डौन शहर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन शहर के गंदे तथा बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, हिण्डौन शहर की आबादी एक लाख से अधिक है तथा शहर के क्षेत्रफल में दिनों दिन तेजी से चारों तरफ वृद्धि हो रही है। शहर की भौगोलिक स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी है कि तीन दिशाओं में से बरसात का पानी शहर में प्रवेश करता है परन्तु निकास केवल एक ही दिशा में सम्भव है जिसके कारण शहर में पानी की काफी मात्रा एक साथ प्रवेश करती है और उचित जल निकास सिस्टम के अभाव में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुकानों में पानी भर जाता है, फलस्वरूप काफी सामान खराब हो जाता है, खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है और कई प्रकार के रोग फैलने लगते हैं।

पानी के सड़कों पर बहने के कारण सड़कें हर वर्ष नष्ट हो जाती हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष ठीक कराना राज्य सरकार के लिये काफी खर्चीला साबित होता है और आवागमन पूरे साल बाधित बना रहता है। अभी कुछ दिनों पहले हिण्डौन में पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है जिससे इसकी गम्भीरता को समझा जा सकता है।

महोदय, इस समस्या के समाधान के लिए शहर की जल-निकास की व्यवस्था को

(श्री कमल)

सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। अतः सरकार से विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए निवेदन है कि शीघ्र ही एक जल निकास की विस्तृत एवं पूर्ण योजना बनाएं, जिससे शहर साफ-सुथरा तथा स्वस्थ रह सके और बाढ़ के कारण होने वाले लाखों के नुकसान से बचाया जा सके।

इस योजना को कार्य रूप देने में हिण्डौन नगरपालिका सक्षम नहीं हो सकेगी, अतः शीघ्र हिण्डौन में यू.आई.टी. की स्थापना करके कार्य शीघ्रता एवं ठीक प्रकार से कराने की व्यवस्था करें और हिण्डौन पर चले आ रहे बहुत पुराने श्राप से मुक्ति दिलावें। इसके लिए हिण्डौन शहर सरकार का सदा ऋणी रहेगा। साथ ही हिण्डौन शहर तथा जिन गांवों में बाढ़ से नुकसान हुआ है, उनके सभी प्रभावित व्यक्तियों को समुचित मुआवजा राशि दिलाने की सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम।

छोलिया ग्राम, श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत संचार की पुनर्स्थापना

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के ग्राम धोलिया, ग्राम पंचायत उदरासर में 1987 में ग्राम धोलिया का विद्युतीकरण हो गया था। पोल एवं तार खींचकर ट्रांसफार्मर आदि लगाकर विद्युत संचार किया जा चुका था लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस ग्राम धोलिया में विद्युतीकरण होते ही उसी वर्ष तूफान से तीन-चार पोल गिर कर टूट गये थे। सम्बन्धित विभाग ने आज तक न तो वो पोल ठीक किये हैं, न ही वहां पर विद्युत संचार चालू है। चूरू जिले में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय भी है। अधिशासी अभियन्ता का भी कार्यालय रतनगढ़ में है। बार-बार अधिकारियों को कहने व लिखने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं। विद्युत नहीं होने से भी हालात् ज्यों के त्यों हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं होने से आटा चक्कियां भी बंद पड़ी हैं। विद्युत के अभाव में पानी के लिए भी हाहाकार हो रहा है। विद्युत के अभाव से ही सरकारी ट्यूबवैल को डीजल इंजन से चलाया जा रहा है जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

अतः तुरन्त ग्राम धोलिया के पोल ठीक करवाकर तार खींचकर विद्युत संचार चालू किया जाए ताकि आम जनता को होने वाली त्राहि-त्राहि से मुक्ति पायी जा सके, आशा है कि आप सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करने का श्रम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनारामजी ने जो प्रश्न उठाया है वह तो महत्वपूर्ण है ही, इसकी तो मैं तुरन्त व्यवस्था करता ही हूं, साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह एक गांव की समस्या नहीं है, ऐसे बहुत से गांव हैं जो विद्युतीकृत हो गये हैं लेकिन अभी वहां तक कनेक्शन नहीं मिले हैं या वहां पर अभी बिजली बोर्ड द्वारा पेयजल को या उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस प्रकार के जो सारे गांव थे, उनकी सूची मंगायी है। उनमें कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जो पहले दूसरे गांव में शामिल थे, लेकिन अब रेवेन्यू विलेज दूसरा बन जाने के कारण से वे गांव रह गये हैं। मैंने पहले भी विधान सभा में कहा था। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर जिन गांवों को इलेक्ट्रिफाई घोषित किया जा चुका है, उनके ट्रांसफार्मर गांव की बस्ती के बीच तक ले जाएं.......(व्यवधान) और जिन लोगों को कनेक्शन देने हैं, उनको दें। मैं उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी कर रहा हूं और इस प्रकार का एक सैल भी बना रहा हूं यहां स्टेट लेवल पर। जो गांव इलेक्ट्रिफाई घोषित हो चुके हैं, जहां तक तार जा चुके हैं, जहां पर कनेक्शन नहीं मिले हैं, उनको तीन महीने के अन्दर-अन्दर कार्यवाही करके किये जाएं अधिकारी इस सम्बन्ध में, उनके लिए मैटीरियल की व्यवस्था करेंगे, सामान की व्यवस्था करेंगे। सारी व्यवस्था करने के बाद में यदि अधिकारियों की कोताही के कारण से काम पूरा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करने का अधिकार है। यह मैं सदन को सूचित करता चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय का उपयोग, इस अवसर का उपयोग मंत्री महोदय ने अपनी योजना, अपनी स्कीम बताने के काम में लिया है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में जिन गांवों को.....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : दुर्भाग्य यह है कि उनको बहुत देर से मंत्री बनाया गया है, तीन महीने के लिए.....(व्यवधान).....

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कोई नई घोषणा करने जा रहे हैं, बगैर सूचित किये ही। पांच साल से जो गांव इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं, उनका क्या होगा ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो आदेश दिये हैं, वे ऐसी व्यवस्था करें कि अधिकारी आपकी बात मानें। जो आपके पहले कौशल साहब मंत्री थे.....(व्यवधान).....

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने योजना बनायी है, ऐसे टाइम पर कौन आपके आदेश मानेगा? (व्यवधान) व्यवस्था यह रही है कि मंत्रीजी से कभी भी.....(व्यवधान)..... कह रहा हूं लेकिन यह आदेश....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : वे भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारियों ने (व्यवधान)

Page No. 69

(69)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चार-चार, पांच-पांच माननीय सदस्य एक साथ बोलते हैं, उससे व्यवस्था ठीक नहीं बनती। माननीय मंत्री महोदय ने जो व्यवस्था की है, गांवों के लिये, किसानों के लिये, उससे क्या आपको एतराज है ? तो फिर इसमें बात क्या है ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एतराज नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी पहले मंत्री महोदय कौशल साहब थे.....

श्री हीरालाल विश्नोई : हम उनको यह सुझाव दे रहे हैं कि पिछले पांच साल से.....(व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या तरीका है ?

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उन्होंने भी आदेश दिये थे लेकिन तिवाड़ीजी मैं आपको बताऊं कि किसी अधिकारी ने कौशल साहब की बात नहीं मानी और बिजली गांवों के अन्दर नहीं पहुंची है तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि अधिकारी आपकी टाइम बाउण्ड बात है, उसको मानें और उसको मानकर..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये मेरी बात। यह 295 का जवाब दिया है माननीय मंत्रीजी ने। आपके सवालों का जवाब देने के लिये बाध्य नहीं है मंत्री महोदय। कृपया बिराजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं, वे कहना चाह रहे हैं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल। नहीं, यह गलत परम्परा हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान) आप बिराजें विश्नोई जी, कृपया बिराजें। (व्यवधान) हां, हम करवा देंगे। वह प्रयास कर रहे हैं। बिजली पर बहस करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप बिराजें। श्री हरिश्चन्द्र जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय......(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सूचना है ?

श्रीमती सूर्याकन्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से पापूपुरा बस्ती के अनुसूचित जनजाति के लोग विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के औसियां से आने वाले विधायक ने उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया है, उनकी जमीन खाली कराने के लिए किया है और वह बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है, यह बिलकुल गलत आरोप है और इस तरीके के आरोप को यहां पर एक्सपंज किया जाना चाहिये। आप नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को और उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि उनकी व्यवस्था, करें। उनको न्याय दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अनुसूचित जाति की बातें करने वाले लोग।.........

श्री रामनारायण चौधरी : क्या दुर्व्यवहार किया है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो यह आए हैं, षड्यन्त्र करके यहां पर कुछ लोगों को लाया गया है और कांग्रेस विधायक पर असत्य आरोप है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : लाए गए नहीं, आए गए हैं। लाए नहीं गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको न्याय दिलवाइये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या इन्होंने नोटिस दिया है? क्या इन्होंने नोटिस दिया है आरोप लगाने का ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य के लिए?......... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : नोटिस दिया है क्या आपने और भाटीजी के ऊपर वार हुआ है वो.........(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अनुसूचित जनजाति के लोगों की वकालत तो करते हो अब जब उनके साथ अन्याय हो रहा है.........(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : ताराजी, हाथ लम्बे-लम्बे करके बात कर रही हो......... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : राजनीति से प्रेरित होकर बिना नोटिस के आरोप लगाते हैं। उनके सिर में पन्द्रह टांके आए हैं। पन्द्रह टांके आए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह + + + थोड़े ही है। यह बोलने का क्या तरीका है आपका? उपाध्यक्ष बनने के ख्वाब देख रही हैं आप....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह बहुत गन्दी राजनीति से प्रेरित होकर बिना नोटिस दिए हुए ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य, जो हमारे साथी हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। यह पूरी तरह से निन्दनीय है.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हजारों लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भील और नाइकों पर इस प्रकार के राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया व्यवहार बड़ा घृणित है, इनको नियन्त्रित करवाने का प्रयत्न करवाएं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी आरोप बिना नोटिस दिए किसी भी सम्माननीय सदस्य के खिलाफ.....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : महिलाओं को इस तरह से बात करना अच्छा लगता है क्या? ताराजी, कुछ तो संयम रखो। कुछ तो संयम रखा करो। (व्यवधान) महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है ऐसे हाथ लम्बे कर-करके बोलना.....(व्यवधान) अपन कोई बाहर सड़क की महिलाएं थोड़े ही हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में हरिजन समाज के लोग यहां तक पहुंचे हैं.....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : थोड़ी-सी शालीनता बरतनी चाहिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय के माध्यम से उनको आश्वासित किया जाए कि उनकी रक्षा की जाएगी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं वह, सुनिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके माध्यम से इस मामले में उठाना चाहता हूं और सदन.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिए। श्री रावत जी, सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है और यह नियमों में भी उल्लेख है कि कोई माननीय सदस्य इस सदन के किसी माननीय सदस्य के खिलाफ न तो कोई आरोप लगाएगा और न उन आरोपों को लेकर बाहर कोई प्रदर्शन करवाएगा। राजस्थान के इतिहास में यह पहला दिन है जब एक माननीय सदस्य के खिलाफ माननीय सदस्य ने ही बाहर प्रदर्शन का आयोजन करवाया। यह पहला उदाहरण है। यह बड़ी दुःखदायी और साथ ही खेदजनक बात है। (व्यवधान) सुनिए तो सही आप। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप यह मत कहिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तो आपको ही बोलने का अधिकार है क्या? आप ही बोलेंगी और किसी को नहीं बोलने देंगी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : यहां सब जन प्रतिनिधि बिराजते हैं और हर जन प्रतिनिधि को जनता की बात कहने का पहला अधिकार है। इसी के तहत सदन के अन्दर यह विषय आया है और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय के माध्यम से उस गरीब जनता को, हरिजन वर्ग को आश्वस्त किया जाए कि उनकी रक्षा की जाएगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय रामनारायण जी ने यह बात कही कि बगैर नोटिस दिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। कल राजेन्द्रजी, परसादीलालजी, नुवाल साहब पर बगैर नोटिस दिए आरोप लगा रहे थे तो यह तो बगैर नोटिस दिए आरोप लगा सकते हैं। मर्जी आए सो कह सकते हैं विधायक के खिलाफ। ऐसे कैसे चलेगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। बैठिए। कृपया बिराजें। (व्यवधान) बैठिए आप। आप बिराजें तो सही। माननीय सूर्यकान्ता जी व्यास ने किसी माननीय सदस्य के बारे में अगर.....(व्यवधान) एक मिनट (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ कहा। नाम लेना गुनाह नहीं है। सूचना जो दी है उसमें अगर कोई आरोप वाली बात होगी तो मैं देख लूंगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने सिर्फ सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो मैं कब कह रहा हूं कि आपने आरोप लगाया है। मैं कहां कह रहा हूं। श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लवील।

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के कस्बा वजीरपुर में सब तहसील की स्थापना

श्री हरिश्चन्द्र पल्लवील (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि आपने सवाई माधोपुर जिले के दो हिस्से करते हुए एक करौली जिला अलग से बना दिया लेकिन वजीरपुर व आसपास के करीब पैंतीस ग्रामों की अस्सी हजार से अधिक जनता की भावना थी कि हमें करौली जिले में सम्मिलित कर लिया जावे क्योंकि वजीरपुर से करौली की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है जबकि जिला सवाईमाधोपुर मुख्यालय 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है।

गंगापुर तहसील को सवाईमाधोपुर जिले में ही रखने के कारण तहसील के दो टुकड़े करना उचित नहीं समझा इसलिए वजीरपुर क्षेत्र को भी जिला सवाईमाधोपुर में ही रखा गया। वजीरपुर की जनता की भावना का कुठाराघात किया। वजीरपुर व आसपास के ग्रामों की जनता का एक प्रतिनिधिमण्डल व स्वयं मैं माननीय राजस्व मंत्री से मिला एवं उनको ज्ञापन दिया कि वजीरपुर व आसपास की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सब तहसील वजीरपुर में स्थापित करने के आदेश प्रदान करें।

आदरणीय महोदय, आजादी के पूर्व गंगापुर तहसील व उपखण्ड जयपुर रियासत के अधीन था। जयपुर रियासत ने गंगापुर में तहसील व ग्राम वजीरपुर में उप तहसील कायम कर रखी थी। लेकिन आजादी के पश्चात् वजीरपुर की सब तहसील को तोड़ दिया व गंगापुर में ही नायब तहसीलदार की पोस्ट कायम कर दी गयी।

माननीय, कस्बा ग्राम वजीरपुर की आबादी आज पन्द्रह हजार के लगभग है। जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण व आस-पास के चारों तरफ के ग्रामों की वजीरपुर से दूरी मात्र तीन किलोमीटर से पन्द्रह किलोमीटर के तीस से पैंतीस ग्राम लाभान्वित हो सकेंगे। राजस्थान सरकार ने जनता को राहत दिलवाने हेतु अपने निम्न विभागों के कार्यालय भी स्थापित करवाये, जो निम्न प्रकार हैं—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय।

(3) सिंचाई विभाग का कनिष्ठ मुख्यालय।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लवील)

(4) पुलिस थाना वजीरपुर एवं इसके अन्तर्गत पुलिस चौकी ग्राम खण्डीय।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वजीरपुर।

(6) सीनियर माध्यमिक विद्यालय।

(7) माध्यमिक कन्या विद्यालय।

ग्राम वजीरपुर गंगापुर -हिण्डौन मुख्य सड़क पर स्थित है। गंगापुर तहसील में 48 पटवार सर्किल हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि जैसा कि आपने सब तहसीलों को स्थापित करने का बजट में प्रावधान रखा है। वजीरपुर की महत्वता व जनता की भावना का ध्यान रखते हुए आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सब तहसील ग्राम वजीरपुर को तोहफे के रूप में प्रदान करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा। पढ़ना शुरू कीजिये आप। कृपया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहें। माननीय सदस्य।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति में आरक्षण

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमाधारी) से सहायक अभियन्ता पद पर विभागीय पदोन्नति वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत 365 पदों पर की जा रही पदोन्नति में पूरा आरक्षण लाभ देने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त महासंघ को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमाधारी) से सहायक अभियन्ता के 365 पदों की पदोन्नति वर्ष 1996-97 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 25-6-98 को आयोजित की गयी थी और आगे की प्रक्रिया जारी है। परन्तु उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षित 130 पदों का पूरा लाभ नहीं दिया गया है। अतः संघ.........

श्री उपाध्यक्ष : यह संघ क्या है? वाट इज संघ? यह आप अपनी तरफ से कह रहे हैं न?

श्री हीरालाल मीणा : अतः संघ निवेदन करता है कि राज्य सरकार अपने वायदे। आरक्षित वर्ग को आरक्षण जारी रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार अच्छे से अच्छा वकील भी देने को तैयार है। के अनुसार आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा करने हेतु निम्नानुसार विभाग से पालन कराने की कार्यवाही करावें: —

(1) वर्ष 1996-97 के लिए स्वीकृत 365 पदों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों क्रमशः 71 व 59 कुल 130 को सम्बन्धित संवर्ग से भरा जावे। विभाग में केवल 84 पदों पर ही आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों की पदोन्नति करने की प्रक्रिया जारी है। जबकि 130 पदों के विरुद्ध दिसम्बर, 1996 तक 121 नियमित कनिष्ठ अभियन्ता जिनकी सेवा व अनुभव साढ़े नौ वर्ष से 25 वर्ष का है, उपलब्ध हैं। विस्तृत विवरण अनुसूची "अ" पर दिया गया है।

Page No. 74

74

(श्री हीरालाल मीणा)

(2) संयुक्त महासंघ कई बार श्रीमान् शासन सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से मौखिक एवं ज्ञापन के जरिये डी.पी.सी. हेतु संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने के पश्चात् ही पदोन्नति देने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु विभाग इस बारे में पूर्णतया उदासीन है। संलग्न अनुसूची "ब" तथा "स" के अनुसार विभाग द्वारा जारी सिविल सेवा लिस्ट 01-01-94 से करीब 40 कनिष्ठ अभिन्यता सेवानिवृत्त, मृतक, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और करीब 56 कनिष्ठ अभियन्ता उच्च शिक्षा यथा ए.एम.आई.ई. बी.ई. करके उच्च वेतन, डिग्री संवर्ग में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर चुके हैं परन्तु इनके नाम डिप्लोमा की वरिष्ठता सूची से हटाये नहीं गये और वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान 153 कनिष्ठ अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है परन्तु 1-1-94 को जारी सिविल सेवा लिस्ट से (40+56+153) कुल 249 कनिष्ठ अभियन्ता के नाम नहीं हटाये गये हैं। अतः नाम हटाकर ही डी.पी.सी. करायी जावे।

(3) 1996-97 के लिए स्वीकृत 365 पदों का पांच गुना यानि कि 1825 में 249 को आगे बढ़ाते हुए वैचारिक क्षेत्र 2074 तक आता है और 1-1-94 को जारी सिविल लिस्ट जो कि क्रमांक एक से 2068 तक है, के अन्तर्गत आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी कनिष्ठ अभियन्ता पदोन्नति के पात्र हैं। अतः यदि अनुभव में छूट आदि की आवश्यकता महसूस की जाती हो तो कार्मिक विभाग के आदेशानुसार अनुभव में छूट का लाभ देते हुए आरक्षित वर्ग के पदों को सम्बन्धित संवर्ग से ही भरा जाने की हिदायत प्रदान करावें। अनुसूची "अ" का अवलोकन भी करवाया जावे।

(4) वर्ष 1996-97 के लिए अन्य विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल (डिप्लोमाधारी) से सहायक अभियन्ता पदों हेतु आरक्षित वर्ग को पूरा लाभ देते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एवं नियुक्ति आदि प्रक्रिया लगभग 6 माह पूर्व पूर्ण हो चुकी है अतः सिंचाई विभाग में भी डी.पी.सी. से पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग को पूरा लाभ देते हुए शीघ्र जारी कराने की कार्यवाही कराकर महासंघ को अनुग्रहीत करें।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमानजी–(अनुपस्थित)। श्री भीमसेन चौधरी।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित काश्तकारों को भू-आबंटन

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री भीमसेन चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एम.एफ.एफ.आर. (महाजन फील्ड फायरिंग रेंज) के विस्थापितों को आबाद करने के उद्देश्य से भूदान बोर्ड, छत्तरगढ़ की जमीन अपने कब्जे में लेकर 290 विस्थापितों को 1986 में आबंटित की जिनमें से 94 काश्तकारों को कब्जा देकर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया। शेष 196 काश्तकारों को कब्जा दिया गया लेकिन जमाबंदी में इन्द्राज करने से पूर्व ही भूदान बोर्ड ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर के स्टे प्राप्त कर लिया। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भूदान बोर्ड के पक्ष में फैसला देने के कारण इन विस्तापितों के पुनः विस्थापित होने के खतरा पैदा हो गया है। राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर काश्तकारों के द्वारा इच्छित कृषि भूमि आबंटन की व्यवस्था करनी चाहिये, जो काश्तकार भूदान बोर्ड की कृषि भूमि रखना चाहें उन्हें बोर्ड की सहमति से अपनी आबंटित भूमि पर खातेदारी हक देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। आशा है सरकार इस समस्या का तत्काल समाधान करेगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनमोहन–(अनुपस्थित) । श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सांचौर तहसील में आज से सात दिन पहले एक सरपंच के साथ मारपीट हुई। उसने मेडिकल का 307 का मुकदमा दर्ज कराया है और 307 मेडिकल बोर्ड ने भी दिया है मगर अभी तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे जालौर जिले में इसी तरह से सांचौर में कोड़ गांव में एक चौधरी के लड़के की हत्या हुई, आज पांच दिन हो गये मगर आज दिन तक उसके मुलजिम नहीं पकड़े गये। इसी तरह से रानीवाड़ा में एक भील की निर्मम हत्या हुई, आज दिन तक उसका मुलजिम नहीं पकड़ा गया। एक मेघवाल की हत्या हुई, उसमें भी मुलजिम नहीं पकड़े गये। ऐसी स्थिति बनी हुई है आज वहां कानून और व्यवस्था की। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से अगर हमेशा मौतें होती रहेंगी और मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे जो जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट करते हैं, उनको भी अगर नहीं पकड़ा जायेगा तो जो वारदातें बढ़ती हैं वो दिनों दिन बढ़ती चली जायेंगी। जो मर्डर होता है उसको इस तरह से घुमा कर पुलिस वाले और वो आपस में मिल कर करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से मर गया। यह वारदातें कर के वहां के किसान, गरीब लोगों के साथ अन्याय होता रहा है हमेशा, आज दिन तक न्याय नहीं मिला है। सांचौर तहसील में जो डीवाई.एस.पी. बैठे हैं वे कहते हैं ऐसी तफतीश के अन्दर आपको कौनसी दफा लगानी है? इसमें 20 हजार रुपये दो यह दफा लगा देता हूं, 30 हजार दे दो तो यह दफा हटा देता हूं। इस तरह का काम चल रहा है और हमारे गृह मंत्रीजी आंखें मूंदे बैठे हैं। आप हमारे जालौर जिले की रिपोर्ट मंगवा कर देखें, कितनी मौतें हुई हैं, एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई है, एक भी गुनहगार आज दिन तक नहीं पकड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में वे कुछ जवाब दें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रानीवाड़ा का नाम लिया, मैं पूछना चाहूंगा कि कहां पर ऐसी मौत हुई? जरा मुझे बताएं ताकि मैं भी मेरी जानकारी रखूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक भील की मौत हुई है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : कहां पर, किस जगह पर?

श्री हीरालाल विश्नोई : मेरे को टेलीफोन पर जो सूचना मिली है, रानीवाड़ा में एक कम्पाउण्डर मेघवाल की हत्या हुई। एक भील की हत्या रानीवाड़ा पंचायत समिति में हुई है या नहीं? आप बताइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके टेलीफोन की सूचना है उनकी व्यक्तिगत सूचना सुन लीजिये। बिराजिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कोई नाम हो, किसी जगह का नाम हो, बिना मतलब हाउस का समय क्यों खराब करते हैं?

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : गृह मंत्रीजी से क्या मैं वहां का रहने वाला हूं, आपके पास नाम हो, गांव का नाम हो तो बताइये।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बता दीजिये कि क्या हत्या नहीं हुई?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : कहां हुई, यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप कह रहे हैं, तो कहां हुई, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : रानीवाड़ा तहसील के अन्दर हुई कि नहीं हुई है? यह बता दीजिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : कहां हुई, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बता दीजिये न नहीं हुई है तो.........(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : इंजीनियर के थप्पड़ मारी थी, वह गिरफ्तार हो गये क्या?

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बता दीजिये नहीं हुई क्या?.........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। कृपया बिराजें। श्री बनवारीलालजी बैरवा।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बता दीजिये नहीं हुई क्या?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : हां, नहीं हुई बिलकुल, कहां हुई, यही तो मैं आप से पूछ रहा हूं.........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : रानीवाड़ा में भील, एस.डी.ओ. कोर्ट में हजारों की तादाद में भील इकट्ठे हुए और आप कह रहे हो हत्या ही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया, आप बैठ जाएं।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है और मंत्री महोदय इस मामले को रफा-दफा कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस माध्यम से इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होती मगर यह बहुत गम्भीर मसला है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : आपने उस इंजीनियर के थप्पड़ मारी थी, वह गिरफ्तार हो गये क्या?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है..........(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : अलग से है तो यह तो पूछिये कि साहब, फलां आदमी है। टेलीफोन पर आ गयी इत्तला। कह दिया मर गया आदमी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अब यह काम मंत्रियों का थोड़े ही रह गया है। यह तो हमारे विधायकों का काम है। आपके विधायकों को पूछे कोई पूछे तो।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 30 जून और पहली जुलाई को निवाई क्षेत्र के अन्दर अतिवृष्टि हुई, बहुत वारिस हुई। वहां एक ग्राम मण्डारया है जो खिड़की पंचायत में है। वहां का एक हरिजन है नारायण, उसका लड़का है रामस्वरूप। ग्रेज्युएट लड़का था। उस दिन इत्तफाक से वह अपनी बकरियां लेकर खेत पर गया। दिन के दो बजे बिजली कड़की और उस लड़के के ऊपर गिरी। उसकी पांच-सात बकरियां थीं वह मर गयीं और वह लड़का भी मर गया। उसके घर के अन्दर बड़ा मातम मन रहा है। आज वे लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक सरकार की ओर से उसकी कोई सहायता नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहायता दिलायी जाए और गांव मण्डारया ऐसा गांव है कि जो चारों तरफ से नालों से घिरा हुआ है। उधर से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। लड़के की लाश को बड़ी मुश्किल से उठाकर लाया गया। चूंकि यहां पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक पुलिया का निर्माण करायें ताकि रास्ते की भी सुविधा हो जाए उस हरिजन को विशेष सुविधा प्रदान करायें और उनके घर के किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिलायें ताकि उनका जीवन-यापन हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में पिछले 8-9 वर्षों से लायन्स ग्रुप आफ कम्पनीज कार्यरत हैं। लायन्स फाइनेंस कारपोरेशन, लायन्स हाउसिंग फाइनेंस एण्ड लीजिंग कम्पनी लि., लायन्स हाउसिंग फाइनेंस

(श्री जगदीप धनखड़)

लिमिटेड, लायन्स म्युचुअल बेनिफिट्स लि. इन कम्पनियों ने मान्यवर, 8-9 साल पहले कार्य शुरू किया। राजस्थान में 100 से ज्यादा शाखाएं स्थापित कीं और हर महीने राज्य की गरीब जनता को लुभाकर डेढ़ करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। मान्यवर, अब स्थिति यह हो गयी है कि पिछले छः महीने से इस कम्पनी के प्रबन्ध में जो लोग थे, मैनेजमेंट के जो लोग थे वह तो पलायन कर गये और छः महीने से राज्य की गरीब जनता ने इस आधार पर इस कम्पनी के साथ लेनदारी रखी कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इसको स्वीकृति दे रखी है। नतीजा यह हुआ कि दिसम्बर, 1997 से जो भी मैच्योरिटी होगी, उसका क्लेम नहीं

(13.24 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

दिया जा रहा है और स्थिति यह है कि जब भी यहां के लोग पैसा खर्च करके इकट्ठे होकर लखनऊ में जाते हैं तो वहां पर उनको लिखित प्रतिवेदन दे देते हैं कि हम आपको दो महीने में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। माननीय सोनगराजी बतायेंगे उनकी जानकारी में है, शैलेन्द्रजी जोशी भी बतायेंगे। राजस्थान में 100 से ज्यादा जगह इस कम्पनी ने अपने दफ्तर स्थापित किये और अब राजस्थान के करीब 80 करोड़ रुपये इस कम्पनी के पास हैं। अब यह कम्पनी तो चली गयी। इस कम्पनी के मैनेजमेंट में जो व्यक्ति थे, आज से आठ साल पहले जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं थी आज के करोड़ों के मालिक हो गये हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य में इस कम्पनी की सम्पत्ति है। यदि समय रहते गरीब जनता को आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सर्टिफिकेशन को वो सामने रख देते हैं। उसको पूरी तरह प्रसारित कर देते हैं और ज्यादा पैसा इकट्ठा गरीब जनता से किया गया है।

किशनगढ़ में भी बहुत ज्यादा शाखाएं इन्होंने खोली हैं, बांदीकुई में खोली हैं, जोधपुर में हैं, अजमेर में हैं और कोटा की तरफ भी हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दायर करें। इनकी सम्पत्तियों को कुर्क करिये और यदि आवश्यकता हो तो कम्पनीज एक्ट के तहत लिक्विडेशन प्रोसीडिंग शुरू करिये। यह घोटाला किसी भी तरीके से एम्फोठ घोटाले से कम नहीं है। जब गरीब जनता पूरी तरह से लुट जायेगी, यह उम्मीद नहीं की जा सकती उस आदमी से जो हर महीने आश्वासन के आधार पर पैसा इकट्ठा करता है। कम्पनी ने दफ्तर खोल दिया। उसमें पैसा देता है। सोचता है कि मैच्योरिटी के ऊपर मुझे पैसा मिलेगा। पता लगा कि कम्पनी ही गायब हो गयी। तो ऐसी परिस्थिति में जयपुर में भी इस कम्पनी की प्रोपर्टी है। उस प्रोपर्टी को बेचने के लिए कम्पनी भरसक प्रयास कर रही है। जगह-जगह जो प्रोपर्टी है उनको कम्पनी बेच चुकी है। तो मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि तुरन्त आपराधिक मुकदमें दायर कर इन कम्पनियों के प्रबन्ध में जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जाए और उनकी प्रोपर्टी का कब्जा सरकार अपने हाथ में ले।

(श्री जगदीप धनखड़)

कम्पनीज एक्ट के तहत लिक्विडेटर अपाइन्ट कराइये ताकि कम से कम गरीब जनता को कुछ तो राहत मिल सके।

श्री सभापति : बता चुके हैं आप दो तीन दफा। माननीय श्रीमती कमला।

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्री, कुछ तो बोलिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इसी कम्पनी द्वारा करोड़ों रुपया जनता से ले लिया गया है।

श्री सभापति : हो गयी बात। आपने नहीं दिया नोटिस। इन्होंने दे दिया बात हो गयी।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले अनेक वर्षों से इस मुद्दे को उठा रही हूं लेकिन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था करने का प्रयत्न नहीं किया गया न कोई योजना बनायी गयी जिसके कारण मेरे क्षेत्र बैराठ के मनोहरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर और उनके आसपास के जो सब्जी उत्पादक काश्तकार हैं वे बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और उनका शोषण भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। जितनी भी सब्जी इस क्षेत्र में पैदा हो रही है वह अपने आप में एक रिकार्ड है जो पिछले पांच-सात वर्षों से काश्तकारों ने तैयार किया है लेकिन अलवर की रोड पर जब आप भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मनोहपुर से लेकर विराटनगर तक काश्तकार अपनी छोटी-छोटी टोकरियों में सब्जियों को लेकर सुबह से शाम तक सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। गर्मी में, बरसात में भी बैठे रहते हैं और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहां उनकी सब्जी उत्पादन का संरक्षण किया जाए। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, ग्रेडिंग की व्यवस्था हो और पैकिंग की व्यवस्था हो। कृषि विपणन बोर्ड बहुत बार अखबारों में निकाल रहा है कि हमने इतने टन सब्जियां बाहर विपणन करने के लिए भेजी। कहां से भेजी? जो काश्तकार आज सब्जी मण्डी में अपनी सब्जियां लेकर आ रहे हैं वहां से आपने सब्जियां लेकर विपणन के लिए भेज दीं लेकिन जो काश्तकार आज अपने खेत से उत्पादन करके, मेहनत करके इस स्टेट के अन्दर सब्जियां पैदा कर रहा है, वह उन ठेकेदारों के शोषण से पीड़ित है जो या तो दिल्ली से ट्रक लेकर आ जाते हैं या देश के किसी बड़े स्थान से उठकर आ जाते हैं और इन काश्तकारों से मनमाने दाम पर मामूली सा पैसा देकर ले जाते हैं और वही ठेकेदार दिल्ली और अन्य स्थानों पर इनका ग्रेडिंग करके पैंकिंग करके विदेशों में उनका विपणन कर रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। इन काश्तकारों की यह हालत है इनको गर्मी में, बरसात में बैठने के लिए कृषि विपणन बोर्ड या राज्य सरकार की तरफ से किसी शेड की व्यवस्था नहीं की जा रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से कृषि विभाग को, कृषि विपणन बोर्ड को खास तौर से और जो भी संस्थाएं हैं, आपकी जो सहकारिता की मार्केटिंग सोसायटीज हैं उनके माध्यम से भी आप इस काम को कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती हूं कि

(श्रीमती कमला)

शाहपुरा कृषि सहकारी समिति के पास मकान है और उन्होंने योजना भी बनाकर भेजी है, मैंने भिजवायी कि किसी तरह से ये नहीं सुनें तो उनके माध्यम से करवायें। वह सारी की सारी योजना क्या प्रस्तावित होकर आयी कि 90 प्रतिशत तो आप दीजिये और 10 प्रतिशत हम देंगे। तो इतनी काश्तकार के लिये कहां सुविधा है और कहां क्षमता है कि वह आपकी सारी योजना को, सारी परियोजनाओं को सम्पादित करने के लिए अपने पास से खर्च करे। यह एक बहुत बड़ा मसला है जिसको मैं कृषि विभाग की मांगों के वक्त भी उठाती रही हूं और आज विशेष तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए उठा रही हूं। तो मेहरबानी करके चाहे कृषि विपणन विभाग करे, निदेशालय करे, चाहे कृषि विभाग करे लेकिन इन काश्तकारों को सुविधा दी जाए जिससे कि वह समय पर पैदावार होकर आती है तो वह पैरिसेवल होती है चाहे वह सब्जियां हैं, चाहे टमाटर है चाहे और कोई सामान है वह सारा का सारा पैरिसेवल है। इसलिए वह स्टोर करके उसको अपने घर में भी रख सकते। इसलिए कभी-कभी तो आठ-आठ आने किलो में ले जाते हैं और कभी मौसम होता है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो इतना एक्सप्लोइटेशन काश्तकारों का हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में काश्तकार सड़कों के ऊपर अपनी टोकरियां लेकर बेतुके मौसम में भी बैठे रहते हैं। उनका कोई न कोई संरक्षण सरकार को करना चाहिए जल्दी से जल्दी वहां पर कोल्ड स्टोरेज का, ग्रेडिंग का और पैकिंग का परिसर बनवाइये जिसके कारण से दोनों तहसील मुख्यालयों शाहपुरा और विराटनगर पर और आज एक खुला मैदान मनोहरपुर के अन्दर लग रहा है लेकिन वहां भी बाहर के ठेकेदार आकर उनका उसी तरह का शोषण करके ले जा रहे हैं। इन तीनों स्थानों पर आप इस तरह की व्यवस्था कायम करें जिससे काश्तकारों का शोषण रुके और जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उनको उनकी अच्छी कीमत मिले और विपणन ठेकेदार न करके अगर काश्तकार खुद अपनी हैसियत से, अपने स्तर से, राज्य सरकार के सहयोग से कर सकें यह मेरा आपसे निवेदन है और उम्मीद करती हूं कि आप इस महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान देंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स सारे स्टेट में जगह जगह पर कायम करें जहां कृषि सब्जियों का अधिक उत्पादन हो रहा है, फलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है या फूलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है जिससे कि काश्तकार को संरक्षण मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा शहर में, कोटा नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है और शायद उसी कमी को देखते हुए आपने 250 पद नये सृजित किये थे, 250 पदों को सृजित करने में आपने जो कंजूसी बरती उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस शहर में कम से कम दो हजार सफाई कर्मचारियों की आज अत्यन्त आवश्यकता है।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जो 250 पद आपने वहां पर सृजित किये, हालत उनकी यह है कि बीस हजार दरख्वास्तें वहां पर आयीं और उन बीस हजार दरख्वास्तों के ऊपर दो लाख रुपये तो नगर निगम के पास पोस्टल आर्डर के आ गये और जितने भी प्रार्थी थे, दरख्वास्ती थे उनका तीन तीन सौ रुपया, चार-चार सौ रुपया एक आदमी का खर्च हुआ है। इस बात को भी आज छह महीने हो गये। न किसी को नौकरी मिल पा रही और न ही सफाई व्यवस्था शहर की सुधर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, से स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह निवेदन है कि वहां पर पद और सृजित करें और नगर निगम को यह आदेश देवें कि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाकर शहर की सफाई पर ध्यान दे और लगन से वहां की सफाई का काम करें।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, जयपुर में जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक उद्योग है। जो बहुत ही प्रतिष्ठा का उद्योग है और बहुत ही आवश्यक सामग्री का उत्पादन करता है। माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए भी ज्यादा महत्व का है कि इसमें जितने भी कर्मचारी मजदूर हैं उनके वेजेज उत्पादकता से लिंक है। जितना अधिक उत्पादन होता है उसी हिसाब से उनके वेजेज दिये जाते हैं। दूसरा, इसमें उनकी प्रशासन में, मैनेजमेंट में भी भागीदारी है और साठ चालीस का रेशों है। इस प्रकार का एक आदर्श उद्योग हमारे यहां जयपुर शहर में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बैलेन्स शीट शो करती है कि 1987-88 से 1995-96 तक लगातार इस उद्योग ने पैसा कमाया है, मुनाफा कमाया है और बराबर डिविडेंट डिक्लियर करते आ रहे हैं। पिछले दिनों सभापति जी, हुआ क्या कि राज्य सरकार का भी इसमें रुपया है और राज्य सरकार ने इस उद्योग में दखल किया। अपने प्रशासनिक अधिकारी इसके प्रशासन में लगा दिये और उन अधिकारियों ने इस उद्योग का शोषण करना शुरू कर दिया। आज इसकी स्थिति यह है कि यह विघटन के कगार पर है, दीवालियेपन के कगार पर है। सिर्फ राज्य के अधिकारी जो वहां लगाये गये हैं उनकी अकर्मण्यता के, उनके शोषण के कारण यह उद्योग डूब रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि इस उद्योग में आपका बहुत रुपया लगा है, उपयोगी उद्योग है, इस उद्योग को डूबने से बचाइये। जिसमें लगातार मुनाफा हो रहा था, पिछले दो साल में क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से उद्योग डूब रहा है? इसमें अनावश्यक माल खरीदा गया.........

श्री सभापति : इसमें विवरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं खर्चा बता रहा हूं। चूंकि यह मामला कल भी आया था।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विधान सभा में पहली बार हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अंधेरा हो रहा है, अंधेरा।

श्री सभापति : कृपया आर्डर बनाये रखिये, बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : राज्य सरकार को समय रहते इस विभाग की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसमें जो धन लगा हुआ है उसको बचाने के लिए हजारों मजदूर जो इसमें लगे हुए हैं उनके भाग्य को देखते हुए इस उद्योग को बचाया जाय और जो प्रशासनिक अधिकारी वहां लगाये गये हैं जिनकी अकर्मण्यता के कारण यह उद्योग डूब रहा है उनको हटाकर अच्छा प्रबन्ध किया जाय ताकि राज्य सरकार का रुपया नहीं डूब पाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोर अंधकार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से.........(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है ? लाइट चली गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय की प्रतीक्षा के बाद राजस्थान के कर्मचारियों पर पांचवां वेतन आयोग लागू हुआ है। यह पांचवां वेतन आयोग जब कर्मचारियों पर लागू हुआ तो महासंघों के साथ सरकार ने एक समझौता किया लेकिन समझौते के अनुसार शिक्षकों के साथ जो वेतनमान घोषित किये गये उन वेतनमानों में अन्तर रहा क्योंकि राजस्थान सरकार ने केन्द्र के समान वेतनमान देने की बात इन समझौतों में कही और जो लाभ राजस्थान के कर्मचारियों को मिल रहे थे वह लाभ भी कर्मचारियों को देने की बात कही लेकिन शिक्षकों पर लागू नहीं होने के कारण शिक्षकों में असन्तोष पैदा हुआ और शिक्षकों ने हड़ताल की। छात्रों को उससे बहुत नुकसान हुआ। परीक्षाओं का बहिष्कार हुआ। मैं राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए कमेटी बनायी गयी और उस कमेटी की घोषणा के साथ शिक्षकों का वेतनमान तय करना था लेकिन आज तक उसकी घोषणा नहीं की गई और शिक्षकों में फिर असन्तोष पैदा हो रहा है। शिक्षक आन्दोलन की तरफ फिर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले परीक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ था और अभी केवल पढ़ाई चालू हुई है और शिक्षक अगर फिर आन्दोलित होंगे तो यह बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ राज्य सरकार को देना है उसकी घोषणा करें।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दूसरा, सभापति महोदय,.........

श्री सभापति : इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होती है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो अन्य संगठन हैं वह भी आन्दोलित हो रहे हैं। इसलिए राजस्थान के कर्मचारियों के साथ

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजस्थान सरकार को संवाद करना चाहिये ताकि राजस्थान में जो कर्मचारी हैं वह सन्तुष्ट हो सकें। यह आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, संयोग से मैं भी उसी बिन्दु पर अपनी बात कहना चाहता हूं लेकिन मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सनाढ्य साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षक वर्ग जो उद्वेलित है उसमें जो समझौता आपने करवाया उसको आप अपनी सरकार से ही लागू नहीं करवा रहे हैं। यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। जिस प्रकार से शिक्षक वर्ग राजस्थान में उद्वेलित हुआ था, मेरे ख्याल से पूरे देश के अन्दर अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। सभापति महोदय, पहले तो सरकार ने ऐसे वक्त पर जबकि पूरे प्रदेश में बालकों की शिक्षा हो रही थी उस वक्त इस आन्दोलन को लटकाये रखा और जब उनको उनसे समझौता करना था तो जिन शर्तों पर उन्होंने समझौता बाद में किया उन शर्तों पर समझौता अगर वह पहले कर लेते तो मेरे ख्याल से वह परिस्थितियां पैदा नहीं होती जो राजस्थान में हुईं। बालकों की शिक्षा के वक्त में जिस प्रकार से दूसरे विभागों का उपयोग किया गया और एक गलत परम्परा पड़ी और गलत प्रकार से परीक्षाएं हुई, यह भी अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर सरकार और संगठनों के बीच में कुछ समझौते हुए, सरकार ने आज तक भी उन समझौतों को लागू नहीं किया है। पहले तो यह बताया जाय कि वह समझौते क्या थे......... और सरकार की ऐसी क्या कमजोरी है कि सरकार ने आज तक इस समझौते को लागू करने के लिए आदेश प्रसारित नहीं किये। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं कि शिक्षक वर्ग आज उद्वेलित है। शिक्षक वर्ग जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का करीब-करीब 40 प्रतिशत है। ढाई लाख से पौने तीन लाख के बीच में जिनकी संख्या है उनको आप फिर मौका दे रहे हैं उद्वेलित करने का और एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। वह नाराज होंगे, असंतुष्ट होंगे, वापस सड़कों पर आएंगे और उसके बाद में आप जाकर वापस पुचकारेंगे इससे आपकी आथोरिटी का.........

श्री सभापति : You have made your point, sir.

माननीय श्रीमती बीना काक।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इसलिये कृपा करके सरकार और माननीय वित्त मंत्रीजी, कहीं पर भी बैठे हों वह इस विषय के ऊपर गंभीरता से सोचें और जो.....

श्री सभापति : थैंक यू।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने समझौता किया है उसको लागू करें। शिक्षकों की जो उन दिनों हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के वक्त का जो पीरियड था, उस पीरियड के लिये उन्होंने क्या निर्णय लिया है। उस पीरियड की भी वह तनख्वाह दे रहे हैं, नहीं दे

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

रहे हैं शिक्षक वर्ग के असंतोष को हमको पैदा नहीं होने देना चाहिये।

श्री सभापति : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन सेवा संघ और राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के, राजस्थान के समस्त सदस्य सामूहिक अवकाश पर हैं। उनकी काफी समस्याएं हैं। उनके वेतनामानों और उनके भत्तों को लेकर। तो मैं कुछ पाइंट बताना चाहती थी कि परिवहन विभाग में उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिये निर्धारित योग्यता तीन वर्षीय मेकेनिकल डिप्लोमा है परन्तु नये वेतनमान में उनकी वेतन श्रृंखला मात्र 3500 से लेकर 4900 है मंत्री महोदय, जबकि राज्य के अन्य महकमों में इसी योग्यताधारी के, चाहे वह आर. एस. ई. बी. है, पुलिस है, इन विभागों में 5000 से लेकर 8000 रुपये, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि 8000 रुपये है....(व्यवधान) अटेंशन प्लीज राज्य मंत्री महोदय।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप भी देख लीजिये जिस तरह से हम बीच में नहीं बोलते हैं आप भी हमारे बीच में मत बोला करो।

श्रीमती बीना काक : आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे लेकिन जब यह हाथ-हाथ लम्बे कर करके बोलती हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता।

श्रीमती तारा भण्डारी : हाथ तो लम्बे ही हैं आपको गिरफ्त में लेने के लिए।

श्री सभापति : कृपया सीधे बात नहीं करें आपस में।

श्रीमती बीना काक : मैं तो आपकी गिरफ्त में यूं ही हूं ताराजी, क्या बात कर रही हैं आप।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती काक समाप्त करें।

श्रीमती बीना काक : अभी शुरू ही नहीं किया, आप कह रहे हैं समाप्त करें।

श्री सभापति : आपको जहां बोलना चाहिये उस पर तो बोल नहीं रही हैं, बाकी बातों पर बात कर रही हैं तो समय तो जाया होगा।

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : अब आप फिर गिरफ्त से जा रही हैं।

श्रीमती बीना काक : अब इनको आप कुछ नहीं कहेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। घनश्यामजी के लिये सब दोष माफ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, चार सौ करोड़ रुपये इकट्ठे करते हैं रेवेन्यू और इन निरीक्षक, उप निरीक्षकों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस विभाग के उप निरीक्षक को परिवहन विभाग के निरीक्षक से भी अधिक वेतन मिलता है। परिवहन विभाग के उप निरीक्षक को पुलिस के सहायक ए.एस.आई. से भी कम वेतन मिलता है जबकि ट्रेफिक पुलिस के निरीक्षक को 6500 से लेकर 10,000 तक वेतन मिलवा

(श्रीमती बीना काक)

है। लेकिन जो परिवहन विभाग का निरीक्षक है उसे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं।

सभापति महोदय, डी.एल.ओ. लेबल के जिला परिवहन अधिकारी को मात्र 6,500 से 10,500 मिलता है जो पुलिस के निरीक्षक के बराबर है। जबकि नियुक्ति किये जाने के पूर्व यह वायदा किया गया था कि इन्हें आर.पी.एस. के बराबर वेतन दिये जाएंगे। अधिसूचना जारी की गयी थी। माननीय मंत्री महोदय यह कहां का न्याय है कि डी.टी.ओ. को पदोन्नति के समय केवल एक जम्प दिया जाता है जबकि अन्य सेवाओं में कम से कम तीन, चार बार इनको पदोन्नति दी जाती है। विभाग द्वारा और मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार को इनके वेतनमानों के सम्बन्ध में सिफारिश की गयी थी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि यह जो कमेटीज बनी थीं। चाहे वह सिसोदिया कमेटी, उनकी क्या रिकमडेशंस थी। अगर रिकमंडेशन कोई नहीं हैं आप कृपया इसके बारे में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए अन्य विभागों के लेवल पर जो आपके मातहत कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको आप क्या न्याय दिलाना चाहते हैं। थोड़ा सा मुझे आश्वासन दे दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र मीणा।

श्रीमती बीना काक : कहना चाह रहे हैं वह मंत्री महोदय..........

श्री सभापति : अब यह विषय एप्रोपियेशन बिल का है, न कि शून्य काल का। उस रोज आप विस्तार से बोलना। इस वक्त में मैंने माननीय महेन्द्र मीणा का नाम ले दिया है..........(व्यवधान) बिराजिये-बिराजिये। श्री महेन्द्र मीणा।

श्रीमती बीना काक : यह एक मिनट जवाब देना चाह रहे हैं साहब।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसपोर्ट में जो विसंगतियां हैं, इसी से संबंधित मेरा भी क्वेश्चन है..........(व्यवधान)

श्री सभापति : इनके बाद हैं आप।

श्रीमती बीना काक : मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : कि इस विभाग के अन्दर एस.सी., एस.टी. के जो लोग हैं उनका भी बैकलॉग पूरा नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय, इसके बारे में भी साथ-साथ जवाब दें दें। एस.टी. और एस.सी. के साथ जो इस विभाग के अन्दर घोर अनियमितता व्याप्त है। उनकी पदोन्नति के अन्दर, वेतनमानों के अन्दर जो भेदभाव किया जा रहा है आपके विभाग के द्वारा, उसका भी जवाब साथ-साथ दे दें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सभापति महोदय,—

श्री रामस्वरूप मीणा : कई बार शिकायत हुई है ऐसी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय सदस्या ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी वेतन की विसंगतियों को लेकर जो चर्चा की है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने परिवहन

Page No. 86

(86)

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

विभाग के कर्मचारियों की बातों को और इनके तर्कों को बड़े ध्यान से सुना है और हमने शीघ्र ही एक विशिष्ट कमेटी के गठन का निर्णय लिया है और उसमें इनकी सारी जो मांग है उन पर विस्तार से स्टेडी करके यह राज्य सरकार को अवगत कराएगी और तब जाकर हम शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन, एस.सी., एस.टी. के कर्मचारियों को लेकर सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह हमारा पहला विभाग है जिस विभाग में अधिकतर चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में एस.टी. का वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कम कमिश्नर मेरे यहां रहा और अब रोडवेज विभाग में एस.टी. के एक अधिकारी को चेयरमैन बनाया हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह की खामियां रही हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसकी भी स्टेडी कराके मैं माननीय सदस्य को और आप चाहो तो सदन को भी अवगत करा दूंगा।

श्री सभापति : श्री हरजीरामजी बुरडक।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अब क्या बोलूं जब ही टाइम.........

श्री सभापति : स्लिप आएगी तब ही तो बोलूंगा.........

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा भी यही सब्जेक्ट था उससे पहले मैं रख देता।

श्री सभापति : तो स्लिप आएगी तब ही तो बोलूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : स्लिप में लिखा हुआ क्या है। यही सब्जेक्ट है.........

श्री सभापति : नहीं, तो स्लिप तीन नीचे दबी हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने कहा था न कि मेरा इसी में है तो आप एक्सप्लेन कर लेने देते। अब मैं क्या कहूंगा।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट।

श्री सभापति : ठहरिये-ठहरिये, माननीय बुरडक बोल रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदय, आप जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट के हैड ने कभी का लिखकर दिया है कि यह वेतन विसंगति आप दूर करो। उसमें सबसे बड़े मजे की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आफिसर के कार्यालय में जो अकाउंट्स सर्विस के अधिकारी लगे हैं वह उनसे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। वह उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तनख्वाह उनसे ज्यादा ले रहे हैं। यह तथ्य आपके ध्यान में आपके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कभी के लेकर आए थे। अब आज जब आंदोलन की बात आयी, विधान सभा में मामला उठा, तब आप कह रहे हैं कि हम कमेटी की घोषणा कर रहे हैं। आज आपने इतने दिन तक उसकी घोषणा क्यों नहीं की ?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे सामने विभाग के कर्मचारियों ने यह बात रखी उसको हमने तत्परता के साथ सुना, सहानुभूतिपूर्वक सुना और उस पर हमने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है और यह कोई नयी बात नहीं है। इनके पे-स्केल के सम्बन्ध में जो विसंगतियां रही हैं, यह कोई आज से ही नहीं है। जब से इस विभाग का गठन हुआ तब से इन कर्मचारियों ने लगातार इस प्रकार की मांगें रखी हैं तो इस पर निर्णय विलम्ब से पहले भी रहा है, लेकिन हमने इसको तत्परता के साथ लिया है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे विश्व में राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम बहुत ही रोशन था। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम नीचे गिर गया, स्तर गिर गया। लेकिन आज एक और विचित्र बात हुई है स्तर तो गिरा है जो गिरा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का भवन ही गिर गया। भवन गिर गया, यह अखबार में फोटो भी आयी है। साफ लिखा हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं अन्य कई भवनों में टूट-फूट के कारण कर्मचारियों का बैठना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक भवन में आज छत से प्लास्टर कर्मचारी श्री मोहनलाल वर्मा के माथे पर आकर गिरा जिससे उनको गंभीर चोट आ गयी। भवन में आज दिन में डेढ़ बजे के करीब पुनर्मूल्यांकन किया गया तथा वहां के जो अभियन्ता हैं उन्होंने बताया कि यह भवन बैठने लायक नहीं है। जब तक इस भवन की मरम्मत नहीं करा दी जाती है, तब तक यहां पर किसी को बैठने नहीं दिया जायेगा। यह स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय में आ गयी है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी है.........

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री रामस्वरूप मीणा : भवन गिर गया राजस्थान विश्वविद्यालय का इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप राजस्थान विश्वविद्यालय के भवन की यह जो स्थिति हो गयी है, वहां छात्र बैठ नहीं सकते.....

श्री सभापति : बिराजिये। बात समझ में आ गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : कृपया इसको आप ठीक कराने की कोई व्यवस्था करें और सदन में घोषणा करें कि आप ठीक करायेंगे कि नहीं करायेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि.........

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में 1977 में डिग्री कालेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक 22 साल हो गये और इस समय विद्यार्थियों की संख्या 900 के करीब है। किन्तु अभी तक पी.जी. कालेज नहीं हुआ है। श्रीमन् मेरे बांदीकुई उपखण्ड में सिकराय, महुवा और बांदीकुई क्षेत्र आते हैं। किन्तु वर्तमान में पी.जी.क्लासेज चालू नहीं होने से इन तीनों तहसीलों के विद्यार्थियों को, सिकराय, महुवा और बांदीकुई क्षेत्र के विद्यार्थियों को या तो अलवर या दौसा, जयपुर आना पड़ता है और बहुत ही खर्चीली शिक्षा हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि बांदीकुई डिग्री कालेज में वर्तमान में कक्षाओं का आप और डवलपमेंट करें, कक्षाएं बढ़ायें ताकि विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ सके। दूसरा, अभी क्योंकि 900 विद्यार्थी हो गये हैं इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि पी.जी. क्लासेज खोलने की आज आप घोषणा करें जिससे की बांदीकुई क्षेत्र के लोगों को और विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन मोदी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने महाविद्यालय को स्नातक महाविद्यालय से स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने की मांग की है। मैं सौभाग्यशाली हूं इस बारे में कि जिस समय इस महाविद्यालय को बनाने का मौका आया था 1977 से 1980 के बीच उस समय यह श्रेय भी मुझे मिला था उसको बनाने का। मैं आपके माध्यम से माननीय बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि एक क्राइटेरिया तो यह है कि अगर जिला केन्द्र हो तो वहां पोस्ट ग्रेजुएट कालेज होना चाहिए निश्चित रूप से। दूसरा, अगर विद्यार्थियों की संख्या एक हजार या उससे ऊपर हो जाये किसी और दूसरे क्षेत्र में भी विशेषकर एस.डी.एम. क्षेत्र में तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाया जा सकता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अभी विद्यार्थियों की संख्या 900 है और उन्होंने इसके पहले भी मुझसे चर्चा की थी कि वहां विद्यार्थी और प्रवेश लेना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इलीजिबल विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएट क्लासेज में और आयेंगे तो निश्चित रूप से नये सैक्शन में दूंगा और अगर नये सैक्शन देने के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या एक हजार से ऊपर हो गयी तो इस महाविद्यालय को पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय खोलने के लिये विचार किया जायेगा, कोशिश की जायेगी। एक और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वह ब्वायज कालेज है यदि किसी दानीमानी व्यक्ति को आप तैयार कर लें और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज का, जिसको आप खुलवाना चाहते हैं अगर तीन वर्ष का खर्चा केवल उसी कक्षा के लिए देने की किसी की तैयारी हो तो इस एक हजार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की संख्या को भी वेव किया जा सकता है। यह सैद्धांतिक रूप से जो निर्णय हैं राज्य सरकार की कैबिनेट ने किये हैं वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपकी मांग निश्चित रूप से ठीक है किन्तु उसमें इस क्राइटेरिया को बनाने वाले हो तो इस प्रकार का प्रयास किया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्रीमोदीजी......... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ....इसका भी जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री रामस्वरूप जी बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : विश्वविद्यालय का भवन गिर गया.........

श्री सभापति : हरेक प्रश्न का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कृपया बिराजें आप......... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इससे बड़ी बात और क्या होगी? विश्वविद्यालय का मामला है सारे वर्ल्ड में हमारी.........(व्यवधान) और आज उसका भवन गिर गया और कोई चिन्ता नहीं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय श्रीमोदी जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : विश्वविद्यालय का जवाब नहीं दे सकते?

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजें। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब देना पड़ेगा.........(व्यवधान) विश्वविद्यालय का मामला है। राजस्थान का मामला है।

श्री सभापति : आप सदन का सारा अनुशासन बिगाड़ते हैं। आप अकेले बिगाड़ते हैं.........(व्यवधान) कृपया बिराजे।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह माथा फूट गया है और कोई चिन्ता नहीं है......... (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या मामला है? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है जवाब देना। बिराजिये ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सदन में हंसी हो रही है। हंस रहे हैं आराम से।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव में ग्राम सभाओं की मीटिंगों का आयोजन किया गया था। उसमें मतदाता सूचियां मुकम्मिल करनी थी। जब ग्राम सभाओं की मीटिंग हुई उसमें फार्म नम्बर 6 उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे जिन लोगों के नाम रह गये वे जुड़ नहीं सके। जब उस वक्त उन अधिकारियों से बात की तो उन अधिकारियों ने यह कहा कि अब आगे राजस्व अभियान आने वाला है। उस राजस्व

(श्री मोहनलाल मोदी)

अभियान में आपको यह फार्म नम्बर 6 उपलब्ध कराये जायेंगे और इन मतदाता सूचियों को मुकम्मिल किया जायेगा। लेकिन राजस्व अभियान कैंसिल कर दिये गये।

श्री सभापति : अब 20 अगस्त से हो रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं अब सूची का सवाल है। अब वह नाम जुड़ने का प्रश्न है। तो यह राजस्व अभियान उस वक्त स्थगित कर दिये गये। कैंसिल कर दिये गये। मैंने जिला अध्यक्ष महोदय को फैक्स किया कि आप यह जो फोटो परिचय पत्र बन रहे हैं उस वक्त आप यह फार्म नम्बर 6 लोगों को उपलब्ध कराके तथा जिनके नाम रह गये हैं उनके नाम जुड़वा दें और उनकी फोटो खिंचवा दें। मैंने यहां इलेक्शन कमीशन में फोन करके बात की। लेकिन यह नहीं हुआ। अब इस जो...हां, जिला अध्यक्ष को किया फैक्स। सीकर जिला अध्यक्ष को, सीकर पड़ता है हमारा जिला अध्यक्ष?

श्री कालूलाल गूजर : फैक्स वहां कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को दिया है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया है?

श्री मोहनलाल मोदी : तो यह मतदाता सूचियां जो अधूरी रह गयी हैं, इनको किस तरह से सही किया जायेगा? सरकार की क्या मंशा है? या सरकार की यह मंशा है कि जो लोग रह गये हैं मतदाता सूचियों में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। मैं इस आसन के मार्फत मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मतदाता नाम जुड़वाने से रह गये हैं उनके नाम जोड़ने के लिये कोई न कोई व्यवस्था की जाये।

श्री परसादी लाल मीणा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : बिराजिये, पाइंट आफ आर्डर महादेव सिंह जी।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य, सीकर से आने वालों ने पी.डब्ल्यू.डी. की डिमांड पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से अपनी पुलिया का काम नहीं होने के कारण अन्न ग्रहण नहीं करने के लिए व्रत ले लिया है। अन्य त्याग दिया। उनकी तरफ से जवाब के समय भी उसका कोई जवाब नहीं आया। जब तक पुलिया नहीं बनेगी, स्वीकृत नहीं होगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा.........

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर है क्या? पाइंट आफ आर्डर जब होता है जब किसी नियमों की अवहेलना हो रही हो।

श्री परसादी लाल मीणा : बहुत गंभीर मामला है आप सुनिये।

श्री सभापति : गंभीर है वह बतायें। पाइंट आफ आर्डर थोड़े ही है। आप बतायें कि कोई गंभीर सूचना देना चाहता हूं, वह बता दीजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : जीवन का सवाल है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, एक विधायक के जीवन का सवाल है (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें। बोल रहे हैं परसादी लाल जी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अन्न त्याग दिया है उन्होंने।

श्री सभापति : क्या बात है? संजीदगी की बात है। संजीदा तरीके से यह बता रहे हैं। आप सब लोग खड़े हो जाते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय सदस्य के स्वास्थ्य की बहुत चिन्ता है और अन्न छोड़ने अपने आप में, जब तक छोड़ना जब तक की पुलिया की स्वीकृति नहीं होना। क्या हठधर्मिता है? एक जनहित के कार्य के लिए माननीय सदस्य ने जो व्रत लिया है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस पर गौर करके आज ही इसके बारे में निर्णय लेकर सदन को अवगत करायें। यह पूरे हाउस का मामला है। कहीं पर आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं पर धमकियां दी जा रही हैं। माननीय सदस्य ने जो व्रत लिया है उसके लिए आप सहानुभूति पूर्वक विचार करके आज हाउस एडजोर्न हो उसके पहले हाउस को सूचित करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

(14.00 बजे)

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय श्री रामचन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैं 1990 से लेकर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से लगातार सीकर-नवलगढ़ रोड की पुलिया के बारे में चर्चा करता आ रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे बराबर आश्वस्त भी करते रहे हैं कि इसके लिए मैं स्वयं भी इच्छा रखता हूं कि यह बड़ी महत्वपूर्ण पुलिया है, इस पुलिया का निर्माण होना चाहिए। कल अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हुए, जब मेरा यह कार्य कल तक पूरा नहीं हुआ तो मैंने यह घोषणा की कि जब तब इसका शिलान्यास नहीं होगा, इस पर आसन पर बिराजे हुए माननीय सभापति महोदय ने यह व्यवस्था दी कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। मैंने न तो कोई ऐसे असंसदीय शब्द का उपयोग किया, न मैंने मंत्री महोदय पर कोई एलीगेशन लगाया, न मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उस पर कोई चार्जेज लगाये। मेरा एक संकल्प था और संकल्प भी ऐसा जो एक जनहित के मामले से जुड़ा हुआ था, उसको आपने कार्यवाही से निकलवा दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जो कार्यवाही से निकाला गया है, उसे कार्यवाही में अंकित किया जाए, यह मेरा संकल्प है। मैं मेरे क्षेत्र से चुनकर आया हूं, मेरा अपना एक नैतिक दायित्व है कि मैं अपने क्षेत्र की जो जन समस्या है, उसके प्रति जागरूक रहकर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। यदि सरकार उस कार्य को सही समय पर न करने में, किसी भी तरह से, आर्थिक कमी की वजह से नहीं कर पा रही है तो मैं गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, उपवास के रूप में + + + इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। इस पर माननीय सभापति महोदय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का यह निर्णय कि इसको कार्यवाही में अंकित न किया जाये, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए, तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि आप व्यवस्था फरमाये कि जो भी कार्यवाही से निकाला गया है, वह कार्यवाही में अंकित हो।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, मैं तत्कालीन व्यवस्था को बदल नहीं सकता, यह नियम नहीं है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। जरा बिराजे हरिसिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, मुझे एक अनुमति चाहिए। आज दो दिन हो गए हैं, माननीय सदस्य अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सदन के माननीय सदस्य भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। मुझे अनुमति इस बात की चाहिए कि मैं एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दूं जो प्रतिदिन इनके स्वास्थ्य की जांच करे, स्वास्थ्य का परीक्षण करे और अगर आवश्यक हो और इनको चिकित्सालय में भर्ती भी करवाना पड़े तो भर्ती भी करवाऊंगा, इसकी मुझे अनुमति चाहिए।

श्री सभापति : इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरी सदन के हर सदस्य को चुनौती है..........(व्यवधान)..........

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : रात में ये खा लें और दिन के अंदर भूख हड़ताल करें, इसलिए इनकी नियमित जांच कराई जाए कि कुछ खाया तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया रोज आप मेरे स्वास्थ्य की जांच कराएं और जांच के साथ-साथ आप मेरा वह परीक्षण भी कराएं कि कहीं मैं अन्न तो नहीं खा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने उसूलों का पक्का और पाबन्द आदमी हूं। जो संकल्प मैंने ले लिया, यदि मेरे मृत्यु पर्यन्त तक भी यह निर्णय पूरा नहीं होता है तो मृत्यु कबूल करना मंजूर है, अन्न खाना समझिए, गंदी से गंदी चीज खाना कबूल है..........(व्यवधान)..........

श्री सभापति : आवेश में मत आइए, माननीय पारीक साहब, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा दैनिक मेडिकल परीक्षण करवाइए और आप यह सुनिश्चित करें कि मैं अन्न तो नहीं खा रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय पारीकजी, आपने वैसे ही अनशन कर रखा है, इसलिए ज्यादा न बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, इनको ब्रह्महत्या लगेगी, ब्रह्महत्या।

श्री सभापति : मैंने माननीय श्री रामचन्द्रजी का नाम लिया था। पर्ची आ रही है, पहले मुझे पर्चियां निपटा लेने दीजिये..........(व्यवधान)..........पहले जो पर्चियां है उनको निपटा दूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, एक सैकण्ड बोलना चाहता हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, सदन में यह व्यवस्थाएं हैं, यहां सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। कार्य में प्लानिंग के तरीके से जो कुछ भी जहां होना है, होना है लेकिन अति आवश्यक कार्यों के लिये बार-बार माननीय सदस्य द्वारा मंत्रीजी से अनुरोध किया गया और मंत्रीजी ने उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मैं यह सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जो घोषणा की है इस सदन में और सदन में यह घोषणा करना अति महत्वपूर्ण इसलिये हो जाता है कि एक तो सरकार की कार्य प्रणाली की तरफ यह संकेत है और सरकार उन समस्याओं, के निपटारे के प्रति क्यों उदासीन है, यह दूसरा संकेत है। तीसरी बात है कि जन आन्दोलन करना या स्व-आंदोलन करना, यह प्रजातंत्र का आवश्यक गुण भी है और लक्षण भी है, आवश्यक अंग भी है। माननीय सदस्य ने अन्न त्याग किया है, सदन में इसकी घोषणा की है इसीलिये बहुत गम्भीरतापूर्वक मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि मान[illegible] बड़ी बात नहीं है। आप बात को गम्भीरता से लें।

श्री सभापति : लम्बा भाषण नहीं, आपने बहुत बड़ा पाइंट बता दिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश शासनकाल में महात्मा गांधी ने अनशन किया तो एक तानाशाह सरकार उसकी चिंता करती थी लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का मंत्री इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है, यह बहुत सख्त अफसोस का विषय है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्रजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पुलिया के सम्बन्ध में कल अपनी मांग पेश करते हुये, यह मांग पूरी न होने तक.........

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, यह कौनसा विषय चल रहा है?

श्री सभापति : अनशन का विषय चल रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे का अनशन?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : महावीरजी, कभी तो शांति रखिए।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, मेरी [illegible] मे बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, यह केवल + + + है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सभापति की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं है, माननीय सचेतक महोदय, बिराजें, ये मेरी अनुमति से चल रहा है.........(व्यवधान).........

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : महावीरजी, आप अपने शब्द वापस लें। नाटक क्या होता है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादी लालजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस प्रकार की हल्की-फुल्की बातें करना आपका स्वभाव हो गया है।

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, गांधीजी ने बड़े-बड़े अनशन किए लेकिन इस प्रकार का + + + नहीं किया, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस प्रकार की चर्चा और सदन का समय, मैं समझता हूं कि आप नष्ट कर रहे हैं। सदन का समय आप नष्ट कर रहे हैं बीच में व्यवधान डाल कर।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : + + + बातें तो आप कर रहे हैं, महावीरजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सचेतक महोदय को बात करना सीखने के लिये किसी स्कूल में भेजो पहले,.........(व्यवधान) + + + इनको, जब भी होता है, खड़े हो जाते हैं। बात को सीरियस नहीं लेते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, आप बिराजें। आपको इस तरह से बीच-बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। क्या अनुशासन देना चाहते हैं आप लोगो को....(व्यवधान).... मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है। जब मैंने माननीय मुख्य सचेतक महोदय को निवेदन कर दिया कि मेरी इजाजत से बोल रहे हैं, उसके बाद सब खड़े होकर क्या माहौल बनाना चाहते हैं? आपको एक-एक को मैंने निवेदन कर दिया, बोलिये, फिर आपको बैठ जाना चाहिये था। इस तरह बहुत लम्बा समय बरबाद होता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके द्वारा दी गई प्रताड़ना हमें सुनाई नहीं पड़ी, इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय उप नेता, माननीय शक्तावत साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य सचेतक को तत्काल पद से हटाया जाए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी मुख्य सचेतक महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कम से कम आसन की व्यवस्था को तो चेलेंज न करें। मैं जो कुछ यहां खड़ा होकर कहना चाहता था, मैंने पहले आसन से इजाजत ली है, कम से कम आप नियमों को तो समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप केवल अपने शरीर का बल प्रयोग करते हैं। अपनी + + +.....(व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, आप बार-बार इसी तरह कर रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मैं इसको सहन नहीं करूंगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं इसका जवाब देने की। आपने ध्यान में ला दिया, बिल्डिंग गिर गई है, ठीक हो जाएगी। बिराजिये, आप। कुछ भी गिरा है, यह कोई बात हुई, कागज लेकर बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता। मैं आसन से अनुरोध करूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को आप यह निर्देश दें कि इस सम्बन्ध में जो भी कल उन्होंने घोषणा की, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये इस पर वे कब तक कार्यवाही कर सकेंगे, कब तक नहीं कर सकेंगे। कल भी उन्होंने कहा कि मैं सदस्य को विश्वास में लेकर आगे की कार्यवाही करूंगा। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस पर वे ध्यान दें और इस सदन के सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में पूरा ख्याल रखें और उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, यही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री रामचन्द्रजी।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे सदन में कल सड़कों के बारे में काफी चर्चा हुई थी मगर फिर भी मैं कल बोल नहीं सका इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें आज से 10-15 साल पहले बन चुकी हैं और 10-10, 15-15 किलोमीटर की सड़कें हैं, अधूरी हैं, आज उन सड़कों पर कोई भी बस और आवागमन का साधन नहीं है, जबकि सरकार के उनको बनाने में 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपये लगे हैं। मगर आज तक वे सड़कें अधूरी की अधूरी पड़ी हैं। मैं उन सड़कों में से, कोटपूतली शहर से बनेठी सड़क जाती है, इसमें दो किलोमीटर की सड़क अधूरी पड़ी है, टुकड़ा पड़ा है....

श्री सभापति : बात समझ में आ गई, परन्तु यह इमर्जेंसी सवाल नहीं है, अर्जेण्ट चीज नहीं है, कल यातायात पर और सड़क पर था आप बोल देते, जितना बोलना था। अब एप्रोप्रिएशन पर बोल दीजियेगा। माननीय श्री अहारी जी।

श्री रामचन्द्र रावत : विधायक कोटे से जो सड़क बनी है उसका आज तक डामरीकरण नहीं हुआ।

श्री सभापति : समाप्त करें, मैंने दूसरा नाम ले लिया।

श्री रामचन्द्र रावत : इसी तरह से सड़कों की दुर्दशा के लिये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह जीरो आवर इस प्रकार की विस्तृत चर्चा के लिये नहीं है। यह तो कल या आज सवेरे कोई भयंकर दुर्घटना हो गई हो उसके बारे में दो शब्द कहने का है।

Page No. 96

(96)

श्री रामचन्द्र रावत : जीरो आवर के अन्दर मैंने पर्ची दी है, आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री सभापति : पर्ची दी है तो बात हो गई। बिराजिये। पर्ची देने का मतलब यह नहीं है कि यह चीज हो गई। माननीय श्री अहारीजी।

श्री रामचन्द्र रावत : जो विधायक कोटे की सड़कें हैं उनका डामरीकरण कराया जाए....(व्यवधान)....

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डूंगरपुर में भू-प्रबन्ध अधिकारी कम राजस्व अपील अधिकारी की दो पोस्टें हैं, लेकिन दोनों विभाग एक ही संभालते हैं। पूरे राजस्थान में यह व्यवस्था बनी हुई है कि जो अधिकारी है वे दोनों काम संभालते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डूंगरपुर में एन.आर. यादव, जो भू-प्रबन्ध अधिकारी हैं उसके अधिकार लेकर उदयपुर वाले को सौंप रखे हैं। जो काश्तकार हैं उनको अपीलें करनी पड़ती हैं, उसके संबंध में नकलें लेनी पड़ती हैं, तो लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे पूरे राजस्थान में सिस्टम है उसके अनुसार डूंगरपुर में उसी अधिकारी को दोनों अधिकार दिए जायें।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान भरतपुर के कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की अति क्षीण व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां फ्लड आती है। अगर गांवों के अंदर बिजली नहीं होती है तो अंधकार फैल जाता है और सांप-बिच्छु निकलते हैं और वे आदमी को खा जाते हैं जिससे आदमी मर जाता है। वहां पर हालत इतनी खराब हो गई है 150 गांवों में, उन 150 गांवों में केवल एक ही सप्लाई का सिस्टम है पूरे क्षेत्र के अन्दर। टेल एण्ड पर जाकर वह विद्युत दीपक बन जाती है। आखिर तक पहुंचती नहीं है। गांवों में अंधकार रहता है। इसलिये हमने सरकार से निवेदन किया था कि कम से कम दो सब स्टेशन जी.एस.एस. और लगाए जाएं। एक जी.एस.एस. तो बन भी चुका है। सरसरा गांव में तीन महीने से बना खड़ा है, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह सब स्टेशन बन चुका है। उसको कृपया इन दिनों में बहुत जल्दी चालू कर दें जिससे बरसात के मौसम में लोगों को विद्युत मिल सके और दूसरा सब स्टेशन जो बनने जा रहा है कृपया उसे शीघ्र ही बनाकर जनता को रिलीफ दें ताकि मेरे कुम्हेर सब डिवीजन की विद्युत व्यवस्था ठीक हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्री उगमराज जी मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पुनर्वास मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान युद्ध के समय सिंध से हमारे सिंधी भाई राजस्थान में आए। अजमेर और ब्यावर के आसपास ज्यादा बसे। उस

(श्री उगमराज मेहता)

समय कस्टोडियन की जो जमी थी वह उन सिंधी भाइयों को अलाट हुई। हमारे ब्यावर का एक सिंधी भाई बार-बार आज इतने सालों से चक्कर काट रहा है। उसके नाम की जमीन खातेदारी में है, परन्तु उसको अभी तक सनद जारी नहीं की गई। मैंने बार-बार निवेदन किया, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्रीजी ने भी मंत्री महोदय को पत्र भेजा और आपने पत्र का जवाब यह दिया कि मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूं। उस गरीब सिंधी भाई को यहां बुलाकर उसकी सुनवाई नहीं की गयी। तहसीलदार की रिपोर्ट है कि उसका बकाया पैसा है उसके ब्याज से ही उसको सनद जारी कर दी जाए, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप तुरन्त कार्यवाही करके उस सिंधी भाई को सनद जारी करने के आदेश पारित कराएं।

श्री सभापति :माननीया श्रीमती शशीदत्ता जी।

श्री उगमराज मेहता : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय सभापति महोदय, यह प्रकरण बहुत पुराना है। श्री सहजराम शरणार्थी के रूप में भारत आया। उसको जो मुआवजे की राशि मिलती थी उनको चूंकि इस पेटे जमीन आवंटित हो गई इसलिये आंशिक रूप से वह मुआवजे की राशि जमा हो गई। उसके बाद जो किश्तें उनको देनी थीं वे किश्तें उन्होंने अदा नहीं की। इस वजह से यह प्रकरण आज तक लम्बित है। मैं इसके अन्दर दिखवा रहा हूं जो भी न्यायोचित कार्यवाही होगी वह करने की कोशिश करूंगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय मंत्री जी, कस्टोडियन की भूमि अलाट होते ही उसको स्वतः हो जाती है। उसके क्लेम के अंगेस्ट एडजस्ट होती है। उसमें इंस्टालमेंट का सवाल नहीं है। आप वापस दिखवा लीजिये।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य व आपने जो बात कही है उसके क्लेम की राशि 3,554 रुपये बनती है और जो जमीन अलाट हुई उसकी कीमत ज्यादा बनती है, तो आंशिक रूप से वह राशि जमा हो गई।

श्री किशन मोटवानी : कितनी हुई ?

श्री सांवर लाल : मेरी बात सुनिए। मैं जो आपको बता रहा हूं....

श्री सभापति : इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, माननीय सदस्य। जीरो आवर में कोई बात खड़ी की उस पर मंत्रीजी संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : .....(व्यवधान).....मैं एग्जेक्टली फिगर बता रहा हूं. जो मुआवजे की राशि जमा हुई उसके बावजूद भी उनको कुछ देना था और उन्होंने दिया नहीं। इस वजह से पेण्डिग है। बीच में वह नीलाम भी होती आयी है।

श्री उगमराज मेहता : इसमें 3400 रुपये वह ब्याज सहित भरने के लिये तैयार हैं। बार-बार कह रहा हूं चक्कर काट रहा है।

श्री सांवर लाल : फिर भी मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो भी हो सकता है करुंगा।

श्री सभापति : दिखवा लीजिये। माननीया श्रीमती शशीदत्ता जी।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि दो दिन पूर्व हनुमानगढ़ में एक विवाहिता को जलाकर मारने के प्रकरण को लेकर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किए जाने की बात को लेकर उस विवाहिता के परिवारजनों ने इस व्यवस्था से क्षुब्ध होकर 13 तारीख का यह वाकया है, 13 तारीख को उस महिला को जलाकर मारा गया, उसके बाद परसों तक हमारी इस पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और विवश होकर, पुरूषों ने नहीं, माननीय सभापति महोदय, बहुत शर्म की बात है उस महिला की जो रिश्तेदार थीं, मां, बहनें, भाभियां, उन्होंने आकर हमारे इस संवेदनशील पुलिस प्रशासन को आगाह करने के लिये इस पुलिस को बुरी तरह से हनुमानगढ़ में पीटा। उसका नतीजा यह हुआ, अभी माननीय गृह मंत्री महोदय कहेंगे, मुलजिम गिरफ्तार हो गए, बड़े शर्म की बात है माननीय सभापति महोदय, इस + + + पुलिस ने जब वह पुलिस महिलाओं द्वारा पिट गई, वहां का सी.आई., वहां का डी.एस.पी., वहां के अन्य अधिकारी, उसके बाद इस पुलिस ने दो मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मात्र दो मुलजिमों को। सबसे अहम मुद्दे की बात माननीय गृह मंत्री जी के नोलेज में मैं यह लाना चाहूंगी कि इस बच्ची के साथ पिछले अढ़ाई साल से बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा था, ये कहते हैं हम बहुत संवेदनशील हैं, इस बच्ची के भाई ने पिछले माह हम सबको, जितने भी....

श्री सभापति : आप क्या ध्यान दिलाना चाहती हैं वह बता दीजियेगा। लम्बा भाषण नहीं।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि एक माह पहले इस लड़की के भाई ने प्रधानमंत्री से लेकर यहां के गृह मंत्री, एम.एल.ए. जितने भी संबंधित थे सबको एक पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से यह सूचना दी थी कि हमारी बहन को मारा जा सकता है। हमसे 6-7 लाख रुपये लड़की के जो लड़का हुआ है उसकी एवज में मांग कर रहे हैं। इसकी सुरक्षा की जाए।

उसके बाद सुरक्षा नहीं होने के कारण इसको जलाकर मार दिया गया। मात्र दो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुये हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इन्होंने लम्बे समय से हमारे यहां जो + + + अधिकारी बिठा रखे हैं, शायद इनकी चलती नहीं है, ये बदल नहीं पाते हैं, इसलिये मैं विशेष रूप से इनका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी चार-चार साल से जो बैठे हुये हैं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती शशीदत्ता)

उनको हटाकर उनकी जगह किन्हीं अच्छे अधिकारियों को लगाएं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आपने पिछली विधान सभा के अंदर यह कहा था कि जोधपुर के अंदर तीन महीने के अंदर वाल्व बदलने की व्यवस्था व एंजियोग्राफी लेब की व्यवस्था कर दी जाएगी। मगर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। मैंने प्रश्न भी लगाया मगर वह प्रश्न आया नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि जोधपुर इतना बड़ा शहर है, जयपुर से दूसरे नम्बर का है, फिर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को तुरन्त करने की व्यवस्था करें और अब तीन महीने भी नहीं कहें, अब तो कुछ दिन बता दें कि 10 दिन, हफ्ते भर में, 15 दिन में यह व्यवस्था कर दूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरा जवाब तो आने दीजिये।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये, आवश्यक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : फिर तो हरेक का जवाब दिलवाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर की बात आ रही है तो जोधपुर की बात का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। यदि मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। माननीय मोदी जी, बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान) आप या तो सबका जवाब दो.....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। ऐसा कायदा है कि जिस मसले पर किसी भी मंत्रीजी के पास में सूचना हो और वह सूचना तत्काल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। परन्तु आपको अधिकार यह नहीं है कि आप तत्काल उनसे जवाब मांग लें। अब आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरे मुद्दे हैं उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, यह सही है कि पिछले विधान सभा के सत्र में यह प्रकरण आया था। तब यह विचार हुआ था कि वित्तीय संसाधन सीमित हैं परन्तु कोई प्रयास किये जायेंगे। सभापति महोदय, इसका पूरा तरमीना बनाया गया, लगभग साढ़े पांच करोड़ का इसमें व्यय है। मुझे माननीय सदस्या ने कहा था कि वहां के लोग जन सहयोग के लिये तैयार हैं। मैं विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही, पहले बैठक बुलायी थी उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्या को सूचना नहीं हुई या पहुंच नहीं पायी, विभागीय स्तर पर एक बैठक बुलाकर कुछ जन सहयोग आप करेंगे, कुछ हम करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा। सभापति महोदय, यह आपकी समस्या न्यायसंगत है, वहां पर जोधपुर में इस सब की फैसेलिटी होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी कोपर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में गिरती हुई जर्जर स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा।

महोदय, भारत की 70 प्रतिशत तांबे की पूर्ति खेतड़ी कोपर काम्पलेक्स करता है और 37 हजार मैट्रिक टन तांबा, 3 टन गोल्ड और 25 टन सिल्वर यहां से प्रोड्यूस होता है जो कोलार गोल्ड माइंस से भी अधिक है। महोदय, इसमें 18 हजार एम्पलोइज हैं और लाखों लोगों के परिवार का पालन होता है। सीकर, झुन्झुनूं के अलावा भारत के विभिन्न प्रांतों.....

श्री सभापति : यह सब बात सब को पता है। पर मुद्दा क्या है वह बताइए न। कौन नहीं जानता खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट को। मुद्दा बताइये।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। महोदय, स्थिति यह हो रही है कि यह संस्थान 1995 तक फायदे में चल रहा था लेकिन हाल ही में इम्पोर्ट ड्यूटीज के गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण यह संस्थान 170 करोड़ रुपये के घाटे में आ गया है। महोदय, अगर उसके अन्दर कोई संशोधन नहीं किया गया तो यह संस्थान बिलकुल समाप्त हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। महोदय, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये बता रहा हूं। खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट में कोपर माइनिंग होती है और उसका ओर बनकर अल्टीमेट कोपर बनता है। जो विदेशों से जाम्बिया और आस्ट्रेलिया से कोपर डायरेक्ट आता है वह निश्चित रूप से सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहां माइनिंग होती है तथा वह बिना माइनिंग के सीधा आता है और प्राइवेट फैक्ट्रियां उनको सस्ते दामों से बेच देती हैं। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार तक मेरे लाखों लोगों की बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं कोपर की, उसमें या तो आप 20 प्रतिशत इन्क्रीज कीजिये ताकि यह राष्ट्रीय संस्थान बन सके महोदय, मैं सभी गरीब मजदूरों की ओर से सदन में धरने पर बैठता हूं।

श्री सभापति : महोदय, यह मसला पार्लियामेंट का है। अपने सम्बन्धित एम.पी. महोदय से निवेदन कीजिये कि वहां उठायें। यह इस सदन का प्रश्न नहीं है। न राजस्थान सरकार से इसका सम्बन्ध है, न इस सदन से इसका सम्बन्ध है। ध्यानाकर्षण हो गया, बिराजिये अब आप। माननीय श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के साथ हो रहे सौतेले

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

दुखदायी स्वास्थ्य विभाग के व्यवहार के बारे में बताना चाहती हूं।

पिछले साढ़े चार साल से बराबर मैं इस सदन में ध्यानाकर्षण से भी, क्वेश्चन से भी कहती रही हूं कि मेरा क्षेत्र महला से लेकर चाकसू तक 80 किलोमीटर लम्बा है। दोनों ओर राजमार्ग हैं। इधर टोंक रोड है, उधर अजमेर रोड है और एक तरफ भरतपुर रोड है। तीनों राजमार्गों पर एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सालयों के अलावा कोई भी ऐसा चिकित्सालय न बगरू में है, न शिवदासपुरा में है जहां पर कोई भी सीरियस केस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनकी जांच की जा सके, उनको सम्भाला जा सके। मैं बार-बार यहां ध्यानाकर्षण करती रही हूं। न सांगानेर में है, न मानसरोवर में है जो एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है, जिसमें एम. एल. ए., एम.पीज. के मकान भी हैं। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है इस ओर मैं उनका ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं और यह बगरू में बहुत जरूरी है क्योंकि 35 किलोमीटर इधर और उधर कहीं भी नहीं है। अजमेर रोड पर आप सब जानते हैं कि कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं।

श्री सभापति : बिराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय श्री गंगाराम जी चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि हमारी इस राजस्थान विधान सभा की बहुत बड़ी गरिमा है। पहले स्थगन प्रस्ताव आते थे और उनकी व्यवस्था यह थी कि जो 9 बजे तक विधान सभा में आ जाए उस पर माननीय अध्यक्ष व्यवस्था देते थे। वह कुछ तो नामंजूर कर देते थे, बोलने की अनुमति देते थे, कुछ राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेज देते थे और जिस पर बहुत ही गम्भीर मामला है उस पर चर्चा कराते थे। लेकिन इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिये 20-20 स्थगन प्रस्ताव, जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव ऐसी परिस्थितियों में लाया जाता है, ऐसी व्यवस्था है कि जो अन्य प्रस्ताव के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव कोई लाया नहीं जा सकता और 9 बजे तक कोई सूचना ऐसी है, ऐसा गम्भीर विषय है जिसको उठाया जाना जरूरी है इसीलिये उसको उठाते थे। किसी अन्य माध्यम से इस हाउस में जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती, कोई अनस्टार, स्टार क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, आधा घंटे की चर्चा के माध्यम से, अन्य जो भी माध्यम प्रक्रिया और नियमों में है, उस माध्यम से जो नहीं उठाये जा सकते वह स्थगन प्रस्ताव का विषय है। अब क्योंकि वह स्थगन प्रस्ताव अन्य माध्यम से नहीं उठाये जा सकते और वह लाना आवश्यक है इसलिये 295 को

102

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लाया गया। कोई भी माननीय सदस्य सप्ताह में एक दिन या दो बार अपनी बात लिखित में जिसमें इतने ही वर्ड होंगे, वह यहां पर पढ़ सकता है और आसन की व्यवस्था से, नियमों में नहीं है, सरकार उसका जवाब भी दे देती है क्योंकि वह लिखित में है। मैं कोई आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे यह व्यवस्था की गयी कि 11 बजे के बाद या 9 बजे के बाद भी कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है उन घटनाओं की चर्चा करना, इस सदन में जानकारी देना बहुत आवश्यक है इसलिये आसन ने कृपापूर्वक माननीय सदस्यों को यह स्वीकृति दी कि कोई ऐसे मसले हैं तो उनको जीरो-आवर में उठाया जा सकता है। उठायें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है मैं समझता हूं कि यह हमारे इस काल का आखिरी सत्र है और कई माननीय सदस्य आयेंगे, कई नहीं भी आयेंगे, सभी आयें वह बहुत अच्छी बात है, तो हमने क्या परम्पराएं डाली हैं और किस प्रकार से यह सदन चले, यह हम सब की जिम्मेदारी है। इस सदन में कई वरिष्ठ सदस्य ऐसे हैं जिनका इस राजस्थान विधान सभा की प्रक्रियाओं में, नियमों में और इसके संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी और सारे सदन के जो वरिष्ठ नेतागण है या सभी जो सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम इस 5-7 दिन, जितने भी दिन यह सदन चले, इसमें हम क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर सकें कि जिसके कारण आगे आने वाले सदस्य भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की यदि हम कोई परम्परा कायम करें तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है.....

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह जो माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है.....

श्री रामनारायण चौधरी : परम्परा तो ये बिगाड़ते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये कोई बात नहीं, रह गई तो आप भी अपनी बात बता देना। माननीय चौधरी साहब, अब क्या बात हो गई इसमें?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : किसको डाइरेक्शन देना चाहते हो, किसको फुसलाना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया, कांटैक्स्ट क्या था?

श्री रामनारायण चौधरी : .....और फिर परम्परा कायम करें।

श्री सभापति : बिराजिये बिराजिये। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : क्या चाहते हैं, वे यह तो बतायें।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, अब अपना समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? उन्होंने अपनी बात कह दी, अब आप बिराजिये ना। माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में एक दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन का समय नहीं लेना

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

चाहूंगा। सदन के अन्दर विषय उठे, बहुत अच्छी बात है सरकार उनका जवाब दें।.....

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कोई अध्यक्ष का काम नहीं, यह क्या चर्चा शुरू करवाई?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप रुकिये। (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : या तो आप सबको बोलने दीजिये....

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : यह क्या करवाना चाहते हैं?

श्री सभापति : कोई बात कहते हैं तो कहने दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोई बात कैसे, ये तो अध्यक्ष की तरफ से निर्देश दे रहे हैं। यह इनको कब अधिकार दे दिया, वे क्या बोल रहे हैं तो?

श्री सभापति : माननीय वे बोल रहे हैं, मैंने उनको इजाजत दी है इसलिये अब आप बिराज जाएं तो अच्छा रहेगा। आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो मैं सुन लूंगा, अब बिराजिये आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हम आपको कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं लेकिन जैसे आप बोलते हैं, हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या? हम आसन की परमिशन से बोल रहे हैं। आसन परमिशन नहीं देगा तो हम बैठ जायेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि बीच में इन्टरफियर नहीं करें I am not yielding. सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार में बैठे हुये माननीय सदस्यों की भी इच्छा है कि जो सदन के गम्भीर प्रकृति के मामले हैं उनका जवाब दें लेकिन एक नया सिस्टम, मैं पार्लियामेंट में रहा हूं दो बार, इस सदन में तीन बार रहा हूं, यहां पर कई बार चर्चा भी हुई है कि 295, पार्लियामेंट में 377 एक रूल है, उसका आल्टरनेट यह 295 है। उस समय राजबहादुर जी थे, हम लोग भी थे, हम लोगों ने सुझाव दिये थे, उसके आधार पर 295 इस सदन में लाया गया था कि 295 के माध्यम से मामले उठाये जा सकते हैं और एक नया सिस्टम चालू हुआ। मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, आपके अध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देशों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मेरा एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप पर्ची देकर कोई पाइंट माननीय सदस्य सदन में उठा सकते हैं तो सरकार अपनी तरफ से उसका जवाब देने में असमर्थ रहती है क्योंकि उस समय अचानक न तो हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, न कहीं से जानकारी मंगा सकते हैं, न ही इस पर्ची सिस्टम का बाद में कोई जवाब देने की व्यवस्था है इसलिये जो भी यहां सदन में मामले उठाते हैं वे सारे बिना रिप्लाई के चले जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में कुछ गम्भीर प्रकृति के मामले भी हैं या पुराने मामले हैं, यह तो इसीलिये पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के रूप में उठाये जाने चाहिए कि कोई अचानक, 11 बजे आप आ रहे हैं और 10.30 बजे कोई ऐसी गम्भीर घटना घट गई, 11 बजे घट गई, 12 बजे घट गई, यहां हम

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

सदन में बैठे हैं उस समय कोई गम्भीर घटना घट गई तो उसका एक सिस्टम है, नियम है पाइंट आफ इन्फोर्मेशन देकर यह उठाया जा सकता है लेकिन एक नया सिस्टम, पर्ची सिस्टम I don't know how it has been started. (व्यवधान) आखिर हमने भी चलाया है, देखिये, मैं क्या कह रहा हूं। इसमें आपका और मेरा सवाल नहीं है, यह तो सदन की व्यवस्था का सवाल है। हम भी कोई गलती करते हैं तो सुधारा जाना चाहिये इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप पुनर्विचार जरूर करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, अब समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी : जो पांच साल से चल रहा है, उसको पांच दिन के लिये क्यों बन्द करना चाहते हैं? ऐसी कौनसी मजबूरी आ गई कि पांच दिन के लिये बन्द करने जा रहे हैं? ऐसे कौनसे प्रश्न आ गए....

श्री सभापति : बिराजिये। मोदीजी, बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मुख्य सचेतक महोदय, बोल जायें, इंटरवेशन मंत्रीजी का हो जाये, विपक्ष की तरफ से आप बोलने नहीं दें.....

श्री सभापति : अवश्य अवश्य। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी बोल देना पर मेरी बात भी सुन लीजिये।

श्री किशन मोटवानी : आप अपना मन्तव्य मत दीजिये। आप अपने मन तो धातु का बनाइये। पहले आप सुन लीजिये। आप सुनते हैं उनको तो सुन लीजिये, पर परकोलेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनको सुन लीजिये।

श्री सभापति : मैं कोई मन्तव्य नहीं दे रहा हूं। यह सुनने वाला प्रश्न नहीं है। बिराजिये बिराजिये, फिर भी मैं आपको, आप बोलना चाहेंगे तो इजाजत दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : आपके बोलने के बाद क्या बोलेंगे? आप जब आसन पर बैठे हुये कोई बात कहें और फिर हम कहें तो फिर आप कहेंगे कि आसन की व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे हैं इसलिये कृपा करके आपने एक जो बात उठाई है मुख्य सचेतक ने इस पर....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : या तो आप इधर पधार कर कहें या.....

श्री सभापति : अच्छा बोलिये बोलिये आप।

श्री किशन मोटवानी : सार्थकता से एक डिस्कशन कर लें भले ही, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है किन्तु जो यह बात विद्यमान हुई है, यह परकोलेट होकर के पर्ची सिस्टम पर आया है, वह क्यों आया, कैसे आया? हमने देखा है, हमारा तजुर्बा है। हमने देखा 85-90 का पीरियड था, तब हमने 7-7 बजे तक जीरो आवर चलाया है। स्थगन प्रस्ताव कौन देता है? मैं समझता हूं, स्थगन प्रस्ताव हां पक्ष तो देता नहीं है, ना पक्ष देता है। उस समय ना पक्ष किधर था, कौन था, जब यह आपका लम्बा चल रहा था तब इसको स्किवज करने के लिये, कम करने के लिये, रेगुलेट

(श्री किशन मोटवानी)

करने की नीयत से यह कहा गया, यह माना गया कि आखिर जो जन प्रतिनिधि आते हैं, वे अपनी बात को कैसे कहें, आज जो व्यवस्था चल रही है यह व्यवस्था उस समय से लागू हो गई कि स्थगन प्रस्ताव पर जिस तरह से, जितने भी रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, उतना करके बाकी 2-2 मिनट की चर्चा कराकर इस बात को चलाया जाये ताकि हरेक अपनी बात कह सके। 295 के ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि हफ्ते में एक बार देगा (व्यवधान) मेरा अभी 295 दूसरे हफ्ते में आया था नहीं लगा, कहा गया कि नैक्स्ट वीक में आयेगा, एक ही लगेगा। 7 दिन, 5-6 दिन के दरमियान भयंकर मुद्दे उठ सकते हैं तो उठाने के लिये अगर यह व्यवस्था हुई है, अब इसको मैं कोई एसपर्शन नहीं करता हूं आसन पर कि उसको किस तरह से एक्वीज करके, टाइम को एलीमिनेट करके, टाइम को बांध करके, टाइम में व्यवस्था चलाई जाये तो यह हम पर, मैं भी आसन पर बैठता हूं, मैं अपने आपको भी कहता हूं कि मुझे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समय में वह बंध जाए। वह बात अपनी कह भी जाये और आगे चलकर सरकार जवाब देना उचित समझती है क्योंकि यह इंगित करती है सरकार की ओर जो बात आती है तो सरकार जवाब देना चाहे और देना चाहिए अगर मालूम है तो देना चाहिए और नहीं मालूम है तो मालूम करके बाद में जवाब देना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को सेटिसफेक्शन मिले इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने बात उठाई, अब इसको आप भी कह रहे हैं कि 10वीं विधान सभा का यह आखिरी सत्र लगता है। नये भवन में तो आप जाने की स्थिति, चलने की स्थिति में नहीं हैं, वे अभी बुलायेंगे नहीं। आखिर में यह बंधन, जो आने वाला ना पक्ष है उस पर क्यों डाल रहे हैं? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था आई है, व्यवस्था एक सजे हुये तरीके से परकोलेट होकर के बनी है इसलिये आज जो चल रही है, इसको चलने दें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने बिना प्रसंग के एक गम्भीर बात यहां पर उठाई है। अच्छा रहता कि (व्यवधान) श्रीमान् जी, उन्होंने दो मिनट बोला है, तो मैं भी बोलूं, मुझे भी अधिकार है टीकम चन्द जी कांत साहब। आपने यह बात उठाई यहां पर, अच्छा रहता कि मुख्य सचेतक महोदय, सदन के नेता महोदय, अध्यक्ष और विपक्ष के नेता महोदय और सचेतक महोदय बैठकर इस गंभीर विषय पर विचार विमर्श करते और इस हाउस में तो हम डिस्कशन करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। अभी आपने बताया यह चिट सिस्टम, पर्ची सिस्टम, मोटवानी साहब ने उसको एक्सप्लेन किया कि 5-5 बजे तक यहां पर जीरो आवर चला करता था। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब आप बिराजमान थे, उस समय आपको ये चीजें याद नहीं आई और इधर आकर, सरकार में पहुंच गये तो उस समय उसको रेगुलेट करने के लिये या कंट्रोल करने के लिये सोचते हैं। माननीय सभापति महोदय, डेमोक्रेसी के अन्दर बोलने का अधिकार फ्रीडम आफ राइट में दिया गया है। यह भी जाना माना तथ्य है और यह भी

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

सत्य है कि चाहे डेमोक्रेसी सिस्टम में और अच्छे इंस्टीट्यूशन के अन्दर विपक्ष को ज्यादा बोलने का अधिकार है क्योंकि यह मानी हुई बात है, जैसा कि नियम कहता है Opposition will have their say and ruling party will have their way. तो अपोजिशन तो अपनी बात कहेगा और काम आपको करना है इसलिये परम्परा से यह बात सत्य है कि अपोजिशन अपनी बात तो कहेगा और इसलिये स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो इम्पोर्टेन्ट इश्यु है व अपोजिशन हमेशा से उठाते आये हैं और जैसी कि परम्परा पड़ी हुई है, रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य सरकार का पक्ष लेते हैं और सरकार के पक्ष में कई बार तथ्य को दबाना भी पड़ता है और उनको सप्रेश भी करना पड़ता है तो अभी जो सिस्टम डवलप हुआ है, यह परम्परा और नियमों का मिलाजुला स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया नहीं जा सकता There is always scope for improvement. लेकिन अगर इस इम्प्रूवमेंट को करना है, तो कई वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर अध्यक्ष महोदय के साथ कीजिये लेकिन इसके बहाने कहीं विपक्ष के बोलने के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए चाहे उसके लिये हमको 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे बैठना पड़े। सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा यहां पर, आज हम विपक्ष में है, जब सत्ता पक्ष में थे तो 12-12 बजे, 1-1 बजे तक डिबेट का रिप्लाई दिया है, 4-4 बजे तक यहां हाउस चला है। पर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, 8 बजते ही हमारे मंत्री महोदय और कुछ माननीय सदस्य यहां पर बैठना नहीं चाहते इसलिये पहली चीज तो रूल नम्बर तीन की पालना नहीं कर रहे हैं। जिसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि आप तीन सेशन बुलायेंगे और 60 दिन तक यह हाउस चलेगा। न तो तीन सेशन बुलाते हैं और न 50 दिन यह हाउस चलता है। आप 60 दिन तक हाउस चला लीजिये, तीन सेशन बुला लीजिये, आपका यह पर्ची सिस्टम भी कम हो जायेगा और आपको इतना ज्यादा बैठना भी नहीं पड़ेगा। इसलिये कृपया इस विषय में उदारता रखिये और व्यापक दृष्टिकोण से सोचिये। मेरा यह सबमिशन है।

श्री सभापति : चौधरी जी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं तो दो मिनट बात कहूंगा मान्यवर। अभी मुख्य सचेतक महोदय ने अननेसेसरिली तरीके से इस बात को उठा लिया। यह तो बिजनस एडवाइजरी कमेटी में, लीडर आफ दी हाउस, लीडर आफ दी अपोजीशन और स्पीकर साहब, योअरसेल्फ, यह तय हुआ है कि किस प्रकार से जीरो आवर रेगुलेट किया जाय। पहले जीरो आवर अनियंत्रित था, और जैसा कहा लक्ष्मण सिंहजी ने, कि 67 से 72 तक शाम के सात-आठ बजे तक जीरो आवर चलता था। फिर इसको रेगुलेट करने के लिये 295 और पर्ची सिस्टम, यह किया गया था। लेकिन प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात, मुद्दे उठाने के लिये समय भी चाहते हैं, ओकेजन भी चाहते हैं। तो यह अवसर दिया गया था, मतलब म्युचुअली अन्डरस्टेण्डिग थी इसमें, अचानक ही आप क्या परम्परा कायम करवाना चाहते हैं। कमाल आपका।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मेरा मतलब समय सीमा में.....

श्री सभापति : अब आप चर्चा को समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बांधने का या सदन कम चले, या कम समय तक चले, इसका बिलकुल न तो मैंने कहा और न मेरा ऐसा कोई इरादा है कि आपके किसी अधिकार का किसी प्रकार का वह हो। मैंने तो वह बहुत संक्षेप में इसलिये निवेदन किया था कि आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है और जो सबसे ज्यादा गांव की, गरीब की बात, सामुदायिक विकास की बात है, आज उस पर चर्चा है और उस पर 108 कट मोशन्स आये हैं। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि यदि मान लो, सदन आप 12 बजे तक चलायें, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि 12 बजे तक चलायें, चार बजे तक चलायें, समय की कोई सीमा नहीं है, जब तक आपका मन हो, जब तक आप बोलना चाहें, इसमें कहीं कोई, हमारी तरफ से कभी भागने की या रोकने की बात आई, कभी भी नहीं आई। मैंने तो केवल इतना ही निवेदन किया है कि जो मामले अन्य माध्यम से उठाये जा सकते हैं जिनका सशक्त तरीके से जवाब भी आ सकता है और सरकार जवाब भी दे सकती है उन तरीकों को अपनाया जाय। केवल इतना ही निवेदन किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह भी अपना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मुझे आप एक बात बताइए, आप एक तरफ तो कहते हैं कि कितने ही बजे तक सदन चलायें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, कल माननीय आर. पी. शर्मा साहब को एक मिनट बोलने के लिये नहीं दिया गया। आप आठ बजे ही कहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कितने ही बजे तक चलाइए आज। इसके क्या कारण हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी ने नहीं रोका।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : किसी ने भी रोका होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आठ बजते ही फिर आबकारी विभाग सक्रिय हो जाता है इसलिये यहां बैठना नहीं चाहते माननीय सभापति महोदय, मूल प्रश्न यह है कि जैसे ही आठ बजते हैं इनका आबकारी विभाग सक्रिय हो जाता है और सारे उठकर.....(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पांवों पर है, कृपया बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्यों से निवेदन है, कौन कितनी देर बोल सकता, कौन कितनी देर बोला, कौन कितनी देर बोलेगा, यह तो तत्कालीन आसन पर जो बैठा है उसी का निर्णय होगा, इस बारे में हम काफी चर्चा करें, कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। शून्य काल सारे संसार में हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र की जान है। दूसरे किसी लोकतन्त्र के अन्दर, किसी पार्लियामेन्ट में शून्य काल जैसी चीज

(श्री सभापति)

नहीं होती। हमारे यहां क्योंकि स्थिति आजादी के बाद में इस प्रकार की थी कि बहुत प्रकार की लोक महत्व की चीजें तत्काल पैदा होती थी, गरीबी थी गुलामी से निकल कर आये थे, स्थिति इतनी-इतनी विभिन्न थीं कि कभी-कभी अत्यन्त आवश्यक कार्य आ गया, अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज आ गई, तो नियमों में उसका प्रावधान नहीं था इसलिये हमारी पार्लियामेन्ट ने वहां पर इस प्रकार का एक तरीके से अनुसंधान किया, एक प्रकार से आविष्कार किया कि हमें कुछ समय लोक महत्व की चीजों को, जो अचानक आ जाती है, उसके लिये समय देना चाहिये। मैं नहीं समझता कि सदन इसमें कोई निर्णय कर सके, इसका तो जब जब भी निर्णय किया जायेगा तो आसन ही निर्णय करेगा, कौन सा लोक महत्व का प्रश्न है, कौन सा लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। पर्ची चाहे आप पचास दे दें, सौ दे दें, दो सौ दे दें, कभी दस आये या बीस आये, उन पर्चियों पर जब-जब जो-जो आसन पर होगा वह उस चीज को देखेगा और यदि उसने निर्णय दे दिया है तो वह सभी चीजें लोक महत्व की हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, वह हमारा सबका फर्ज है, कभी-कभी कुछ प्रश्न यहां उठाने से, जो इतने ज्यादा लोक महत्व के नहीं है, तो जो उसी दिन सदन के अन्दर विशेष लोक महत्व के अन्य नियमों के अन्तर्गत आने वाले प्रश्न हैं उनको जितना समय मिलना चाहिए वह समय नहीं मिलता है। इसलिये इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है। वैसे तो हमारे इस सदन ने इसके अन्दर नियम बना रखे हैं शून्य काल के, मैं पढ़ कर आपका समय जाया नहीं करना चाहता, पेज 102 पर है, आप पढ़ लीजियेगा। सब आपने ही बनाये हैं, अपन सब पढ़ते रहते हैं इसलिये मैं क्यों इसके बारे में अब समय जाया करूं। यह बात तो जब जब भी इस सदन के अन्दर जिस-जिस प्रकार के सदस्य होंगे और जैसा-जैसा आसन पर व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के अनुसार निर्णय होता रहेगा इसलिये इस विषय को यहीं समाप्त कर मैं पुनः माननीय श्री गंगारामजी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वे राजस्व विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना (राजस्व विभाग)

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (27) राज/उप/84 दिनांक 17 मार्च, 1998 जिसके द्वारा भूमियों के अन्तरणों को विनियमित करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि 31 दिसम्बर, 1998 तक बढ़ायी गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर, सभापति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, 1998-99 समिति के दो प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : कालूलालजी सरकारी आश्वासन समिति के मेम्बर ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री सभापति : किसके मेम्बर हैं वह? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : चेयरमैन तो कहां, मेम्बर भी नहीं है अभी।

श्री सभापति : इस कमेटी के भी चेयरमेन हैं वह।

श्री परसादी लाल मीणा : पाइंट आफ आर्डर। कब हैं, हमारे पास सूचना नहीं आई कोई अभी।

श्री सभापति : आपको सूचना भिजवा देंगे, दिखा देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, भिजवायेंगे नहीं, पहले भिजवानी चाहिए, हम मेम्बर हैं उस कमेटी के।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले भिजवानी थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : विधान सभा सचिवालय से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

श्री परसादी लाल मीणा : हम मेम्बर हैं उस कमेटी के, हमको आज तक सूचना नहीं मिली (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : विधान सभा सचिवालय से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

श्री परसादी लाल मीणा : जानकारी नहीं दी गई है कोई, हम और पारीक साहब उस कमेटी के मेम्बर हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें, सचिवालय से सूचना सब को भिजवा दी गई है, अभी थोड़ी देर बाद में आप.....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : कब भिजवाई ?

श्री राजेन्द्र पारीक : कब भिजवा दी। इस वक्त तक नहीं भिजवाई गई है.....

श्री सभापति : मुझे सचिवालय की सूचना है, कृपया सुनें।

एक माननीय सदस्य : सूचना आ गई है।

श्री सभापति : इनको सभापति बना दिया गया है, यदि आप चाहें तो माननीय अध्यक्ष के कमरे से जाकर प्राप्त कर लें।

एक माननीय सदस्य : सब जगह सूचना पहुंच गई है।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पहला व दूसरा प्रतिवेदन

श्री कालूलाल गूजर : (सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति) : सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति 1998-99 समिति के निम्नांकित दो प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं: —

(1) कृषि, रावी व्यास नदी सिस्टम, देवस्थान और कला एवं संस्कृति विभाग के वर्ष 1991 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, एकीकृत ग्रामीण विकास, वित्त एवं सैनिक कल्याण विभाग के वर्ष 1991 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम (5), सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं: —

सीकर जिले की लोसल नगरपालिका में उप तहसील स्थापित करने बाबत

(1) सीकर जिले की लोसल नगरपालिका में उपतहसील स्थापित करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

लोसल नगरपालिका क्षेत्र में रैगरबस्ती में जल निकासी हेतु नाले की व्यवस्था करने बाबत

(2) लोसल नगरपालिका क्षेत्र में रैगरबस्ती में जल निकासी हेतु नाले की व्यवस्था करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष, नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर द्वारा कोष का कथित दुरुपयोग

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा अध्यक्ष, नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा कोष के कथित दुरुपयोग एवं गबन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष, नगरपालिका, लाडनूं द्वारा कोष के कथित दुरुपयोग एवं गबन करने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : सभापति महोदय, वर्ष 96-97 में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहर में नालियों का निर्माण किसी ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया जाकर विभागीय स्तर पर ही करवाया गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके नये शागिर्द हैं क्या?

श्री बाबूलाल वर्मा : दैनिक वेतन पर जो मजदूर लगाये गये हैं उनका इन्द्राज मस्टर रोल में किया जाकर भुगतान किया गया है। माप पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करने तथा 80 हजार रुपये की राशि अग्रिम के तौर पर नियम विरुद्ध कनिष्ठ अभियंता द्वारा उठाने के संबंध में विभाग द्वारा जांच की जा रही है। नगरपालिका द्वारा इस संबंध में जाहिर किया गया है कि यह राशि एक मुश्त नहीं उठा कर तीन बार उठाई गई है तथा दैनिक वेतन पर रखे गये मजदूरों एवं कारीगरों आदि की मजदूरी का भुगतान किये जाने हेतु उठाई गई थी। उक्त राशि के चैक नगरपालिका कर्मचारी द्वारा भरे जाकर अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के बाद ही चैक द्वारा राशि आहरण की गई है। दिनांक 21-7-97 के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विभाग द्वारा नगरपालिका का अभिलेख प्राप्त कर संबधित के स्पष्टीकरण प्राप्त किये जा रहे हैं। नगरपालिका लाडनूं क्षेत्र में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जो नालियां पूर्व में बनी हुई हैं उनका भुगतान पूर्व में किया जा चुका है उन नालियों का भुगतान पुनः नगरपालिका द्वारा नहीं किया गया है तथा इस संबंध में 30 रुपये के कोई बिल व

(श्री बाबूलाल वर्मा)

तखमीना नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत नहीं हुये हैं। दिनांक 29-2-96 को नगरपालिका मंडल की कोई बैठक आहूत नहीं हुई है। मंडल बैठक दिनांक 24-2-96 के प्रस्ताव एफ-ख-क्रय में विशेष अनुदान के तहत श्री सुरेश मोदी के मकान से श्री भंवरलाल घोसी के मकान तक वार्ड न. 9 में डामर सड़क निर्माण हेतु 35 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी। सड़क निर्माण का कार्यादेश भी ठेकेदार को दे दिया गया था परन्तु ठेकेदार द्वारा सड़क की कुटाई हेतु रोड रोलर नहीं जाने के कारण डामर सड़क नहीं बनाये जा सकने के लिये लिख कर दिया। जिस पर डामर सड़क के स्थान पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा सीमेंट की सड़क बनाने की सहमति 59 हजार की थी। इस प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करने एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य को स्वीकृति देने के संबंध में संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। उक्त सड़क निर्माण कार्य का अभी तक नगरपालिका द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ/55/5 (ए) सी. वि. अनुदान/93-94/6693-6939 दिनांक 10-7-95 के अनुसार ऐसी नगर पालिकाएं जहां जन सहयोग से धनराशि प्राप्त होना सम्भव नहीं हो, वहां यह विकल्प दिया गया है कि वे जनसहयोग से प्राप्त होने वाली राशि का स्वयं कुल कार्य की लागत का 50% जमा करवाकर के नगरपालिका सहभागी योजना में कार्य करवा सकती हैं। उक्त आदेश के तहत मंडल बैठक दिनांक 26-7-97 के प्रस्ताव संख्या-2 के अनुसार रेलवे स्टेशन से राहू गेट तक की सड़क के निर्माण कार्य के तखमीने की आधी राशि दो लाख उन्नीस हजार पालिका कोष से अभिकरण में जमा कराई गई। इस प्रकार इस मामले में नगरपालिका द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। नगरपालिका लाडनूं में ट्रेक्टर ट्राली खरीद के संबंध में अनियमितता का तथ्य विभाग की जानकारी में आया है जिसकी जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नगरपालिका लाडनूं में अभी तक कमेटियों का गठन नहीं किया गया है। पालिका बजट दिनांक 27-6-97 को बैठक में प्रस्तुत कर दिया गया है जो मंडल द्वारा अभी पारित नहीं किया गया है। नियमानुसार बोर्ड की बैठक आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में अध्यक्ष का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

हरिजन बस्ती लाडनूं राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल नं.-3 में एक कमरा मय बरामदा के निर्माण की स्वीकृति एक लाख रुपय की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा निर्बन्ध योजना के तहत दी गई थी। जिसका निर्माण पालिका ने विभागीय स्तर पर करवाया था। निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच जिला कलक्टर द्वारा करवाई जाकर विभाग द्वारा भेजी गई है। रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है इस सचिवालय को उसमें ये दो पैराज इन्होंने पढ़ने में ही छोड़ दिये। एक तो ट्रेक्टर वाला छोड़ दिया

Page No. 112

(112) (112)

श्री बाबूलाल वर्मा : बोल दिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : कहां बोला। नहीं बोला मैं सुन रहा हूं नहीं बोला। खैर ठीक है बोल दिया तो।

श्री बाबूलाल वर्मा : ट्रेक्टर ट्राली का बोल दिया मैंने।

श्री सभापति : जो बात थी। नहीं बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर आया उसमें अधिकतर मामले ऐसे हैं कि राज्य सरकार ने भी सही माना है और यह कहा है कि हम उनको नोटिस दे रहे हैं कार्यवाही कर रहे हैं। पहला मामला ही आप देखिये 1996-97 में फर्जी मस्टररोल बना कर 80 हजार का भुगतान उठा लिया और उसमें अब ये कह रहे हैं कि हमने उनको नोटिस दिया है तो दो साल तक आपने क्या किया? इसके भाग-2 में 30 हजार के फर्जी मस्टररोल जो पूर्व में नालियां बनी थी उन्हीं नालियों के वापस उठा लिये।

तीन नं. में 29-2-96 को नगरपालिका में 35 हजार की एक डामर सड़क स्वीकृत की और दो साल बाद में दो साल तक वह बनी नहीं। ठेकेदार को आर्डर दे दिया, ठेकेदार ने लिखकर दे दिया कि यह जगह सकड़ी है इसमें रोलर नहीं आएगा तो चेयरमैन ने लिखकर दे दिया कि यह सीमेंट की सड़क बना दो और उसको 59 हजार का

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : ये तथ्य जो हमने दिये हैं आप उनको पढ़कर क्यों समय जाया कर रहे हैं? आप तो क्या चाहते हैं बताइये जो आपने बातें कही हैं जो तथ्य आपने रखे हैं हमने भी जो तथ्य हमारे सामने आये वह आपको बता दिये। आपको अब क्या चाहिये यह बताइये हमको।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह कह रहा हूं न आप सुनें तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये तो माननीय सदस्य आप वे ही पढ़ रहे हैं जो हमने.....

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं उसमें से ही तो कहूंगा और कोई बाहर से लाकर थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, तो आप चाहते क्या हो यह बताइये न आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : हां, मैं बता रहा हूं आप सुनें तो सही। सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सभापति : नहीं माननीय सदस्य, वे यह कह रहे हैं कि ये तथ्य तो मंत्री जी ने पहले ही बता दिये अब इनमें से आप क्या कार्यवाही चाह रहे हैं वह बता दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : यही तो कह रहा हूं आप सुनें तो सही।

श्री सभापति : हां सुनिये, साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह कह रहा हूं कि आपने यह माना है कि दो साल पहले जो डामर रोड का ठेका दिया और उसकी जगह चेयरमैन ने सीमेंट सड़क का ठेका दे दिया। सीमेंट की सड़क बन गई। न तो उसमें कोई

(श्री हरजीराम बुरड़क)

टेण्डर मांगे गये और न उसमें कोई कार्यवाही हुई पेमेन्ट और अमाउंट डबल कर दी तो आप कह रहे हैं कि हम नोटिस दे रहे हैं तो नोटिस क्या दे रहे हो? जब ये इतना पुराना मामला है आज तक आपने क्या किया?

तीसरा मेरा यह था कि आपने उत्तर यह दिया है कि जिन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब हो या जनसहयोग नहीं मिल रहा हो वह अपने कोष से सहभागी योजना में रुपये जमा करा देगी तो आपने इसी पाइंट पर दूसरी नगरपालिका के चेयरमैन को सस्पेंड किया और इसमें कहा कि इनमें कोई अनियमितता नहीं की। आपने सूरजगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन को इसी आरोप में सस्पेंड किया, नहीं सादुलशहर नगरपालिका अध्यक्ष नारायणदास को पालिका कोष को घाटा पहुंचाने और जन सहभागिता योजना के तहत जनसहयोग से प्राप्त होने वाली राशि का भी भुगतान पालिका कोष से करने के मामले में निलंबित किया है। इसमें तो आप कह रहे हैं कि हमने आदेश दे रखा है यह नियमानुसार है तो फिर इसको सस्पेंड क्यों किया? ये अभी हाल ही का मामला है।

दूसरा मेरा इसमें यह है कि अगर इस तरह से आप नगरपालिका कोष से ही जन सहभागिता योजना में जमा कराके डबल कराते रहे तो फिर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जनसहभागी योजना इसलिये थी कि जनता का सहयोग मिले और आपने इसमें लिख दिया कि हमने यह आदेश निकाल दिया।

तीसरा मेरा यह था कि यह ट्रेक्टर वाला मामला आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भुगतान किया डी.आई. का और इंजन है आर्डिनरी। इसी के साथ आपने 41 हजार की जो ट्राली खरीद की है उसमें भी आपने अनियमितता मानी है तो फिर आप इसमें कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? अब जैसे अनियमितता यही है कि वो टेण्डर मांगे नहीं वैसे ही ले ली और नगरपालिका लाडनूं में अभी तक कमेटियों का गठन नहीं किया। आपने कोई नगरपालिका अध्यक्षों को इसी पाइंट पर संस्पेंड किया है कि उन्होंने अभी तक कमेटियों का गठन नहीं किया न आज तक इन्होंने अपना कोई बजट पास करवाया। आपने लिखा है कि 27-6-97 को बजट पेश किया था वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। इसी प्रकार से कलक्टर द्वारा जांच करके जांच रिपोर्ट आपको भिजवा दी। अभी कोई साल भर हो गया होगा आपके विभाग में पड़ी है और उसमें अनेक अनियमितताएं पाई गईं जिसके सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। हरिजन बस्ती में स्कूल के कमरे के लिये एक लाख रुपये स्वीकृत हुये। एक लाख रुपये का एस्टीमेट था..... इतनी राशि डी.आर.डी.ए. से आ गई। इसमें सवा लाख रुपये उठा लिये, काम आधा ही नहीं हुआ और तो और मंत्री महोदय उस कमरे का आप उद्घाटन ही कर आये लेकिन कमरा आज भी अधूरा है। इसीलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस अध्यक्ष के खिलाफ आप सस्पेंड करके कोई कार्यवाही करिये।

(15.00 बजे)

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं इसमें दो बातें पूछना चाहूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक बार उत्तर आ जाये फिर बाद में पूछ लेना।

श्री सभापति : बोलिये, उन्हें बोल लेने दीजिये फिर एक साथ ही उत्तर दे देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : साथ के साथ नहीं दे पायेंगे, एक बार देने दो उसके बाद, आप उत्तर दे दीजिये पहले।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहली बात कही है कि यह कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराया गया जबकि मैंने यह शुरू में ही स्पष्ट किया है कि यह कार्य ठेकेदारों के द्वारा नहीं कराया जाकर विभाग द्वारा कराया गया है और 80 हजार रुपये राशि की बात जो इन्होंने कही है कि उठा लिया तो यह 80 हजार रुपये की राशि तीन किश्तों में वहा अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन दोनों के हस्ताक्षर द्वारा अलग-अलग मजदूरों को पेमेंट करने के लिये, एक तो 30-11-96 को और 8-11-96 को 80,950 रुपये की राशि उठाई है और उसका भुगतान सीधा मजदूरों को कराया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि इस स्कीम के तहत मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस कार्य को करवाया जाना था। अब इसमें किसी प्रकार की मजदूरों से कार्य कराने में कोई अनियमितता नहीं हुई है, प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गलती हुई है, उसके लिये हमने अधिशासी अधिकारी से, सब से स्पष्टीकरण मांग लिये हैं और जैसे ही स्पष्टीकरण हमारे पास आ जायेंगे हम उसके संबंध में निश्चित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्य ने जो कही है वह यह 30 हजार रुपये की नाली भुगतान की बात कही है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि पहले जो एक बार नाली बनी थी, एक बार उसी नाली का भुगतान हुआ दूसरी न तो किसी प्रकार की नाली बनी है, न ही किसी प्रकार पेमेंट हुआ है और न ही इस संबंध में नगरपालिका के पास कोई प्रस्ताव या कोई तकमीना आया है। यह जो बात कही गई है, मैं बता रहा हूं, आप बताइए कौनसी नाली बनी?

श्री हरजीराम बुरड़क : नाली बनी नहीं है, पैसे उठा लिये। ई.ओ. ने आपको लिख कर दे दिया, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव आफिसर ने डायरेक्टर को लिखकर भेजा है कि यह फर्जी भुगतान उठाया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप पहली बात तो यह बताइये कि क्या यह बात सही है कि नहीं कि ई.ओ. ने डायरेक्टर को लिखकर भेजा कि यह फर्जी भुगतान हुआ है, हां या ना में जवाब दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : नहीं, यह बात बिलकुल गलत है। इस प्रकार की नाली का भुगतान.....

श्री हरजीराम बुरड़क : 80 हजार और 30 हजार दोनों में बताइए कि ई.ओ. ने लिखकर भेजा है कि नहीं भेजा?

श्री बाबूलाल वर्मा : जो यह शिकायत है इसके पहले की बात है और इस प्रकार की न तो कोई नाली बनाने का तकमीना नगर पालिका के पास प्राप्त हुआ और न ही किसी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

प्रकार कोई भुगतान हुआ है। माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने बताई.....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय, इसी बात का जवाब दीजिये कि तकमीना तो आया ही नहीं, यह तो बात है ही, आप जो कह रहे हो..... (व्यवधान) ई.ओ. ने यही तो लिखकर दिया है।

श्री सभापति : आपने इस पर दस्तखत किये हैं क्या? आपके भी इस पर दस्तखत हैं क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी : सदन के माननीय सदस्य कोई बात जानकारी के लिये पूछ सकते हैं।

श्री सभापति : नहीं, यह पूछ रहे हैं, यह चीज पूछ रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया कि कोई पेमेंट नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जवाब कहां दिया, सभापति महोदय।

श्री सभापति : उन्होंने कहा है कि इसमें नाली के सिलसिले में कोई पेमेंट नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसी बात पर तो पूछा है मैंने, मैंने यह पूछा है कि ई.ओ. ने अधिशासी अधिकारी ने डायरेक्टर को क्या लिख कर दिया है, यह बात सही है क्या?

श्री सभापति : सुनिये, सुनिये, बिराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं एक-एक पाइंट का टू दी पाइंट आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जवाब दे रहा हूं। तीसरी बात माननीय सदस्य ने 35 हजार रुपये की सड़क के निर्माण के बारे में कोई अनियमितता बताई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सड़क निर्माण की स्वीकृति थी वह कोई सकड़ी गली में सड़क निर्माण कराना चाह रहे थे। लेकिन जिस जगह वह निर्माण हो रहा था उस जगह न तो कोई रोलर जा सकता था, मतलब उस गली में रोलर जाने की गुंजाइश नहीं थी। उसी चीज को देखते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी की पूरी सहमति से उस जगह सीमेंट कंकरीट की अच्छी सड़क बनवा दी और सीमेंट कंकरीट की बढ़िया सड़क बनाने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। बढ़िया क्वालिटी की सड़क बनायी है। लेकिन जहां तकनीकी चीज कोई संभव नहीं है, जहां रोलर जाना ही संभव नहीं हो तो उस जगह सड़क बनाना संभव नहीं था।

श्री हरजीराम बुरड़क : 9 साल पहले जब ठेका दिया था उस समय रोलर जा रहा था बाद में सकड़ी हो गई? आप थोड़ा तो सोचे। ठेका कब दिया, ठेका दिया 1996 में। ठेकेदार को आर्डर दे दिया कि एस्टीमेट बनाये, फिर टेंडर हुये हैं, ठेकेदार को आर्डर दे दिया, दो साल बाद.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब तो पूरा आ जाने दीजिये फिर आप पूछ लेना प्रश्न। उनका जवाब आ जाने दीजिये। अब आपने पूछा है उनका जवाब आ जाने दीजिये फिर पूरक प्रश्न पूछ लेना आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : दो साल में कोई गली सकड़ी हो जाये

श्री सभापति : समझ गया, आप उत्तर आने दीजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : इस संबंध में यह बात सही है कि जो दूसरा ठेका होना चाहिए था उसमें निश्चित रूप से कमी रही है। लेकिन उसके लिये भी हमने स्पष्टीकरण मांग लिये हैं और उसके लिये हम निश्चित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी पार्टी का तो मामला नहीं है?

श्री बाबूलाल वर्मा : बात तो सुनिए, परसादीलालजी, मैं तो एक-एक चीज को क्लियर करके बता रहा हूं, कहां दिक्कत है? माननीय सभापति महोदय, जो चौथी बात माननीय सदस्य ने बताई है वह यह है कि सहभागी योजना के तहत 50 पर्सेन्ट राशि नगरपालिका ने जमा कराई। इस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का एक स्पष्ट आदेश है 10-7-95 का कि जो ऐसी नगरपालिका है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जैसी भी है, लेकिन क्या है जन सहयोग की कमी और यदि कोई उस गांव में या नगर में विकास कराना चाहती है तो वह आधी राशि अपने पास से, अपने कोष से जमा करा कर उस विकास के कार्य को पूरा करा सकती है। जब राज्य सरकार के स्पेशल निर्देश हैं और उसके तहत यदि किसी नगरपालिका ने कोई काम कराया है, राज्य सरकार ने राशि जमा करायी है तो मैं समझता हूं इसमें कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले वाला ही फंड है और मैंने कहा उसको आप सुनो, इसमें जब आपने सांचोर नगरपालिका के अधिकारी को इसी आरोप में सस्पेंड किया है।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं, फिर कहां दिक्कत है इसमें?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप यह बताइए कि जो नगरपालिका के चेयरमैन को सस्पेंड किया गया, जो कारण बताया गया सस्पेंड का वही कारण यहां लाडनूं में रद्द हुआ, इसमें अन्तर क्या है? सरकार ने यह अन्तर क्यों कर रखा है?

श्री बाबूलाल वर्मा : राजेन्द्रजी, आप मेरा जवाब तो कम्प्लीट होने दीजिये, मैं आपको एक-एक चीज का जवाब दूंगा, कहां दिक्कत है इसमें?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप इस बात का जवाब दीजिये कि उसको सस्पेंड किया है वह कारण बताएं, वही कारण यहां लाडनूं में होता है, इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने?

श्री रामरिछपाल नुवाल : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कल ही.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो आपने अब तक प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब तो आयेगा, फिर आपकी कोई बात बच गई है तो पूरक प्रश्न पूछ लेना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय, जवाब दे कहां रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र जी आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : टाइम खराब कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से अध्यक्ष को सस्पेंड किया उसका क्या कारण था? (व्यवधान) उसके आधार पर उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य बिराजें, ठीक नहीं है। जो भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं प्रश्न जो उठाये गये हैं, आप बिराजें, प्रश्न इसका है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनका है, आप बिराजें, प्रश्न इनका है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इनका है, यह प्रश्नकाल नहीं है जिसमें हर एक आदमी प्रश्न पूछ सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण पर दस्तखत किये हैं वहीं प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, पूरे हाउस का है।

श्री सभापति : नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ऐसा नहीं है, मैं व्यवस्था दे रहा हूं यदि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में.....

श्री परसादी लाल मीणा : हमको भी पूछना है, जनहित का मामला है।

श्री सभापति : मेरा निवदेन है, बिराजिये, बिराजिये। आसन की अनुमति से माननीय सदस्य कभी भी बोल सकते हैं, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे कोई भी चीज हो, परन्तु अनुमति से पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वही रखो आप।

श्री सभापति : बिना अनुमति के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कायदा यह है कि मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद जिसने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह केवल मात्र प्रश्न पूछ सकता है। परन्तु अपनी परम्पराएं तो दूसरी हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : हम आपको देखकर ही बोल देते हैं।

श्री सभापति : नहीं, यों नहीं चाहे जब उठकर बोल दिया। आसन से आज्ञा लेकर बोलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी बोल सकता है। अब निवेदन मेरा यह है कि पहले आप तसल्ली से जो आपने मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब सुन लीजिये और उसके बाद में आप जो पूरक प्रश्न हों, पूछिये, जवाब आयेगा।

श्री रामरिछपाल नुवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी प्रश्न है इस विषय के लिये, मेरी भी बात सुनिये आप। कल इसी विषय के ऊपर, इसी विषय के ऊपर हमारे भीलवाड़ा के चेयरमैन को बचा रहे थे, यह बचाने में लग गये थे आज उसी विषय के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको बचाने में लग रहे थे, मेरा आपसे निवेदन है.....

श्री सभापति : आप किस पर बोल रहे हैं? क्या चर्चा है, क्या विषय है आप जो बोल रहे हैं इस पर।

श्री रामरिछपाल नुवाल : नहीं, विषय है।

श्री सभापति : क्या विषय है? यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। आज उस पर बात चल रही है, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री रामरिछपाल नुवाल : पहले उस चेयरमैन को बचाने में लगे हुये थे, इसके पीछे कारण यह था।

श्री सभापति : यह कौनसी बात हुई, आपको पूरक प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, वो भी आसन की अनुमति से। कृपया बिराजिये आप अन्यथा अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल मोदी : कल यह कर की चोरी करने से रोकने वाले चेयरमैन को सस्पेंड कराना चाहते थे।

श्री बाबूलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक आपत्ति माननीय सदस्य ने ट्रेक्टर और ट्राली के बारे में भी की। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज के माध्यम से दिनांक 1-9-97 को ट्रेक्टर खरीदा गया और ट्रेक्टर खरीदने के बाद सम्बन्धित फर्म को 2,21,014 रुपये का जो भुगतान किया गया यह सीधा एग्रो इण्डस्ट्रीज को भुगतान किया गया। इसमें यह बात सही है कि जहां तक ट्रोली का मामला था तो 41 हजार की खरीदा। इसमें कोटेशन के आधार पर इन्होंने ट्रोली परजेज की है। यह बात सही है कि टेण्डर काल करके यह ट्राली खरीदनी चाहिए। इस सम्बन्ध में हमने सम्बन्धित अधिकारी से एक्सपेलेनेशन मांग लिये हैं और उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बात एक माननीय सदस्य ने कही कि बोर्ड की बैठक नियमित रूप से नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में हमने 10-7-98 को माननीय चेयरमैन महोदय को और वहां के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा है, स्पष्टीकरण देने के लिये, और जैसे ही हमारे पास उसका जवाब आयेगा हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक मुद्दा सदस्य ने उठाया हरिजन बस्ती में एक कमरे के निर्माण के लिये, इस कमरे के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही हमको शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त होते ही हम लोगों ने जिलाधीश महोदय को जांच करने के लिये लिखा, जिलाधीश महोदय ने अपनी जांच हमारे पास भिजवा दी है और उस जांच के आधार पर हमने उनको दोषी ठहराया। ऐसा नहीं है। यदि घटिया सामग्री का निर्माण हुआ है तो हमने उसको दोषी माना है और दोषी मानकर उनको हमने निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांग लिये हैं और स्पष्टीकरण मांगने के बाद जैसे ही हमारे पास उनका जवाब आयेगा हम उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। यदि उसमें वह दोषी पाये गये तो हम यह आपको विश्वास दिलाते हैं, सदन के माध्यम से कि हम उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय सभापति महोदय, मेरा जो पहला पाइंट था।

श्री सभापति : कृपया नोट कर लीजिये उन्हीं बातों को वरना फिर आप रिपीट कर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने दो साल पहले सड़क का ठेका दिया। उस समय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

एस्टीमेट भी था, टेण्डर भी मांगे उसके बाद ठेकेदार को आर्डर भी दिया और दो साल तक तो वह गली ऐसी सकड़ी नहीं हुई जिसमें रोलर नहीं जा रहा हो और 35 हजार का वह ठेका था। अब आपने अभी अचानक ही एक महीने डेढ़ महीने पहले उसको बुलवाकर, लिखवा कर उसका सीमेंट कंकरीट का सड़क बनाने का ठेका देकर आर्डर दे दिया। तो पहली बात तो यह है कि आपकी जो वह गली सकड़ी थी रोलर नहीं जा रहा था, क्या दो साल के बाद गली सकड़ी हुई? दूसरा मेरा यह था कि ट्रेक्टर की जो बात आपने कही एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन खरीदता है यह बात तो सही है लेकिन यह भी तथ्य सही है कि ट्रेक्टर का आपके पास बिल, ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन डी.आई. का है और वह ट्रेक्टर आर्डिनरी है। यह आपको अच्छी तरह से मालूम है तो इस सम्बन्ध में आपने कोई एफ.आई.आर. दर्ज करायी है, कोई कार्यवाही की है? आप सभी में कह रहे थे हमने जवाब मांगा है।

तीसरी बात यह है कि जो कमरे का जहां तक सवाल है उसमें आप कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायत आयी और हमने कलक्टर से जांच करायी। आपने कुछ नहीं कराया, वहां मेम्बरों ने आन्दोलन किया, वहां भूख हड़ताल का नोटिस दिया, कलक्टर वहां आया तब कलक्टर ने वह ज्ञापन लेकर जांच करवायी। उसमें एक कमरा भी है और दूसरे कई आरोप हैं वह जांच करके कलक्टर ने भेज दी आपको एक साल पहले। आपने एक साल तक इसमें क्या किया? आप लिये बैठे हैं आप सभी में कह रहे हैं कि हमने नोटिस दे दिया, हम उनका जवाब ले रहे हैं तो नोटिस देना ही कोई कार्यवाही है क्या? या नोटिस के अलावा भी आप कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा : मैं आपके माध्यम से कहता हूं, सभापति महोदय, कि यह कमरे की बात चल रही है। कमरे के लिये जब कलक्टर महोदय ने जांच रिपोर्ट भेजी, अब आप कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण मांगे। मैं कहता हूं कि रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका के कनिष्ठ अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी एवं भुगतान पारित करवाने वाले लेखाकार और लिपिक को हमने दोषी माना है और उनके खिलाफ हमने स्पष्टीकरण मांगे हैं। अतः हमने तो जो जांच है वह मानकर.....(व्यवधान)..... नहीं, कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें न तो कोई जे.ई.एन. का नाम है, न और किसी का, आपने तो यह जवाब दिया है।

श्री सभापति : आपका मतलब यह है कि आपने प्रथम दृष्टया दोषी माना है।

श्री बाबूलाल वर्मा : यस, यस।

श्री सभापति : हां, यों बोलिये आप। आपने प्रथम दृष्टया दोषी माना है।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य राजेन्द्र जी चौधरी ने अभी सार्दुलशहर की बात कही कि सार्दुलशहर के चेयरमैन को क्यों सस्पेण्ड किया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सार्दुलशहर वाले मामले में, सार्दुलशहर में

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जो बस स्टैण्ड का मामला था उसमें 30 प्रतिशत उनका हिस्सा राशि जमा कराने का वादा किया हुआ था और इसी आधार पर इस चीज को नगरपालिका ने बिना राशि जमा करवाये ही उस चीज को करवा दिया। जब इस तरह की बात हुई और कमिटमेंट पूरा नहीं किया और बिना राशि जमा कराये ही इस चीज को करवाया इसलिये इसको दोषी मानते हुये हमने यह करवाया।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या बिना जमा करवाये? आधी राशि जमा करवाई है न आपने। बिना जमा क्या करायी? राशि आपने जमा करायी है। अब सभापति महोदय, आप ही बताओ।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र चौधरी। आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, एक तो हम आपके आभारी हैं कि आप सरकार को इस बात का अहसास करा रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिये। उसके लिये हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही स्पष्ट बात पूछी है कि ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन डी.आई. के नाम से है, नम्बर वन, मंत्री महोदय नोट कर लें। आप नये हैं इसलिये आप ध्यान से इसका जवाब दें और ट्रेक्टर वहां साधारण चल रहा है। अब इसके अन्दर क्या जांच है, मुझे यह बता दें। सभापति महोदय, अभी प्रजेंट में ट्रेक्टर वह चल रहा है, रजिस्ट्रेशन डी.आई. का है। अब इसमें क्या बात है, साफ अनियमितता है और इस बात के तमाम इतने मामले जो पांच-सात मामले, सभी में इन्होंने माना है कि अनियमितता है और स्वयं बोल भी गये हैं कि दोषी हैं। इनको दोषी मान रहे हैं तो दोषी मानने के बाद तो सस्पैण्ड की कार्यवाही होती है और जो दूसरा उदाहरण सार्दुलशहर का है उसके अन्दर भी आपने उनको इस तरह से दोषी मानकर सस्पेंशन किया है तो इसमें इतनी डिसपेरिटी थी, उसमें तो एक ही मामला था। इसमें दुनिया भर के मामले हैं फिर भी आप सस्पैण्ड नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या अन्तर है, यह थोड़ा समझाओ आप। बैठ तो जायेंगे, आप जवाब तो दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : हां, दे रहा हूं, आप बैठोगे तब ही दूंगा। आपके सम्मान में जब आप खड़े हों तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया बिलकुल स्पष्ट दे दिया और न किसी को बचाने का सवाल है और न किसी को अनाघात फंसाने का सवाल है। सवाल यह है कि नगरपालिका का अधिनियम है उसके अन्तर्गत ही काम करना पड़ता है। कल ही मैंने किया था कि धारा 63 म्युनिसिपैलिटी एक्ट की, इसके लिये हमको काम करने का अधिकार देती है। तो पहली बात तो यह है कि हम जो शिकायत आती है उसके आधार पर प्राइमाफेसी जांच करते हैं और जब यह लग जाता है कि इसमें कोई दोषी प्राइमाफेसी है तब यह जरूरी है जिस व्यक्ति के खिलाफ हम कार्यवाही करें उसको स्पष्टीकरण का मौका दें। स्पष्टीकरण आने के बाद यदि उसका उत्तर सन्तोषजनक है तो मामला ड्राप कर देते हैं और नहीं होता है तो आगे कार्यवाही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जुडिशियल इन्क्वायरी में उसको भेज देते हैं। यह सारी जो बातें बतायी आपको। आपने जो तथ्य रखे हैं, उनको सामान्यतया हमने स्वीकार किया है कि ये बातें हुई हैं, यह आपको कहा है हमने और इसीलिये हमने उनका स्पष्टीकरण मांगा है, स्पष्टीकरण आने के बाद यदि यह लगेगा कि उनका उत्तर सन्तोष जनक नहीं है तो हमारे पास सिवाय जुडिशियल इन्क्वायरी में इसको भेजने के कोई रास्ता नहीं है। जब हम जुडिशियल इन्क्वायरी में भेजते हैं उस समय हम एक्शन लेते हैं कि इनको सस्पैण्ड करें या बिना सस्पैण्ड के ही जांच करा लें। यदि यह लगता है कि बिना सस्पैण्ड के कोई जांच प्रभावित नहीं होगी, कई बार हम नहीं भी करते हैं और जब यह लगे कि सस्पैण्ड नहीं किया तो जांच प्रभावित होगी तो सामान्यतया जो व्यावहारिक बात है वही करते हैं। इसमें कौन सा विवाद खड़ा हो गया। हम खुद मान रहे हैं, हमने उनसे जवाब तलब कर लिया, जवाब आने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। हमने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने किया जो ठीक किया। कुछ बातें उनका दोष नहीं है, कुछ बातें हमको प्राइमाफेसी लग रही हैं तभी तो स्पष्टीकरण मांगा है हमने उनसे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? क्या दिक्कत है?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : स्पष्टीकरण तो आपने कभी भी मांगा यह तो बहुत बढ़िया किया लेकिन एक तो कमेटी के गठन के बारे में आपने कुछ नहीं किया कि आज तक दूसरी मीटिंग नहीं हुई, बजट पास करवाया नहीं उसके बारे में भी कुछ कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभी के बारे में है वह एक बात और कहता हूं। जो हमने तथ्यों को माना है, हमने कह दिया कि हमारे हिसाब से यह अपराध नहीं है तो फिर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास तथ्य हैं तो और दे दीजिये, कोई किसी को न बचाने हैं, न किसी को जबरदस्ती मरवाना है। आपकी जो इच्छा है वह अलग है उसके कारण दूसरे हैं लेकिन जो तथ्य सामने हैं सरकार तो एक्शन लेगी ही लेगी। वह बात दूसरी है आपकी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास की प्रस्तुति

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। अनुदानों की मांगों पर विचार। माननीय श्री नाथूसिंह जी गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,64,81,000/- (एक अरब, पिच्यासी करोड़, चौंसठ लाख, इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

Page No. 122

(122)

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी किः —

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

1. पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की बढ़ती स्थिति को रोकने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

2. राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों के लिये ज्यादा धनराशि का आवंटन करने हेतु विभाग द्वारा पहले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. सामुदायिक विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

4. सामुदायिक विकास कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. पंचायत समितियों में पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव से विकास कार्यों में आ रही रूकावट को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

6. इंदिरा आवास गृह में वर्तमान में हो रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

7. भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाणा के प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं करने व लम्बे समय से वह अनुसूचित जाति का न होते हुये भी प्रधान बने रहने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले से विभिन्न सरपंचों के विरुद्ध मिली शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी लम्बे समय से उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. ग्राम पंचायत मांडल एवं संतोषपुरा जिला भीलवाड़ा के पुनर्गठन एवं सीमांकन तथा इनके चुनावों में हो रहे विरोध के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

10. डी.आर.डी.ए. के माध्यम से राजसमंद जिले के राजसमंद एवं रेलमगरा तहसीलों में स्वीकृत विकास कार्य कार्यकारी एजेन्सीज को संबंधित मद में धन उपलब्ध कराने के अभाव में तीन वर्षों से स्वीकृत होने पर भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के कोरना का बाड़ा (पसून्द) नारायण गंज (ओड़ा) भील बस्ती बर (पीपरड़ा), काटियाखेड़ी (महेन्द्रिया) में प्राथमिक शालायें खोले

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा पीपली आचार्यान (राजसमंद) पंचायत क्षेत्र में आई. आर. डी. पी. के तहत वितरित ऋण एवं अनुदानित छूट राशि अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा असत्य तथ्यों को सत्यापित कर धन हड़पने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. राजसमंद जिले में पंचायती राज द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं के लिये नियमानुसार अपेक्षित संख्या में अध्यापकों की पूर्ति करने के लिये नयी भर्ती पर्याप्त संख्या में करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

14. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषद के अन्तर्गत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पचार-जिला सीकर के सरपंच को निलम्बित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

16. टौंक जिले की विभिन्न (पंचायत समितियों) में कतिपय सरपंचों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों में घोटालों की रोकथाम हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

17. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने एवं शिक्षा, विकास आदि कार्यों को गति प्रदान कर जनता को राहत दिलवाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति में विकास कार्यों को गति देने के लिये कनिष्ठ अभियन्ताओं की विशेष ड्यूटी लगाकर सत्यापन करने, अधूरे कार्यों में तकमीने बनाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. केशवरायपाटन (बून्दी) पंचायत समिति क्षेत्र के अधिकांश सरपंचों द्वारा विकास कार्यों में रुचि न लेने से लम्बे समय से अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु स्थानीय विकास कमेटियों की स्थापना करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. केशवरायपाटन एवं तालेड़ा पंचायत समिति के गांवों में आवागमन के रास्ते नहरों द्वारा खराब होने से विकास कार्यों के लिये लोड-अनलोड कराने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में आश्वासित रोजगार योजना में किये गये विकास कार्यों में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की उच्च स्तर पर जांच कराने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

22. सिरोही जिले में अपना गांव अपना काम योजनाओं में जनता की राशि खर्च होने

(124)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एवं अनेक योजनाओं में राजकीय हिस्सा राशि आवंटित नहीं होने से लोगों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहौर)

23. सामुदायिक विकास कार्यों की स्वीकृति करने एवं निर्माण कार्य में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडीभीम)

24. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत चल रहे कार्यों में सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

25. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में अनेकों ग्राम जिनकी आबादी 250 से अधिक है में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. कुम्हेर पंचायत समिति के विकास अधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण होने से विकास कार्य अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को सरकार द्वारा अधिकार नहीं सौंपने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)

28. न्यू जनरल अस्पताल भरतपुर शहर में जिला विकास अभिकरण के माध्यम से बाउण्ड्रीवाल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

29. पंचायत समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पद सृजित किये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत धीरडोदा मीठा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. सरपंच ग्राम पंचायत मंगलपुरा पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा फर्जी पट्टे बनाने व अन्य घोटालों की शिकायतों पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. ग्राम पंचायत खामीयाद, पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के पूर्व सरपंच के विरुद्ध गम्भीर आरोप होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. पंचायत समिति लाडनूं और डीडवाना जिला नागौर के विकास अधिकारियों द्वारा बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के निजी आय का मनमाने तरीके से खर्च किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

34. गंगापुर पंचायत समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल में पांच विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण होने से विकास कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. सरपंचों द्वारा स्वीकृत इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का भुगतान पंचायत समिति द्वारा नहीं करने से बेघर हुये व्यक्तियों की समस्या निराकरण हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. ग्रामों के निर्माण-विकास हेतु सरपंचों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को गंगापुर पंचायत समिति द्वारा समय पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को नहीं भेजने एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा स्वीकृत में पक्षपात करने से हो रही समस्या के निदान हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

37. विभाग द्वारा चीखली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नई पंचायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

38. विभाग द्वारा जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के सांवलता कल्ला, अरटिया लालगी ग्राम में सामुदायिक भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा ग्राम वायद पंचायत समिति रोहट जिला पाली में नामदेवजी के मन्दिर में सामुदायिक भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

40. विभाग द्वारा श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण तुरन्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में डी. आर. डी. ए. द्वारा निर्मित भवनों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

42. राजस्थान के विभिन्न जिलों में बने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के चेयरमेन तथा गवर्निंग कौंसिल के अधिकारों/दायित्वों पर चर्चा के लिये।

43. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के चेयरमैन द्वारा बिना गवर्निंग कौंसिल की स्वीकृति के विकास कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

44. डी.आरडी.ए. झुन्झुनूं द्वारा नियम विरुद्ध अनुपयोगी कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No. 126

(126)

(श्री रामनारायण चौधरी)

45. झुन्झुनूं जिले में सामुदायिक विकास के कार्यों में हो रहे गबन व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

46. पंचायत समिति (जोधपुर) में लम्बे समय से गठित ग्राम पंचायत सिन्धिपुरा में चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. विभाग द्वारा जोधपुर जिले में ग्राम पंचायतों की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

48. विभाग द्वारा पंचायत समिति धोद के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. धोद पंचायत समिति में प्राथमिक शालाओं में छात्रों के अनुसार अध्यापक लगाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा सीकर जिले के ग्राम पंचायत भढ़ाढ़र के सरपंच की आर्थिक अनियमितताओं के कारण निलम्बित कर पुनः बहाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

51. विभाग द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

52. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु और राशि स्वीकृत कराने में पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

54. इंदिरा आवास योजना में व्याप्त अनियमितता को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

55. जिला परिषद् बीकानेर के दो वर्षों से अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने में विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

56. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति जारी करने वाली निर्णायक समिति में जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति किये जाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

57. पंचायत समिति मसूदा में सभी प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों को बैठने के लिये भवन बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

58. विभाग द्वारा अजमेर जिले की पंचायत समिति पीसांगन के सरपंच के विरुद्ध

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

निलम्बित करने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा दौसा जिले की पंचायत समिति दौसा के प्रधान के शर्तयुक्त त्याग पत्र को तत्काल स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. अजमेर जिले की पंचायत समिति श्रीनगर में स्वीकृत कार्यों को विभाग द्वारा पूरा न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. पंचायत राज्य एवं ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन लेकर कार्य स्वीकृति करने, एम.बी. भरने व बिलों का भुगतान करने जैसी अनियमितताओं को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा पंचायतों में कार्य ठेकेदार द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

63. धौलपुर क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पचगांव, पंचायत समिति धौलपुर के जेल से रिहा होने के उपरान्त भी उन्हें सरपंच के पद का कार्यभार नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. धौलपुर क्षेत्र के 250 व इससे अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों में प्राथमिक शालायें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा पंचायत समिति धौलपुर में राजनैतिक आधार पर स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. धौलपुर क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में भवन उपलब्ध कराने एवं विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 50
ग्रामीण रोजगार की प्रसुति

श्री सभापति : माननीय श्री अनंग कुमार जैन, विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन) : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के निमित्त राज्यपाल महोदय के द्वारा रुपये 1,58,88,00,000/- (एक अरब अट्ठावन करोड़ अठयासी लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 50 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि: —

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

1. बूंदी जिले में आश्वासित रोजगार योजना में अनियमिततायें एवं सन् 1991 की जनसंख्या 1000 से ऊपर के गांवों में आश्वासित रोजगार योजना चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

2. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यों के अभाव की पूर्ति एवं किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (बैराठ)

3. ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार न मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

4. ग्रामीण रोजगार के लिये बजट राशि में अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

5. आश्वासित रोजगार योजना के तहत मिश्रों की पीपली (चित्तौड़गढ़) के पास बैंडच नदी पर एनीकट निर्माण की स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये आश्वासित रोजगार योजना के तहत राजसमंद एवं रेलमगरा तहसील में स्वीकृत कार्यों पर अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराने व कार्य प्रारम्भ नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

7. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत ग्रामों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

8. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर सरकार की विफलताओं पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

9. ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं के मद में जिला कलक्टर को पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

10. केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों को मजदूरों द्वारा न करवा कर ठेके पर करवाये जाने की उच्च स्तर पर जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बूंदी जिले में वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक आश्वासित रोजगार योजना में बजट लेप्स होने की उच्च स्तर से जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 129

(129)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

12. वर्ष 1998-99 में पंचायत समिति केशवरायपाटन क्षेत्र में आश्वासित रोजगार योजना में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को विकास अधिकारी द्वारा बढ़ावा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत छोटे-छोटे कॉजवे, पुलिया एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण प्राथमिकता से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. बूंदी जिले में आश्वासित रोजगार योजना के तहत विभिन्न विभागों के प्रतिशत के आधार पर कार्य न करवा कर अधिकारियों की मन मर्जी से ही स्वीकृति जारी कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

15. सिरोही जिले में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में कम राशि देने से अवरुद्ध हुये कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहौर)

16. आश्वासित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में अच्छी किस्म के कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

17. निर्वाचन क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मुहैय्या नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

18. ग्रामीणों को रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर रोजगार मुहैय्या कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

19. ग्राम पंचायत छीरडोदा खारा, लाछडी व ध्यावा पंचायत समिति लाडनूं में डी. आर. डी. ए. नागौर द्वारा स्वीकृत तालों के निर्माण का भुगतान बिना किसी मेजरमेंट के किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

20. जिला पाली के पंचायत समिति रोहट के मुरडिया, लाम्बडा, इन्द्रों की ढाणी, बागड़िया, निम्बाली ऊरां, निम्बली पटेसान व पंचायत समिति भांगेसर, खेतावास, भाम्बोलाई, आकडावास, पुरोहितान आदि गांवों के गांवाई तालाब ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

21. राजस्थान में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर खर्च किये गये धन का सदुपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. झुझनूं जिले में डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल तथा चेयरमैन के अधिकारों व दायित्वों को परिभाषित करने में

130

(श्री शिवनाथ सिंह)

विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. झुंझुनू द्वारा बिना गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के स्वीकृतियां जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की झुंझुनूं जिले में क्रियान्विति में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

25. राजस्थान में ग्रामीण रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत हो रहे कार्यों में धन का अपव्यय एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

26. जोधपुर जिले में आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कों के समय पर पूर्ण नहीं होने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने एवं प्रशासनिक स्वीकृति व तकनिकी स्वीकृति के मध्य समय सीमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. जोधपुर जिले में डी.आर.डी.ए. की विभिन्न योजनाओं के कार्यों की शिकायतें ग्राम पंचायतों के विरुद्ध प्राप्त होने पर भी उसकी जांच एवं कार्यवाही में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. डी.आर.डी.ए. द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों में कार्यरत एजेन्सियों द्वारा सहयोग नहीं करने एवं समय पर कार्य शुरू नहीं करने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

29. लाडनूं एवं डीडवाना के क्षेत्र में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह भुगतान कार्य एजेन्सियों द्वारा नहीं किये जाने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

30. आश्वासित रोजगार योजना में पंचायत समिति लाडनूं व डीडवाना में दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पंचायतों में कार्य नहीं करवाये जाने के कारण मजदूरी से वंचित मजदूरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

31. पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के क्षेत्र की पंचायतों को विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण कार्यों पर खर्च की गयी राशि का भुगतान नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

32. डी. आर. डी. ए. सीकर द्वारा लोसल छोटी, माण्डोली सबलपुरा गांवों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

33. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत गांवों में बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार के और अधिक साधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

34. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत मसूदा विधान सभा क्षेत्र में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

35. केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण रोजगार योजनायें हेतु आवंटित धन राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

36. जवाहर रोजगार एवं आश्वासित रोजगार योजनाओं के मापदंडानुसार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

37. ग्रामीण रोजगार योजनाओं हेतु आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने, केन्द्र सरकार से कम राशि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के तहत गांवों में ग्रामीण बेरोजगार युवकों की गणना कर उनको रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. गांवों में निवास कर रहे बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार गांवों में ही उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

40. धौलपुर क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हो रही देरी एवं भेदभाव पूर्ण नीति से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

41. धौलपुर क्षेत्र के ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 व 50 पर विचार

श्री सभापति : माननयी श्री हरिसिंहजी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति, अत्यधिक महत्व की मांग के सम्बन्ध में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। इसका सीधा सम्बन्ध भारत की आत्मा से है, भारत के ग्रामीण जीवन से है।

मैं आज के दिन स्वर्गीय राजीव गांधी को स्मरण करता हूं जिन्होंने भारत के ग्रामीण अंचल के उत्थान के लिये एक सोच दिया। सोच ही नहीं दिया बल्कि उसके सम्बन्ध में अग्रसर हुये। उनके सोच की बातें 73वें संविधान संशोधन के रूप में आयीं। इस संविधान संशोधन की आत्मा यह थी, उसकी मंशा यह थी, उसका आशय यह था कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो। यदि हिन्दुस्तान की हमें उन्नति करनी है, हिन्दुस्तान के ग्रामों की उन्नति करनी है तो दिल्ली में बैठकर के हिन्दुस्तान के ग्रामों के नक्शे नहीं बन सकते हैं। इसलिये जो शक्ति, जो सत्ता आज दिल्ली

(श्री हरिसिंह)

में है उसे हम गांवों तक ले जाएं, गरीब के घर तक ले जाएं। उस सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये 73वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान किये गये।

दूसरा उसमें यह भी किया गया कि जो दबे हुये तबके हैं, जिनका कि सदियों से, जिन्हें सत्ता का दर्शन तक नहीं हुआ था उनका सत्ता के अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं था, उन्हें आगे लाया जाए और कम से कम ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर तक उन्हें रिजर्वेशन मिले। इसके अतिरिक्त यह बात भी उसमें की गयी कि एक भाईचारा बने गांव के अन्दर। ये सब बातें उसमें निहित हुई।

राजस्थान तो सामुदायिक विकास के मामले में, पंचायतों के मामले में पूरे देश में अग्रणी था और 2 अक्टूबर, 1959 को हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का दीप जलाया। लेकिन आज मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो राजस्थान सबसे अग्रणी था पंचायती राज में, आज वह राजस्थान पंचायती राज में धीरे-धीरे करके पीछे होता चला जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन का मकसद यह नहीं था कि आप इस प्रकार का एक्ट बनाएं, राजस्थान में, इस प्रकार की पंचायतों की संरचना करें, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों का इस प्रकार से गठन करें कि वह एक प्रकार से वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट्स हो जाएं। एक दूसरे का तालमेल जो होना चाहिए, एक दूसरे के अन्दर जो सामंजस्य होना चाहिए, जो कार्य-कलापों के अन्दर मिलन होना चाहिये उसे आप समाप्त कर दें। आज राजस्थान के अन्दर जो पंचायती राज एक्ट है, श्रीमान् उसके अन्दर जिला परिषद् का कोई सम्बन्ध पंचायत समिति से नहीं है। पंचायत समिति का कोई सम्बन्ध पंचायत से नहीं है। तीनों अंग इस पंचायती राज में अलग-अलग करके बंटे हुये हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शायद पंचायती राज मंत्रीजी इस बात को महसूस करते हैं कि हम जो कानून बना गये वह गलत बना गये और आज उसमें ग्रामीण जीवन को, पंचायती राज को, जब हम गांवों का उत्थान करना चाहते हैं और पंचायतों के लिये जीवित करना चाहते हैं, पंचायती राज को अगर हम संजीवनी देना चाहते हैं तो हमें कानून के अन्दर परिवर्तन करना पड़ेगा और पहले जो कांग्रेस राज के जमाने में पंचायतों की संरचना थी, पंचायत समितियों की थी, सरपंच पंचायत समिति का सदस्य हुआ करता था और पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हुआ करते थे। इससे ऊपर से नीचे तक एक लिंक बैठता था और डवलपमेंट के काम बहुत ही अच्छी प्रकार से होते थे, वह आपको लाना पड़ेगा।

श्रीमान् दूसरी बात में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने क्यों अपना यह मानस अभी तक नहीं बदला है कि हम शहरी व्यक्तियों को ही अधिक महत्व देना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब स्पष्ट यह है कि अभी नगरपालिकाओं के सदस्य जो हैं, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष जो हैं, नगर परिषदों के अध्यक्ष हैं उनको आपने मानदेय और भत्ता अभिनिर्धारित किया है। अभी आपने पंचायत और पंचायत समितियों को भी

(श्री हरिसिंह)

दिये हैं। इन दोनों के अन्दर बड़ा भारी अन्तर है। एक पंचायत, नगरपालिका के वार्ड के चुने हुये सदस्य को जो ओनरेरियम मिलता है, एक नगरपालिका के सदस्य को बैठक में बैठने की जो फीस मिलती है वह हमारे पंचायत समिति के सदस्य को भी नहीं मिलती, जिला परिषद् के सदस्य को भी नहीं मिलती। कहां एक तरफ, नगरपालिका के मेम्बर्स, के लिये टेलीफोन का भत्ता मिलता है, वाहन भत्ता मिलता है, 75-75, 50-50 रुपये, बैठने की फीस मिलती है उसके मुकाबले में पंचायत समिति के सदस्यों के लिये आप 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये फीस देते हैं। तो एक जिला परिषद् का सदस्य क्या म्युनिसिपेलिटी के सदस्य के मुकाबले में भी महत्व नहीं रखता? इसलिये मैं सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का जो अभी तक गांव के लोगों को इस प्रकार से हेय दृष्टि से कह लीजिए, या नीचे की दृष्टि से कह लीजिये, चुने हुये सदस्यों को, आपको शहर के और ग्राम के इस अन्तर को, पंचायत के स्तर पर, शहर के स्तर पर मिटाना आवश्यक है। जो मानदेय या जो भत्ता उनको मिलता है, नगर पालिकाओं के सदस्यों को मिलता है कम से कम उतना भत्ता आप पंचायत के, पंचायत समितियों के और जिला परिषद् के सदस्यों को उनके उस स्तर के हिसाब से दें, तब जाकर के ऐसा महसूस होगा कि अभी तक जो मानस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्रीमान् इसके अतिरिक्त अनेकों बार इस बात की सरकार के सामने मांग की गयी है कि आप पंचायतों को, पंचायत समितियों को सशक्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आज कहीं, पंचायत समिति के सदस्य से बात कर लीजिये, जिला परिषद् का सदस्य यह पूछता है, पंचायत समिति सदस्य पूछता है कि हमारा क्या अधिकार है? हम अपने 2-2 पंचायतों के क्षेत्र से चुनकर आये हैं पंचायत समिति के अन्दर, जिला परिषद् में एक विस्तृत क्षेत्र से हम चुनकर आये हैं। हमें उस क्षेत्र की सेवा करने के लिये क्या अधिकार हैं। आपने शक्तियों का विकेन्द्रीकरण राजस्थान में अनेक लोगों की मांग के पश्चात् भी, अनेक प्रदर्शन होने के पश्चात् भी अभी तक नहीं किया और आपकी मंशा भी नहीं है कि कांग्रेस सरकार के जमाने में जो पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को शक्तियां थीं, वह अभी तक उनको देने का आपका मानस नहीं है। 73वें संविधान संशोधन का फर्स्ट शिड्यूल्ड आप देख लीजिये। आपका एक्ट बना है, शिड्यूल्ड आप देख लीजिये। उसमें किस स्तर तक शक्तियां देने के लिये सरकार से अपेक्षा की गयी। आपने अभी तक, मैं समझता हूं कि उसके मुकाबले में कोई कदम ही नहीं उठाया है सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये। पंचायत समितियां और जिला परिषद् तो एक प्रकार से निठल्ली बैठी हुई हैं। इनके पास में सिवाय इस बात के कि मीटिंग कर लें, जिला परिषद् के सदस्य आपस में बहस कर लें या सरकार के कुछ कर्मचारी वहां आकर के सवाल-जवाब, उनसे हो जाए, इसके अतिरिक्त उनके लिये कुछ नहीं है। न विकास के क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य कोई काम कर सकता है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कर सकता

(श्री हरिसिंह)

है, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम कर सकता है, न किसी अन्य क्षेत्र के अन्दर काम कर सकता है। मैं सरकार पर इस बात का आरोप लगाना चाहता हूं कि आप सत्ता पर कुंडली मारे हुये बैठे हैं? आप अपने स्तर से क्यों नहीं उनके लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके, पंचायतों को सशक्त करना चाहते हैं। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

श्रीमान् इसके अतिरिक्त, मैं और आगे एक बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आप संविधान संशोधन के हिसाब से, और पंचायत एक्ट के हिसाब से, जो वर्ग सबसे नीचे थे वह आज सामने आए हैं। गांवों के अन्दर 33 प्रतिशत महिलाएं सरपंच बनकर के आयी हैं। अपने यहां इसमें छूट दी है कि वह महिलाएं अनपढ़ हो सकती हैं, बिना शिक्षित महिलाएं भी सरपंच हो सकती हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है यहां पर? हो यह रहा है कि जो अशिक्षित महिला सरपंच है उसके खिलाफ इस बात के चार्जेज लगाये जा रहे हैं, सैक्रेटरी वगैरह मिलकर के, कि उसने अपने कार्यकलाप में कोई गबन किया है। अब एक अशिक्षित अनुसूचित जाति की या हरिजन महिला जो सरपंच है, जिसको अगर एक सैक्रेटरी जो उसके साथ काम करता है और जिसे कोई ज्ञान नहीं है इस बात का कि पैसे का किस प्रकार से लेना-देना होता है, किस प्रकार से रोकड़-खाता रखा जाता है। उसके खिलाफ इस बात के चार्जेज आते हैं कि पैसा आया, पैसे का जमा खर्च नहीं हुआ, किस खर्च में हुआ, टेण्डर नहीं लिये गये, यह काम इस प्रकार से किये जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के जो चार्जेज हैं। आज एक तो नया जमाना आया है कि महिलाएं आयी हैं, सरपंच होकर के आयी हैं, पंचायत समिति की सदस्य होकर के आयी हैं, जिला परिषद् में भी आयी हैं, उनके खिलाफ, उन अनपढ़ महिलाओं के खिलाफ आप इस प्रकार के चार्जेज पार्टीबंदी के आधार पर लगाते हैं और फिर उनके खिलाफ इन्क्वायरीज होती हैं और फिर उनके सस्पेंशन करना चाहते हैं। यह जब आपके पंचायत एक्ट के अन्तर्गत और रूल्स के अन्तर्गत यह है कि आपका सैक्रेटरी जिम्मेदार है, उसका कोष सैक्रेटरी जिम्मेदार है। सैक्रेटरी केश-बुक मेनटेन करने का जिम्मेदार है। पर सरपंच के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी कहां लगती है कि उसके खिलाफ चार्जेज लगते हों? तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में पंचायत विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिये कि पंचायत के सरपंचों के खिलाफ जो कि इस प्रकार के सरपंच हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही इस आसानी से चलायी नहीं जाये। इसके अतिरिक्त, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई पंचायत समितियों में यह देखा गया है, खास तौर से पंचायतों में देखा जाता है कि जो पैसा विकास का मिलता है, जो स्वीकृतियां आती हैं, सरपंच के पास में, उनका पार्टीबंदी के आधार पर सरपंच अगर नहीं चाहता है तो उस काम को नहीं करता है। पैसा है उनके पास में किसी काम को करने के लिये लेकिन सरपंच उस काम को करना नहीं चाहता है, तो उसमें क्यों नहीं एक कमेटी बनायी जाए गांव के आदमियों की तरफ से,

(श्री हरिसिंह)

जो उस काम को करें। क्यों नहीं? यहां पर एक पेमेंट का प्रश्न आकर के पड़ता है। तो कभी प्रधान साहिबान या आपके सरपंच साहिबान भुगतान नहीं करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस पांच मिनट और लूंगा। यह तो समय मिल जाए। तो मैंने सुना है हमारे मंत्री महोदय ने इस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि जो सरपंच साहिबान के, निश्चित सीमा के अन्दर काम नहीं करेंगे, उनके वहां के काम करने के लिये कमेटी बनायी जाएगी और जो भुगतान अगर प्रधान साहिबान नहीं करेंगे चैकों के ऊपर, तो उसमें चैकों पर प्रधान साहिबान के दस्तखतों के स्थान पर जिला-परिषद् के सी.ओ. साहब दस्तखत कर सकेंगे और सी.ओ. साहब अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो प्रशासक दस्तखत करेंगे। यह जो अभी आपने दिशा-निर्देश दिये हैं, मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि यह बहुत ही डैड-लॉक पड़ा हुआ था, पंचायत-राज के अन्दर और इस डैड-लॉक की वजह से काम-काज हो नहीं रहे थे। इसके अतिरिक्त श्रीमान् पंचायतों में आपने जो पैसा दिया है, वह इतना कम दिया है कि आज पंचायतों में, अनेकों पंचायतों में भवन नहीं हैं और भवन अगर हैं भी तो वहां पर पंचायत मरम्मत नहीं कर सकती। इसलिये आपको अपने कोष से पंचायतों के, जहां भी पंचायतें हैं, पंचायतों के भवन निर्माण के लिये आपको अपनी सरकार के कोष से पैसा देना चाहिए। आप कहते हैं कि जवाहर रोजगार योजना से भवन निर्माण हो। जवाहर रोजगार योजना का पैसा इतना कम होता है कि उसमें पंचायतों के भवन नहीं बन सकते।

तीसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने स्कूल खोले हैं, ग्रामों के अन्दर अभी आपके स्कूल खुले हैं, आपने, कुल स्कूल हैं 28,665 और उसमें अध्यापक हैं, वह इतने हैं कि एक स्कूल में एक ही अध्यापक है। कहीं-कहीं स्कूलों में दो-दो अध्यापक हैं और एक या दो अध्यापकों पर लड़के वहां कितने हैं? लड़के सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ एक एक स्कूलों में हैं। जब आपका मानस यह है कि हम प्राथमिक शिक्षा एक प्रकार से कम्पलसरी करने जा रहे हैं, सभी को साक्षर करने जा रहे हैं तो इन स्कूलों में चालीस के अनुपात में एक अध्यापक देने की बात, सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। इतना बेक-लॉग है कि आप टिचर्स के लिये मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं। आपने पिछले कई सालों से चालीस और एक के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी ग्राम पंचायतों के अन्दर, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा हमारी कमजोर हो जाएगी तो फिर कैसे वहां के बालक पढ़कर आगे आज के कम्पीटीशन में आगे आएंगे। आज शहरों में बैठे लोग जो पढ़ते हैं एयर कंडीशन स्कूलों में और जो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में जाते हैं, उनका मुकाबला तो हमारा प्राथमिक स्कूल का बच्चा कर ही नहीं पायेगा। टाट-पट्टी नहीं है, पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, लड़कों से पूछते हैं कि मास्टरजी आपको पढ़ा नहीं रहे हैं तो मास्टरजी कहते हैं कि मैं उनको कब पढ़ा रहा हूं, मैं तो

(श्री हरिसिंह)

अपनी तनख्वाह सीधी कर रहा हूं। तो, श्रीमन्, आज यह एक वातावरण बना हुआ है। मैं आपसे यह कह रहा था और पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में जहां पर दो-दो अध्यापक हैं और जहां पर चालीस और एक का अनुपात नहीं है, वहां पर वे अध्यापकों की सीधी नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त, एक वृद्धावस्था पेंशन का मेटर है। इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक स्कीम चली है कि पंचायत के ग्रोथ सैंटर बनाकर कुछ गांवों को सलेक्ट करके उनका विकास करने के लिये और ग्रोथ सैंटर्स के लिये पैसा भी दिया गया है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ग्रोथ सैंटर का पैसा जिस काम के लिये ग्रोथ सैटर्स को दिया गया है, उसमें उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे जिले में तो मैंने देखा है कि ग्रोथ सैंटर का पैसा कहीं नालियों में लगा दिया है। मैन सड़कों के बीच की जो नालियां हैं, उसमें कर दिया गया है तो ग्रोथ सैंटर, आप एक सैंटर, डवलप करना चाहते हैं कि वहां पर प्राइमरी स्कूल भी हो, वहां पर हास्पिटल भी हो, वहां पर पशु चिकित्सालय भी हो, वहां पर सड़क से जुड़ा हुआ भी हो, इस प्रकार के जब आपके स्कीम, योजना बनी हुई है, उस योजना को साकार करने के लिये आप क्यों नहीं दृढ़ता के साथ में काम कर रहे हैं और उस पैसे का और अन्य स्थान पर क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि हैण्डपम्प के मिस्त्रियों का एक मामला है। सरकार कभी तो उनको मरम्मत के लिये पंचायतों को दे देती है, कभी सरकार मरम्मत के लिये उनको पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट को दे देती है। तो क्यों नहीं आप एक सिस्टम, इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें? हैण्डपम्प्स का, पेयजल का काम तो पंचायत और पंचायत समितियों को आपको हैंडओवर करना चाहिए। यह एक ऐसी बात है कि यह काम बजाए सरकार के, सरकार तो वृहद योजनाओं को लें, गांवों में हैण्डपम्प जैसी चीजें, गांव में छोटी छोटी स्कीमस हैं, इनको तो पंचायत ही और पंचायत समिति सक्षम हो सकती है, इस काम को करने के लिये। तो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर, आप ट्रेंड इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिस्त्रियों का, मिस्त्रियों के ऊपर सुपरवाइजर्स का, पंचायतों पर आप दें। आपके हो क्या रहा है, वहां पर 9 पंचायत समितियों के अन्दर जे. ईएन. नहीं है। आपके पंचायत समितियों के अन्दर सुपरवाइजर नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

है। आपके हर पंचायत में एक सुपरवाइजर, दो-दो तीन-तीन पंचायतों को देखता है। तो न तो एक पंचायत का काम होता है, न दूसरी पंचायत का काम होता है। तो आपके पास में सुपरवाइजर हर पंचायत में एक होना चाहिये। जेई.एन. पंचायत समितियों में, कम से कम एक पंचायत समिति में दो जे. ई. एन. होने चाहिये और फिर उसमें भ्रष्टाचार बड़ा भरा हुआ है। आज किसी सरपंच से बात करो कि कितना पैसा होता है तो वह तो सरपंच हमारे को यह कहेगा कि भाई इतना परसेंट तो इसमें जेई.एन. का लगता है। इतना परसेंट इसमें इसका लगता है। इतना ही भ्रष्टाचार इस स्तर पर परकोलेट होकर के चला गया है।

(श्री हरिसिंह)

के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई सख्त कदम उठाने चाहिये। जहां तक आपने यह काम किये हैं कि कमेटी बनाने का आपने दिशा-निर्देश दिये हैं और अगर पेमेंट नहीं हो तो उसके चैक्स पर दस्तखत करने के लिये दूसरे अधिकारी को पावर्स दिये हैं, इसकी मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं। अभी आपने पंचायतों में स्कूल खोलने की बात की है। पहले स्कूल खोले जाते थे, एक-एक साल के अन्दर तीन-तीन हजार स्कूल खुलते थे, ढाई-ढाई हजार स्कूल खुलते थे। अब आप कहते हैं कि 423 स्कूल खोल रहे हैं। आज कहना तो आपका यह है कि आपने हर तीन सौ की आबादी के, ढाई सौ की आबादी के गांव में स्कूल खुल गये। आपकी कुल संख्या 28 हजार की है। अब राजस्थान के अन्दर गांव मुश्किल से मैं समझता हूं कि 33 हजार, 34 हजार गांव हैं। तो आपके हिसाब से छह हजार गांवों के अन्दर तो स्कूल अब भी नहीं खोले हैं। तो कितने दिनों में आप खोलेंगे? इन स्कूलों को ले जाकर के तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आप, हमारे कुम्हेर के अन्दर ही कई गांव हैं ऐसे, रावजी, वगैरह, जहां पर कि प्राइमरी स्कूल नहीं खुले हैं।

वृद्धावस्था की बात है। एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में, पहले तो यह आदेश दिये गये थे सरकार की तरफ से कि जिस किसी व्यक्ति कि इनकम 1500 रुपये से कम है और उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।

श्री सभापति : कृपया, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जी ?

श्री सभापति : समाप्त करें, बहुत समय हो गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कहां पर? अभी तो शुरू ही किया है। शुरू भी नहीं किया। मैं आपकी बात मान लूंगा।

श्री सभापति : आप बीस मिनट से अधिक बोल चुके हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वृद्धावस्था में मंशा सरकार की यह है, केन्द्र सरकार की मंशा यह है कि जो असहाय लोग हैं, जिनके पास में कोई आमदनी नहीं है, जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं। जिनकी

(15.39 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिनकी आमदनी बिलकुल 1500 से कम है, अब आपने उसका इंटरप्रिटेशन ले लिया कि 1500 से आमदनी उसके परिवार के ही हों। परिवार में तो बहुत लोग आते हैं तो इसमें स्पष्ट निर्देश, मंत्री महोदय, जारी हों। मेरा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

निवेदन करने का मकसद तो यह है कि जिस व्यक्ति के पास में खाने-पीने के साधन नहीं हैं, चाहे उसके परिवार की आमदनी कुछ भी हो, मेरा बेटा या मेरा और कोई आदमी कमाता है, तो मेरा पेट भर जाता है क्या? ऐसे लोग दर-दर सड़क पर घूम रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि वे भूखे मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और आपके पैसे होते हुये, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी सरकार का पैसा होते हुये भी.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दो मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक मिनट तो दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : दो विभाग हैं। दस मिनट से ज्यादा किसी भी माननीय सदस्य को दे नहीं पाऊंगा इसलिये आप बिराजें। कृपया, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, एक मिनट, साहब मैं आप से यह कह रहा हूं जो महिलाएं हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उन्हें आप मेहरबानी करके यह दिशा-निर्देश करें कि उनको जो पेंशन हो गयी है वह पेंशन कम से कम समाप्त नहीं की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, एक बात और कहूंगा कि आपने इन्दिरा आवास में तीन-तीन आवास बंट में आते हैं एक पंचायत में, उसमें सरकार यह करे कि ज्यादा इन्दिरा आवास योजना आप बनाकर पैसा लगाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपसे फिर यह संक्षेप में निवेदन करूंगा कि पंचायत का जो आज का ढांचा है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आप आर्डर है, पाइंट आफ आर्डर है, एक सैकण्ड। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है यहां सदन में एक नियम बना हुआ है कि कोई भी माननीय सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सूचना देता है। माननीय अरुण सिंहजी ने शायद सूचना भी नहीं दी और सदन में भी नहीं आये। उनके बारे में सदन ने कोई चिन्ता भी नहीं की। वह विशेष नाराज भी हैं या क्या कारण है, कहां गये ? इसकी कम से कम सदन इस बात के लिये जानकारी ले। यही मेरा विनम्र निवदेन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट करता हूं। मैं जानकारी कर लूंगा इसके बारे में। श्रीमान् ओम प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यदि सही स्वरूप देखना चाहें तो वह गांवों में ही देखा जा सकता है। विकास के लिये यह दोनों ही विभाग ग्रामीण विकास में अहम् भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में इन विभागों को चुस्त-दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इनमें किंचित मात्र भी शिथिलता रही तो हमारा जो आब्जेक्ट है ग्रामीण विकास का, वह पूरा हो नहीं पायेगा। सरकार की ओर से पूरी चेष्टा की जा रही है कि विकास के काम-काज में एक नीचे से नीचे स्तर के व्यक्ति को भी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

भागीदार बनाया जाए। पंचायत राज में ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायत भी अपनी आम सभा के माध्यम से उस गांव के वासियों को भी भागीदार बनाती है कि आप कौनसे विकास के काम कराना चाहते हैं और उनको यह भी स्वतंत्रता दी गयी है कि आप जानकारी रख सकते हैं कि किस काम की स्वीकृति के लिये कितना पैसा स्वीकृत हुआ है और उस पैसे में से कितना काम हुआ है। वह काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह सारी जो व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इसमें आज के परिवेश में जिस तरह का अंकुश लगना चाहिये, वह अंकुश मुझे व्यक्तिशः प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी से और माननीय डी. आरडीए. मंत्रीजी से, कि जो काम काज हो रहे हैं विकास के, उसमें बड़े भ्रष्ट तौर-तरीके अपनाये जा रहे हैं। मुझे यह कहते हुये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ..... (व्यवधान) मेरी दो चीजें हैं इसमें। दो चीजें मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की मंशा, आब्जेक्ट, इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन जैसे पचास आदमी हैं, पचास आदमियों में एक आदमी क्रिमिनल हो, पचास आदमियों में, पचास कर्मचारियों में पांच आदमी क्रिमिनल भी हो सकते हैं। पचास आदमियों में पांच आदमी क्रिमिनल भी हो सकते हैं लेकिन यह प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि सभी के सभी क्रिमिनल हैं। ऐसी स्थिति में, मैं राजसमंद डी.आरडी.ए. के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के डी.आरडी.ए. के चेयरमैन का कोई इंटरेस्ट ही प्रतीत नहीं होता कि वहां कोई विकास के काम-काज भी चल रहे हैं, यह बड़ी दुःखदायी स्थिति है। यहां तक कि वहां पर "अपना गांव अपना काम" जिसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है वह पैसा जमा कराते हैं वह पैसा भी बिना पैसे लिये-दिए रिलीज नहीं किया जाता है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, "बत्तीस जिले बत्तीस काम" के पैसे और निर्बन्ध राशि के पैसे विधायक मद से दिये जाते हैं। वह पैसे भी तीन-तीन साल तक रिलीज नहीं किये जाते हैं। रिलीज करने के लिये जब उनसे सम्बन्धित एजेन्सी सम्पर्क करती है तो उनसे कहा जाता है कि आप पहले पैसा दे जाओ और फिर ले जाओ।

रेलमगरा में जो जे. इएन. काम कर रहा है ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और मंत्रीजी को भी निवेदन किया था कि उस व्यक्ति के सारे के सारे काम-काज की जांच करायी जाय। जांच नहीं करायेंगे तो हमारा जो आब्जेक्ट है ग्रामीण विकास का, वह किसी कीमत पर पूरा होने वाला नहीं है। वह व्यक्ति पहले आई.जी.एन.पी. में काम करता था जे. ईएन. इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में। अब रेलमगरा में पिछले तीन साल से काम कर रहा है। उस व्यक्ति को किसी भी कागज पर आप हस्ताक्षर करा लो पन्द्रह प्रतिशत पैसे देकर। वहां जितने काम उसके माध्यम से हुये, उन सारे के सारे कामों की जांच कराने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ, मैंने निवेदन किया था कि चाहे सांसद कोटे का पैसा हो, चाहे विधायक कोटे का पैसा हो, वह

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

पैसा भी आपका डी.आर.डी.ए. रिलीज नहीं करता है और रिलीज नहीं करने से तीन साल पहले जो काम स्वीकृत किए गए थे, वह काम आज तक पूरे नहीं हुये। दो लाख रुपये स्वीकृत हुये थे वहां पर पच्चीस हजार रुपये रिलीज किये और हम अपेक्षा करेंगे उस कार्यकारी एजेन्सी से, कि वह काम कर डाले। वह काम किसी कीमत पर नहीं करेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि प्राइस एस्कलेट होगी, प्राइस बढ़ेगी और वह काम कभी पूरे हो ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से, कि वह इसकी पूरी की पूरी जांच कराये। मैंने एक प्रश्न दिया था हाउस में, क्योंकि वह काफी बाद में था, इसलिये चर्चा में आया नहीं, उस पर स्पष्ट एडमिट किया है माननीय मंत्री महोदय ने, कि वहां पर तीन वर्ष पहले रिलीज किया, जो स्वीकृत काम का पूरा पैसा डी.आर.डी.ए. ने, रिलीज नहीं करने के कारण वहां काम-काम पूरे नहीं हो पाए और वे काम-काज इसलिये पूरे नहीं हो पाये कि वहां पर जब तक एडवांस पैसा रिश्वत के रूप में उन कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं दे दें तब तक वह पैसा रिलीज नहीं करते।

मेरी बात रिकार्ड पर, जो मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड पर आयेगी और उसका सत्यापन किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से कि इसके बारे में राजसमंद डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन बिलकुल निष्क्रिय हैं, उनका विकास के काम-काज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज उनका सुपरवीजन बिलकुल नगण्य-सा है और वहां पर जिस तरह की मटरगश्ती मची हुई है विकास के पैसे की, वैसी मैं समझता हूं इस पंचायती राज में ऐसी होना ठीक नहीं है। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी–(अनुपस्थित)। श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 41 और 50 के बारे में विचार हो रहा है। सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत हमारे डूंगरपुर में ऐसी स्थिति है कि वहां पर पहाड़ी एरिया है और अधिकांश गांव हैं और पाले हैं, वह गांवों में बसी हुई हैं तो खासकर एप्रोच रोड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने के बारे में पी.डब्ल्यू.डी. तो स्वीकृत करती नहीं है लेकिन पंचायत समिति के माध्यम से इन रोड्स को पूरा किया जा सकता है। बशर्ते कि सरकार, पंचायत राज मंत्री इनको अच्छा बजट दें और इतना बजट दें कि उस पर डामरीकरण भी हो जाए और पुलियाओं का निर्माण भी हो। एप्रोज रोड नहीं के बराबर है। तो मेरी मांग है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा धनराशि दें जिससे एप्रोच रोड के बारे में काम किया जा सके। श्रीमान् पंचायत समिति लेवल पर कई छोटे तालाब हैं, उन तालाबों की नहरें नहीं के बराबर हैं। कई जगह तालाब बने हुये हैं लेकिन नहरें नहीं हैं और नहरें हैं भी तो कच्ची हैं। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि उनके लिये भी बजट दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा दिया जाय ताकि ग्रामीण लोगों को फायदा मिल सके।

(श्री नाथूराम अहारी)

पंचायत समिति में जो जे. ईएन. है, वह एक ही जे. ई.एन. है और अस्थायी जे.ईएन. लगा रखा है और काम इतना होता है कि उस जेईएन. से काम पूरा नहीं होता है। यहां तक वहां एईएन. की जगह होनी चाहिए लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण जो काम है, वह सफर होता है और सरपंच को बहुत परेशानी होती है।

एक बात और है अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था कि पंचायतों में जो सरपंच हैं, वह बिलकुल अनपढ़ और यहां तैंतीस प्रतिशत का रिजर्वेशन किया हुआ है तो अनपढ़ सरपंच होने के कारण वहां सचिव ही सारा काम संभालता है। और इनके पीछे-पीछे बैग लेकर मैम्बर और सरपंच घूमते फिरते हैं और कोई काम होता है तो उसके बिना होता नहीं है और वह मनमानी करता है। अपने हिसाब-किताब के बारे में भी उसको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन सचिवों को पाबंद किया जाए और बिना सरपंच की जानकारी के कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाये जिससे सरपंच को परेशानी का सामना करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने यह भी बताया था कि आप नगरपालिका के पार्षदों को मानदेय देते हैं, भत्ते देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत लेवल के जो सरपंच हैं, मैम्बर हैं, उनको आप कुछ नहीं देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, फिर यह इतना पक्षपात क्यों कर रहे हैं? शहरों के लिये तो आप इतना कर सकते हो। गांव के जितने भी जिला परिषद के सदस्य हैं, सरपंच हैं और सरपंच के साथ रहने वाले उप-सरपंच आदि हैं इनको भी आप जिस तरह नगरपालिका को देते हैं उस तरह से मानदेय देना चाहिए और भत्ते में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। मेरी यह मांग है।

यहां मैं यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि पंचायत समिति के जितने भी स्कूल हैं इनकी व्यवस्था पूरी नहीं है। जो रोड साइड स्कूल हैं उनमें दो दो, तीन-तीन अध्यापक लगा दिये जाते हैं और पहचान वाले जितने भी अध्यापक होते हैं वह सारे रोड साइड पर लगे रहते हैं और इंटीरियर पर जो भी स्कूलें होती हैं वह सारी खाली पड़ी रहती हैं। मेरी आप से मांग है कि बिलकुल सुव्यवस्थित व्यवस्था बच्चों के आधार पर वहां की जाये ताकि जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनको नुकसान नहीं हो। यह मेरी मांग है।

पंचायतों के स्तर पर बड़ी सिटी में तो पशु औषधालय होते हैं पर छोटे गांवों में और पालों में पशु औषधालयों के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर मैंने सुना है कि पशु औषधालय को दो हजार की दवाई दी जाती है तो दो हजार तो एक पशु पर ही खर्च हो जाता है। इसलिये मेरी मांग है पंचायत राज मंत्रीजी, पशुपालन मंत्रीजी को यह रिक्वेस्ट कर के कि इस बजट को बढ़ायें ताकि इन आदिवासी और गरीब काश्तकारों के पशुओं के लिये दवाई की व्यवस्था हो सके।

मैं इन्दिरा आवास के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो चयनित परिवार करने का मापदण्ड अपनाया है यह

(श्री नाथूराम अहारी)

बिलकुल ही हंसने लायक है और बहुत ही ओछे तरीके से किया है। आपने उस फार्म में यह दिया है कि जिसके यहां पंखा होगा, आज के जमाने में पंखा होगा उसको आप धनवान मान लेते हो, यह काहे का न्याय है ? यहां तक कि उसमें इतना पक्षपात किया गया है कि पंखा, चाहे मोटर साइकिल और पक्के मकान हैं उनके नाम भी चयनित परिवार में आ गये हैं और दूसरे जो गरीब हैं जो ज्यों के त्यों रह गये। इसमें भी मेरी आप से मांग है कि आप इसको बारीकी से दिखवायें और जो परिवार चयनित किये गये हैं उनमें भी काफी घपले हुये हैं। उसको भी आप ठीक करें। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन भी, कोई मापदण्ड बनाया गया है, पता नहीं कब का है, 1954 का है जो कांग्रेस के टाइम में सस्ता जमाना था उस समय किया था, वही है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गयी है। और उसमें पेंशन देने के जो मापदण्ड बनाये गये हैं वह ऐसे बनाये हैं कि जिससे गरीब को फायदा नहीं मिलता है। तो मेरी मांग है आपसे कि इसमें भी आप सुधार करें।

पंचायत समिति के जितने भी आपने कानून बनाये हैं उसमें भी बिलकुल निठल्ले कर दिये हैं। इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् के जितने भी सदस्य हैं वे दर-दर घूमते-फिरते हैं और प्रधान को चयनित करते हैं पंचायत समिति के सदस्य, जबकि सीधा सम्पर्क होता है सरपंच से। सरपंच और उसमें कोई तालमेल नहीं होता है और आपस में झगड़े होते हैं। पंचायत समिति को चयन करने का अधिकार तो उन सदस्यों को है और पंचायत समिति के जो सरपंच हैं उनको नहीं है, तो इसमें भी हंसने जैसी बात है। इसके बारे में भी सोच कर और आपने जो कानून बनाया है उसमें कोई न कोई परिवर्तन करना चाहिए ताकि इनके आपस में सामंजस्य बना रहे। इधर सरपंच अपनी तरफ खींचता है और उधर पंचायत समिति के सदस्य अपनी तरफ खींचते हैं और आपस में झगड़े होते हैं। इसमें भी आप कोई इस तरह की व्यवस्था करें जिससे पंचायत समिति और जिला परिषद् में तारतम्य बना रहे।

मैं एक बात और भूल गया। पंचायत समिति के जितने भी स्कूल हैं उनमें से कई स्कूलों में हैंड पम्प नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको पीने के पानी की बड़ी समस्या होती है इसलिये स्कूलों में हैंड पम्प होना चाहिये। बाउंड्रीवाल नहीं होने के कारण स्कूल में आसपास के लोग कब्जा करते हैं। इसमें भी मेरी मांग है कि जिन-जिन स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं है उनमें आप बाउंड्रीवाल बनवायें, हैंड पम्प खुदवायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : और गांवों में कई ऐसे गांव हैं, अभी आपने कोई मापदण्ड कर रखा है कि ढाई सौ की आबादी वाले.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने क्या कहा, आपसे, सुना उसको ?

श्री नाथूराम अहारी : एक मिनट। 250 की आबादी में स्कूल खोलेंगे लेकिन.....(व्यवधान)..... तो ऐसे गांवों में भी स्कूल खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अहारी।

श्री नाथूराम अहारी : आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेह सिंह।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज ग्रामीण विकास की मांग पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाएं आज प्रदेश में जो काम कर रही हैं उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद् में अलग-अलग तरीके से जो एक कानून बना करके व्यवस्था की है, पंचायत समिति के सदस्य अलग और जिला परिषद् के सदस्य अलग, इसमें आये दिन पंचायत समिति के सदस्य शिकायत करते रहते हैं जबकि उनके पास कोई काम नहीं है। जिला परिषद् के सदस्य भी जिला प्रमुख के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ शिकायत करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह मानना है कि पूर्व में जो व्यवस्था थी, पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का एक सदस्य होता था। पंचायत समिति का प्रधान जिला परिषद् का सदस्य होता था। उस समय किसी तरह की शिकायत नहीं होती थी और व्यवस्थाएं अच्छी थीं। तो मैं इसमें मांग करता हूं कि जो कानून बने हैं, जो व्यवस्था की है उसमें संशोधन किया जाये और संशोधन कर के इस तरह की व्यवस्था की जाए कि आज की स्थिति में जिस तरह का विवाद है वह विवाद खतम हो।

दूसरी बात, मैं यह कह रहा था कि ग्राम पंचायतें नयी बनायी गयीं, ग्राम पंचायतों के अन्दर एक आरक्षण लागू किया, उसमें महिलाओं को भी लिया गया और अनपढ़ लोगों को इसमें जनता की सेवा के लिये भागीदार बनाया है लेकिन हुआ यह है कि ग्राम पंचायतें अधिक हुई हैं लेकिन ग्राम पंचायतों के अन्दर ग्राम सेवकों की कमी है। मेरी सरकार से यह मांग है कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक हो ताकि वह हर ग्राम पंचायत का काम, रिकार्ड वगैरह, लिखाई-पढ़ाई, हिसाब-किताब सही तरीके से कर सके। एक तो मेरी यह मांग है।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के अन्दर जो निर्माण के कार्य दिये जाते हैं ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा, ग्रामीण विकास अभिकरण में पहले 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाता था और 30 प्रतिशत डी.आर.डी.ए. अपने पास रखती थी। वह पैसा जिला कलक्टर, जिले का जो डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होता है, वह अपने स्तर से सेंक्शन निकालता था। इस बार इन्होंने यह किया है कि 65 प्रतिशत पंचायतों को दिया। इसमें कटौती की। 65 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सीधा पैसा दिया जा रहा है और 15 प्रतिशत पंचायत समिति को दिया जा रहा है और 15 प्रतिशत डी.आर.डी.ए. अपने पास रख रही है। तो जब ग्राम पंचायत को सीधा पैसा दिया जाना चाहिए या 70 प्रतिशत, उसमें से कम क्यों किया? मेरा यह मानना है कि ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत क्या 80 प्रतिशत पैसा दिया जाय और डी.आर.डी.ए. को 20 प्रतिशत पैसा रोक कर के पंचायत समिति

(श्री फतेह सिंह)

के प्रस्ताव के अनुसार उनको दिया जाय ताकि ग्राम पंचायतों में जो भी निर्माण के कार्य होंगे वह पंचायत समिति के मार्फत ग्राम पंचायतों से किया जायेगा। इसमें होता यह है कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पंचायत समिति में एक वार्षिक योजना दी जाती है, वार्षिक योजना के बाद में पंचायत समिति से डी. आर. डी.ए. में एक प्रस्ताव मांगे जाते हैं। प्रस्ताव मांगने के बाद विकास अधिकारी अपनी मर्जी से प्रस्ताव दे देता है। पंचायत समिति के सदस्यों और प्रधान के बीच में एक विवाद रहता है तो उन प्रस्तावों को डी.आर.डी.ए. का जो चेयरमैन कलक्टर होता है वह अपनी मर्जी से प्रस्ताव लेकर सैंक्शन निकाल देता है। पंचायत समिति में जो पैसा जाता है उसके बाद काम करने में परेशानी आती है। तो मेरा यह सुझाव है कि जो पंचायत समिति को पैसा दिया जाता है उसमें पंचायत समिति अपना प्रस्ताव तैयार करे और उसमें प्रधान और प्रशासनिक कमेटी का अनुमोदन हो और उसके बाद एम.एल.एज को भी साथ में जोड़ा जाय ताकि यह पता रहे कि वास्तव में जो डी.आर.डी.ए. से पैसा दिया जाता है पंचायत समिति को, उसमें जन प्रतिनिधि भी भागीदार हैं और उसमें यह निगरानी भी रह सकती है। मेरा यह मानना है कि डी.आर.डी.ए. से जो पैसा दिया जाय वह पंचायत समिति से प्रस्ताव, क्षेत्र के विधायक, प्रधान के भी दस्तखत हो और उसके बाद अगर डी.आर.डी.ए. में प्रस्ताव जायेगा तो उसकी एक मान्यता रहेगी। किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा और पंचायत समिति की उसमें सहमति होगी। उसके अन्दर काम भी ठीक होंगे।

(16.00 बजे)

दूसरा, मैं यह कह रहा था कि.....

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तो यही है अब भी।

श्री फतेह सिंह : जी, सर। प्रक्रिया तो यही है लेकिन आज नहीं हो रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि आज बाला-बाला पंचायत समिति से प्रस्ताव बी.डी.ओ. दस्तखत करके भेज देता है और ग्रामीण विकास अभिकरण का जो चेयरमैन कलक्टर होता है वह मंजूरी निकाल देता है। उसके बाद प्रधान और बी.डी.ओ. में विवाद होता है, एम.एल.ए. के बीच में विवाद होता है और पंचायत समिति के सदस्यों के बीच विवाद होता है। इसलिये मेरा मानना है कि पंचायत समिति का जो प्रस्ताव है वह उस रूप में जाना चाहिये।

दूसरा यह था कि पंचायत समिति में प्राइमरी स्कूलें हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों की हालत खराब है। मैं पंचायती राज मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाका जहां है वहां पर स्कूलें तो आपने बहुत सारी खोल दीं लेकिन अध्यापकों की जो कमी है उसकी आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं। जिला परिषदों में अभी इन्टरव्यू लेकर आप पोस्टिंग देने जा रहे हैं। उसमें परेशानी यह आ रही है कि जो लड़का अध्यापक के रूप में लगना चाहता है वह अच्छी जगह पर जाना चाहता है, शहरी इलाके में जाना चाहता है, प्रमुख के ऊपर और प्रधानों के ऊपर दबाव डाला जाता है। तो मेरा यह

(श्री फतेह सिंह)

मानना है कि जो स्कूलें हमारी खाली हैं और हम यह चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक रेगुलर जावें। लड़कों का रोल अधिक बढ़ा हुआ है तो हर स्कूल में दो या तीन अध्यापकों की पोस्टिंग हो ताकि वहां के लड़कों को लाभ मिले। जो प्राइमरी स्कूल हमारे होते हैं वह जैसे मकान की फाउंडेशन होती है, नींव होती है, उसी रूप में होते हैं। जब प्राइमरी स्कूल में ही अध्यापक की कमी रहेगी तो फिर लड़का पढ़ नहीं पायेगा। जबरदस्ती उसको पास करके आगे भेजेंगे तो बोर्ड की परीक्षा में जाकर वह कमजोर हो जायेगा और आगे उसका भविष्य अंधकार में होगा। मेरी यह मांग है कि स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति बराबर की जाय तब जाकर साक्षरता अभियान हम चला सकेंगे।

एक गरीब इलाका, आदिवासी या हरिजन इलाका पड़ता है, ट्राइबल इलाका पड़ता है। उस इलाके में अध्यापकों की भारी कमी है। तो मेरी मांग है सरकार से कि वहां पर अध्यापकों की नियुक्ति बराबर की जाय। लड़कों के रोल और रेशों के हिसाब से की जाय।

दूसरा, मैं यह कह रहा था कि पंचायत क्षेत्र में या दूर-दराज के इलाकों में जहां प्राइमरी स्कूलें हैं वहां पर पानी की कमी को दूर करने के लिये मेरा यह सुझाव है कि चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सैकेण्डरी स्कूल हो और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हो। वहां पर कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था के लिये एक हैण्ड पम्प लगाया जाए। उसके लिये भी बजट में प्रावधान किया जाय और इस तरह की नीति बनायी जाये कि हर स्कूल के ऊपर लड़कों को सुविधा हो जाय, व्यवस्था हो जाय।

दूसरा, मैं यह कह रहा था कि ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले इलाके में दो-तीन संस्थाएं काम कर रही हैं। एक-सतगुरु फाउंडेशन, दूसरी-आसोपा और तीसरी-कृभको। इन तीन संस्थाओं को डी.आर.डी.ए. मद से लाखों और करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। उसके अन्दर उनके काम भी बढ़िया हैं और वह एनीकट भी ऐसे बनाते हैं कि एक एनीकट 18 और 20 लाख तक का है। एक डिजायन के रूप में बनाकर के सही तरीके से वह काम करते हैं। उनकी हम तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हमारा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, उनको डी.आर.डी.ए. से पांच लाख रुपया ही सैंक्शन होता है। पांच लाख में एनीकट इतना मजबूत बनता नहीं है। तो मेरी यह मांग है कि, जब दूसरी संस्था को हम करोड़ों रुपया, लाखों रुपया दे रहे हैं उसमें छूट है। डी.आर.डी.ए. को यह अधिकार दिया जाय, डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन को पावर्स दिये जायें कि 10 लाख या 15 लाख रुपया इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट को दें और पंचायती राज को भी देवें ताकि उसके अनुपात में वह भी ऐसा काम करके दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : होता यह है कि डिपार्टमेन्ट के कामों को हम लोग कमजोर मानने जा रहे हैं। संस्था की हम तारीफ कर रहे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन

(श्री फतेह सिंह)

मेरी यह मांग है कि डी.आर.डी.ए. से अधिक पैसा उनको मिले ताकि इलाके में एनीकट बनें। एनीकट्स बनेंगे तो लोगों को सिंचाई के काम आयेंगे, पीने के काम में आयेंगे और उसके बाद अगर एनीकट भरा रहेगा तो कुओं का स्तर ऊपर उठेगा और लोगों को सिंचाई में लाभ मिलेगा, यह मेरा मानना है।

अन्त में, मैं यह कहने जा रहा हूं कि मैंने पंचायती राज के बारे में जो कुछ भी कहा है उस पर मंत्री महोदय कुछ ध्यान देवें और हर पंचायत में एक सेक्रेटरी रखें और एक बात मेरी यह भी है कि पूरे राजस्थान में पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति दे रखी है लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में, सज्जनगढ़ पंचायत समिति है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है, लम्बे समय से पंचायत समिति में विकास अधिकारी नहीं है वहां पर। वह एक महिला प्रधान है। मैं यह चाहूंगा और मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि उस खाली पोस्ट को आप भरें और भरकर उस जगह पर निर्माण कार्य हों, हर तरह के प्रशासनिक कार्य हों और जो सुस्तीबाड़ा है और एक कमजोरी सी लग रही है, उसकी पूर्ति हो। इतना ही कहते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम कब आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नवें या दसवें नम्बर पर है। मैं क्या करूं? आपका नाम ही दसवें नम्बर पर आता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको तो पूरे पावर्स हैं। आप तो हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब तो सारे पावर्स आप में ही निहित हैं। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप न्याय कर दो।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + को पहले ले लो।

श्री रामस्वरूप मीणा : ...(व्यवधान) हमको + + + बना रहे हैं ये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नौ नम्बर पर हैं या दस नम्बर पर हैं?

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सामुदायिक विकास और ग्रामीण रोजगार की मांगों पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देते हुये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अभी हमारे बहुत सारे भाइयों ने जिला परिषदों और सरपंचों के बीच को-आर्डिनेशन नहीं होने की बात कही है। यह बात सत्य है क्योंकि जिला परिषद् के चुनाव अलग तरीके से हो रहे हैं। पहले सरपंच, प्रधान का भी और जिला परिषद् के चुनावों में भी भागीदार बनते थे। अभी गत वर्षों में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ उसमें पंचायती राज की चुनावी प्रक्रिया को सारी की सारी को बदला गया

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

और अब स्थिति यह है कि सरपंचों का प्रधान या जिला प्रमुख को चुनाव कराने में कोई योगदान नहीं और नतीजे में यह होता है कि एक जिला परिषद् का सदस्य जो बहुत सारा पैसा खर्च करके, मेहनत करके जीतकर आता है और अगर पंचायत में चला जाए तो सरपंच कहता है कि पधारो, आपका कोई काम नहीं है तो यह परिस्थिति बड़ी विकट है उस पर मनन भी करना चाहिए, जब हमने उनको चुनकर आने के लिये सुविधा दी है, कानून बनाया है तो इन जन प्रतनिधियों का अपने अपने क्षेत्रों में कुछ न कुछ लगाव बढ़े, कुछ कर सकें, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है वह पंचायती राज नियमों में संशोधन करके नियम बनाकर जैसा भी कर सकें, पंचायती राज मंत्री अभी कहीं गये हैं.....(व्यवधान) अधिकार तो दिये हैं उससे उनका कोई समाधान नहीं हुआ। उनकी एक प्रकार से जो ग्रेड है वह भी बढ़े, उनका सम्मान हो, पंचायत में उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं, बैठने का अधिकार नहीं।

अब एक जिला परिषद् का मैम्बर जाकर पंचायत में बैठता है उसकी कोई वेल्यू नहीं रहती तो कम से कम कोई सुझाव दे उसका कोई न कोई अधिकार बनना चाहिये। किसी भी तरीके की उसकी आइडेन्टिटी बने। जिला परिषद् में चुनकर गया है, पंचायत राज में चुनकर गया है तो इसी तरह से पंचायत राज में तो अभी उनको सभाओं में बैठने का तो अधिकार दिया, यह तो अच्छी बात है। हमारे पंचायत राज मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगी।

इसी के साथ साथ ग्राम सेवकों की भी बहुत कमी की बात हम लम्बे समय से कर रहे हैं। इन दिनों इन्होंने कुछ भर्तियां भी की हैं। इसमें तो मैं जरूर सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हम लोग भी बच गये। बड़े निष्पक्ष रूप से यह भर्तियां की गयीं हैं। शुद्ध मेरिटोरियस उनकी परीक्षाएं वगैरह करके उनकी भर्ती की है। हमारे पास कोई नहीं आया सिफारिश लेकर कि हमको ग्राम सेवक में पास करवा दो। परन्तु जो भी भर्ती की है अभी भी कमी है। पहले चार-चार, पांच-पांच पंचायतें एक-एक ग्राम सेवक के अधीन होती थी। आज भी स्थिति यही है कि एक-एक ग्राम सेवक के पास दो पंचायतें या तीन पंचायतें हैं। तो, ग्रामीणों को जो हम सुविधा देना चाहते हैं क्योंकि अभी ग्राम पंचायतों के पास बहुत काम हैं। जितना भी विकास का काम है ग्रामीण क्षेत्र का वह ग्राम पंचायतें ही कराती हैं। वह चाहे अनटाइड फंड के माध्यम से हो, चाहे जे.आर.वाई. का काम हो, ई.ए.एस. का हो, तीस जिला तीस काम हो, अपना गांव अपना काम हो, अनेकों योजनाएं राज्य सरकार ने ग्रामीणि विकास की चलायी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि पिछले तीन-चार-पांच बजट में राज्य सरकार ने लगातार 75 प्रतिशत के आस पास जो बजट था वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही खर्च करने की कोशिश की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास हो। लेकिन इतना विकास का काम ग्रामीण क्षेत्रों में है परन्तु यहां जो ग्राम सेवक हैं वह बहुत कम हैं और कम होने से इतना काम नहीं करा पाते। एक पंचायत, एक ग्राम सेवक तो आपको फार्मूला अपनाना

(श्रीमती तारा भण्डारी)

ही पड़ेगा वरना इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं में बहुत पैसा आ रहा है। सरपंच चाहते हैं कि काम हो जाय, ग्रामीण जनता भी चाहती है कि काम हो जाय लेकिन अकेला ग्राम सेवक एक या दो पंचायतों में मिलकर काम नहीं कर सकता। बल्कि एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक और एक सह सेवक होना चाहिये। इससे वहां काम सुचारू रूप से चल सकता है। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि अभी आपने दो हजार ग्राम सेवकों की भर्ती की है। अच्छा किया है, कम थे ज्यादा हो गये लेकिन अभी और करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो-दो जेईएन. लगाये हैं। लगा दिये कि नहीं, इनके आर्डर्स हैं। अच्छा हुआ लग गये, बता रहे हैं लग गये। एक पंचायत समिति में दो जे. ईएन. होने से थोड़ा काम हलका हो जायेगा वरना विकास के काम तो इतने हैं कि आप कभी पंचायत समिति का विकास रजिस्टर देखें तो इतनी योजनाएं हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। ग्रामीणों को रोजगार किट्स देने की योजना है जिसमें गरीब जो लोग होते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं तो मात्र दस प्रतिशत उनका अपना और बाकी सारी सब्सिडी उनको रोजगार किट्स देते हैं। किसी को सुथारी के काम के लिये देते हैं, किसी को नाई के काम के लिये देते हैं। जो जिसको काम पसंद हो।

इस प्रकार से इन्दिरा आवास योजना भी है। इन्दिरा आवास योजना अच्छी है। पैसा भी उसमें बढ़ाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्दिरा आवास का जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, वह आपने रोका है वह जबर्दस्त फर्जीवाड़ा था। पुरानी इन्दिरा आवास कालोनियां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपको बीस नाम सिरोही जिले के गिना दूं। इतनी कालोनियां हैं, कम से कम बीस कालोनियां हैं। आज उनमें कोई बसना नहीं चाहता, गिर रही हैं, गिर गयीं, कोई बसना नहीं चाहता। सरकार का अरबों रुपया इन्दिरा आवास में बहकर चला गया। आज कोई गरीब बंधु उसमें रहा नहीं। लेकिन अब सरकार ने इसको थोड़ा बदल कर दिया है और उसमें एक फायदा तो यह है कि महिलाओं के नाम से इन्दिरा आवास मंजूर करेगी। तो, यह जो फर्जीवाड़ा और चार सौ बीसी हो रही थी वह कम से कम कम हो गयी। पंचायत समिति स्तर पर दो महीने में एक कैम्प लग जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो तारीखें तय हैं कि 26 तारीख को सिरोही पंचायत समिति का कैम्प होगा तो 27 को शिवगंज का, 28 को पिंडवाड़ा का, इस प्रकार से तारीखें देकर पंचायत समिति में ब्लाक स्तर पर कैम्प होते हैं। उन कैम्पों में हमारे जो काश्तकार बंधु हैं उनको पास बुकें दी जाती हैं। अच्छे बीज की जानकारी दी जाती है, अच्छी खाद की जानकारी दी जाती है। समाज कल्याण की भी कोई योजना हो, जिस प्रकार का भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई काम हो बराबर स्टाल लगाकर सारे ग्रामीण भाइयों को.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज तो आपसे मैं टाइम लूंगी। मैं कभी-कभी बोलती हूं और मैं अपनी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पूरी बात नहीं कह सकूं तो मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा। थोड़ा सा मेरे लिये आप.....(व्यवधान) मैं सबको टाइम देती हूं, आप चिन्ता मत करो। उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा होगी तो अभी बैठ जाऊंगी। मैं कुछ अच्छी योजनाओं के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी देती हूं, सदन का भी यह विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शार्ट में कह दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : शार्ट में ही कहूंगी और आपकी आज्ञा का तो पूरा पालन करूंगी, पर कभी कभी बोलती हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्दिरा आवास की जो नयी योजना बनी है और इसमें मेरे ख्याल से 16-17 हजार रुपया दिया जाता है वह कम है। एक एक पंचायत में दो या तीन इन्दिरा आवास दिये गये हैं। इससे सरपंच की बड़ी मुश्किल आती है कि किस का पास करे किसका नहीं करे। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. सर्वे हुआ गत दिनों आपको पता होगा लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। अगर किसी ग्रामीण भाई के एक पक्की चारदीवारी बनाकर ऊपर फूस का भी छप्पर है तो वह बी.पी.एल. में नहीं आ सकता। उसको तो बिलो पावर्टी में गिना ही नहीं जायेगा। उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है या उसके पास पांच बीघा जमीन है तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कठिन नियम हैं बी.पी.एल. के। बी.पी.एल. में तो कोई आ जाय, बड़ा मुश्किल काम है, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है तो मेरा आपसे अनुरोध है हालांकि भारत सरकार के नियम हैं यह हमारे नहीं है बी.पी.एल. के, लेकिन आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री प्रयास करें भारत सरकार में जाकर तो लोगों को बी.पी.एल. की सुविधा मिल सकती है। वरना आज आप यह चाहते हैं कि घर के मुखिया के नाम एक चारदीवारी का छोटा सा मकान है और उसके बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर क्या घर का मुखिया वह जमीन बेचकर दीवाला निकालकर आपकी बी.पी.एल. में आये या वह चार दीवारी बेचकर दीवाला निकालकर आये? सवाल यह है कि आज उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है और यदि हमें उनको वास्तव में पैरों पर खड़ा करना है तो बी.पी.एल. के नियम भी बदलने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज मंत्री जी को एक धन्यवाद भी देना चाहूंगी। पिछले अनेकों वर्षों से सरपंचों के गबन घोटालों के मामले चले आ रहे हैं, जांच नहीं होती थी। जांच दबा दी जाती थी। राजनीतिक प्रभाव आता था। यह पंचायती राज मंत्री हैं जिन्होंने पिछली जांचों को एक अभियान चलाकर, एक स्फूर्ति लाकर जांच की और, उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा नहीं, दो करोड़ रुपया उन चोरों से वसूला जो राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का खाकर बैठ गये थे। जिन सरपंचों ने पैसा वापस नहीं किया उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होकर कानूनी कार्यवाही भी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें कहूंगी, आपका बिलकुल ज्यादा समय नहीं लूंगी। ग्रामीण रोजगार की भी हमारे सामने बहुत

(श्रीमती तारा भण्डारी)

योजनाएं हैं। विकास की दृष्टि से राजस्थान आज बहुत आगे बढ़ रहा है। हमको कभी कोई कठिनाई नहीं आती। लोग कोई काम बता दें, हमारी सड़क बना दो या हमारा स्कूल बनवा दो, सामुदायिक भवन बनवा दो, हमारे पास इतनी योजनाएं हैं हम किसी न किसी फण्ड में उन योजनाओं में काम जरूर मंजूर करा देते हैं। सरकार ने भी अपना गांव, अपना काम योजना चलायी, तीस जिला तीस काम योजना चलायी, ई.ए.एस. हमारे यहां चल रहा है, जे.आर.वाई. चल रहा है और भी कई योजनाएं हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे ग्रामीण रोजगार मंत्री जी को भी कहना चाहूंगी, हमारा सिरोही जिला अन्तिम सिरे पर है और भामाशाहों की कमी नहीं। अपना गांव अपना काम में सिरोही जिले में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। इतने दानदाता हमारे आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीण रोजगार में यह पैसा कम आ रहा है। अब अपना गांव अपना काम में लोगों का पैसा हमारे जिला अभिकरण में जमा है लेकिन गवर्नमेंट का शेयर हमारे पास नहीं होने से आज हमारे को तकलीफ हो रही है। हम गांवों में जाते हैं, जिन लोगों ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई जिला अभिकरण में जमा करा रखी है उसमें सरकारी किश्त शामिल नहीं होने से उनका काम नहीं हो रहा है। तो, मैं आपके माध्यम से, माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी को भी कहना चाहती हूं कि आप अपना गांव अपना काम योजना में और अधिक पैसा दीजिये ताकि जो सरपंचों ने हमारे यहां नाली के लिये पैसा जमा कराया है,—सड़कों के लिये पैसा जमा कराया है, स्कूलों के कक्षों के लिये पैसा जमा कराया है, वह पैसा भी हमारे पास है। आज कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई, अनादरा ग्राम पंचायत का डेढ़ वर्ष से पैसा जमा है अपना गांव अपना काम में, अब डेढ़ वर्ष से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी शेयर और उनका शेयर भी नहीं मिल रहा है इससे कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो अपना गांव अपना काम में बहुत काम हुये हैं। लोगों ने गांव के गांव सुधार दिये। सीमेंट की सड़कें बना दीं, पानी की सीमेंट की टंकियां बनायी, पाइप लाइनें बिछायी, काम बहुत हुआ है। इस प्रकार से होता चला जा रहा है। पर मैं खास तौर से सिरोही जिले की पैरवी करना चाहूंगी कि हमारे यहां अपना गांव अपना काम, तीस जिला तीस काम और अनटाइड फण्ड, इन तीनों में राशि बहुत कम देते हैं। सरकार हमारे यहां पैसा देने में पता नहीं क्यों संकोच करती है? जिला हमारा छोटा है, शांतिप्रिय है, लोगों में भी बहुत संतोष है। थोड़ा सा पैसा आप दिल खोलकर रिलीज कीजिये तो हमारे ग्रामीण विकास की योजनाएं सुचारू रूप से चल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, ई.ए.एस. में भी पैसा बहुत कम आया है और ई.ए.एस. में मैंने प्रयास भी किये हैं। मैं तो बार-बार हमारे मंत्रीजी, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी, जो भी हमारे इस विभाग के सेक्रेटरीज हैं, उनको मिलकर कोशिश करती हूं कि हमारी यह अधूरी योजनाएं पूरी हो जायें। लेकिन आज मैं समझती हूं कि मेरी बात पर गौर किया जायेगा।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

अंत में, पंचायत राज मंत्रीजी को एक और धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि इन्होंने जिस प्रकार से आज पंयाचती राज में जो अध्यापकों का रोज शोर होता था, एक स्कूल में पांच अध्यापक और डेढ़ सौ बच्चे और एक स्कूल में तीन सौ बच्चे और दो अध्यापक, तो इन्होंने थोड़ा समानीकरण लागू करने की कोशिश की है। मैं चाहती हूं यह सफल हो और इनकी निगरानी रहे। इनकी निगरानी अगर फिल्म पर ही रही तो हमारी मुसीबत है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको भी कहना चाहूंगी कि अब पूरा का पूरा पंचायती राज पर ध्यान देकर विकास करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की दोनों मांग 41 और 50 ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। समय की कमी होने के कारण माननीय उपाध्यक्षजी, मैं संकेत रूप में ही अपनी बात कहना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं ग्रामीण विकास अभिकरण जो राजस्थान में बने हुये हैं उनका नक्शा खींचना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं, मैं बार-बार उनके ध्यान में लाता भी रहा हूं, यह अनियंत्रित हाथी हैं। इन पर किसी का अंकुश नहीं है। न आपका अंकुश है, न और किसी का अंकुश है। जो भी आपके किसी नियम के अन्दर डी.आर.डी.ए. बनी है। गवर्निंग काउंसिल उसकी है। जनरल बाडी उसकी है। लेकिन आज इस सरकार ने नीचे के तरीके से इन सब संस्थाओं को, सब बाडीज को बाईपास करके जिला कलक्टर को जो उसका चेयरमैन है, सर्वेसर्वा कर रखा है। आज कोई भी गवर्निंग काउंसिल की पूछ नहीं है। जनरल बॉडी की पूछ नहीं है और ऐसे काम होते हैं जो नियम विरुद्ध हैं, आपके दिशा-निर्देशों के विरुद्ध हैं और फिर भी माननीय मंत्रीजी कहते हैं, सुझाव दो। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने हमको एक किताब दी है ग्रामीण कार्य निर्देशिका, उपाध्यक्षजी, उसमें एक प्रावधान है कि वार्षिक योजना बनेगी और वार्षिक योजना गवर्निंग काउंसिल में स्वीकृत होगी और जिला कलक्टर या उसका चेयरमैन वार्षिक योजना से बाहर कोई काम स्वीकार नहीं करेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस का कहां तक पालन हुआ है? मैं अपने जिले की बात कहता हूं और जो मैं अपने जिले की बात कहता हूं वह पूरे राजस्थान पर लागू होती है। हमारे यहां डी.आर.डी.ए. में एक भी कार्य पिछले डेढ़ साल से इस मार्ग-दर्शिका के अनुसार नहीं हुआ है। गवर्निंग काउंसिल की कहीं पूछ नहीं हुई है और एन्युअल प्लान बनाये बिना बराबर सैंक्शन निकलती जा रही हैं। हमने बार-बार यहां आपसे कहा, बार-बार चिट्ठियां लिखी गयी और बार-बार प्रश्न पूछे गये, एक पर भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी और इसलिये मुझे संकोच के साथ में कहना पड़ता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं तो यह सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी पुस्तिका में निगरानी समितियों का प्रावधान है और निगरानी समितियां उसमें जन-प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक भी मीटिंग हमारे जिले में निगरानी समितियों की नहीं हो पायी और वह किसलिये नहीं हो पायी? कलक्टर अपनी मर्जी से सैंक्शन निकालता है, मर्जी से कार्यवाही करता है और निगरानी समितियों की बैठक में चर्चा हो तो उनकी पोल खुलती है, उन पर अंकुश लगता है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे दो सुझाव हैं, इन दोनों की आप पालना करवा दीजिये। हम आपके आभारी होंगे। एन्युअल प्लान के बिना जो सैंक्शन निकाली गयी हैं, इनकी पिछले डेढ़ साल की आप जांच करवा लीजिये और मैं नहीं कहता कि एक्शन आप लोगे। लेकिन जांच करवा कर उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर काल कीजिये कि आपने ऐसा क्यों किया? उस पर अंकुश लगेगा और इसी तरह से जो निगरानी समितियां आपने बनायी हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र से उनको महरूम रखा गया है, उसकी भी आप कार्यवाही कीजिये।

उपाध्यक्षजी, एक समिति और बनी है अंकेक्षण समिति, जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है और कलक्टर उसका सेक्रेटरी है। कलक्टर को जिला प्रमुख की अध्यक्षता वाली कमेटी में बैठने में शर्म आती है, इसलिये एक भी मीटिंग उस अंकेक्षण समिति की नहीं बुलाता है क्योंकि चेयरमैन जिला प्रमुख ऊपर बैठेगा और सेक्रेटरी उसका नीचे बैठेगा। यह किसी भी कलक्टर को गवारा नहीं होता है और खास तौर से हमारे जिले में तो वह कहता है कि जन-प्रतिनिधि क्या होता है? मैं हूं तो होता है। माननीय उपाध्यक्षजी, आज तो पब्लिक लीडर बने हुये हैं। मंत्रीजी के अधिकार में नहीं है। यह कहीं गांव में गये और कोई घोषणा स्वीकृत भी कर आये। लेकिन जिला कलक्टर गांवों में जाते हैं, बोलो क्या चाहिये? हमको यह चाहिये। जाओ, आपको दे दिया और इस प्रकार से जो धांधली, इस प्रकार का जो रूप बना हुआ है, असहनीय है और इसके कारण हमको विवश होकर यहां इन बातों के लिये मुंह खोलना पड़ता है वरना शर्म हमको भी बहुत आती है इन छोटी-छोटी बातों को यहां विधान सभा में रखें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने एक प्रश्न रखा और प्रश्न यह था कि कितने काम स्वीकृत हुये? उक्त स्वीकृत कार्य में कितने ऐसे कार्य हैं जो वार्षिक योजना में नहीं हैं फिर भी स्वीकृतियां जारी कर दी गयीं? उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर देने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया और जो कुछ वहां के परियोजना अधिकारी ने जवाब भेज दिया, उसको ही यहां मुझे पेश कर दिया। उसमें जो मैंने सवाल पूछा था कि वार्षिक योजना के बाहर कौनसे काम किये गये हैं, एक का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। वे इस जवाब को ही टाल गये। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन कार्यों की तरफ, डी.आर.डी.ए. की तरफ थोड़ा अंकुश लगाइये, आपकी भी प्रतिभा बढ़ेगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री शिवनाथ सिंह)

अभी तो पांच ही मिनट हुये हैं।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक कोष के 5-5 लाख रुपये स्वीकृत किये जाते हैं। यह काम ऐसे हैं। जिनमें विधायक जाय, छोटे-मोटे काम जो हों गांव वालों की मांग के अनुसार प्रस्ताव कलक्टर को पेश करे। पिछले साल का विधायक कोष का रुपया लैप्स कर दिया। जिला कलक्टर ने

(16.28 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

उन स्वीकृतियों को, उन प्रस्तावों को, जो माननीय सदस्यों ने दिये थे अपने कोष से स्वीकृतियां जारी करने के लिये, उनको जारी नहीं किया। मंत्री महोदय से मैंने पहले भी निवेदन कर रखा था, आज भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो स्वीकृतियां विधायक कोष से होनी चाहिये, उसमें कलक्टर का दखल नहीं होना चाहिये। सिर्फ इतना ही होना चाहिये कि वह अनावश्यक काम नहीं है और उन कामों से सम्पत्तियां निर्मित होती हैं। यह मेरा दृष्टिकोण है। गांव वालों का दृष्टिकोण है, कहां खुर्रा बनना चाहिये, कहां नाली बननी चाहिये और कहां पाइप लाइन बिछनी चाहिए, यह विधायक का दृष्टिकोण है। इस मामले में वह कहीं पी.एच.ई.डी. के काम को आड़े ले आते हैं, कभी पी.डब्ल्यू.डी के काम को आड़े ले आते हैं, इसलिये इन बातों का आप ध्यान रखें और यही कारण है माननीय सभापति महोदय, कल उपाध्यक्ष भी हो जायेंगी आप।

श्री सभापति : सभापति ही ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के 31 मार्च को जो वर्ष समाप्त हुआ है। उसमें आपके विभाग से संबंधित एक टिप्पणी है। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि सांसदों के उनके निर्वाचन क्षेत्र में छोटे निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 94 तक इतना धन दिया गया था और उसमें 30 परसेंट राशि भी खर्च नहीं की गयी। जो प्रस्ताव गये थे उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं की। यदि यही दशा होती रही तो जिस उद्देश्य से यह कार्य करवाये गये हैं और जिस उद्देश्य से यह धन आबंटित किया जाता है, उसका मेरे ख्याल से कोई उपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदया, समय की कमी के कारण मैं डी.आर.डी.ए. और ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में इतना ही कहूंगा। माननीय पंचायत राज मंत्री जी बिराजमान हैं। आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जिससे निर्वाचित प्रधान और प्रमुखों का, उनका अपमान हो। वह निष्क्रिय हुये हैं यह बात तो सही है लेकिन उनका अपमान हो, आपने यह व्यवस्था कर दी। मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। कोई भी जिला परिषद् से चैक कटता है उस पर उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला प्रमुख के हस्ताक्षर, प्रति हस्ताक्षर होने चाहिये। माननीय मंत्री महोदय कहें, इन्होंने उत्तर भी दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 36 इस प्रकार के चैक काटे गये हैं जिनमें सी.ई.ओ. और प्रमुख की जगह कलक्टर ने हस्ताक्षर किये हैं। आप कहेंगे कानून में एल.एल.एम. हैं, कानून की बात आप

(श्री शिवनाथ सिंह)

कहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.....सभापति महोदया, मैं तिवाड़ी जी से चाहूंगा कि वह बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। इस प्रकार की जो व्यवस्था आपने की है, कानून में, नियमों में है लेकिन नियमों में प्रावधान इस प्रकार का है जब ऐसी परिस्थितियां बन जायें कि जिला प्रमुख अनुपस्थित हो, जिला प्रमुख उसमें बाधा पहुंचाता हो, प्रधान उसमें बाधा पहुंचाता हो। उसको बार-बार कहने के बाद भी वह चैक पर साइन नहीं करता है तो कलक्टर कर सकता है और सी.ई.ओ. भी कर सकता है। लेकिन यहां सिर्फ जिला प्रमुख को अपमानिक करने के लिये झुंझुनूं के जिला प्रमुख को अपमानित करने के लिये जिला कलक्टर ने उन चैकों पर साइन किये हैं। मुहाना पंचायत समिति के प्रधान को अपमानित करने के लिये प्रधान की जगह सी.ई.ओ. ने साइन किये हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आप अपमानित कर सकते हैं। लेकिन इससे जो पंचायत राज की भावना है उसके साथ आप बिलकुल कुठाराघात करेंगे और यह करना भी नहीं चाहिये। आखिर में, माननीय सभापति महोदय, सामाजिक अंकेक्षण हुआ था। बहुत सी गलतियां हमारे सामने आयी। उसका आज तक भी कोई निपटारा नहीं किया गया। आप कहते हैं कि बड़ी-बड़ी, बहुत रकम, सभापति महोदया, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने प्रश्न पूछा है कि एक ग्राम पंचायत के सरपंच, जो मेरी पंचायत समिति छऊ का, उसने 60 हजार रुपये एक कार्य के लिये लिये और उसमें से 29 हजार रुपये का गबन कर गया। 29 हजार के गबन के लिये मैंने बार-बार यहां पूछा और एक बार हमारे कमिश्नर साहब भी इस विभाग के हैं, वह हमारी कमेटी के सामने आये थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैंने आज आदेश दे दिये हैं कि इसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाये, रकम वसूल की जाये, उसको भी दो साल हो गये। इस मामले को कम से कम 12 और 13 साल हो गये। एक भी कार्यवाही उससे रकम वसूल करने की नहीं की क्योंकि उसमें आपके अधिकारी इनवाल्व थे। इसलिये इन कार्यों के लिये आप इसमें शीघ्रता से भागीदारी करें। और यह मैं आपको अभी दे दूंगा.....

सभापति महोदया, मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के लिये जो संस्थाएं हैं भगवान के नाम पर आप इनकी रक्षा कीजिये। और माननीय मंत्री महोदय हमारे जो डी. आर. डी. ए. को डील करते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा है कि थोड़ी सख्ती दिखायें और हमारे झुंझुनूं जिले में डी.आर.डी.ए. के क्रिया-कलापों की जांच आप करवा लें। हम संतुष्ट हो जायेंगे। उन पर आप कार्यवाही मत करें। उन पर कोई एक्शन मत लें। लेकिन कम से कम उन कार्यों की जांच की जाये। सभापति महोदया, चार-चार लाख रुपये एक-एक जोहड़े के लिये दे दिये। जिसका कोई उपयोग नहीं है। अर्थ वर्क होगा और चार-चार लाख रुपये में, वह सब काम बेकार है। लेकिन वह सेंक्शन होते हैं, इसलिये कि जिसमें अधिक कमीशन दिया

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाये। जिसमें अधिक कमीशन की आवश्यकता हो। वह काम स्वीकृत होते हैं डी. आर.डी.ए. झुंझुनूं में और जिन कामों में कमीशन की गुंजाइश कम होती है वह काम स्वीकृत नहीं होते हैं। इसलिये आखिरी निवेदन है कि विधायक कोष का रुपया आप इस साल का, एक महीने के अन्दर स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 41 व 50 पर विचार

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, गांवों से संबंधित दोनों विभाग सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास पर चर्चा हो रही है। जिस तरह की व्यवस्था 73 वें संविधान संशोधन आने के बाद पंचायती राज में एक तरह से व्यापक परिवर्तन हुए और उस परिवर्तन के कारण एक जो बदलाव आया। चाहे वह महिलाओं के आरक्षण का हो, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंचों का आरक्षण हो। उसके बाद जो एक्ट में प्रावधान किया गया कि पंचायत समिति का सदस्य जिला परिषद् का सदस्य, पंचायत का सदस्य वह पढ़ा-लिखा होने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े-लिखे भी बन सकते हैं। इसकी आवश्कता इसलिये हुई कि यह महसूस किया गया था जब एक्ट बना। माननीय पंचायत राज मंत्री भी थे कि इससे महिलायें, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इसमें नहीं आ पायेंगे और सीटें खाली रह जायेंगी। पर उसका नतीजा उल्टा हुआ। महिलाएं आई, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग आये। आज बिना पढ़े-लिखे प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंचों के पदों पर हैं। जिस तरह से आज पंचायतों में विकास के काम आ रहे हैं जिस कारण से आज पंचायत में जो महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सरपंच और प्रधान हैं। उन्हें आप राज के अधिकारी चाहे वह बी.डी.ओ. हो चाहे वह ग्राम पंचायत का सैक्रेटरी हो, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी उनको जानकारी नहीं है। फिर भी पहली बार यह प्रयोग हुआ उसका दुरुपयोग राजकीय अधिकारी कर रहे हैं।

माननीय मंत्रीजी, आप पूरा देख लीजिये, सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्था हुई है तो महिला सरपंचों को और अनुसूचित जाति के सरपंचों को हुई है, महिलाओं को हटाया गया है, पुरुष उप सरपंच था वह आकर के उनकी जगह बैठ गया और उनको हटा दिया गया।

सभापति महोदया, जो संविधान संशोधन की मंशा थी, उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। एक बार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा

(श्री परसादी लाल मीणा)

था और पंचायत राज मंत्रीजी भी कहते हैं कि यह जो बदलावा आया, उसका जनता को ज्यादा फायदा नहीं मिला, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्य बने, उनकी एक आकांक्षा थी, उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि हमको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। डवलपमेंट के लिये फंड मिलेगा। सब सरपंच वगैरह हमारे अधीन रहेंगे। सब हमारी चलेगी। इस लालसा में उन्होंने किसी ने पांच लाख लगा दिये। किसी ने 10 लाख लगा दिये। अब उनको अधिकार कुछ नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, सरपंच जो एक्जीक्यूटिव बाडी है ग्रामीण विकास की। आज उन सरपंचों को पंचायत समितियों में बैठने को जगह नहीं है, जिला परिषद् में बैठने को जगह नहीं है, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य आज उनका शोषण कर रहे हैं, उनके चैकों का भुगतान नहीं होने दे रहे हैं, उनके काम का वेल्यूवेशन नहीं होने दे रहे हैं। उसका कारण है कि पंचायत समिति का प्रधान सरपंचों से नहीं बन रहा है, वह बन रहा है पंचायत समिति के सदस्यों से, जिला परिषद् का प्रमुख सरपंचों से, प्रधान से नहीं बन रहा है वह बन रहा है जिला परिषद् के सदस्यों से तो जो इस तरह का एक विरोधाभास इस एक्ट के बनने के बाद आया। पंचायत राज मंत्री जी, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी की भावना थी, मैंने पढ़ा था कि हम वापस पुरानी व्यवस्था को ला रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गयीं। किसी ने पांच लाख खर्च किये, किसी ने दो लाख किये और जब उसमें देखा तो इसमें कुछ नहीं है तो वह सरपंचों का शोषण कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं होने दे रहे हैं, विकास कार्यों में अड़गें डाल रहे हैं।

आज मैं बताना चाह रहा हूं पंचायत राज मंत्री जी, आज पंचायत समितियों में आप कहीं भी चले जायें। आपके 90 परसेन्ट प्रधान चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, चैक पर साइन करने से पहले विकास अधिकारियों और प्रधान जब साइन करेगा, क्यों आ रही हैं शिकायतें? चैक पर प्रधान और बी.डी.ओ. के जोइंट साइन होंगे 20 हजार से ऊपर। शिकायतें इसलिये आ रही हैं कि उनको 10 परसेन्ट चाहिये। एक पंचायत समिति के सदस्य को चाहिये। सभापति महोदय, प्रधान सरपंचों की क्यों परवाह करेगा? ना उनको हटा सकता है सरपंच, ना उनको चुन सकता है। इस तरह का जो विराधोभास यह पंचायत राज आया है। उसके बाद गांवों में सरपंचों का वास्तव में शोषण हुआ है। मैं आपको उदाहरण के लिये कहना चाहूंगा कि आज सिकराय पंचायत समिति में ऐसा ही मामला आया, गवर्निंग कौंसिल में, कलक्टर के सामने मामला आया। कलक्टर ने बीच में पड़कर वहां पर भुगतान किया। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे लालसोट पंचायत समिति में भी 4-5 पंचायतों के मई माह के चैक प्रधान के साइन के अभाव में पड़े हैं। बी.डी.ओ. को कह दिया और प्रधान को कह दिया कि 10 परसेन्ट लाओ नहीं तो आपके चैक नहीं होंगे। अगर इस तरह का शोषण सरपंचों का होगा तो यह ग्रामीण विकास का जो सपना है, गांधीजी का नेहरू जी का, राजीव गांधी का, जो देश में एक बदलाव की बात थी वह पूरा होने वाला नहीं है।

(श्री परसादी लाल मीणा)

मेरा आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन है कि अगर महिला सरपंच है तो वहां की उप सरपंच भी महिला ही हो तो उनके विरुद्ध अत्याचार रुक सकता है। दूसरी बात, मेरा निवेदन करना है कि आज आप सारे विकास अधिकारियों को पशुपालन विभाग से ले जा रहे हैं, आपने कोई कैडर नहीं बनाया। नगरपालिका का तो कैडर है, उनके ई.ओ. इस कैडर का होगा, उसका आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन होगा। आप कहीं एक मास्टर को बना रहे हैं तो कहीं किसी डाक्टर को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी होगी पांच साल बाद। वह अपने विभाग में चला जायेगा, दो-चार-दस-बीस-पचास लाख रुपये कमाकर इधर-उधर चला जायेगा। ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिये आपको ध्यान देना चाहिये।

सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी, यह बात सही है कि आपके आने के बाद सरपंचों से पैसा वसूल किया गया, उसके लिये तो हम आपका स्वागत करते हैं मंत्रीजी, पर आपने जो वसूली की है, वह राजनीतिक आधार पर की है। किसी भी बी.जे.पी. के पूर्व सरपंच के खिलाफ आने वाली वसूली का एक नोटिस भी नहीं दिया। मैं बता रहा हूं, आपने किसी के खिलाफ भी नोटिस नहीं दिया, न किसी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, वसूल किया जाना चाहिये, चाहे वह किसी भी पार्टी के लोग हों। मैं आपको उदाहरण के लिये बता दूं कि वर्तमान में पंचायत समिति लालसोट का प्रधान है, जो पहले सरपंच था, उससे 30 हजार रुपये की राशि की वसूली पी.डी.आर. एक्ट से करा रहे हैं? क्यों नहीं, एफ.आई.आर. दर्ज करायी आपने? क्यों नहीं पद से हटाया? नहीं हटा रहे हैं तो एफ.आई.आर. जो दूसरे सरपंचों के खिलाफ करवाई है, वैसा ही व्यवहार आपको उनके साथ करना चाहिए पर आपकी पार्टी का है प्रधान पर आप पैसा तो वसूल करिये। अगर हिम्मत हो तो करिये। आप आज कहेंगे कि हम पैसा वसूल करेंगे।

दूसरी बात, किस तरह से पंचायतों को बाइपास कर रहा है आपका विभाग, ग्राम सभा को बाइपास किया, पंचायत समिति को बाइपास किया, जिला परिषद् के सी.ई.ओ. को बाइपास किया और आप सीधे ग्रामीण विकास अभिकरण के डाइरेक्टर को पंचायत भवन बनाने का निर्देश दे रहे हैं। एक हमारे बिलोड़ा खुर्द, ग्राम पंचायत है, वहां पर ग्राम सभा वालों ने निर्णय लिया कि गांव की मुख्य आबादी में पंचायत भवन बनाया जाए। उसको पंचायत समिति ने अप्रूव किया, सी.ई.ओ. ने अप्रूव किया और आपके डाइरेक्टर ने उसका आर्डर निकाला कि आप पंचायत भवन को आबादी से दूर, दो किलोमीटर गांव से, ढाणी में बना रहे हैं? आप करना क्या चाह रहे हैं? मुख्य आबादी वहां, मिडल स्कूल वहां, आंगन बाड़ी केन्द्र वहां, ग्राम सेवक का हैडक्वार्टर वहां और मण्डी समिति की सड़क वहां तक और आप वहां से ले जाकर, पंचायत राज मंत्रीजी आपने जो आर्डर किया है, गांव वालों ने भवन बनाया और आप कह रहे हैं उसको एक ढाणी में बनायेंगे? आपके घर बना लो पंचायत विभाग का डाइरेक्टोरेट का आफिस। आपके

158

(श्री परसादी लाल मीणा)

गांव की आबादी यहां है और आप वहां पर बना रहे हैं? क्यों आप इस पैसे की बरबादी कर रहे हैं? आखिर आपको जाना है, इसलिये पंचायत भवन को गांव की आबादी में मेहरबानी करके, आप ईमानदारी से देख लो, अपने किसी अफसर को भेज दो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, आप अपने किसी अफसर को भेज कर जांच करवा लो कि किस स्थान पर पंचायत भवन बनाना उचित है।

जिस तरह की व्यवस्था के बारे में आप कह रहे हैं कि समानीकरण कर दिया, आज भी पचासों स्कूल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी हैं जहां डेढ़ सौ-डेढ़ सौ लड़के हैं और एक-एक अध्यापक है। अध्यापक स्कूल महीने में 10 दिन, 15 दिन खोलता है। विकास अधिकारी को तो चैक काटने से और विकास करने से, मवेशियों को खरीदने से फुर्सत नहीं। आज की एजूकेशन का ढांचा, सभापति महोदया, जो बिगड़ा है, उसका कारण है कि हमारी जो नींव है, वह प्राइमरी एजूकेशन है, वह ग्रामीण विकास की लापरवाही के कारण, पांच क्लासें हैं, एक-एक अध्यापक है, क्या पढ़ायेगा, वह कौनसी एजुकेशन देगा? आप कम से कम गांव में, शहर की स्कूल में चाहे 50 लड़के हों, आपको पांच-सात-दस टीचर मिल जायेंगे, गांव में क्यों नहीं है? जब तक गांव और शहर में भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक गांव के लड़के आगे नहीं बढ़ सकते।

दूसरी बात मेरी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, पंचायत राज मंत्रीजी, आप एल.एल.एम. हैं और एल.एल.एम., होने पर हमें भी गर्व है। लालसोट दौसा के साथ भी आपका लगाव है कि आपका राजनीतिक उठाव वहां से हुआ है। पर मुझे तरस आता है आपकी एल.एल.एम. की डिग्री पर। ग्राम मण्डावरी, आपकी अच्छी तरह जानकारी में है, ग्राम पंचायत ने 1977 में वहां प्लाटों की नीलामी की थी, आबादी भूमि को नीलाम किया था, उसके खिलाफ किसी आदमी ने ए.डी.एम. के यहां से स्टे ले लिया। उसका फैसला भी ग्राम पंचायत के पक्ष में हुआ, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर के यहां आया, उसक बाद भी ग्राम पंचायत के फेवर में हुआ, फिर वे लोग हाई कोर्ट आये, हाई कोर्ट की सिंगल बैंच का फैसला भी ग्राम पंचायत के पक्ष में हुआ, फिर वह आदमी, रिट करने वाला, डबल बैंच में गया, डबल बैंच ने भी सिंगल बैंच के फैसले को अपूर्व किया और जिस विभाग के आप मंत्री बनकर बैठे हैं, उस विभाग ने उस आदमी को कह दिया कि इसको फलां रेट पर जमीन दे दी जाये। बीस साल तक ग्राम पंचायत हाई कोर्ट तक लड़ी मुकदमा, डबल बैंच तक लड़ी और आप अपने राजनीतिक फायदे के लिये, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को फायदा देने के लिये ग्राम पंचायत की कम से कम 20 लाख रुपये की भूमि को कौड़ियों के भाव देना चाहते हैं। इस तरह से आप ग्रामीण विकास विभाग को चलाना चाहते हैं? मुझे तरस आता है कि डबल बैंच के फैसले के बाद भी या तो आपकी जानकारी में नहीं लाये, सारे फैसले की नकलें मैं आपके लॉ का जो डिप्टी डाइरेक्टर है, उसको देकर आया हूं कि आप हमारे मंत्रीजी को और अपने डाइरेक्टर को,

(श्री परसादी लाल मीणा)

डवलपमेंट कमिश्नर को पढ़ाना, कहीं हाई कोर्ट आपको उल्टा-सुल्टा न कर दे।

ऐसे-ऐसे आपके फैसले, आपके + + + ग्राम पंचायत का भवन बना दो ढाणी में तरीका है यह? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लालसोट आपको भी जाना है, पार्लियामेन्ट का आप चुनाव लड़ेंगे तो उस गांव में मंत्रीजी आप जाओगे न? आप को गांव में घुसने नहीं देंगे वहां।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : परसादीलालजी.....

श्री परसादीलाल मीणा : आप जवाब दें तब कहना, ये सारे फैक्ट्स देना जवाब में, बीच में कृपया न बोलें, जवाब में कहना, मैं जो बात उठा रहा हूं, आप उसका जवाब, अपने जवाब में देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य देखिये, मैंने आपको बहुत समय दे दिया। आप पूरा करें।

श्री परसादी लाल मीणा : दूसरी बात मैं एस.एस.ओ. मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आपको जो पैसा सुनिश्चित रोजगार योजना में मिल रहा है, आप सुनिश्चित कर लें कि क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? सारे कामों के मस्टर रोल फर्जी भरकर ठेके पर काम दिये जा रहे हैं, कोई सरपंच हाथ भी नहीं लगाता है। आपको जो क्राइटेरिया है कि गरीब को लगायेंगे, चयनित को लगायेंगे, कोई नहीं लगा रहा है। सभापति महोदया, आपके भी ग्रामीण इलाका है, आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में....

श्री सभापति : मेरे यहां तो ऐसा नहीं होता है। फर्जी मस्टर रोल नहीं भरते हैं, बराबर रोजगार मिल रहा है।

श्री परसादी लाल मीणा : वाटर शेड का जो पैसा है आपके सुनिश्चित रोजगार योजना में से जो 50 प्रतिशत वाटर शेड के लिये दे रहे हैं वह पैसा सारा का सारा काम नहीं आ रहा है। आप उस पैसे से एनीकट वाटर शेड की जगह, एनीकट निर्माण की अनुमति देंगे तो आपका जो पैसा करोड़ों रुपये, डी.आर.डी.ए. में है वह काम आ सकता है। अगर आपने वाटर शेड ही रखा तो जल संसाधनों के लिये, हम जो वाटर लेवल ठीक करना चाहते हैं, वह वाटर शेड में कहीं पूरा नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : वह तो केन्द्र सरकार से कहना पड़ेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : या केन्द्र सरकार से आप कराकर लायें, कहीं से भी कराकर लायें पर उसमें एनीकट वाटर शेड की जगह, एनीकट शब्द को लगायेंगे तो उसका उपयोग हो सकेगा। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदया, मांग संख्या-41 और मांग संख्या-50, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सभापति महोदया, जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा था अपने बजट भाषण में कि राज्य सरकार ने ग्राम

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

स्वराज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। यह कल्पना तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू और पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने राजस्थान में पंचायत स्थापना करके उसी समय यह कल्पना की थी।

लेकिन आज इस पंचायतराज की स्थिति क्या बन गई है? मैं अगर आपको अपने सवाईमाधोपुर जिले के बारे में निवेदन करूं, आज सवाईमाधोपुर जिला, जिसके दो टुकड़े करके करौली, नया जिला बना दिया.....

श्री सभापति : आपको अवसर दे रही हूं। अब आप कहें तो उधर से शुरू कर दूं?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने करौली को तो जिला बना दिया लेकिन जिला परिषद् का क्या किया? एक साल हो गया, जिला परिषद् का न तो आपने भवन दिया और न आपने जिला परिषद् के चुनाव कराये और एक साल के अन्दर जिला परिषद् की कोई भी मीटिंग सवाईमाधोपुर के अन्दर या करौली के अन्दर आज तक नहीं हुई है। यह है आपके पंचायती राज का नमूना।

सभापति महोदया, मैं माननीय विशिष्ट योजना मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर में जो एडिशनल डाइरेक्टर (डवलपमेंट) की पोस्ट होती है, चार साल में पांच बार तो आपने चेंज कर दिया। कोई भी प्रोजेक्ट डाइरेक्टर आता है तो 6-7 महीने से ज्यादा टिकता ही नहीं है और जो भी टिकेगा वह अपनी मनमर्जी से जो पंचायत समिति के माध्यम से या डी. आर. डी. ए. के मेम्बर के माध्यम से निर्माण, विकास के लिये प्रस्ताव जाते हैं उनको रद्दी की टोकरी में पटक देता है। एक्शन प्लान बना लिये, लेकिन एक्शन प्लान के मुताबिक कोई कार्य नहीं होते हैं। सीधी सी बात है कि सरपंच डाइरेक्ट पहुंच जाइये और डी. आर. डी. ए. के अन्दर जो बाबू लोग हैं या पी.डी. हैं उनसे मिलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। इस संबंध में मैंने कई बार लिखित में शिकायत की है। खास तौर से गंगापुर पंचायत समिति के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं निवेदन करूं गत चार साल के अंदर गंगापुर पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत समिति मिली जिसके अन्दर सबसे कम काम दिये और करौली पंचायत समिति को सबसे ज्यादा काम दिये। खैर, कुछ गलती है तो गंगापुर पंचायत समिति की ही है। माननीय मंत्री महोदय, वह गलती कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है गंगापुर पंचायत समिति पर आपका विशेष लगाव है। मैं आपसे पूछता हूं आपने तीन साल के पीरियड के अंदर कितने विकास अधिकारी बदले हैं? अब तक आप छह विकास अधिकारी बदल चुके हैं। तीन साल में छह विकास अधिकारी पलट चुके हैं और आज भी स्थिति यह है कि गंगापुर पंचायत समिति में आज की तारीख में विकास अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी कुछ दिन पहले आपने विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया। आपकी ही पार्टी के

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

भूतपूर्व विधायक, उनके साथ सरपंचों का, डाइरेक्टरों का बहुमत के साथ एक डेपुटेशन आपसे मिलने के लिये आया और आपसे रिक्वेस्ट की कि इस विकास अधिकारी का कसूर तो बता दो कि आपने इसका तबादला क्यों किया। माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ तो कहते हो कि हम गांवों में पंचायत समिति के माध्यम से काम कराना चाहते हैं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आते हैं तो पंचायत समिति के अन्दर प्रस्ताव आने के बाद उनको रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जाता है। जो सरपंच जितना ज्यादा उनसे लगाव करता है, जो जितना ज्यादा कमीशन देता है उसके काम तो हो जाते हैं और बाकी प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में फैंक दिये जाते हैं। गंगापुर पंचायत समिति की यह स्थिति है। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आप यों कहेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रधान है इसलिये आप कह रहे हो। मैं आज तक न तो बी.डी.ओ. के तबादले के लिये आया, न रुकवाने के लिये आया हूं, न आऊंगा।

विशिष्ट योजना मंत्रीजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार आपको कुछ न कुछ पैसा देती है। हमारे सवाईमाधोपुर जिले में अभी डी.आर.डी.ए. की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अन्दर जो जल ग्रहण विकास का काम है इसके अन्तर्गत हमने उनसे निवेदन किया था कि आप नये तालाब के लिये तो पैसा देते हो, लेकिन पुराने तालाब की रिपेयरिंग के लिये बिलकुल पैसा नहीं देते हो। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जो गाईड लाइन आई है उसमें एक रिपेयर शब्द भी है। हमने उनको पढ़कर बताया कि रिपेयर का मतलब मरम्मत से है। तो इसके अन्दर आप दे सकते हो। माननीय मंत्री महोदय, सवाईमाधोपुर जिला और खास तौर से गंगापुर तहसील में इतने प्राइवेट तालाब हैं जिनकी सिंचाई क्षमता 50 एकड़ से लेकर एक हजार एकड़ तक है। क्योंकि वे प्राइवेट हैं और प्राइवेट होने के नाते उनको रिपेयर के नाम पर पैसा नहीं दिया जा सकता। यदि कोई ग्रामवासी नया तालाब बनाना चाहता है उसमें तो आप पैसा देते हो और पुराने तालाब के नाम पर आप पैसा नहीं देना चाहते। जो आपके विशिष्ट योजना के शासन सचिव हैं वे हमारे कलक्टर रह चुके हैं। वे सवाईमाधोपुर जिले की स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं कि सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर कितने छोटे-छोटे तालाब हैं। अगर उन तालाबों की मरम्मत करा दी जाये तो मेरी मान्यता यह है कि जो कुओं का जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि पांच मीटर से लेकर 15 मीटर तक उन कुओं का जल स्तर नीचे हो चुका है। वे तालाब बाबा आदम के जमाने के बने हुये हैं। अगर उन तालाबों की रिपेयरिंग करा दी जाये तो मेरी मान्यता है कि निश्चित रूप से कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा और ग्रामवासियों को पीने का पानी तथा सिंचाई का पानी भी आराम से उपलब्ध हो जायेगा। आप जगह-जगह परियोजनाएं बनाकर खड्डों को भरना, बैण्ड लगाना, यह करना, इनकी बजाय हमारे क्षेत्र के अन्दर इन तालाबों की मरम्मत करा देंगे तो जलग्रहण एटोमैटिक हो जायेगा।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

इसी के साथ-साथ विशिष्ट योजना मंत्रीजी, आपने घोषणा की थी इन्दिरा आवास हेतु हमने ग्राम पंचायत को आदेश दे दिये। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही चयन करेगी। पंचायत समिति के माध्यम से उनको भुगतान हो जायेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके आदेशों की अवहेलना की गई। आपके आदेशों के बाद हमारे गंगापुर पंचायत समिति के सरपंचों ने इन्दिरा आवास में चयन कर लिये। उन गरीबों की जिनकी झौपड़ी बनी हुई थी, उन्होंने अपनी झौपड़ी हटा ली। जिनकी पाटरोल चल रही थी उन्होंने अपनी पाटरोल हटा ली। उसके बाद जब उन्होंने दासाबंदी कर ली तो दासाबंदी करने के बाद गंगापुर पंचायत समिति कहती है कि हमारे पास तो राज्य सरकार के आदेश आये हैं कि भुगतान रोक दिया जाये। विकास अधिकारी तो था नहीं, जो वैसे ही लगा रखा था, जिसको चार्ज दे रखा था उसने मुंहजुबानी कह दिया कि हमको तो डी.आर.डी.ए. ने कहा है। आज की स्थिति यह है कि बरसात हो रही है, जिन्होंने इन्दिरा आवास के अन्तर्गत अपनी झौंपड़ी को हटाया था, जो दासाबंदी उन्होंने की थी और जिन सरपंचों ने काम कराया था आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला। मेहरबानी करके आप आदेश दीजिये। जिन सरपंचों ने 31 मार्च, 1998 के पहले अपना बिल प्रस्तुत कर दिया और जिन्होंने चयन करके निर्माण करा लिया उनको तुरन्त भुगतान किया जाय और जो आपकी व्यवस्था है इसके अन्दर सुधार किया जाये।

ट्राइसम योजना। प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रशिक्षित किया जायेगा, दस हजार बेरोजगारो को रोजगार दिलाया जायेगा। यह योजना तो बहुत पहले से चल रही थी। डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में हमने पूछा कि जो उन्नत औजार आये थे वे औजार कहां हैं? कहा गया था कि कारीगरों को हथौड़ा दिया जायेगा। आज की तारीख के अंदर डी.आर.डी.ए. का सवाईमाधोपुर का जो मुख्यालय है, जो आफिस है उसके अंदर ढेर लग रहे हैं। पंचायत समिति गंगापुर में भी आ गये वे भी पंचायत समिति में रखे हैं। झूठमूठ के 10-20 आदमियों को देकर लिस्ट तैयार कर ली कि इतने आदमियों को दे दिये। हमने पूछा कि गंगापुर पंचायत समिति से, खण्डार पंचायत समिति से ले क्यों नहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा, साहब, ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का बजट ही नहीं है, हम कहां से ले जायेंगे। वे वहीं पर पड़े हैं। आप प्रशिक्षण तो दे देंगे, लेकिन उनकी रोजगार की व्यवस्था क्या उन्नत औजार देकर ही करना चाहते हैं? इस तरह से कोई योजना बनायी जाय जिसके माध्यम से जो आपने प्रशिक्षित किये हैं उनको ऋण दिलवाओ, उनको अनुदान दिलाओ, फिर योजना को पूरी तरह लागू कराओ तब तो ये जो बेरोजगार है इनको रोजगार मिल जायेगा।

कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात की। यह कटु सत्य है जिसमें गंगापुर पंचायत समिति का तो और भी बुरा हाल है। गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान जी से बात करो। मैं नहीं, सरपंच बात करते हैं। वे कहते हैं मैं किस तरह से प्रधान बनी हूं यह तो आप देखिए, किस तरह से मैं प्रधान बनकर जीती हूं, किस तरह से मैंने डाइरेक्टरों को..... खैर, आगे बात करने से क्या फायदा। आज स्थिति यह

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

है कि सरपंच अपना पेमेंट लेने के लिये जाता है कई दिनों तक चक्कर लगाओ और चक्कर लगाने के बाद यदि कोई सरपंच दान-दक्षिणा देता है तो काम हो जाता है वरना जो सीधे-सादे सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, जो अनुसूचित जाति के सरपंच हैं उनकी स्थिति आज यह है कि उनके क्षेत्रों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सांसद योजना का पैसा उनके पास आता है। सांसद योजना से जैसे-तैसे करके, तीन-तीन सांसद हमारे यहां थे। तीन करोड़ रुपया आता था। उन्होंने जैसे-तैसे करके तो काम लिये, लेकिन आज की स्थिति यह है कि दो -दो साल से सांसद योजना का जो पैसा पंचायत समितियों में कार्य के लिये आया उसमें से 60 प्रतिशत का भुगतान हुआ है, कहीं 40 प्रतिशत का भुगतान हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं। एक सज्जन हमारी पंचायत समिति में आते हैं। सुबह 10.30 बजे आते हैं और शाम को पांच बचे जाते हैं। गलती से एक दिन मैंने टेलीफोन कर लिया। मैंने टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद मैंने कहा, हैलो। उसने भी कहा, हैलो, मैंने कहा कौन बोल रहे हो? तो उसने कहा आप कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा कि आप बताइये कि आप कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं हजबैण्ड आफ प्रधान बोल रहा हूं। प्रधान का पति बोल रहा हूं। उस सज्जन की हालत तो यह है कि सुबह 10.30 बजे वहां पहुंचते हैं और शाम को पांच बजे आते हैं। प्रधान के कमरे में तो खैर बैठते ही हैं, अधिकार हैं उनको, क्योंकि पत्नी प्रधान हैं लेकिन वहां सारे बाबुओं को, जो भी बी.डी.ओ. के ट्रांसफर हुये हैं, जो भी सब कुछ हुये हैं, अत्यधिक परेशान कर रखा है। मगर मैं यह नहीं कहता कि आप उसको बैठने से रोकें, मैं तो कह रहा हूं कि आराम से बैठें। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदया, आज महत्वपूर्ण दो मांगों पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुये.....(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या तकलीफ है? बैठिये।

श्री राकेश मेघवाल : और पंचायती राज मंत्रीजी.....

श्री सभापति : आप घबराओ मत, आपकी अक्ल ठीक कर देंगे 33 प्रतिशत आते ही।

श्री राकेश मेघवाल : और विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास के द्वारा जो 40 साल में विकास नहीं हुआ उससे कई गुना अधिक इन साढ़े चार सालों में विकास हुआ है।

श्री सभापति : आप थोड़ी घबराते हैं। जो घबराते हैं, उनको कहा है।

श्री राकेश मेघवाल : कोई भी ऐसी स्कूल नहीं जिसमें नया कमरा नहीं बना।

Page No. 164

(164)

(श्री राकेश मेघवाल)

प्रत्येक गांव में स्कूल में नये कमरे, नये-नये हाल बने हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : होद, पानी भरने के लिये ?

श्री सभापति : वह भी चाहिये न कभी।

श्री राकेश मेघवाल : हाल। और प्राथमिक विद्यालयों में कभी भी होद नहीं था बच्चों के पानी पीने के लिये, वह भी 22-22 हजार रुपये के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में बनें। यह भी आपने अच्छा याद दिलाया। यह पहले कभी नहीं बने थे। इसके अलावा, यहां तक प्रयास किया गया कि प्रत्येक स्कूल में, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, पास में तो नल लगाया जाए, टूंटी द्वारा पानी पहुंचाया जाए और पास में नल नहीं है तो होद बनाया जाए। हर तरह से प्राइमरी स्कूलों को प्राथमिकता दी गयी है।

मैं तो माननीय नाथूसिंह जी गुर्जर के हृदय से बधाई दूंगा कि पंचायती राज का ढांचा जो 40 साल में नहीं सुधरा, वह इन्होंने सुधारा है। माननीय सभापति महोदया, जहां काम करते हैं, काम करने वालों से कुछ न कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी रह जाती हैं। इन्होंने 40 साल में काम किया ही नहीं, इसलिये कमियां ही नहीं रही। आज पंचायती राज विभाग में काम हुये हैं इसलिये कुछ कमियां हैं। मैं चाहूंगा कि उन कमियों का सुधार किया जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप ध्यान ही मत दो।

श्री राकेश मेघवाल : आ थांकी नीति ही खोटी है। ध्यान नहीं देवैं जणां सुधार कियां होवे। ई खोटी नीति में सुधार करो थोड़ो। आंकी नीयत खोटी है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : आपको तो कह रहे हैं कि ध्यान मत दो और सबसे ज्यादा यह ध्यान देते हैं।

श्री राकेश मेघवाल : कई कमियां हैं। माननीय जिला कलक्टर को 5 लाख रुपये स्वीकृत करने का पावर दे रखा है राज्य सरकार ने। अब 10 किये हैं लेकिन वह 10 भी एक चीज के लिये डायरेक्ट नहीं दे सकते। मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पहले 1994 में, 5 लाख रुपये की जो विधायक कोटे से स्वीकृति मिलती है उसमें एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है, मैंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा मीटिंग हाल होना चाहिये जिससे कोई भी जिले की बैठक होती है तो वह इस हाल में हो जाए। उसका तखमीना पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से 6 लाख 67 हजार का बना। उस समय तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय ललित जी मेहरा थे, मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि मेरे विधायक कोटे से इस हाल को पूरा पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि आपके तो 5 लाख हैं। मैंने कहा कि ठीक है, पांच लाख दे दो। उन्होंने कहा कि एक लाख 67 हजार का क्या होगा फिर यह अधूरा रह जाएगा। तो मैंने कहा कि अगले साल दे देना। विधायक कोटे से तो दे ही सकते हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि हो सकता है कि एक काम में एक बार ही पैसा मिले। लेकिन मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने 4 लाख 85 हजार रुपये की हाल की

(श्री राकेश मेघवाल)

स्वीकृति दे दी। उस हाल का निर्माण पूरा हो गया, आर.सी.सी. की छत डल गयी। अब कमी यह है कि उसमें दरवाजे, खिड़की, बिजली का काम और प्लास्टर बाकी रह गया है। अब राज्य सरकार और विधायक कोटे से पांच लाख रुपये लगा हुआ हाल अधूरा पड़ा है। मैंने बार-बार मंत्रीजी से भी निवेदन किया, जिला कलक्टर से भी निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैं फाइल राज्य सरकार को भेज दूंगा। उन्होंने भेज दी लेकिन वह फाइल यहां सचिवालय में पड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि उसमें एक लाख तो और रेट बढ़ गयी, 6 लाख 67 हजार की जगह 7 लाख 67 हजार उसकी कोस्ट हो गयी, मैं चाहूंगा कि उस हाल में जो बाकी की जितनी भी 2 लाख 67 हजार की स्वीकृति है, तकनीकी स्वीकृति में जहां कहीं भी कमी है उसमें सुधार कर उस हॉल की स्वीकृति जारी की जाए और उसका निर्माण कराया जाये।

ऐसे कई अधूरे काम हैं, कई बार राज्य सरकार की नीति में नहीं आता और नीतिगत काम करने में कहीं न कहीं अड़चनें जरूर आती हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि कई कामों में इस तरह के प्रावधान किये जाएं, सरलीकरण किया जाए किसी किसान को, किसी सरपंच को, किसी वार्ड पंच को छोटे से काम के लिये यहां सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं जबकि वह जिला लेवल का काम है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भवन तो जगह-जगह बना दिये। स्कूलों में भवन बनाने के लिये जमीन नहीं बची इतने कमरे हमने बनाये इन साढ़े चार सालों में। लेकिन कमरों की सुरक्षा के लिये जब तक चारदीवारी नहीं होगी, उस स्कूल में गन्दगी होगी, गाय घुसेगी, बकरी घुसेगी, जानवर घुसेंगे।

दूसरी ओर हम करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, हमारे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग ने फोरेस्ट पर 30 करोड़ रुपये लगाये और वही 30 करोड़ में से अगर 10 करोड़ रुपये भी स्कूलों में चारदीवारी के लिये लगाते और जगह-जगह स्कूलों में पेड़-पौधे लगाते तो आज पूरे सरकारी भवन जितने भी हैं, सारे हरे-भरे नजर आते। मैं यह मांग करता हूं कि अबकी बार जितना भी बजट है, चाहे हास्पिटल की चारदीवारी हो, चाहे स्कूल की चारदीवारी हो, चाहे आयुर्वेद औषधालय की चारदीवारी हो, जितने भी सरकारी भवन है, इस साल का बजट सभी चारदीवारी बनाने के लिये दिया जाये।

कई स्कूलों में आज 100 बच्चे हैं और मास्टर एक है। जिस दिन वह छुट्टी चला गया उस दिन स्कूल में ताला लगाना पड़ेगा। तो दो मास्टर होने तो कम्पलसरी कर दिया जाए। एक बीमार हो गया तो भी स्कूल में ताला लग गया, एक छुट्टी चला गया तो भी स्कूल में ताला लग गया, इसलिये कम से कम यह व्यवस्था तो करें। मास्टरों की कमी है, अध्यापकों की कमी है उसके कारण हम जो व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके लिये तो बहुत प्रयास कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी लेकिन कई स्कूलों में एक एक मास्टर है वहां आप कम्पलसरी कर दीजिये कि दो मास्टर तो रहने ही चाहिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़क के पास स्कूलें हैं या सिटी के पास में प्राइमरी स्कूलें हैं उनमें तो 100 बच्चे हैं और चार मास्टर लगे हुये हैं लेकिन एक गांव में 100 बच्चे हैं तो वहां एक ही लगा हुआ है। तो आप यह भी क्राइटेरिया फिक्स करवा दें।

पहले ग्राम सेवकों के पास 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतें थीं। इसमें माननीय मंत्रीजी ने काफी सुधार किया है लेकिन मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि एक ग्राम सेवक को एक ग्राम पंचायत ही दी जाए और उस ग्राम सेवक को बाध्य किया जाए कि वह जहां भी जाए, अपनी ग्राम पंचायत के ब्लेक बोर्ड पर लिखकर जाए कि आज मैं छुट्टी पर हूं या आज फलां गांव गया है। क्योंकि एक ग्राम पंचायत में 4 या 5 गांव होते हैं, वह चाहे अपने घर का काम करता हो लेकिन कोई भी किसान या गांव वाला पूछता है तो कहता है कि मैं तो पड़ोसी गांव में गयोड़ो हो। थैला मैं दुकान रहबै है ग्राम सेवक की। ग्राम सेवक ने गांव वाला गरीब आदमी हेरता फिरे। यह की यह स्थिति पटवारियों की है और यह की यह स्थिति ग्राम सेवकों की है। तो क्यों नहीं ग्राम सभा में या पंचायत का जो भवन है उसमें ब्लेक बोर्ड तो रहता ही है उसमें अगला लिखकर जाए।

वह मीटिंग की भी सूचना पहले से ब्लैक-बोर्ड पर लिख दे कि फलां दिन मीटिंग है। सभापति महोदया, हम 250-150 की नीति निर्धारित करते हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 250 क्यों, कहीं पर तो आपने 150 की आबादी पर स्कूल खोल दिये लेकिन कई ढाणियां, आसपास में जहां 10 ढाणियां हैं और बीच सेन्टर में वहां अगर स्कूल खोल दिया जाये जबकि वह आपके उस 250-150 की आबादी वाले क्राइटेरिया में नहीं आता है, क्योंकि आज किसान अलग-अलग खेत में, अलग-अलग ढाणियां बनाकर बैठा है और 10 ढाणियों के बीच में अगर एक स्कूल खोल दें तो यह एक नया संदेश होगा और गांव में रहने वाले गरीब किसान में, जनता में यह एक मैसेज जायेगा कि यह सरकार किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिये ढाणी-ढाणी स्कूल खोल रही है।

माननीय सभापति महोदया, कई बार यह भी आता है कि एक स्कूल में अलग-अलग जगह रास्ते में आवागमन भी नहीं है। अगर कहीं 10-20-40-50 हजार रुपये लगे तो वहां इस विभाग के माध्यम से मोरंडी या झींकरा डाल दें क्योंकि वहां बारिश के समय में कई स्कूलों के सामने बच्चे जा नहीं सकते, इतना कीचड़ और कादा हो जाता है, छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी भी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कोई व्यवस्था करावें। स्कूलों में जितना हम सुधार करेंगे, करना चाहिये। यह प्राइमरी स्कूल शिक्षा की एक नींव है और इस नींव को हम मजबूत नहीं करेंगे तो यह देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिये इस देश को मजबूत करने के लिये प्राइमरी स्कूल को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इस पर विशेष ध्यान हमको देना चाहिए और जितना हम प्रयास करें, उतना हमको करना चाहिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदया, एक व्यवस्था और कीजिये। यह जो सीधा ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है, वह बात तो ठीक है लेकिन यह थ्रू चैनल पैसा आता है। उस चैनल में कहीं न कहीं कमी जरूर होती है और कई बार समय पर पैसा नहीं मिलने से सरपंच काम करना बन्द कर देता है। कई बार जो अपनी सैटिंग से काम करवा लेता है उसका काम पूरा हो जाता है। तो इसमें भी हमको सरलीकरण करना चाहिये ताकि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज हम एनीकट्स पर करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, पहाड़ पर जाकर वहां भू-संरक्षण विभाग से काम करवा रहे हैं। प्रत्येक गांव में एक तालाब और एक नाड़ी है, अब उसका पैसा कब सैंक्शन करोगे? बारिश होने वाली है तब करोगे? सरपंच उससे पहले खुदवायेंगे। 15 दिन पहले खुदवायेंगे, कि काम चालू है, कि बारिश आ गई, कि हो गया काम। जितना घपला इन तालाबों में होता है, इन नाड़ियों में होता है, किसी काम में नहीं होता है। इसलिये गर्मी के समय में, अकाल राहत के समय, पहले से ही यह क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाये कि इन तालाबों को 15 दिन पहले या एक महीने पहले, बारिश आने के पहले तैयार कर खुदवायेगा, उसी को पेमेंट किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस राज में चोरियां हो रही हैं।

श्री राकेश मेघवाल : आपने सिखाई है लोगों को, राज में तो नहीं हो रही हैं चोरियां, लेकिन आपके समय के लगे हुये कर्मचारियों/अधिकारियों की आपने आदत डाल रखी है।

माननीय सभापति महोदया, परबतसर-खारिया तालाब पर पांच लाख रुपये, डी.डी.पी. योजना के तहत स्वीकृत हुआ था और पक्का तालाब, पक्की चारदीवारी बनी थी 1994 में.....

श्री हबीबुर्रहमान : अब कैसे बोल रहे हो?

श्री राकेश मेघवाल : आज मौका आया है इसलिये कह रहा हूं, जाओगे तो आप ही जाओगे। (व्यवधान) जो खारिया तालाब है,

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं।

श्री राकेश मेघवाल : मैंने मंत्रीजी को पहले भी 295 के तहत, 131 के तहत ध्यान आकर्षित किया, वह फाइल माननीय नाथूसिंह जी गुर्जर के पास है। मैं चाहूंगा, उसकी जांच तो करवायेंगे ही करवायेंगे और दोषियों का

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सजा मिलनी चाहिये, लेकिन उसकी दुबारा स्वीकृति जारी होकर उस तालाब का काम वापस हो, नहीं तो परबतसर शहर उस तालाब की वजह से बह जायेगा और विश्वविख्यात पशु मेला जो भरता है, वह इसी तालाब पर भरता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि उस पर पांच लाख रुपये स्वीकृत करके उसको पक्का बनाया

(श्री राकेश मेघवाल)

जाये। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, आपने समय दिया, आभारी हूं। परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उनकी तरफ आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, यह राजस्थान सरकार और शहरी लोगों की, बुद्धिजीवियों की एक सोची समझी योजना है कि गांव वालों को शिक्षित किया जाये और शहर के लोगों को पढ़ाया जाये और उनको आगे बढ़ाया जाये। अक्षर ज्ञान हमें कराओ और राज शिक्षित करके, पढ़ा करके शहरी लोगों को दे दिया जाये। माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि शहर में 100 लड़कों पर पांच अध्यापक, बाहर गांव के अन्दर एक अध्यापक। महोदया, आप तो बहुत विदुषी हैं, आपको प्रशासनिक अनुभव है, नगरपालिका में आप चेयरमैन रही हैं वर्षों तक, एक क्लास से लेकर पांच क्लास तक क्या एक अध्यापक लड़कों को पढ़ा सकता है और वह भी 100 लड़कों को? मान्यवर, पांचवीं, चौथी की हिन्दी, सामान्य ज्ञान और गणित, ये ऐसे विषय है, यह कोई भी अध्यापक, प्राइमरी स्कूल का जो उन्होंने नियुक्त किया है, पढ़ा नहीं सकता। इतना उनको ज्ञान ही नहीं है। चाहते हैं, जान बूझ करके, कि हम अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लें और अनपढ़ के अन्दर हम रहे नहीं, पढ़कर आगे हम बढ़ नहीं सकते, यही योजना है, एक सोची समझी चाल है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायती राज ने शिक्षा दी। पंचायती राज में शिक्षा देकर क्या आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कहते हैं कि वे वापस ले लेंगे तो यह तो पीछे हटने वाली बात हुई। पीछे हटने वाली बात होने पर आप उनमें कुछ पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करेंगे? आपने बी.डी.ओ. लगा दिये। बी.डी.ओ. का कोई ताल्लुक नहीं है स्कूलों से कहीं स्कूलों को देखता नहीं। उसका काम तो उस जगह पर है जहां उसका फायदा होता है। स्कूलों में जाकर वह क्या करेगा? एस.डी.आई. लगा दिये। एस.डी.आई. निरीक्षण करने जाता नहीं है। टी.ए. डी.ए. का उनके पास पैसा नहीं है, मेडिकल का पैसा नहीं है पंचायत समिति के पास में, काहे से वह निरीक्षण करे। कौन सिर फोड़ेगा वहां जाकर, घर से पैसे लगाकर? यह गांव की प्राइमरी स्कूल की शिक्षा की हालत है। प्रधान को शिक्षा दे दी, प्रधान क्या निरीक्षण कर सकता है स्कूल का और आपने अब तक ऐसे अंगूठा छाप लगाये वहां। एलएल. बी. कोई प्रधान है तो वह भी निरीक्षण नहीं कर सकता। उसको कोई अधिकार नहीं है निरीक्षण करने का। निरीक्षण तो एस.डी.आई. करेगा। एक्सटेंशन आफिसर है शिक्षा का, वह उसका निरीक्षण करेगा? एलएल. एम. है तो भी निरीक्षण नहीं कर सकता। पूछ लो, मंत्रीजी खुद भी निरीक्षण नहीं कर सकते। निरीक्षण तो एक्सटेंशन आफिसर ही करेगा। पंचायत समितियों को आपने दे दी, क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, सुधार क्या हुआ? मैं माननीय मंत्रीजी का

(श्री रामनारायण चौधरी)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल का स्टैण्डर्ड सुधारें आप गांव के व्यक्ति हैं, यह सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग आपके पास है। ग्रामीण विकास है इसलिये आपका नाम जोड़ दिया, पैसा तो विकास के साथ जैन साहब के पास है और उसका एक्जीक्यूशन आपके पास है। इस एक्जीक्यूशन के अन्दर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के बीच, माननीय सदस्य पंचायत समितियों की फंक्शनिंग के बारे में जिक्र कर रहे थे, तारतम्य ठीक नहीं है। पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद् का तारतम्य क्या करेगा। मुख्य मंत्रीजी ने हमारी इतनी बात सुनकर एक बात छोड़ दी कि इसको मैं भी मानता हूं और मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि इस बारे में विचार किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या सुझाव दिये गये। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह तो ऐसे के ऐसे ही रहेगी लेकिन चूंकि यह दुखती नब्ज थी उसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया और सहानुभूति बटोर ली। मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, जिसके अन्दर नये प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, महिलाएं आई हैं, एस.टी.एस.सी. के आये हैं और ओ.बी.सी के आये हैं, इतने भारी पर्सेन्टेज के अन्दर प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, आपने उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था करवायी है?

समाज के अन्दर एक कुप्रथा है पर्दा प्रथा। उसको महिलाओं से हटाने की आपने व्यवस्था करायी? आपने कभी उनके कैम्प आयोजित किये? क्या महिलाओं से कांटेक्ट करने के लिये महिला कार्यकर्ता की पंचायती राज में और दूसरे विभाग ने कोई व्यवस्था की? कुछ नहीं की। सरपंच या तो आती ही नहीं है मान्यवर, ...

श्री सभापति : महिला को घूंघट तो गांव के चौधरी ही कराते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, सभी निकालती हैं, गांव के अन्दर।

श्री सभापति : नहीं, चौधरी करवाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : चौधरी तो नहीं करवाते हैं, चौधरी ने तो सबसे पहले पर्दा-प्रथा का विरोध करके हटा दिया था। यह तो.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो प्रगतिशील हैं। झुंझुनूं जिले, सीकर जिले में नहीं है।

श्री सभापति : मैंने आपका नहीं कहा, मैंने कहा, गांव के चौधरी ही कराते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चौधरी की ही तो कह रहा हूं तो, मैं तो उनका ही प्रवक्ता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आज ग्रामीण महिला सरपंच जब पंचायत समिति में जाती है तो एक हाथ में तो पल्ला होता है, प्रधान या बी.डी.ओ. की तरफ तो वह यों रखती है और दूसरी तरफ देखती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आपकी तरफ नहीं देखती।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आप हों तो वह देख लेंगी। लेकिन पुरुष वहां होगा.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी जो सभापतिजी बिराज रही हैं.....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं काम्पलीमेंट्स दे चुका हूं उसके लिये, सुनते तो हैं नहीं आप। तो पल्ला तो उधर कर लेंगी और इधर से आंख को, बाई आंख को खोले रखेंगी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : वह पर्दा बी.डी.ओ. की तरफ करती है कि आपकी तरफ करती है ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह पर्दा बी.डी.ओ. की तरफ, और आपसे मिलेंगी तो आपकी तरफ करेंगी। और अगर साथ में है तो वह पूछेगा बी.डी.ओ. कि बोलिये सरपंच साहब, क्या चाहती हैं तो साथ वाले की तरफ हाथ कर देंगी। वह इसलिये कि आपने इनको पूछ लीजिये। तो यह स्थिति हमने.....

श्री सभापति : है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, है, इसके निवारण के लिये हमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत को हमने सब अधिकार भी दे दिये, पैसे दे दिये। आप बार-बार कहते हैं सरपंच, सरपंच। पंचायत के संविधान में और पंचायत एक्ट में सरपंच नाम से अकेले को कुछ नहीं है, ग्राम पंचायत को आपने इंस्टीट्यूशन माना है, ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को आपने कोई मान्यता नहीं दी, ग्राम सभा को आपने कोई मान्यता नहीं दी। एक सरपंच, सरपंच। तो सरपंच, बी.डी.ओ. और आपके डी.आर.डी.ए. के अधिकारी, यह तो इनका तीनों का मिलकर गठबंधन है। ग्राम पंचायत को कोई सरपंच यह नहीं कहता कि मैं इतने रुपये इस काम के लिये लाया हूं। आप कह सकती हैं महोदया कि कोई सरपंच जाकर सूचना देता हो कि मैं यह रुपये लाया हूं और ग्राम पंचायत की मीटिंग करता हो ? और रुपये जो लाया है। वह जाकर के सुपुर्द करता हो कि यह मैं एक लाख रु. फलां काम के लिये लाया हूं, बोलिये इसको कैसे खर्च करना है इस गांव के लिये। अगर सरपंच एक भी पंचायत में मिल जाय तो मान्यवर, मुझे आप चाहे जो दण्ड दे सकती हैं। जानकारी करवा लीजिये, कोई नहीं देता।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सदस्य साहब, सुझाव भी देना चाहते हैं कि क्या किया जाय ? (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या किया जाय, यह कहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सुझाव दे रहा हूं न कि पंचायत को मजबूत बनाइये, पंचायत को। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : सुझाव तो आप दे नहीं रहे, बस एक लाइन पकड़ रखी है कि सब सरपंच बेईमान, सब प्रधान बेईमान, सब अधिकारी बेईमान। तो मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके अनुभव का लाभ हमको भी मिले और मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी क्रियान्विति करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमें पांच साल सुझाव दिये हुये हो गये, आप रत्ती ठीक नहीं हुये।

श्री सभापति : आप कैसे खड़े हो गये बीच में, आप तो बिराजें। माननीय चौधरीजी बोल रहे हैं, आप तो बिराजें। धारीवालजी का तो नहीं है अभी नाम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरे पांच साल से सुझाव दे रहे हैं, आप रत्ती भर नहीं बदले।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी मेरा समय ले गये। मान्यवर, आप सुनियेगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप सुबह सुझाव देते हो, प्रोपर टाइम पर नहीं देते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों को सचिव लगाकर ग्राम पंचायत का जो उद्देश्य था, सरपंच का जो कुछ था, वह आपने सारा साफ कर दिया। पंचायत समिति के अन्दर बी.डी.ओ. जो है वह प्रधान को मान्यता देता है क्या, क्या पंचायत समिति को मान्यता देता है? कभी भी विकास अधिकारी कोई काम, पंचायत समिति ने कह दिया हो, वैसा वह कर सकता है। जो पंचायत समिति चाहती है कि इसको हटा दिया जाय, नहीं हटायेंगे। पहले था। बी.डी.ओ. को बदलते थे तब कम से कम प्रधान को यह तो पूछते थे कि बी.डी.ओ. को हटा रहे हैं। आज नाथूसिंहजी, वह भी नहीं पूछते।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय चौधरी साहब, अभी तो गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे...

श्री रामनारायण चौधरी : बाद में जब आपका मौका आये तब बोलना।

श्री सभापति : आप तो चौधरी साहब, बहुत अनुभवी हैं, आप सुझाव दे दें अपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो घोड़ा सवारों से दबता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह रहा हूं इनको बदलें आप। बदलो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : चौधरी साहब, मैंने प्रधान के कहने से बी.डी.ओ. बदला तो एम. एल. ए. साहब नाराज होकर बोल रहे थे। देखा नहीं आपने?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह रहा हूं आपको कि आज जिला परिषद का कोई काम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, पंचायत समिति के पास में कोई काम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, ग्राम पंचायत को कोई काम, प्रोग्राम नहीं, उनको अधिकार नहीं दे रखे हैं, नाम-नाम कर रखा है, दे क्या रखा है आपने? रुपये डी.आर.डी.ए. भेज देता है, पी.डी. की इच्छा होती है तो सरपंच को पैसा दे देता है, नहीं होती है तो नहीं देता। अब आपने डी.आर.डी.ए. क्या बना रखा है? डी. आर. डी. ए. सरकार की इंस्टीट्यूशन है और रजिस्टर्ड बाडी है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन है और कलक्टर उसका चेयरमैन है, गवर्निंग उसकी काउंसिल है। क्या कोई कह सकता है कि गवर्निंग काउंसिल का कुछ महत्व है? कलक्टर की मर्जी हो उस हिसाब से वह करता है। मैं आपकी नहीं कह सकता कि अब कुछ आप ही करवाती होंगी, लेकिन व्यवहार में आज राजस्थान के अन्दर डी.आर.डी.ए. का, गवर्निंग काउंसिल का कोई

(श्री रामनारायण चौधरी)

महत्व नहीं है। कोई उनकी सुनवाई नहीं है, कोई योजना नहीं बनती। उस योजना में कोई सैंक्शन नहीं हो रही है। यह आपकी स्थिति है। मान्यवर, अभी जिक्र हो रहा था, वाटर हार्वेस्टिंग एक आपकी स्कीम है, यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया की स्कीम है, राजस्थान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर चार-चार लाख रुपये आपने सैंक्शन किये। मैं सच कहता हूं। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन सीकर और झुंझुनूं में वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर जो जोहड़ों की खुदाई हो रही है जिसमें गरीब आदमी को काम मिलना चाहिये, आप मजदूरों के लिये डेज तय करते हैं कि इतने मेन डेज.....

श्री सभापति : मानव दिवस।

श्री रामनारायण चौधरी : मानव दिवस का हम निर्माण कर रहे हैं। यह सारे आपके आंकड़े, डी.आर.डी.ए. की मार्फत जितने आपके आंकड़े आ रहे हैं, मैं दूसरे विभागों की बात नहीं करता, डी.आर.डी.ए. के मार्फत जितने भी आंकड़ें आ रहे हैं वह सारे फिक्टिसियस आंकड़े हैं। सारा काम पंचायतों के अन्दर ठेके से होता है। आप तो कह देंगी कि हमारे यहां नहीं होता, लेकिन सीकर, झुंझुनूं, चूरू तीन का तो मुझे पता है। सरपंच लोग पैसा ले जाते हैं.....

श्री सभापति : मेरे तो, मान्यवर, दोनों पंचायत समितियों में प्रधान ही महिला है, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिये आपके यहां कुछ होता ही नहीं होगा, दिक्कत क्या हो। इसलिये आपके यहां तो राम राज्य है। अभी कह रहे थे कि फर्जी मस्टर रोल, फर्जी मस्टर रोल की बात है.....

श्री सभापति : मान्यवर, एक तो सुझाव मैं भी देना चाहूंगी, सारा फर्जी, कुछ नहीं हो रहा, यह कहने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। आप कुछ पर्टीकुलर्स बतायें जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे, तो आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। कुछ नहीं हुआ है, कहने से भी कुछ बंद नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये बात। मैं कह रहा हूं, यह मस्टर रोल फर्जी बन रहे हैं, काम दूसरे तरीके से हो रहा है।

श्री सभापति : इसके पर्टीकुलर्स लाने चाहिए आपको।

श्री रामनारायण चौधरी : सभी में है, पर्टीकुलर्स में क्या है, सर फोड़ू क्या एक से। सारा काम ठेके से हो रहा है, मस्टर रोल भरे जा रहे हैं उसके।

श्री सभापति : ठेके में भी आदमी ही करते हैं। ठेके पर भी काम करते हैं वह आदमी ही होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये आप। अधिकारी यह कहते हैं कि अगर मस्टर रोल से काम करायेंगे तो यह काम नहीं होगा इसलिये सरपंच साहब, इस काम को जैसे-तैसे करके करवा दो और मस्टर रोल भर लो। यह अधिकारियों से मिलकर के सब काम हो रहे हैं। तो यह सारी स्थिति है मान्यवर। मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप प्राइमरी शिक्षा को सुधारें। गुलाबचन्दजी कटारिया कह रहे थे कि हमने हर स्कूल के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर दो अध्यापक दे दिये। परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि हमारे यहां तो एक-एक ही है। आपके शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा के बजट के ऊपर जोर-जोर से बोल रहे थे.....

श्री सभापति : अभी भरती हो रही है, अगस्त में जिला परिषद् की भरती हो रही है, फिर सब जगह भेज देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : कमाल कर रही हैं आप। तो भरती हो रही है, अब आप डबल कर देंगी क्या उनकी भरती करके।

श्री सभापति : करेंगे न, बराबर करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उस वक्त तो आपने देखा नहीं, और अभी आप उनक पीट रहे थे ढोल, इनकी सरकार का, कि हमने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, सारी किसान कम्युनिटी को, बैकवर्ड को और शिड्यूल्ड को, ट्राइब को, आज जिस स्थिति में है, उससे आगे यह लोग नहीं आने देना चाहते हैं। यह स्थिति है मान्यवर आज।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास की डिमांड्स पर आज चर्चा करने के लिये मैं आपकी मार्फत ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और सन् 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। सन् 1952 में हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी सरकार बनी। देश को आजाद कराने के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनकी भावना थी कि हमारे देश का विकास हो और विकास द्रुत गति से हो। उस समय जमाना ऐसा था कि गांवों के अन्दर आपस में छोटे-मोटे झगड़े-फसाद होते थे उनके लिये किसान वर्ग को बाहर गांव वालों को कोर्ट-कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। किसानों को पैसे की आवश्यकता होती तो साहूकारों के पीछे-पीछे फिरते थे तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने ग्रामीण विकास के लिये पंचायती राज की स्थापना की और सन् 1959 में, 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसकी स्थापना की?

श्री महादेव सिंह : पंचायती राज.....

श्री अनंग कुमार जैन : ये पहले आदमी हैं धारीवाल जी, जिन्होंने पंडित जवाहर लाल जी को याद किया। आपने तो राजीव गांधी को.....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : ये तो आपको और चतुर्वेदी जी को ही याद कर लेते हैं.....(व्यवधान).....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज सोनिया गांधी का जिक्र किसी ने नहीं किया?

श्री रामनारायण चौधरी : (व्यवधान)... बार-बार रिपीट कराने से क्या फायदा है? मुझे बताओ आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप चैन से नहीं रह सकते ? यहां + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप चैन से नहीं रह सकते।

श्री अनंग कुमार जैन : आप दोनों ही नहीं बैठ सकते चैन से।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, ये बोलते हैं तब मुझे बोलना पड़ता है।

श्री परसादी लाल मीणा : आप बहुत सीनियर मेम्बर हो गये महावीरजी, अब तो समझो बुढ़ापे में.....

श्री महादेव सिंह : पंचायती राज के द्वारा नेहरू जी का सपना था कि गांवों के अन्दर गांव के लोग अपना सरपंच चुनेंगे। उनके सहयोग के लिये हर वार्ड वाइज वार्ड पंच होगा और गांव के 10-11 आदमी मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। गांव के आपसी कोई मनमुटाव भी होंगे तो गांव के गांव में उनका सुलटारा करेंगे। गांव के विकास के लिये जितने भी काम कर सकते हैं वह गांव के ही लोगों द्वारा चुना हुआ पंच और सरपंच करेगा। इसी प्रकार से साहूकारों से छुटकारा पाने के लिये उन्होंने सहकारिता बनायी और सहकारिता का मतलब यह था कि गांव के लोग सब शेयर होल्डर हों और उनकी अलग से दुकान हो लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सपने को लेकर, जो स्वरूप लेकर के उन्होंने उसकी स्थापना की थी उससे आज उलटा हो रहा है। पंचायतों के द्वारा आज हमारी सरकार, राजस्थान सरकार जितने भी गांवों में विकास करना चाहती है वह सारा का सारा पैसा विकास का सरकार की तरफ से जिला हैडक्वार्टर पर डी.आर.डी.ए. में जाता है और डी.आर.डी.ए. से सारा पैसा पंचायत समिति में आता है और पंचायत समिति उसका भुगतान सरपंचों को करती है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरपंच लोग अपना अलग से सचिव नहीं रख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जो सचिव लगा रखे हैं ग्राम सेवकों को जब एक टाइम आया था सन् 1991 में पंचायतें सस्पेंड की गई थीं और उनके स्थान पर पंचायतों के प्रशासक ग्राम सेवकों को लगाया गया था उसके बाद में जब चुनाव हुआ पंचायतों का 1995 में, उसके बीच के टाइम में पंचायत के सरपंच समझो, प्रशासक समझो, ग्राम सेवक रहे और उसके बाद में जो भी सरपंच चुने गये उन सरपंचों के साथ उनका दोगला व्यवहार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरपंचों के सहयोग के लिए सचिव लगाये गये हैं ग्राम सेवक, उनको तभी तनख्वाह मिलनी चाहिए जब कि उसकी एक महीने की हाजरी वहां उस गांव का सरपंच करे। ग्राम सेवक गांव में आता नहीं है, सरपंच उसके पीछे-पीछे चक्कर लगाता रहता है। गांव के अन्दर कोई भी काम होता है तो ग्राम सेवक का सहयोग नहीं होता है और ग्राम सेवक उस सरपंच को सरपंच नहीं समझता है। आज यह हालत हो रही है कि गांव के अन्दर अगर कोई छोटा-मोटा अतिक्रमण भी हटाना हो तो सरपंच खुद नोटिस निकाल नहीं सकता है, ग्राम सेवक वहां मौके पर मिलता नहीं है। तो मेरा ग्रामीण

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महादेव सिंह)

विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह हो सकता है तो ग्राम सेवकों को सरपंच के अंडर में रखा जाए और उनकी हाजरी ही सरपंच करे।

माननीय सभापति महोदय, आज पंचायती राज के नीचे आपने प्राथमिक संस्थाओं को दे रखा है। प्राथमिक स्कूलों के अंदर डेढ़-डेढ़ सौ, ढ़ाई-ढ़ाई सौ बच्चों के बीच में एक-एक अध्यापक भी नहीं है और वह अध्यापक भी इस पंचायत राज के अंदर प्रधानों के चहेते लोग हैं जो स्कूलों में जाते नहीं हैं और जो सच्चे मन से स्कूल में जाते हैं और प्रधान के चहेते नहीं है उसके साथ सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है। इसलिये मेरा दूसरा निवेदन है कि यदि आप गांवों के बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं, गांवों के अन्दर यदि शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं तो इस पंचायती राज से इन प्राइमरी स्कूलों को निकाल करके शिक्षा विभाग में देने की कृपा करें जिससे गांव में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो और गांव में प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनमें थोड़ा सा डर, भय रहे। इस प्रकार से गांव के विकास को लेकर जितना पैसा बाहर से आता है उसमें यह दोहरी और तिहरी व्यवस्था होने की वजह से ये नया सिस्टम आया। संविधान में संशोधन हुआ गांव के लोग पंच और सरपंच चुनते हैं लेकिन अबकी बार ऐसा हुआ कि ग्राम पंचायतों के चुनाव से पहले पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर्स के चुनाव के बाद में आपकी ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ। जो लोग पंचायत समिति के मैम्बर के चुनाव में हार चुके थे वे ही लोग ग्राम पंचायतों के सरपंच बने। पंचायत समिति के मैम्बर चुनने के बाद में जो हारा हुआ व्यक्ति था वह गांव का सरपंच बना और दोनों में आपस में द्वेषता थी। जब जैसा डी.आर.डी.ए. से पंचायत समिति जाता है, ग्राम पंचायत का सरपंच अपना विकास के लिये कोई प्रस्ताव पंचायत समिति में भेजता है तो वह पंचायत समिति का मैम्बर उससे दुर्व्यवहार रखते हुये वह या तो उस प्रस्ताव को जाने ही नहीं देता है और वह प्रस्ताव आगे तक भेजते नहीं। अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, पंचायत का सरपंच काम कराता है। तो पंचायत समिति का सदस्य प्रधान से मिलकर के उसका समय पर पेमेन्ट नहीं होने देता। इस प्रकार से मेरा निवेदन है ग्रामीण विकास मंत्री जी से, कि इनमें दुबारा संशोधन किया जाए, हो सके तो पंच और सरपंच गांव के द्वारा चुना जाए और सरपंचों और पंचों के द्वारा प्रधान चुना जाए और प्रधान और सरपंच के द्वारा जिला परिषद् का जिला प्रमुख चुना जाए तो एक थ्री टायर सिस्टम होगा। एक-दूसरे का सामंजस्य होगा। पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का मैम्बर होगा।

एक माननीय सदस्य : इनके हाथ में नहीं है।

श्री महादेव सिंह : इनके हाथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके हाथ में है वे कर देंगे। इस, प्रकार से जो यह व्यवस्था है यह दोहरी व्यवस्था बहुत ही खतरनाक और खराब है और गांवों में जिस प्रकार से आज ये जो कार्य हो रहे हैं उनके अन्दर जितनी भी अव्यवस्था हो रही है उसके लिये मैं मंत्री

(श्री महादेव सिंह)

महोदय से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर और ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, आज सामुदायिक विकास के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है। बहुत माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। मैं अपनी बात को बहुत सीमित तौर से आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जो भी कुछ कार्यवाहियां हो रही हैं उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। माननीय मंत्रीजी से मैंने आग्रह किया था कि ऐसा मत करिये, इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। अच्छी ख्याति आपको नहीं मिलेगी लेकिन बात को उन्होंने सुना नहीं बल्कि उसको रेलिश किया कि यह जो कुछ हो रहा है तो ठीक हो रहा है। मेरे अपने क्षेत्र में राउली एक पंचायत है, उसकी महिला सरपंच है, वह शिड्यूल्ड कास्ट की महिला है। उसके साथ में मेरे ख्याल से राजस्थान में यह पहली घटना होगी कि जब महिला सरपंच को जेल भेजा गया और किसलिये भेजा गया, वह सुन लें आप। काम-काज के सिलसिले में जो रकम दी गई है उसमें एक लाख उनचास हजार रुपये की रकम राउली पंचायत के नाम उठी जिसमें चालीस हजार की रकम तो वहां के सेक्रेट्री ले गये और एक लाख नौ हजार की रकम उस सरपंच के नाम लिखी गई। इसका हिसाब-किताब बीच में होता है जानकारी यदि हुई होगी तो ऐसी तो कोई डेट आपको यहां मुकर्रर नहीं की कि इस तारीख तक आपको इस काम को पूरा कर देना है और उस तारीख को आपके सब रिकार्ड सीज कर लिये जाएंगे, छीन लिये जाएंगे, उनको चैक कर लिया जाएगा, उससे आगे आप रकम नहीं रख सकेंगे। यह शायद राजस्थान में कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने नहीं है जो मेरे राउली वे सरपंच के साथ हुआ। एक लाख नौ हजार उसके पास थे, उसकी जांच हुई, जांच में कहते हैं कि अस्सी हजार का इसका काम हुआ है, बाकी का काम नहीं हुआ है। उसने कहा कि साहब मैंने तो इतना काम करा दिया चालीस हजार रुपये वह जो ग्राम सेवक लेकर भाग गया है कहीं पर, उसको तो बुलाइये उसको कहो वह अपना काम तो पूरा करे। उसके साथ में क्या हुआ कि जो बी.डी.ओ. थे, बी.डी.ओ. ने सरपंच से कहा कि आप अपने बिल-वाउचर मुझे दीजियेगा। चूंकि कागजात तो भरेगा तो यह सेक्रेट्री, यह सेक्रेट्री उसको ठीक करेगा यह सब समायोजित करेगा। वह भोली तो औरत थी, महिला थी, हरिजन थी। उसने वे कागजात उनको दे दिये। उन्होंने चालीस हजार की रकम जो अपने नाम थी उनके अन्दर से समाहित कर ली अपनी तो रकम और वह सब रकम उसकी जिम्मे कर दी। उसके बाद मैंने जिलाधीश महोदय से कहा कि साहब कोई ऐसी डेट तो फिक्स नहीं थी कि इस तारीख तक इस सब रकम को आपको चैक करना है। हमारी मंशा कोई नहीं है कि हम जनप्रतिनिधियों को जेल भेजें, उन पर टैक्स लगायें, उनको जलील करें। हमारी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

मंशा यह है कि गांव में विकास होना चाहिये। आप उसको एक नोटिस दीजिये और यह दीजिये कि फलां तारीख तक आप इस काम को सम्पूर्ण कीजिये। उस महिला की आज की तारीख में माननीय सभापति जी, आप सुनिए, बहुत आर्थेटिक बात थी यह, आपको खासतौर से इसका अफसोस होगा, आज उस महिला के पास एक तो जेवर नहीं, एक बीघा जमीन उसके पास नहीं रही, मकान उसका गिरवी है, उसने सब पैसा, सब जेवर बेचकर, मकान बेचकर और जमीन गिरवी रखकर वह तमाम पैसा उसमें लगा दिया और उसके बाद उन्होंने पकड़ कर जेल भेज दिया उसको। वह गांव में, उसे यह कहा कि पुलिस आ रही है, बोली कि मैंने तो काम पूरा कर दिया, मैंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया, डी.आर.डी.ए. का वहां से इंजीनियर गया, उसने जाकर उसको नापा और पूरा कम्पलीट एक लाख 50 हजार रुपये का काम था, बस वह हरिजन महिला थी, कांग्रेस की थी इसलिये उसको जेल भेज दिया। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे जिले की बी.जे.पी. की महिला सरपंच है और उसके खिलाफ इतने मुकदमे लगे हुये हैं, इवन सी.आई.डी. (सी.बी.) तक में मुकदमे लगवा दिये, ऐसा मत कहिए कि वह कांग्रेस की है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, अगर यह भी है तो यह बहुत दुःखद बात है। हमारा सोच यह था कि पंचायती राज में

श्री नाथूसिंह गुर्जर : बनवारी जी, क्षमा चाहता हूं, एक मिनट।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपको वक्त मिलेगा पूरा, आप बोलोगे। अब बीच में इंटरवीन क्यों करते हैं? माननीय सभापतिजी, अगर यह बात है तो इससे ज्यादा दुःखद बात कुछ नहीं हो सकती। हमने कलक्टर से बात कही...

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मुझे तो इस केस का मालूम ही नहीं था। डिस्ट्रिक लेवल पर जांच हुई, वहीं मामला उठा, वहीं उनके खिलाफ गबन का केस दर्ज हुआ। मुझे तो मालूम ही नहीं था। यह मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मेरे ऊपर तो आरोप मत लगाओ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय मंत्री जी, आपको पूरा समय मिलेगा, आप जवाब दें उस बात का, हमें कहां दिक्कत है उसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वह तो मैं बता रहा हूं आपको, आप पर चार्ज तो अभी और लगाऊंगा, जब आपको पता लगेगा।

माननीय सभापति जी, हमारे जिला अधिकारी को बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को सरपंच बनाया है, महिलाओं को पंच बनाया, महिलाओं को प्रधान बनाया, महिलाओं को प्रमुख बनाया है।

श्री सभापति : इसलिये मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हम लोगों को खास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा कि पहली बार यह मौका है उसमें यह बिलकुल नहीं देखा जाय कि यह बी.जे.पी. की है, यह

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

कांग्रेस की है, यह इंडिपेंडेंट या जनता दल या जनता पार्टी की है, किसी की भी है।

श्री सभापति : पद मिले हैं तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। पद मिले हैं महिलाओं को तो कष्ट भी भोगना पड़ेगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : कष्ट तो भोगेंगे, आप भुगाओगे वह भोग लेंगे। मेरी बात सुनिए साहब, एक लाख पचास हजार का पूरा काम कर दिया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया आपने। उसी तरीके से दतवास की महिला सरपंच है वह भी शिड्यूल्ड कास्ट की है, उसके भी जिम्मे इतनी ही परेशानी है। दूसरी तरफ, डालडाहिंद के सरपंच है टौंक में, उनके 11 कामों की जांच के लिये दरख्वास्त दी गांव के लोगों ने कि इनको जो काम दिये गये उसमें इन्होंने बड़े गबन घोटाले किये, बड़ी बदमाशी की है और यह काम इन्होंने सम्पूर्ण नहीं किये। 11 कामों में सिर्फ दो कामों की जांच सी.ओ. ने कराने की बात कही है और उसमें जांच के लिये जे. ईएन. को भेजा गया तो वह 56 हजार रुपये के जो काम हुये उन कामों में कुल मिलाकर 9 हजार के काम हुये, उन्होंने ऐसा कहा कि 9 हजार रुपये का काम हुआ है। अब यह मसला हमारे जिला परिषद् में आया 18-5-98 की मीटिंग में सी.ओ. से यह बात कही कि जब जांच आपने करा ली तो इस जांच रिपोर्ट को हमारे सामने रखो। सी.ओ. ने उस जांच रिपोर्ट को रखा ही नहीं और हमारे जिला परिषद् के जो मेम्बर थे उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया कि वातावरण इतना विक्षुब्ध और इतना तनाव पूर्ण हो गया कि शायद उस मीटिंग को उनको बर्खास्त करके जाना पड़ा। उसके बाद जब दुबारा मीटिंग हुई तो सी.ओ. साहब उस मीटिंग में आये नहीं। जिला परिषद की मीटिंग्स को बायकाट करके आपके अधिकारी चले जाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सही-सही तो बताओ। सभापति महोदय, क्लियरिफिकेशन कर दूं क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप बाद में बोल लेना, आपको पूरी छूट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे बोलना नहीं है, एक वह ढोली सरपंच है जिसने काम किया, उसके खिलाफ यह कह रहे हैं, दबे हुये लोगों को, उन दबे हुये लोगों को, एक ढोली सरपंच है और उस ढोली सरपंच को...

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं सभापति जी को निवेदन करूं क्या कि आपको अलग से टाइम दे दें एक घंटा। आप बीच-बीच में क्यों करते हैं, आप बीच-बीच में करते हैं, आपको अलग से समय दे दिया जाय, आपको अलग से समय दे दीजिये, सभापति जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं केवल यह बता रहा हूं कि वस्तु स्थिति क्या है। आप सदन को गलतफहमी में न रखें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, हमारे समय में क्यों करना चाहते हैं?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप किस रूल्स के अन्तर्गत बोलते हैं बार-बार..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वह ढोली सरपंच है और उसको केवल जिला परिषद् का (व्यवधान)

श्री सभापति : बैरवा जी को बोलने दें, आपको क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है ? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी...I am not yielding.

श्री महावीरप्रसाद जैन : जिला परिषद की मीटिंग में उन्होंने लाठियां उठा लीं, कुर्सियां उठा लीं (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस (व्यवधान) ले लिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि पार्क में कोई हो उसका बोलें तो हम कहे जो करने को तैयार हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपको अलग से समय दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांति रखिए, बिराजिये आप। आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : परिषद् के अधिकारी सुनते नहीं है.

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी आप इनको अलग से समय दे दें, खूब बोलें, हमें क्या दिक्कत है ? हमको समय देते हैं तो हमारी बात सुनें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : + + + क्या तकलीफ है इनको ? बार-बार खड़े हो जाते हैं + + +

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सही तो बोलिये बैरवा जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। नथिंग रोंग। मेरी गलत बोलने की आदत नहीं है। मैं जो बात बोलता हूं, सही बोलता हूं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सी.ओ. को मारने के लिये कुर्सियां नहीं उठाई क्या ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप गाली-गलौज करेंगे तो क्या होगा? आपके अधिकारी गाली-गलौज करेंगे वहां पर बैठकर.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन से बात करें। माननीय सदस्य, आसन की तरफ रुख करके बात करें, आपस में नहीं उलझें। आपका समय अब पूरा हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : महावीरजी खा गये इनका समय तो।

श्री सभापति : महावीरजी नहीं खा गये, क्यों उलझते हैं आपस में ? आप पूरा करिए, हां, पूरा करिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं यही आपसे निवेदन कर रहा था कि हमको उलझने का मौका न दें, जो मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने दें, दूसरे जो इंटरवीन करते हैं उनसे कहें कि आपको समय मिलेगा, अलग से बात कहना। हमें कहां दिक्कत है उसमें।

श्री सभापति : ठीक बात है, अब पूरा करें आप।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अभी हमारी बात सुनें आप, मैं पूरा कर रहा हूं। यह तो मैंने सरपंचों की बात कही। हमारे जिले में 6 प्रधान है, 3 कांग्रेस के हैं और 3 बी.जे.पी. के हैं। एक मात्र प्रधान मेरे यहां का, चूंकि मैं कांग्रेस का एम.एल.ए. हूं, मैं उसका समर्थक हूं और हर तरीके से मैं उसका समर्थन करता हूं। शायद सुखद स्थिति में हमारा एक ही यह प्रधान है बाकी दूसरे प्रधान, एक तो अभी अभी अविश्वास प्रस्ताव में बमुश्किल बचा है, हमारे सी.आर.ओ. को भगा कर ले गये वहां से और वहां आकर चूंकि हम सब सही थे और उन्होंने आकर हमारे पक्ष में मत दिया। दूसरा टौंक का प्रधान है, शिड्यूल्ड कास्ट का प्रधान है, वहां यह व्यवस्था कर रखी है कि उसके बुलाये से चपरासी नहीं आते हैं। चूंकि आप जिस तरीके से बी.डी.ओ. को सिखाकर भेजते हैं वह उनको इतना जलील करता है.....

श्री सभापति : कृपया इसे पूरा करें, यह तो पंचायती राज के एक लाख से ज्यादा जन प्रतिनिधि हैं इसलिये बहुत लंबी चर्चा नहीं कर पायेंगे, आप पूरी करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी मुझे दो मिनट तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : हां, बोल लीजिये। दो मिनट में पूरा करें। आप सुझाव दीजिये, इन पीड़ाओं का फैसला तो.....

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरे मन की पीड़ा है, हमारे जन प्रतिनिधियों का अपमान हो इस तरीके से और हम खड़े-खड़े देखते रहें। हमारे जिला प्रमुख की यह स्थिति कर दी कि 6-6 महीने में उसको मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। आपके सी. ओ. ने यह लिख कर दिया कि आप मीटिंग नहीं बुला सकते। जब हमको जानकारी हुई तो हमने कहा कि आपको पावर्स हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, सरकार से मालूम कर लीजिये। आपसे इजाजत लेते हैं, आपके जो विभाग हैं, उनसे कोई इजाजत ली जाती है? मीटिंगों की इजाजत आप यहां से दिलवायेंगे तो कैसे हमारा यह पंचायती राज चलेगा। यह पंचायती राज को समाप्त कर रहे हैं आप।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : गलत फैक्ट मत रखिए। न तो किसी को मीटिंग बुलाने से रोका, न हमसे इजाजत कोई मांगी, न हमने दी। आप यह क्या फैक्ट रख रहे हैं। गलत फैक्ट रख रहे हैं आप हाउस में। असत्य भाषण कर रहे हैं हाउस में।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि सी.ओ. ने रोका है इनको, कि आप यह नहीं बुला सकते, सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों सरकार से इजाजत लेंगे? लेकिन यह स्थितियां पैदा कर दी हमारे जन प्रतिनिधियों की कि मीटिंग के लिये आप लोगों से इजाजत लें यहां पर। यह स्थिति आपने बना रखी है। हमने कहा है, लुहारी के एक सरपंच हैं, एक सड़क हमने बनाई थी अकाल राहत में और अभी मंजूर कराई थी सड़क को और वह पूरा पैसा सिर्फ एक ठीकरा डालकर उन्होंने छुट्टी कर दी। इस तरीके से वह सरपंच करे उनकी तो कोई शिकायत नहीं होगी, उनकी कोई जांचें नहीं होगी, हमारी बात पर जांचें होंगी, हमारे लोगों की जांचें होगी, और उनको जलील किया

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जायेगा। मैंने आपको बता दिया, इस स्थिति से ज्यादा क्या होगा कि उनको जेल भेज दिया जाता है और खास तौर से इस सदन में माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं का जो आगमन इस समय राजनीति में हुआ है, यह थोक रूप में हुआ है। उनका प्रोटेक्शन आपको हर कदम पर करना पड़ेगा और आपको करना चाहिये, नहीं करें तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति लायतलाल माने जायेंगे, यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 और 50 पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार रखने और मंत्रीगण द्वारा जवाब देने और मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : मांगों पर जवाब देने और पारित होने तक का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह जी (महुवा)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, इसके पहले जो कार्यवाही की गयी।

श्री सभापति : आप अपनी जगह पर आकर बोलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके पहले जो कार्यवाही की गयी।

श्री सभापति : आप अपने स्थान पर आकर बोलेंगे।

मांग संख्या 41 व 50 पर विचार

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदया, आज इस सदन में उन विभागों पर चर्चा हो रही है, उनकी कार्य प्रणाली पर चर्चा हो रही है, जिनसे राजस्थान के करीब 38 हजार गांवों का विकास का काम जुड़ा हुआ है। समय सीमा है पर आप ज्यादा.....

श्री सभापति : समय सीमा है। क्योंकि आज आपके ही पक्ष के बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और मैं चाहती हूं कि आपके अच्छे-अच्छे सुझाव सरकार को प्राप्त हों।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदया, मैं सबसे प्रथम माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं, हमने 32 हजार प्राथमिक विद्यालय खोल दिये, हमने 34 हजार प्राथमिक विद्यालय खोल दिये। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर क्या है और उस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये, मंत्री महोदय, आप क्या काम कर रहे हैं। यह है अहम प्रश्न जिसको मैं अपने मुंह से क्या कहूं। माननीय सब सदस्य इसको महसूस करते हैं, सभापति महोदय, आप भी महसूस करती हैं, शिक्षा का जो स्तर गांवों में बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से मिल रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है।

(श्री हरिसिंह)

मैं दूसरा आपसे और अनुरोध करूंगा। केन्द्र सरकार ने बहुत सारी पंचायत समितियों में ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा में सुधार लाने के लिये आपको कुछ दान, अनुदान, सहयोग दिया। क्या केन्द्रीय सरकार की जो मंशा थी उसको आप पूरा कर सके? एक मनन का विषय है। उसको किस हद तक हम पूरा कर सकें, यह सोचने का विषय है। पंचायतों की जो कार्य प्रणाली है, मैं लम्बा पूरा नहीं जाकर आपसे एक अनुरोध करूंगा। सभापति महोदया, मैं आपके विचारों से बिलकुल सहमत हूं कि हर पंचायत में एक सचिव अलग से होना चाहिये अगर इनका सही ढंग से कार्य संचालन करना चाहते हैं तो, और उसके लिये अगर आपको विशेष बजट की आवश्यकता हो तो आप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से बात करें और ग्रामीण विकास के नये मापदण्ड स्थापित करने हैं, अगर सही ढंग से पंचायतों का संचालन करना है तो हर पंचायत का एक अलग से सचिव आप पदस्थापित करें। यह बहुत जरूरी है। अब आपका पूरा का पूरा पंचायती राज सिस्टम, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, क्या हुआ, कैसे हुआ, 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। नहीं, मैं एक सेंटेंस में मेरी इस बात का समापन करना चाहूंगा कि पहले जो हमारी व्यवस्था थी थ्री टायर सिस्टम की, अब हमारा अनुभव बता रहा है कि वह इससे ज्यादा कारगर और बेहतरीन थी। अगर कहीं कोई उपाय हो सकते हों, अगर इस मामले में हमको केन्द्र से, संसद से भी अनुरोध करना पड़े और राजस्थान में हमारी जो पूर्व व्यवस्था थी अगर उनको पुनः आप लागू करने के लिये प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था आपकी सुचारू रूप से बेहतरीन और कारगर ढंग से चल सकती है।

सभापति महोदया, फण्ड हमको सब आ रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास का है मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछ रहा हूं, मंत्रीजी, आपका काम क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपका काम क्या है और आपका दखल कितना है? सच्चाई यह है कि जो कुछ भी एक्जीक्यूशन की विकास के.....

श्री अनंग कुमार जैन : हमारा काम है, विधान सभा में आप जैसे विद्वान सदस्य जो सुझाव देते हैं, अगर अच्छे सुझाव देते हैं तो.....

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं। मैंने तो एक सोच के लिये, मनन के लिये एक विषय दिया है आपको।

श्री अनंग कुमार जैन : तो मैंने यही कहा, मेरा काम यही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मनन के लिये एक विषय दिया है।

श्री अनंग कुमार जैन : आप अच्छे सुझाव देते हैं उनको क्रियान्वित करने का काम है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उसके आगे एक बात करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, फण्ड्स जो आ रहे हैं, ग्रामीण विकास का जो भी कोष आ रहा है वह एकीकृत ग्रामीण विकास के माध्यम से केन्द्र सरकार का

(श्री हरिसिंह)

आ रहा है। मुझे तो शायद यह नहीं दिखाई दे रहा है और एक्जीक्यूशन की जो एजेंसी है वह माननी आपकी संस्थाओं के पास है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पास है। शायद दोनों मंत्रियों ने इस विषय पर बैठकर कभी कोई समन्वित योजना बनाने के प्रयास किया हो, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता।

श्री सभापति : आमने-सामने ही रहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह अलग बात है। वह शाम को क्यों मिलते हैं उन दोनों की आदत मैं जानता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जैसे परसादीलाल जी और आप मिलते हो, वैसे ही हम मिलते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, पहले मैं और आप भी मिला करते थे। सभापति महोदया, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह एक सत्य है और नंगा सत्य है, इसको अंग्रेजी में नेकेड ट्रूथ कहते हैं। यह बिलकुल सत्य है कि पूरी की पूरी हमारी जो विकास की एजेंसीज हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको आरोपित करूं, पहले भी था, स्वीकार कर लेता हूं, आज है लेकिन आज ज्यादा व्याप्त हो रहा है। क्यों ? क्योंकि ग्रामीण विकास के लिये जो कोष अब उपलब्ध है वह पहले नहीं थे। अब काम ज्यादा है और काम ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमको इस व्यवस्था का सुधार करना पड़ेगा। मैं बहुत पक्ष में हूं कि हमारी जो प्रजातांत्रिक, चुनी हुई संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो उनके मार्फत काम होना चाहिए लेकिन पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है उसको आपको गियर-अप करना पड़ेगा, आपको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपको एक सोच डवलप करनी पड़ेगी कि इस भ्रष्टाचार को कैसे निवृत्त किया जाय, इससे कैसे छुटकारा पाया जाय ताकि ज्यादा स्वतन्त्रतापूर्वक हमारी चुनी हुई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां अच्छी भागीदारी निभा सकें। सभापति महोदया, गांवों में.....घड़ी की तरफ न देखें थोड़ा सा, मेरी तरफ देखें।

श्री सभापति : ऐसा है आपकी तरफ देखूंगी तब भी घड़ी दिखती है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मैं बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा।

सभापति महोदया, मैं आपको सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं। आज राजस्थान के 39 हजार गांवों में से करीब 20 हजार गांवों को आज पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो प्रदूषण के सबसे बड़े केन्द्र बन गये हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि ग्रामीण महिलाओं को शौच विसर्जन के लिये कोई स्थान नहीं है। गांव के आस-पास के खेत.....

श्री सभापति : सब आप लोगों ने अतिक्रमण कर लिये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : फसल बुवाई हो जाती है तो आम रास्तों के किनारे बैठकर वह शौच विसर्जन का अपना कार्य करती हैं, कोई मर्द आया, 10 बार उनको खड़ा होना पड़ता है,

(श्री हरिसिंह)

हमें ग्रामीण शौचालय स्थापित करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं इसके साथ ही अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास का जो पैसा है, सड़कें बनाने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. को जा रहा है, हैण्ड पम्प और दूसरी पेयजल योजनाओं के लिये हमारा पैसा हम पी.एच.ई.डी. को दे देते हैं। सभापति महोदया, बड़ा आश्चर्य होता है जब पी.एच.ई.डी. की, चाहे किसी गांव में कोई भी हैण्ड पम्प मंजूर करवायें, किसी ढंग का स्ट्रेटा हो जमीन का, एक ही सूची मिलती है। हमारे दौसा में तो 40 हजार, 40 हजार, 40 हजार या 45 हजार, मैं आपसे अनुरोध करूं, हमने ग्रामीण विकास अभिकरणों में एक्सई.एन. बैठा दिये, हमने एई.एन. पदस्थापित कर दिये, क्यों नहीं पंचायत समितियों का हमारा टैक्निकल स्टाफ सीधे उनके अण्डर में लाया जाय। हम पी.डब्ल्यू.डी. को सड़कें दे रहे हैं, पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार के माध्यम से करवा रहा है, हम हमारे फण्ड्स हैण्ड पम्प्स के लिये और नलकूप बनाने के लिये.....

श्री सभापति : अभी देखिए, नये जो सुझाव दिये हैं ग्रामीण विकास अभिकरणों के उसमें बिलकुल ग्रामीण जो विकास के काम हैं वह पंचायत राज के माध्यम से ही होंगे और ग्रामीण बी.एस.आर. अलग तय किये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, वही अनुरोध मैं कर रहा हूं कि हम पी.एच.ई.डी. को हमारे फण्ड्स दे रहे हैं, पी.एच.ई.डी. भी ठेके पर नलकूप लगा रहा है या हैण्ड पम्प्स लगा रहा है। क्योंकि नहीं, ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से यह काम करवाया जाय और पी.एच.ई.डी. की जो रेटलिस्ट हैण्ड पम्प्स के लिये.....

श्री सभापति : उसी के माध्यम से होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइप वगैरह खरीदने के लिये और दूसरा सामान खरीदने के लिये है उस रेट्स पर उन सप्लायर्स से एकीकृत ग्रामीण विकास स्वयं परचेज कर सकता है और ठेके का काम भी स्वयं करा सकता है तो उनका इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। हम हमारे छोटे-छोटे लिंक रोड एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर का, दो किलोमीटर का पी.डब्ल्यू.डी. को दे रहे हैं। पी.डब्ल्यू.डी. दान-दक्षिणा का पैसा मान रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह सच्चाई है कि पी.डब्ल्यू.डी. में भी कमीशन जाती है और मैं यह आपसे इसलिये अनुरोध कर रहा हूं कि जो सड़कों का लिंक रोड का काम हम पी.डब्ल्यू.डी. से करवा रहे हैं उस काम को अगर हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवायें तो काम की स्थिति सुधरेगी उसकी बेहतरीन स्थिति होगी और उस काम पर सीधा-सीधा पंचायत राज सिस्टम का और डी.आर.डी.ए. का डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा, कंट्रोल रहेगा और वह इसके लिये लायबल रहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, इसके साथ ही, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। शायद पंचायत राज मंत्रीजी कहीं चले गये। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। उनका कोई सबोर्डिनेट भी नहीं है।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : उनके ही सब साथी हैं। आप दो-एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्रीजी सदन में ही मेरे प्रश्न का जवाब दे देते, अगर होते, कि महुआ पंचायत समिति का प्रधान कौन है।

श्री सभापति : ठीक, बिराजिये। माननीय शशीदत्ता जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, यह गलत सूचना दी गयी है। इसमें लिखा है श्री बाबूलाल कोली और बाबूलाल कोली का अविश्वास आ चुका है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। भूल से हो सकता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, थोड़ा सा निवेदन करूं मैं। एक ग्राम पंचायत है बाड़ा बुजुर्ग, मेरी पंचायत समिति महुवा में। वहां का सरपंच अनुसूचित जाति का है। पिछले दो सालों में 14 लाख रुपये के काम उसने करवाये। कोई उसके खिलाफ शिकायत नहीं, कोई जांच नहीं और कोई अभियोग नहीं, उसके बाद में भी कलक्टर, दौसा द्वारा एक आदेश निकाला गया। इजाजत हो तो इसको पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूं।

श्री सभापति : नहीं, बिराजिये आप, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो लाइन का है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत बाड़ा बुजुर्ग के समस्त निर्माण कार्य विकास अधिकारी, पंचायत समिति महुवा के नेतृत्व में गठित निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का है। कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति महुआ, प्रधान अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़ा बुजुर्ग, सचिव ग्राम पंचायत बाड़ा बुजुर्ग, श्री अजयसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह राजपूत खोरामुला, श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कन्हैया माली, निवासी बाड़ा बुजुर्ग। कोई गलती नहीं की, कोई शिकायत नहीं, कोई जांच नहीं। इसके बाद में इसमें नीचे और एक नोट डाल दिया। उपरोक्त कार्य भुगतान पंचायत समिति महुआ के माध्यम से विकास अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

कोई जांच होती, कोई शिकायत तो होती। सरपंच को बिना बात के उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। क्योंकि वह अनुसूचित जाति का है, क्योंकि वहां विकास फण्ड बहुत थे। इसमें नीचे से ऊपर अधिकारियों की साजिश है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे हम कमीशन प्राप्त करें। इसलिये इस सरपंच को हटाया गया। मेरा यह आरोप है।

मैं यही कहते हुये आपके माध्यम से पुनः यही अनुरोध करूंगा कि विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी और पंचायत राज मंत्रीजी, गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। आप मेहरबानी करिये, गांव में आज जो हालत खराब है।

श्री सभापति : बिराजिये, श्रीमती शशीदत्ता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिस प्रकार से गांव कचरे का ढेर बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप गांव को साफ-सुथरा स्वच्छ बनाएं।

श्री सभापति : बिराजिये, आपको बहुत समय दे दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और निर्माण प्रक्रिया में आप अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करें। इस प्रकार + + + गांव का भला नहीं होगा। सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से बड़े दुःख के साथ एक बात निवेदन करनी पड़ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की ग्रामीण विकास में कोई भागीदारी नहीं है। कोई रुचि नहीं है। कोई माननीय सदस्य आज ग्रामीण क्षेत्रों के हित की बातें बोलने के लिये तैयार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या बोलिये आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके पास सिर्फ कांग्रेस के माननीय सदस्यों की सूची है। इन्हीं को चिन्ता है ग्रामीण विकास की। (व्यवधान)

श्री सभापति : तो फिर मैं इधर से बुला रही हूं। मैं आपको समय दे रही हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यदि भागीदारिता करना चाह रहे हैं। (व्यवधान) मोह में इस से शर्मनाक स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। धन्यवाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हरिसिंहजी, क्यों हमें छेड़ते हो, हम बोलेंगे तो टिकोगे नहीं आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : + + +

श्री सभापति : यह शब्द निकाल दें आप। माननीय सदस्य के मुंह से शोभा ही नहीं देते।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 41 और 50, ग्रामीण रोजगार व सामुदायिक विकास पर चर्चा हो रही है। मैं आपकी आज्ञा से अपने आपको उसमें शामिल करते हुये कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, सिर्फ कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को दूंगी। पंचायत मंत्रीजी नहीं हैं इसलिये जो अधिकारीगण यहां उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूंगी कि नोट-डाउन करें।

सभापति महोदया, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, यह एक बहुत अहम प्राब्लम है, समस्या है जो कि सीधे रूप से, बिलकुल उस ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई है जिनके जन-प्रतिनिधि हम भी हैं और जिनके बारे में हम यहां सदैव चर्चा करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती शशीदत्ता)

अनुरोध करूंगी कि वह इसे बड़े ध्यान से सुनें।

सबसे पहले, मैं माननीय पंचायत मंत्रीजी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि अबकी बार जो इन्होंने एक प्रोसीजर मेन्टेन किया अध्यापकों की नियुक्ति का, पहली बात तो अध्यापकों की स्ट्रेन्थ बहुत कम है, कहीं-कहीं स्कूल में एकाध हैं और कहीं मेरे ख्याल से एकाध स्कूल ऐसे भी मिल जाएंगे कि जहां आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी प्राब्लम इन अध्यापकों के साथ है कि अध्यापक काफी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इन्होंने सबसे बड़ा अबकी बार एक नया एक्सरपेरिमेंट किया कि जो नव-नियुक्ति पाने वाले अध्यापक हैं इनमें, उनसे एक बांड भरवाते हैं, तीन साल का या पांच साल का। उस बांड के तहत जो बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे उसमें महिलाएं भी हैं, और युवा बेरोजगार भी हैं, वे नियुक्ति नहीं मिलने के कारण, दर-दर भटकने के कारण तुरन्त उन बांड्स को भर देते हैं। उस बांड के कारण से उनको नियुक्ति चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, वे कहीं भी जाने के लिये एग्री हो जाते हैं इस एवज में कि चलो रोजगार मिले। बाद में हालत यह होती है माननीय सभापति महोदया, कि जो वेतन उनको मिलता है उस वेतन से वे अपना गुजारा नहीं कर पाते। आए दिन, यहां जितने भी माननीय सदस्य इधर के या उधर के बैठे हैं, जब भी उनको छुट्टी मिलती है या मौका मिलता है वे हमारे जीव को रोते हैं, रोज आते हैं कि साहब, मेरा इस पंचायत समिति से यहां करा दो और मेरा स्थानान्तरण यहां करवा दो, या महिलाएं आती हैं और हम बार-बार मंत्रीजी के पास जाते हैं। मंत्रीजी यह कहते हैं कि साहब, यह बांड जो हैं जब तक नहीं होगा, इसमें रिलेक्सेशन नहीं होगा तब तक स्थानान्तरण करना बिलकुल सम्भव नहीं है। इसलिये मेरा पहला सुझाव है कि इतना कठिन जो आपने प्रोसीजर रखा है, इसमें आप थोड़ा रिलेक्सेशन दें और जहां तक सम्भव हो सके उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर आप नहीं दे सकते तो नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हो उसमें पोस्टिंग दें। ताकि इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के सामने यह दिक्कत नहीं आवे।

मेरा दूसरा सुझाव माननीय मंत्रीजी से यह है कि इन्होंने जो अपाइंटमेंट्स दिये, पशु चिकित्सकों को बी.डी.ओ. बनाए, सभापति महोदया, आपके एरिये में भी बनाए होंगे।

श्री सभापति : मेरे यहां तो एक भी नहीं है। जो पशु चिकित्सक थे सब बी.डी.ओ. हो गये, बी.डी.ओ. लगे हुये हैं।

श्रीमती शशीदत्ता : पशु चिकित्सकों को इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर या किन कारणों से बी.डी.ओ. बना दिया। इनको जो ज्ञान है, माननी सभापति महोदया, वह अपने मामले में, अपने हैड में हो सकता है कि पारंगत हों, एक्सपर्ट हों। लेकिन कहीं विकास के कार्य हैं जहां सीधे तौर पर ग्रामीण लोगों में जुड़े हुये हैं, वहां उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। आए दिन बी.डी.ओ. पर यह आरोप लगते रहते हैं कि ये भ्रष्ट हैं और ये पैसे खा गये, कमीशन खा गये। इसलिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसमें जो बी.डी.ओ. का सलेक्शन

(श्रीमती शशीदत्ता)

है वह उन्हीं को देवें, जो इस पद के काबिल हैं।

तीसरा, जो आप पंचायतों के माध्यम से कार्य करवा रहे हैं उसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव यह है, बहुत पहले एक माननीय सदस्य बोल चुके कि सैक्रेटरीज की स्ट्रेंथ बहुत कम है और कहीं-कहीं तो एक-एक सैक्रेटरी के पास कई-कई पंचायत समितियां हैं। उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई-कई पंचायत समितियां सम्भालने में। दूसरी सबसे बड़ी जो प्राब्लम है कई जगह आपने सैक्रेटरीज के अभाव में, ग्राम सेवकों के अभाव में, कुछ शिक्षकों को भी सचिव रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो सुझाव और दूंगी। तो माननीय सभापति महोदया, जहां टीचर्स पंचायत का काम भी देख रहे हैं और स्कूलों का काम भी देख रहे हैं, और टीचर एक ही है तो वह इस कमीशन के चक्कर में न तो स्कूल का कर पाते हैं और न विकास का काम देख पाते हैं। इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, इसको थोड़ा सा आप देख लें।

दूसरा, सभापति महोदया, जब काम चलता है, जैसे अकाल राहत के कार्य हैं, वह डी.आर.डी.ए. के माध्यम से या एम्पलाइज मुहैया कराये जाते हैं, उनको जो पेमेंट दिया जाता है, माननीय मंत्री महोदय, वह बहुत कम होता है। जो अन्य लोगों को मिलता है, जैसे जो दैनिक मजदूरी करते हैं, बाहर उनको 60 रुपये या समथिंग मिलता होगा लेकिन जो आप लोग रखते हैं, उनको जो दिया जाता है, सैलेरी या क्या कहते हैं, जो भी मजदूरी जो देते हैं, माननीय सभापति महोदया, महिलाओं को भी.....

श्री सभापति : दिहाड़ी।

श्रीमती शशीदत्ता : हां, दिहाड़ी, सॉरी, जो देते हैं, माननीय सभापति महोदया, महिलाओं को तो उसमें भी वे दस रुपये कम कर देते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि इन रेट्स को थोड़ा इन्क्रीज करें ताकि आपको ईजीली जो मजदूर हैं, वे समय पर उपलब्ध हो जाएं और उस समय आपको यह नहीं देखना पड़े कि बाड़मेर के मजदूर आएंगे या कहां से ढूंढना पड़ेगा। एक मैं छोटा-सा सुझाव और दूंगी, माननीय मंत्री महोदय को कि पंचायतों के माध्यम से आप, एक यह आपका प्रोग्राम है, गोबर गैस प्लांट और यह बायोगैस का जो प्रोग्राम है, यह हमारे एरिये में काफी हद तक कई जगह काफी सक्सेसफुल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि जिन एरियों में यह काम सक्सेसफुली हो रहा है, वहां उसको थोड़ा इन्क्रीज करें। बजट उसमें उपलब्ध करायें और दूसरा सरपंच और डाइरेक्टरों पर यहां पर लम्बा, बहुत देर से डिस्कस हो रहा है, अबकी बार माननीय सभापति महोदया, क्योंकि पंचायतों के चुनाव बहुत लम्बे समय के बाद हुए थे और महिलाओं को भी पहली बार आरक्षण मिला था, इसमें और मैं क्योंकि मिनिस्टर थी, तो मैंने यह सुझाव दिया था इनको कि कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन पाचवीं पास या प्राइमरी पास इसमें जरूर रखी जाए। ताकि यह जो आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात को.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : पूरा करें।

श्रीमती शशीदत्ता : अब दो ही मिनट लूंगी। मजाक नहीं बनेगी कि महिलाओं की.....

श्री सभापति : पूरा करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती शशीदत्ता : खत्म कर रही हूं, सभापति महोदया, कि महिलाएं आती हैं तो वे अपने पति को साथ लेकर के आती हैं या अपने बेटे को साथ लेकर के आती हैं और दिस इज दी प्राब्लम। इस बात से अनभिज्ञ हैं इसलिये उनको उनका सहारा लेना पड़ता है इसलिये यह एड किया जाए कि पांचवीं, कम से कम उनकी.....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदया, मैं.....

श्री सभापति : नहीं, आपको मैंने पूरा समय दिया है। मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं अब।

श्रीमती शशीदत्ता : एक सुझाव और है। जितने भी काम ग्रामीण विकास के माध्यम से होते हैं, माननीय सभापति महोदया, क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि होने के नाते इनको प्रैशराइज करते हैं। डी.आर.डी.ए. वालों को कि हमारे एरिये में विकास के काम ज्यादा से ज्यादा करवाये जाएं और काम होते भी हैं। मैं दोनों माननीय मंत्रियों का इस बारे में धन्यवाद करना चाहूंगी कि काफी काम इसमें हुये हैं इस साइड में लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह क्वांटिटी पर नहीं जाकर के क्वालिटी का भी ध्यान रखें क्योंकि उनके पास जो स्टाफ है, जो जाने के लिये तैयार नहीं होता, जैसे इन्जीनियर्स हैं, बहुत कम इनके डिपार्टमेंट में जाना पसन्द करते हैं तो यह अपने परमानेन्ट ऐसे स्टाफ रखें जो उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखें और बाकी में.....

श्री सभापति : बाकी धन्यवाद।

श्रीमती शशीदत्ता : मैं धन्यवाद दूंगी, दोनों मंत्रियों को।

श्री सभापति : बिराजिये। मैं अगला नाम ले रही हूं। बिराजिये आप। माननीय रामस्वरूपजी। हो गया समय पूरा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, जो यहां पर बिराजमान हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय आदरणीय श्री नेहरूजी ने 1959 में नागौर के अन्दर, राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना की थी और आज हम सब लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने राजस्थान को इसके लिये चुना था और राजस्थान को सबसे अच्छा प्रदेश उन्होंने माना था। उन्होंने गरीबों के लिये पंचायती राज खोला था। आज वे नहीं हैं वे चले गये, उन्हीं के बेटे राजीव गांधी ने, जिनमें सुधार करके वे भी चले गये और आज सारा सदन उनको नमन करता है। कांग्रेस का राज रहा चालीस साल तक।

एक माननीय सदस्य : बेटे थे? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + क्या करते हो? यह + + + क्या है?

श्री सभापति : बिराजिये, शैलेन्द्रजी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : Is this the way? It should not be.

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है, आप इस पर हंस लीजिये। तीन महीने बाद परिणाम सामने आ जाएंगे, हंसने के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी पांच सीटे आयी हैं, अब जीरो आएंगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कहां होंगे? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने.....

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि राजीव गांधी नेहरूजी के बेटे नहीं थे। यह बात कही है। इन्दिरा गांधी के बेटे थे, इन्दिरा गांधी के।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्दिरा गांधी के बेटे थे, इतना तो यह समझते हैं। बिलकुल ही + + + थोड़े ही बैठे हैं मेरी तरह (व्यवधान) इसलिये माननीय सभापति महोदया, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चालीस साल तक कांग्रेस ने राज किया। पंचायत-राज को मजबूत किया। पंचायत राज की नींवें बड़ी गहरी हो चुकी थीं और पंचायत राज में जो जितने भी कार्यक्रम खोले थे, यह सारे कांग्रेस के टाइम में खोले थे। मेरे कई साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, आप अच्छे मंत्री हैं, आपने विभाग को सम्भाला है और आपके कुछ अधिकारी आपने लगा दिये, उनकी वजह से आपका विभाग तरक्की की ओर जा रहा है लेकिन जो कमियां हैं, उनको मैं आपको बताये बगैर नहीं रहूंगा। मैं आपसे सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कुछ नयी पंचायतों का गठन किया था। आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। उन नयी पंचायतों के गठन के अन्दर आपने कुछ मानदंड निर्धारित किये थे कि इसके आधार पर नयी पंचायत बनायी जाएगी। मेरे यहां नादौती तहसील है, उसकी बाडा और राजपुर दो गांव हैं। राजपुर के अन्दर पंचायत भवन पहले से बना हुआ था, जनसंख्या उसकी ज्यादा थी, स्कूल वहां पर मिडल खुला हुआ था। सड़क से जुड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी आपने राजनैतिक प्रेशर से बाड़ा की जगह, राजपुर की जगह आपने बाडा में खोला पंचायत हैड क्वार्टर और वहां की पंचायत आपने घोषणा की। कृपया, आप इसकी जांच करा लें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पंचायतों का विलय, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, यह मेरे से पहले हुआ था। उस समय में मंत्री नहीं था।

श्री रामस्वरूप मीणा : चलिये, उस समय आप मंत्री नहीं थे। कोई दूसरा था मंत्री उस समय इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब आप मंत्री बन चुके हैं, जिसने भी गलती की है, उसका तो पत्ता साफ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हो जाएगा और आप सुधार कर देना, आपकी विजय हो सकती है। (व्यवधान)

दूसरा, मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, हमारे यहां पर जिला सवाईमाधोपुर की, जिला-परिषद् अब तक चली आ रही है। माननीय मंत्री महोदय, कम से कम यह तो बता दें कि राजकुमारी को तो आपने ले लिया, राजकुमारी तो आपके पास ही रखों लेकिन जो हमारा करौली अलग से जिला बनाया है, उसकी जिला परिषद् तो अलग कर दो। आज तक मीटिंग नहीं हुई है जिला परिषद् की। कोई ध्यान नहीं होने से विकास कार्य सारे ठप्प पड़े हुये हैं केवल वह गाड़ी लेकर के, लालबत्ती लगाकर के घूमती हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं करती हैं। इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उनको, ठीक है सवाईमाधोपुर की जिला प्रमुख रखों, अपनी को, लेकिन हमारे जो करौली जिला आपने बनाया है, उसकी जिला प्रमुख का चुनाव तुरन्त करवा कर या किसी को भी कार्यभार सौंपकर आप वहां पर इस कार्य को अवश्य करवायें। इस बात की आप आज ही घोषणा करें। दो बात।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो पंचायत राज में तीन प्रथा जो लागू की है, बीच में डाइरेक्टर को और घुसेड़ दिया। इन डाइरेक्टरों ने ऐसी हालात कर रखी है या तो चैक पर इनके दस्तख्त करवाओ आप वरना यह तो कार्यक्रम होने ही नहीं देते। गांवों में विकास कार्य रोक दिया इन्होंने तो बिलकुल ही आपका। यह बड़े दुःख की बात है। कोई भी काम होता है, चैक होता है, यह जाकर आपके प्रधान से कहकर, आपके विकास अधिकारी से कहकर चैक को रुकवा देते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, कि आप चैक के लिये नियम बना दो, प्रधान और बी.डी.ओ. अगर दस्तख्त नहीं करता है तो सात दिन के अन्दर वह चैक मंजूर मान लिया जाएगा। आपका भ्रष्टाचार मिट सकता है। केवल चैक के कारण भ्रष्टाचार है। आपका और कोई कारण नहीं है इसलिये आप चैक के ऊपर चैक लगा दो।

श्री सभापति : चैक लगा दो।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसको सात दिन में मंजूर मान लिया जायेगा तो आपका भ्रष्टाचार मिट सकता है।

चौथा, मेरा निवेदन है कि आपकी इन्दिरा आवास योजना है, (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, इन्दिरा आवास के अन्दर क्यों बेइमानी होती है? क्यों भ्रष्टाचार फैला है, इसके जो टार्गेट होते हैं, वे पंचायतों के निर्धारित नहीं हैं। डी.आर.डी.ए. को पावर है, वह मर्जी आये कहीं पंचायत में दस दे देते हैं, कहीं पंचायत में बीस दे देते हैं, कहीं पांच देते हैं। यह सारा जो वितरण होता है, इस प्रकार टार्गेट्स का यह सब पैसा लेकर के होता है। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, कृपया, आप निश्चित कर दें, एक पंचायत को पांच मिलेंगे। दूसरी को दस मिलेंगे, जो भी निश्चित हो, उसकी लिस्ट लग जानी चाहिये पहले कि निम्नलिखित पंचायतों को यह टार्गेट रखे गये हैं। इनको इतने इन्दिरा आवास मिलेंगे, कोई दो पैसा नहीं देगा फिर। यह गुप्त रखते हैं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सारे उस प्रोग्राम को। गुप्त रखने के कारण भ्रष्टाचार का यह सारा काम होता है इसलिये मेरा आपसे सुझाव है, माननीय सभापति महोदया, आप ही इसकी एक लिस्ट लगवा दें कि अब पंचायत समिति टोडाभीम के अन्दर इतने गांव हैं, इतनी पंचायतें हैं, इनके अन्दर निम्नलिखित इन्दिरा आवास योजना के मकान बांटे गये हैं। जो आने वाले समय में बंट जाएंगे। कोई बेईमानी नहीं होगी किसी प्रकार की? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस इन्दिरा आवास में हो रहा है। नाम तो इसका इन्दिरा आवास है लेकिन आपके समय में आकर भ्रष्टाचार आवास इसका नाम हो गया। इससे बड़े दु:ख की बात नहीं है। एक मेरा और सुझाव है।

सभापति महोदया, सारे लोग कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी बहुत योग्य हैं। माननीय मंत्री जी तो एल.एल.एम. हैं। हां, मैं भी मानता हूं कि आप एलएल.एम. हैं लेकिन हम भी आपको जो सुझाव दे रहे हैं, वह पक्के सुझाव हैं। हमने भी एम.ए., एल.एल.बी. किया है। बारह साल तक की वकालत का अनुभव है, हमको, हमारे अनुभवों का भी लाभ उठाइये माननीय मंत्रीजी। इसमें आप पार्टीबाजी के चक्कर में मत रहा करो। हम कोई बात आकर सही कहें तो आप उसको मान लिया करो और कुछ मान लेते हो कभी-कभी। आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे खोले, फाइलें खोलीं, एफ.आई.आर. दर्ज करायी लेकिन बड़े दु:ख की बात है, निर्णय पर नहीं पहुंच सके। कोई दबाव आ गया मुख्यमंत्री का। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी फाइलें आपने खोली हैं, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे यहां आए हैं, कृपया आप अपना नाम रोशन करके जाएं। उन भ्रष्टाचारियों को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको शिकंजे में बंद कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बात पर आप गौर कर लें क्योंकि आप डरपोक नहीं हो। आने वाले समय में आप जिस फिल्म के अन्दर हीरो बनने जा रहे हो, वह फिल्म है देव नारायण और उसमें आप देवनारायण बन रहे हो। असली देवनारायण हो तो भ्रष्टाचार को मिटा दो वरना आप नकली देवनारायण तो हो ही। केवल रोल अदा मत करो, वास्तविकता करो। देवनारायण बन जाओ वास्तव में। देवनारायण जी ने कैसे काम किए थे, सारा संसार पूजता है देवनारायण को। जगह जगह मन्दिर बन रहे हैं देवनारायण के। आप कौनसे देवनारायण बनोगे मुझे बता दो। घोषणा करना आज ही सदन में बेइमान देवनारायण या आप यहां पर नकली देवनारायण या असली देवनारायण बनोगे आप, दुनिया को दिखा दो कि असली देवनारायण हूं मैं। यह अवसर बार-बार नहीं आएगा। आज कह देता हूं आने वाले वर्ष में आपकी पचास से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। उधर हम बैठेंगे, इधर आप बैठोगे। चूको मत, जो कुछ करना है आपको, कर डालो। बढ़िया अधिकारी मिल गए आपको अब तो। कराओ उनसे मेहनत। मेरी पंचायत समिति का निरीक्षण कर लो एक दिन आकर, पता लग जाएगा क्या बेइमानी हो रही है वहां पर। एक दिन आओ बगैर प्रोग्राम के तब मजा आए कुछ। हमको साथ रखो आप। पार्टी का

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भेदभाव भूल जाओ, केवल न्याय करो आप तो और यह चिन्ता मत करो हारूंगा कि जीतूंगा, काम करो ठाठ के साथ। कोई परवाह नहीं, भैरोसिंह जी आपका मंत्रीपद नहीं छीन सकते, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इसलिये आप एक आदर्श मंत्री बनो, यह पंचायत राज का जो विभाग आपको मिला है, यह गरीबों का विभाग है। यह डी.आर.डी.ए. का सारा.....(व्यवधान)

श्री सभापति : यह गरीबों का विभाग नहीं है। ग्रामीण विकास का विभाग है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, ग्रामीण विकास में, गांवों में जनता बसती है 80 परसेंट, वह भी गरीब जनता का है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, पंचायत समिति की एक भी मीटिंग में आज तक नहीं गए। यह इसलिये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय विधायक महोदय जो बात कह रहे हैं, वह बिलकुल असत्य है। पंचायत समिति टोडाभीम की मीटिंग एक भी नहीं छोड़ी मैंने आज तक। लेकिन बडे दुःख की बात है वहां पंचायत समिति में वह होता है जो मैं आंखों से नहीं देख सकता।

श्री सभापति : बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या जाऊं उस बाहर की मीटिंग में। बाहर बैठकर के वापस आना पड़ता है मुझे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि.....(व्यवधान) मंत्रीजी से बात कर लेने दें, अपन को फिर कर लेंगे दो-दो हाथ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बस पूरा करें। हां, पूरा करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपका अधिक सयम नहीं लेते हुये..... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय सभापति महोदया, मैं तो वही करता हूं जो रामस्वरूप जी कहते हैं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, रामस्वरूप जी का गुस्सा दूसरी बात पर है। जब आप देवनारायण बनने जाओ तो इन्हें भी कुछ रोल दे दिया करो। श्री अमरारामजी (धोद) बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जो पंयाचतों में घोटाले हैं, उन्हें उजागर करें, आप गरीबों के हित का काम करें और डी.आर.डी.ए. में जो भ्रष्टाचार है, डी.आर.डी.ए. मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मंत्रीजी, आपके कुछ समझ में आया हो तो बता दें।

श्री सभापति : श्री अमरारामजी, शुरू करें, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये डी.आर.डी.ए. के भ्रष्टाचार को आप मिटाना। विधायकों को क्यों नहीं दिया पैसा? वह भी आज काम में नहीं लेते। टाइम निकल जाता है उसके बाद में पैसा देते हैं। इसलिये आप

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मेहरबानी करके इस पैसे को तो दिलवा दो। धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-41 और 50, सामुदायिक विकास और ग्रामीण रोजगार की जो मांग है, उसमें सबसे पहले तो मैं पंचायत राज मंत्रीजी का, जो राजस्थान में 237 पंचायत समितियां है, उनमें एक मात्र ऐसी पंचायत समिति है जिसका आज तक भवन नहीं है। बार-बार मैंने इन साढ़े चार सालों में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित भी किया और मंत्रीजी से प्रश्न भी पूछा। लेकिन मंत्रीजी का जवाब यही आया कि अभी भवन के लिये जमीन नहीं है। मेरा सुझाव मंत्रीजी को है कि अगर जमीन पर पंचायत समिति, धोद और सीकर जिले में अगर जमीन नहीं मिली है तो अभी लोग चन्द्रमा पर पहुंच गये हैं, मंगल ग्रह पर भी पहुंच गये हैं और वहां अगर जमीन मिल जाए तो वहां पंचायत समिति का भवन बना दें जिससे कम से कम राजस्थान के पंचायत राज विकास पर जो काला धब्बा है, भवन नहीं है क्योंकि जब भवन बनाएंगे तो आने जाने की व्यवस्था भी देवनारायण भगवान है, इसलिये जरूर करेंगे। इसलिये जो कलंक.....(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन) : आपने पोलिट ब्यूरो से इजाजत ले ली क्या?

श्री अमराराम (धोद) : अब देवनारायण जी कर रहे हैं तो इसमें पोलिट ब्यूरो कहां बीच में आ गया? यह कलंक, सभापति महोदया, जो राजस्थान के ग्रामीण विकास पर 237 पंचायत समितियों में मात्र एक समिति ऐसी है जिसका भवन नहीं बना। जिसके लिये जमीन नहीं हो, प्रस्ताव और पंचायत समिति जिनके कब्जे में है, आपकी और आपके दोनों पार्टियों की मिलकर बनायी है जिन्होंने पचास साल तक इसका भवन नहीं बनने दिया। कल मंत्रीजी एसेप्ट कर रहे थे कि वह लोगों का पैसा खाते हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : प्रस्ताव आया नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : प्रस्ताव आएगा भी नहीं, क्योंकि पचास साल में नहीं आया। आज भी कहते हैं पंचायत समिति, धोद का मुख्यालय अगर धोद चला जाएगा तो वह एक कोने पर होगा। पंचायत समिति धोद के हिस्से जो भी चीजें आयी हैं, वह पूरी की पूरी कुदन पहुंच गयी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो पंचायत समिति के एक कोने पर, जिसका तीन पंचयातों के अलावा कोई उपयोग नहीं हो सकता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां है। पशु चिकित्सालय, आज तक पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर पशु चिकित्सालय नहीं है पचास साल के बाद।

पंचायत मंत्रीजी कह रहे हैं प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव नहीं आएगा। और यह प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं मंत्रीजी की भी हिम्मत नहीं है। जिस तरह कल हमारे एक मंत्रीजी की हिम्मत नहीं हो रही थी, इन मंत्रीजी की भी हिम्मत नहीं है कि वहां भवन बन जाए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : ऐसा नहीं है। सभापति महोदया, अपने यहां एक्ट में स्पष्ट

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

प्रावधान है। जिला परिषद् अलग है, पंचायत समिति अलग है, डिसेंट्रालाइजेशन की आप बात करते हो, जब तक पंचायत समिति का प्रस्ताव नहीं आएगा तो सरकार कहां से पैसा दे देगी ?

श्री अमराराम (धोद) : दूसरा, मुझे यह निवेदन करना है कि अभी मंत्रीजी कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस सरपंच ने ग्राम पंचायत में आर्थिक अनियमितताएं कीं, जिसकी आपके अधिकारियों ने जांच की, जांच करके कलक्टर ने उसको निलम्बित करने के लिये, सस्पैण्ड करने के लिये प्रस्ताव भेज दिये। आपके विभाग ने और मंत्रीजी ने उसको हटा दिया। बेइमानी में पकड़ा गया, जांच हो गयी, दो दफा जांच करवा ली, मंत्रीजी ने सरपंच को हटा दिया लेकिन वही सरपंच, जो आपकी जांच में, सरकार की जांच में पूर्ण रूप से भ्रष्ट पाया गया, हटा दिया गया और सात दिन के बाद में मंत्रीजी बता दें कि कौनसे कारण हो गए कि वह ईमानदार हो गया। आपका आर्डर एग्जिक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले सरकार और मंत्रीजी ने अपना आर्डर रिबोक कर लिया। वापिस उसको रिइन्स्टेट कर दिया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : किस जगह की बात कर रहे हो आप ?

श्री अमराराम (धोद) : सरपंच, ग्राम पंचायत बड़ाघर। अब आपने अनियमितताओं में दूसरा सरपंच हटाया। अभी आर्डर निकले हैं शायद 10-15 दिन हो गए हैं। एग्जिक्यूट नहीं होगा और मैं आज कहता हूं उसी को आप दुबारा रिबोक करेंगे। वह भी हट नहीं सकता। क्योंकि.....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : प्रजातन्त्र है।

श्री अमराराम (धोद) : इसी को प्रजातन्त्र आप कहते हैं ? अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार मिटा नहीं रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, अभी मंत्रीजी कह रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी भी घोषणा कर रहे थे। अकेली पंचायत समिति, धोद की मैं कह सकता हूं कि वहां बारह स्कूल ऐसे हैं जिनमें एकल अध्यापक है आज भी। एकल अध्यापक है। दूसरी तरफ ऐसे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक यह धोद का ही सवाल नहीं है, हर पंचायत समिति में जो गांव सबसे ज्यादा पिछड़े हुये हैं, जहां के लोग शिक्षित होकर अध्यापक नहीं बन पाए। हर पंचायत समिति का यही का यही हाल है कि वहां अध्यापक नहीं रहेगा। दो सौ लड़के होंगे और एक अध्यापक रहेगा और जहां पहले पढ़ गए वहां पचास लड़के होंगे लेकिन टीचर चार होगा। अगर पढ़ने वाले पचास होंगे, टीचर रह नहीं सकता तो ऐसे लड़कों के नाम लिखे जाएंगे जो कभी उस स्कूल में आते ही नहीं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। एक पंचायत समिति का आप सर्वे करवा लीजिये। ऐसे अध्यापक हर पंचायत समिति में मिलेंगे। जनता का पैसा खर्च होता है। जहां लड़के हैं वहां टीचर नहीं जाएंगे। जहां टीचर है वहां लड़के नहीं हैं। केवल व्यवस्था आपको करनी है। राजनैतिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तो पीछे जो आज

(श्री अमराराम)

पचास साल में पिछड़े हुये रह गए, उनको आप और पिछड़ा रहने के लिये मजबूर कर रहे हैं। यह जब तक नहीं होगा।

आज आर्डर निकालते हैं, मंत्रीजी ने इस बात के लिये दिशा-निर्देश भी निकाले कि सत्र के बीच में कोई ट्रांसफर नहीं होंगे, बहुत बढ़िया किया। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहां होता है? सजा इसलिये दी जाती है कि उससे सबक लें और वह आइन्दा उसके लिये गलती नहीं करे। अगर शिक्षा सत्र के दौरान आपने आदेश निकाले और राजनैतिक इच्छा के कारण अगर ट्रांसफर किये जाते हैं, अगर पंचायत समिति में जो ऐसा करता है, उसको अगर सजा नहीं देंगे तो आगे फिर करेगा।

दूसरा, आज सीकर में मैं समझता हूं आपके निर्णयानुसार 270 अध्यापकों की कमी है। आपने केवल 77 की परमिशन दी है और उनके अनुसार वहां आप अध्यापक नहीं लगाएंगे तो उल्टा इसमें खामियाजा हो जाएगा। एक पंचायत समिति में 300 टीचर हैं, वहां शिक्षा विभाग का आपका एक ही बाबू है पंचायत समिति में। तो पहले ही टीचर्स कम हैं आप नियुक्ति नहीं देते और उन टीचर्स में से कुछ न कुछ टीचर्स, आदेश आपने निकाल रखे हैं कि कोई भी अध्यापक को प्रति नियुक्ति पर पंचायत समिति या जिला परिषद में नहीं रखेंगे लेकिन हर जगह हैं, बारबार पंचायत समिति, जिला परिषद् में कहने के बाद भी सवाल एक ही आता है कि पंचायत समिति में एक टीचर है, 300 टीचर्स की सर्विस बुक, उनके बिल-वाउचर बनाने के लिये एक नहीं कर सकता तो क्या हम अगर शिक्षा चाहते हैं, सम्पूर्ण साक्षरता चाहते हैं तो फिर हम बाबू नहीं लगा सकते? जो कमी है उसमें खाज में कोढ़ का काम और करते हैं, जो हैं उनको और ले आएं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रधानजी की हाजरी देते रहें स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं। तो यह सबसे बुरी हालत है। जितने अध्यापक हमारे पास हैं अगर उनका सही उपयोग नहीं करेंगे तो जिनकी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है, 50 साल की आजादी के बाद भी आज जिस तरह से साक्षरता में जो महिलाओं की हालत है इन सामंती संस्कारों के कारण, अगर उनको हम नहीं पढ़ाना चाहते तो उनके लिये हमें फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदया, पोषाहार कार्यक्रम है। हमारी पिपराली पंचायत समिति में जितना गेहूं था उसके 30 प्रतिशत उस गेहूं के अन्दर मिट्टी मिला कर दे दी गयी और जब पकड़े गये जिला परिषद् में, जिला परिषद् की मीटिंग में कमेटी बनायी कि आप दो जिला परिषद की माननीय सदस्या हैं, उनका साथ लेकर जायेंगे और पूरी जांच करेंगे लेकिन किसी को साथ लेकर नहीं गये इसलिये कि जिला परिषद से लेकर जो ठेकेदार था, इन्होंने मिलकर मिट्टी मिलायी थी। 35 क्विंटल मिट्टी पोषाहार में, जो बच्चों को आप पोषाहार का भोजन देना चाहते हो उसमें 35 क्विंटल अगर मिट्टी मिले तो हम कैसा पोषाहार देना चाहते हैं? और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज उन लोगों को वापस वैसे ही लोगों को पोषाहार

(श्री अमराराम)

देने की, पहली बात तो जहां जैसा दे रहे हैं लेकिन जो दे रहे हैं वह तो सही सलामत लोगों के पास पहुंचे। यह हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही मिनट लूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : टर्न बाई टर्न आते हैं आप तो। अगली बार तो आप आने वाले नहीं है।

श्री सभापति : इनको तो बख्शो, अकेले ही हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह तो बाद में होगा, न, अभी तय थोड़ी हुआ कौन टर्न बाई टर्न आयेगा।

श्री परसादी लाल मीणा : टर्न बाई टर्न आते हैं। एक बार आते हैं दूसरी बार नहीं आते। हो सकता है श्योपत सिंहजी आ जाएं, त्रिलोक सिंह जी आ जाएं, बेनीवालजी आ जाएं।

श्री अमराराम (धोद) :और अमराराम ही आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या आपको? (व्यवधान)

जहां तक डी.आर.डी.ए. का सवाल है, मैं समझता हूं कि जितना पैसा आता है वह अगर हम सही सलामत राजस्थान के गांव के विकास में लगाना चाहते हैं तो जब तक डी.आर.डी.ए. को चुनी हुई जिला परिषद के अण्डर में नहीं देंगे कोई भी प्रयास कर लें, सही रूप से लागू नहीं होगा। आज जो रिकार्ड बनाये जा रहे हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सभापति महोदया, जो मानव दिवस सृजित किये जा रहे हैं आज जो निर्माण कार्य हैं भवन बनाने के, 60 में मजदूरी होगी और 40 में सामग्री होगी जबकि इससे उलटा है। एक्चुअलिटी यह है कि इससे उलटा होगा। केवल वह आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं और जिस तरह से जो व्यवस्था पैसा देने की है मैं समझता हूं जिनको स्वीकृति दी जाती है उनको सही सलामत सीधा 30 प्रतिशत, और अगर एडवांस नहीं देते, बहुत सी पंचायत समितियों में तो हालत यह है कि आज भी जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं, तो मैं तो यह समझता हूं कि सबसे बढ़िया यह है कि जिस पंचायत समिति में पंचायतों को जो काम दिया जाए उसका 30 प्रतिशत पैसा स्वीकृति के साथ वहां पहुंच जाए और कम्प्लीट होने के बाद कम्प्लीट पेमेंट हो जाए। यह मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल मीणा-(अनुपस्थित)। श्रीमती इन्दिरा मायाराम-(अनुपस्थित)। श्री हरजीराम बुरड़क-(अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 41 और 50 के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, आज वर्तमान में सरपंच और ग्राम सेवक के बीच में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की स्थिति, आपस में को-आर्डिनेशन की पोजीशन है वह बहुत ही अप्रायोगिक है। पूरा रिकार्ड का मेन्टेन ग्राम सेवक करता है। ग्राम सेवक सरपंच के सबोर्डिनेशन में नहीं है। उसकी मर्जी है तो

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वह मीटिंग में आयेगा, नहीं तो वह कहेगा दूसरी पंचायत में गया था, नहीं आ पायेगा। सारा रिकार्ड और लेजर उसके पास रहता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसी तरह प्रधान और बी.डी.ओ. के बारे में कौन किसके सबोर्डिनेशन में है, किस का किस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, किस के पास सोबेरेनिटी है, यह जब तक आप डिपार्टमेंटल फिक्स नहीं करेंगे तब तक न तो ग्राम सेवक सरपंच के प्रति, ना ही विकास अधिकारी महोदय प्रधान के प्रति उत्तरदायी होंगे और अपना दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पायेंगे। यह जो लेकुना है, इसको आप बहुत ही सेंसिटिव मानें और इसके लिये कोई न कोई आप आगे निर्देश दें।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के बारे में राइट आफ इन्फोर्मेशन के लिये कहा था कि सूचना का अधिकार दिया जाता है किन्तु आज तक भी पंचायत समितियों में कोई भी सूचना का अधिकार देने की प्रैक्टिकल घोषणा इन्फोर्समेंट, एग्जीक्युशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि सूचनाओं का संकलन नहीं कर सकता है। सूचनाओं के अधिकार को प्रैक्टिकल एप्रोच दी जाए।

मेरा यह भी सुझाव है कि डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों का स्टेट्स, आज की तारीख में अनिश्चित उनका भाग्य है। सरकारी कर्मचारियों की तरह उनकी सेवा सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी सेवाओं की शर्तों को मुकम्मिल किया जाए जिससे कि उनकी सेवा में अनिश्चितता की जो स्थिति पैदा हो गयी है वह खतम हो।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है, मंत्री महोदय, कि आज पंचायत समिति के माध्यम से प्राथमिक शालाओं तक अध्ययन की जिम्मेदारी जो पंचायती राज वहन कर रहा है, यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक पोटेंशन वर्क दे दिया गया है। सभापति महोदया, आज मंत्री महोदय ने मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल में समानीकरण की बात की है, आज किसी जगह तीसरी क्लास के बच्चे को उठा कर पूछा जाए कि आप आठवीं का पहाड़ा पढ़ दो, नहीं पढ़ पायेगा, चौथी क्लास के बच्चे को उठा कर कहा जाए कि यह दूसरी क्लास की हिन्दी की पुस्तक है, इसको पढ़ दो तो वह नहीं पढ़ पायेगा। अध्यापकगण का कार्य है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, छोरो फेल कोनी होए तो भाई, छोरो पढ़ रयो है। अब सवाल यह है कि आगे क्लास में पढ़ना ही कोई मायने नहीं रखता है।

श्री सभापति : पांचवीं तक फेल नहीं करने का कानून किसने बनाया? नाथूसिंहजी ने?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, आपके मंत्री महोदय के जो भी लेकुना, लेक्सिटी है वह तो आप बाद में पकड़ें, मेरा तो निवेदन करना यह है, एक, जो रेस्पांसिबिलिटी इम्पोज हो रही है, दूसरा, एक इंस्पेक्टर आफ स्कूल का जितना अध्यापकगणों पर फीयर होता था उसके मुकाबले एस.डी.आई. का अध्यापकगण पर

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं। भयमुक्त हैं क्योंकि उनको मालूम है कि एस.डी.आई. को सरपंच से कहला देंगे, एस.डी.आई. को प्रधान महोदय से कहला देंगे, एस.डी.आई. को एम.पी., एम.एल.ए. से दबा देंगे और एस.डी.आई. साहब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं कर सकते, न डिसिप्लीनरी एक्शन ले सकते हैं ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि कक्षाओं की पाठ्यक्रम से जो गुणवत्ता है उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए् अन्यथा हम आने वाले राजस्थान की जो जनरेशन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रही हैं उसको हम एक तरह से इस तरह की शिक्षा देंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो घरेलू पाठशाला कही जाती है उसमें ही उनका बेसिक स्ट्रैक्चर काट देंगे, आगे वो पढ़ाई कभी नहीं कर पायेंगे। फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करना है और उसके लिये हमने कितना पुअर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी स्कूल का खड़ा कर रखा है। एस.डी.आई. का कुछ एक्शन हो नहीं सकता, टीचर्स देर से आते हैं, पहली बात सौ पर एक, वह भी कभी बीमार हो जाएं तो हर स्कूल में दो हों। आपको मालूम है जैसे हम कभी ट्यूर पर जाएं, सभापति महोदया, आप भी जाती हैं, आपने देखा होगा कि एक अध्यापक समूहों में कहीं 15, कहीं 20, कहीं 23 एक पेड़ के नीचे या स्कूल के दो कमरों में या बाहर बच्चे बैठे रहते हैं टाटपट्टियों पर, या खुले आसमान के नीचे और प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती है। क्या इस तरह की गुणवत्ता की पढ़ाई करके हम हमारे समाज को, हमारे प्रांत की जो भावी पीढ़ी है उसको हम कुछ योगदान दे सकते हैं? इसमें तब्दीली करनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि इंदिरा आवास की जो किश्तें हैं वह एकमुश्त दी जाएं। पहली किश्त 8000 दे दी, यदि उस व्यक्ति ने अपना कमीशन नहीं दिया तो दूसरी किश्त के लिये रोता रहेगा, उसके पैर घिसेंगे। किश्त का इंस्टालमेंट, इसका चुकारा कैसे हो इसके लिये आप ऐसे सिस्टम इजाद कीजिये जिससे बेइमानी फटकने नहीं पाये।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि मेरी पंचायत समिति, बांदीकुई में 1994 में जे.आर.वाई. में 34 तलाई खुदाई गयी, आज तक एक लाख 31 हजार का पेमेंट नहीं हुआ। और माननीय सभापति महोदया, विधान सभा में मैंने करीब पांच बार यह मुद्दा उठाया था। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज का जब चुनाव करवाया था उससे पहले यह घोषणा की थी कि जिस जगह पंचायत समिति निर्विरोध आयेगी उस पंचायत समिति को हम दो लाख रुपये देंगे, जो पंचायत समिति निर्विरोध आयेगी उसको एक लाख रुपये देंगे।

मेरे यहां ग्राम पंचायत निहालपुरा के सरपंच और सारे वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये। आज तक मैंने तीन बार हवाला दिया, आज तक भी उस पंचायत समिति को एक नया पैसा सरकारी घोषणा के मुताबिक नहीं दिया गया। तो ऐसी घोषणाएं करके आप

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आकर्षित नहीं करें और यदि करते हैं तो उसका एग्जिक्युशन करें।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि आज पंचायत समितियों में प्रधान, बी.डी.ओ. जेइएन. और सरपंच ये चारों ऐसे चौखूंटे बन गये हैं जो चैक और भुगतान करने में, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो कहा था कि एक्चुअली स्टोनी वर्क, जो वास्तविक काम हैं वह 15-20 या 25 प्रतिशत राशि का ही होता है। वह स्थिति आज भी विद्यमान है। कैसे? कि प्रधान महोदय का सर्टेन परसेंटेज नहीं तो प्रधानजी दस्तख्त नहीं करेंगे। प्रधान करते हैं तो विकास अधिकारी नहीं करेगा। उधर जेईएन. टेक्निकल स्वीकृति नहीं देगा, काम का तखमीना नहीं बनायेगा जब तक वह वैरीफिकेशन नहीं करेगा और कोई काम का पेमेन्ट नहीं होगा। तो यह जो पेमेन्ट का सिस्टम है। इस मोड्स को तबदील करना चाहिए ताकि जो बेईमानीकरण हो रहा है उसमें घटोतरी हो।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि आज तो सुनिश्चित रोजगार की योजना है यह लगभग सुनिश्चित भ्रष्टाचार की योजना बन चुकी है। माननीय सभापति महोदया, आज ई.ए.एस. में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा लैप्स होने की स्थिति में है। लैप्स नहीं है लेकिन जो वार्षिक होता है, आज सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से और भी पैसा मिल सकता था लेकिन हमारा यहां खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि ई.ए.एस. के अन्दर जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है

श्री जोगेश्वर गर्ग : .....(व्यवधान) कुछ नहीं होता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं होता है लेकिन आपको अगली साल का जो पैसा इस वर्ष का मिलना चाहिये था वह नहीं उठाया गया क्योंकि हमने गये साल का ही पैसा खर्च नहीं किया। इसलिये आपको बेसिक जानकारी है या नहीं? ऐसी स्थिति में, सभापति महोदया, मेरा एक सुझाव है कि अनिवार्य गांव तालाब योजना बनायी जाये। हर गांव में निश्चित तौर पर एक तालाब हो। उसकी हर साल और भी ज्यादा खुदाई होती रहे, उसकी केबिटी डवलप होती रहे जिससे कि वाटर का साइक्लिक आर्डर है वह चलता रहे क्योंकि जो पाउरिंग टेंडेंसी से पानी नीचे जायेगा उससे पानी कुओं में बढ़ेगा और एक साइक्लिक आर्डर होगा इसलिये आज खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। ऐसी स्थिति में गांव का पानी नदी में और नदी का पानी दूसरे प्रदेशों में चला जाता है हमारे दौसा जिले का तो, लेकिन हमारे लोगों को लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य तालाब योजना जारी होनी चाहिए। अनिवार्य तालाब योजना जिसके अन्तर्गत पानी का रख-रखाव हो।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि आज यह जो स्वैच्छिक संगठन हैं और उनके माध्यम से डी.आर.डी.ए. में पैसा दिये जाने की होड़ लग रही है, इन स्वैच्छिक संगठनों में भी आज एन.जी.ओज. को इसमें लाबिंग और प्रेशर ग्रुप क्रियेट हो गया है और इसके कारण एन. जी. ओज. को ज्यादातर ऐसे लोग जिनके पास कि एक इन्फ्रास्ट्रक्चर है वे शहरीकरण के लोग गांवों में विकास के नाम पर पहले

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कान्ट्रेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वे पैसे का मिसयूज करते हैं। ऐसे एन.जी.ओज. ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को काम नहीं दिया जाए। इनकी अच्छी तरह से जांच की जाए क्योंकि इनकी सांठगांठ होती है।

श्री सभापति : एन. जी. ओज. को डी.आर.डी.ए. फ्लेक्ट करता है उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। आप मैम्बर हैं डी.आर.डी.ए. के। गवर्निंग कौंसिल में एन.जी.ओज. का फ्लेक्शन होता है.

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है माननीय सभापति महोदया, आपको मालूम है, आपकी जानकारी में यह तथ्य है कि हर पंचायत समिति में जो 232 पंचायत समितियां हैं, राजस्थान में हर पंचायत समिति में लगभग 40-40, 50-50 हैण्ड पम्प मिस्त्री साल भर बैठे रहते हैं और वे नौ महीने निठल्ले बैठे रहते हैं।

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं एक मिनट में ही बैठ रहा हूं। उनके पास इन्स्ट्रूमेन्ट्स नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : आपको जिले की बता दो कि कितने एन.जी.ओज. को हमने पैसा दिया है डी.आर.डी.ए. से ? (व्यवधान)

श्री सभापति : तथ्यात्मक बात कहना अच्छा रहता है माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आपको बताउंगा। आप बिराजिये। ऐसी स्थिति में जो हैण्डपम्प मिस्त्री हैं

श्री सभापति : सरकार तो एन.जी.ओज. को ढूंढ़ रही है, मिल नहीं रहे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं उदाहरण सहित बताउंगा.....(व्यवधान) मैं आपको लिखित में बता दूंगा। मैंने कहा है उसकी पुष्टि करूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बी.डी.ओ. साहब जैनी तो नहीं हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति में जो ये हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं और उनको लाखों रुपये दिये जाते हैं ऐसी स्थिति में ये बेकार हैं जब तक कि इनको इन्स्टुमेंट्स एपेरेट्स नहीं दिये जायेंगे वह नौ महीनों तक 30-30 40-40 आदमियों की टोली है वह बेकार है।

श्री सभापति : श्री हीरालाल विश्नोई। आप दो-दो मिनट में सुझाव दे दें तो मैं जवाब दिलवा देती हूं। आपका भी काम पुरा हो जायेगा। बहुत बोल लिये, अब क्या है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदया, आज खासकर गांवों के विकास की योजनाओं की मांग संख्या 41 व 50 पर जो बहस हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुये आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव का विकास हमारी पंचायत से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाके के अन्दर जो भी विकास होता है वह.....

श्री सभापति : आप सुझाव दे दें क्योंकि भूमिका तो बहुत लोगों ने कर ली। दो-दो मिनट में सुझाव। दो मिनट ही दूंगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : .....पंचायती राज से होता है और डी.आर.डी.ए. के माध्यम से होता है मगर आज हालात ऐसे बने हुये हैं कि एक सरपंच के कहने से विकास होना चाहिए, पंचायत समिति के डेलीगेट के कहने से विकास होना चाहिए, जन प्रतिनिधि के कहने से विकास होना चाहिए मगर यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा यह हो रहा है.....

श्री सभापति : आपके कहने से हो रहा है क्या?

श्री हीरालाल विश्नोई : मेरे कहने से नहीं हो रहा है। जन प्रतिनिधियों के कहने से नहीं होता है, जिला कलक्टर और बी.डी.ओ. मिलकर आपस में बन्दरबांट करके इस तरीके की योजना बनाते हैं और इस तरीके की ये लोग अपनी स्वीकृति देते हैं जहां उनको उसमें ज्यादा इन्ट्रेस्ट होता है, वही वह स्वीकृति देते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूं कि कोई दिन ऐसा नहीं, त्रिमासी समस्या समाधान शिविर हमारे जालौर में लगे। तीन बार उस मीटिंग में मैं जा चुका। पंचायत के जो सुझाव आये, सरपंचों ने जो सुझाव दिये, एक भी मीटिंग में उन सुझावों के हिसाब से काम नहीं किया और उन्होंने अपनी मन-मर्जी से, डी.आर.डी.ए. ने अपने स्कूल का जो भी काम करना था, वह उन्होंने निकाला। इस तरीके से हमारे कई स्कूल आज पिछले 5-7 साल से अधूरे पड़े हैं। उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया और पिछले दो साल पहले अब जन प्रतिनिधियों की बात आप करना चाहते हैं। यहां पर हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं और आज से दो-ढाई महीने पहले ये त्रिमासी समस्या समाधान शिविर हमारे यहां लगे, उसमें जिला कलक्टर हमारे उप प्रधान को पंचायत समिति के अन्दर यह कहते हैं कि यह दो टके का आदमी है इसको बाहर निकालो। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और उसका क्या सुझाव चलेगा?

श्री अमराराम चौधरी : आपने क्या किया फिर?

श्री हीरालाल विश्नोई : हम क्या करते। जिला कलक्टर अध्यक्ष होता है वहां पर वह कहता है कि मैं मेरी मन-मर्जी से मीटिंग करूंगा और वह अपनी मन-मर्जी से मीटिंग करके भाषण देकर और हम सभी जन प्रतिनिधियों को दो टके का बताकर चले गये। मीटिंग बर्खास्त कर दी। लोगों ने हाय-हाय किया उनके बिरोध में और हम क्या करते। तो इस तरीके से जन प्रतिनिधियों के साथ आज व्यवहार हो रहा है। आपको भी मालूम है कि आज हमारी सरपंच महिलाएं भी हैं। हमारी प्रधान हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़ी-लिखी नहीं होने के कारण से उनका प्रधान शोषण कर रहा है। बी.डी.ओ. जो है वह प्रधान का शोषण कर रहा है। जो हमारा ग्राम सेवक है वह सरपंच का शोषण कर रहा है। एक हमारा सरपंच है वह ग्राम सेवक के पीछे ही घूमता है। वह कभी उसको गांठता ही नहीं है। अब वहां ऐसे हालात बने हुये हैं गांवों में। वे अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं। पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण जो हमारे ग्राम सेवक हैं वे लोग उनको गांठते ही नहीं हैं। तो इसकी भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

आप अपनी तरफ से जो इन्दिरा आवास के पैसे भेजते हैं जैसा कि हमारे राजीव गांधीजी ने एक आर्डर निकाला था कि भारत सरकार से जवाहर रोजगार योजना के पैसे डायरेक्ट सरपंच के खाते में जायेंगे। इसी तरीके से इन्दिरा आवास में आपको योजना बनानी चाहिये। जो गरीब हैं, वास्तव में गरीब के घर में वह इन्दिरा आवास बनना चाहिए। अब वहां इस तरीके से ग्राम सेवक और बी.डी.ओ. और जिला कलक्टर मिलकर अपनी मन-मर्जी से ही कहीं इन्दिरा आवास दे देते हैं। जहां उनकी जरूरत नहीं है इनको तो इन्दिरा आवास दे दिया, जहां जिनको जरूरत है, जो गरीब हैं उनको नहीं देते हैं। तो, इस तरह का नियमों में संशोधन करके डाइरेक्ट आप इन्दिरा आवास, जो चयनित हैं आपके और एक पंचायत पर.....

श्री सभापति : पूरा करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपको एक देना है इन्दिरा आवास, चाहे दो देना है तो आप डाइरेक्ट ही दीजिये। ऐसा अगर आपने कह दिया और जो डी.आर.डी.ए. का मामला है अब वह तो मैंने पहले ही आपको बता दिया.....

श्री सभापति : पूरा करें, रिपीट नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक भी मीटिंग में जो हम प्रस्ताव देते हैं.....

श्री सभापति : रिपीटीशन नहीं, पूरा करें। नया सुझाव नहीं, मैं अगला नाम बुलाती हूं। बात हो गयी।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदया, आज जो हमारे जन प्रतिनिधियों की हालत बन रही है उसमें अगर हम लोगों ने, आपने और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस पर गौर नहीं किया तो आने वाले पंचायती चुनावों में आपको पंचायत समिति का डेलीगेट और जिला परिषद का डेलीगेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री जगतार सिंह कंग।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपको इसी तरीके का कोई न कोई अच्छा सुझाव देकर उस तरीके से करना पड़ेगा ताकि.....

श्री सभापति : दो मिनट में बात कहें। माननीय विश्नोई जी बैठिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : गांवों के लोगों का विकास हो सके। सीधे गरीबों का, ग्रामीण इलाके के लोगों का फायदा हो सके। ऐसा आपको सुझाव देना चाहिये तब ही जाकर गांवों का विकास हो सकेगा। डी.आर.डी.ए. के माध्यम से भी जन प्रतिनिधियों को जिला परिषद् की मीटिंग में सम्मिलित करके उनका प्रस्ताव लेकर स्वीकृति निकालनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं डी.आर.डी.ए. के बारे में कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारे यहां जिले में कुछ प्राब्लम है। सुनिश्चित रोजगार के तहत पक्के निर्माण कार्यों की जो बकाया राशि है, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जारी

(श्री जगतार सिंह कंग)

होने के उपरान्त भी उनका भुगतान नहीं दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि मजदूरी साठ प्रतिशत इसमें चाहिए और चालीस प्रतिशत सामग्री चाहिये। जबकि पक्के कार्य करवाने में मजदूरी वन थर्ड तकरीबन तीस प्रतिशत के करीब और सामग्री का जो अनुमान रहता है वह सत्तर प्रतिशत का। इस तरह से जिला स्तर पर इन कार्यों को मेन्टेन किया जाता है। डी.आर.डी.ए. में पंचायत समिति लेवल पर ही अगर कार्य किये जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा और हमारे यहां जो सारा भुगतान इन कार्यों का पड़ा है उसका पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार डी.आर.डी.ए. में गंगानगर में जो दूसरी योजनाओं में पैसा देना था वह पैसा इस कारण से रोक दिया गया कि आपने टेण्डर काल नहीं किये। पंचायत लेवल पर न तो टेण्डर काल करने की ऐसी परम्परा रही है और न ही इससे पहले टेण्डरों के द्वारा कार्य करवाया गया है। हमारा यह निवेदन है कि इन कार्यों का जिनके ऊपर आपने टेण्डर का एक अननेसेसरी नोट लगाया है, इन कार्यों का जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाय। इसी तरह से आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी यह प्रेक्टिस हो मगर डी.आर.डी.ए. में एक कमीशन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पंचायत लेवल पर जब एस्टीमेट बनाया जाता है जे.ई.एन. पंचायत समिति वही एस्टीमेट पास करके भेजता है जिसमें उसको पहले पैसा मिले तो वह पहले अपना कमीशन लेने के बाद डी.आर.डी.ए. में उस कार्य का एस्टीमेट भेजता है। खास कर हमारे यहां हमने यह देखा, बड़ी प्रेक्टिस चल रही है और उसके बाद डी.आर.डी.ए. में पहुंच गया। फिर डी.आर.डी.ए. में एजेण्ट बैठे हैं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई ऐसी आपको बात सुनने में दिक्कत तो नहीं हो रही है।

श्री सभापति : नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर समय की सीमा है। आप अपने सुझाव दें।

श्री जगतार सिंह कंग : बिल्कुल समय की सीमा है। हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है और हो सकता है यह बात आपको अच्छी नहीं लगे। क्योंकि इस तरह से डी.आर.डी.ए. में.....

श्री सभापति : आपकी बात अच्छी या बुरी, यह मेरा काम नहीं है। आप अपने सुझाव दें।

श्री जगतार सिंह कंग : मैं यह निवेदन कर रहा था कि डी.आर.डी.ए. में पहुंच गया। उसके बाद वहां उनके ए.डी.एम. साहब भी आगे बैठे हैं, जब तक उनको कमीशन नहीं मिले वह काम आगे पुटअप नहीं करेंगे और अगर काम पुटअप कर दिया तो अलग-अलग तरह के आब्जेक्शन्स लगाकर उस काम को यहां ही रख दिया तो आपको ताज्जुब होगा कि एम.एल.ए., जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये कार्यों में भी इसमें तखमीना नहीं है, इसमें एस्टीमेट सही नहीं आ रहा, इसमें यह कमी है और जब वह कमीशन, सरपंच उनको मिल गया कार्य करने वाला आदमी आ गया और खटाक से उन्होंने कागज निकाल दिया।

(श्री जगतार सिंह कंग)

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इस तरह से डी.आर.डी.ए. में एजेन्ट बैठे हैं। यह जिला लेवल पर भी बात उठी तो कलक्टर महोदय कहने लगे कि यहां सब कार्य हिन्दुस्तान में तो दलालों के माध्यम से होता है। काम कराने वाला चाहिए। तो हमने कहा कि आप तय कर दो कमीशन। कितना ए.डी.एम. का होगा, कितना उसके आगे जो एजेण्ट हैं उसका होगा, कितना जे.ई.एन. का होगा। तो इस तरह से हमारा यह निवेदन है कि इस डी.आर.डी.ए., जिसको हम सारे अधिकार देने जा रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग कमेटी का सोचा जा रहा है, तो ऐसे अच्छे महकमे को आप इस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा न बनाते हुये इसमें सुधार लाने की कोशिश करें।यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री हबीबुर्रहमान। दो मिनट सिर्फ।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : माननीय सभापति महोदया, मैं अपने आपको इस चर्चा में सम्मिलित करते हुये माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि बाढ़ के समय से मेरे एरिये में तीन-चार पंचायतें ऐसी हैं जिनमें स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है। पूरी स्कूलें टूट गयी हैं और डी.आर.डी.ए. स्कूलों में रिपेयरिंग के लिये कोई भी प्रावधान नहीं है। अपना गांव अपना काम में तीस प्रतिशत पैसा देकर भी हम रिपेयर नहीं करा सकते। तो उन स्कूलों के लिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि आप अपनी इस घोषणा में कुछ रिपेयरिंग के लिये दें। एक हमारी पंचायत समिति, नागौर में शिक्षा कर्मी स्कूलें खुली हैं जिनमें दो-दो सौ से ढाई-ढाई सौ बच्चे हैं वह या तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं या कच्ची झौंपड़ियां बनाई हुई हैं और डी.आर.डी.ए. में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें अपन कमरे बना सकें। तो, मैं माननीय मन्त्रीजी से यह चाहूंगा कि उन स्कूलों का भविष्य भी आप देखें और कुछ ऐसा प्रावधान करें कि उनके कमरे बन सकें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी। आप सुझाव ही दीजिये दो मिनट।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : थोड़ी सूची लम्बी है इसलिये क्षमा करें, मैं थोड़ा समय ज्यादा लूंगा।

श्री सभापति : नहीं, दो मिनट, सिर्फ तीन मिनट इससे ज्यादा नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है तीन मिनट में पूरा कराने की।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदया, आज की योजनाओं के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें.....

श्री सभापति : आज सारा समय आपको ही दिया है। सुझाव दे दें।

श्री भगराज चौधरी : डी.आर.डी.ए. के द्वारा सारी योजनाएं जो संचालित की जाती हैं उससे एक बात तो साफ होती है कि डी.आर.डी.ए. हमारी विकास की धुरी है और डी.आर.डी.ए. का संचालन किस रूप में हो, डी.आर.डी.ए. वार्षिक योजना हर साल बनाये, पहले उसकी एप्रूवल लेवे गवर्निंग काउन्सिल से और इसके पश्चात् इसकी स्वीकृति जारी की जावे। इस बात को आप पुख्ता करें तब

(श्री भगराज चौधरी)

तो यह बात जो भ्रष्टाचार के बारे में आज कही गयी है कि डी.आर.डी.ए. में भ्रष्टाचार शुरु हो गया है, इस बात को रोका जा सकता है वर्ना डी.आर.डी.ए. जैसी एजेन्सी, जिसके माध्यम से करोड़ों रुपये के कार्य स्वीकृत होते हैं उसमें यदि इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं और यह बिल्कुल सही बात है तो फिर आखिर हम कहां पहुंच रहे हैं। तो, मेहरबानी करके यह पुख्ता करें कि कम से कम कोई भी कार्य अपने पी.डी. अथवा कलक्टर एक्शन प्लान बनावे बिना, विधायक गण से एप्रूवल लिये बिना और गवर्निंग काउन्सिल के सामने आये बिना स्वीकृति नहीं निकालेगा। वर्ना हमारा अनादर होता है बाद में, हमें मालूम ही नहीं है कि कौनसे काम की स्वीकृति हो पाती है। उसके पश्चात् जाते हैं बराबर एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो मीटिंग में नहीं जाता होगा। जहां तक स्वीकृतियों का सवाल है, फिलहाल कलक्टर्स को दस लाख रुपये तक के अधिकार दिये गये हैं कि दस लाख रुपये तक की राशि के कार्य स्वीकृत कर लें। चूंकि मैटल कास्ट काफी बढ़ गयी है, लेबर की भी आपने वेजेज बढ़ा दी है तो दस लाख के बजाय मेरे ख्याल से 15 लाख के अधिकार कलक्टर्स को दे दें तो ठीक रहेगा। उसके पश्चात् फिलहाल दस लाख तो कलक्टर्स को और पन्द्रह लाख तक के दे रखे हैं आपने कमिश्नर्स को। उसके पश्चात् अपने राज्य सरकार के पास आते हैं। यहां समय बहुत लग जाता है इसलिये जो कार्य जल्दी, स्वीकृत होने के पश्चात् शुरु होना चाहिये उसमें दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं। लिहाजा न तो पैसे का यूटिलाइजेशन हो पाता है और न लोगों को रोजगार मिल पाता है और जब नियत राशि समय पर खर्च नहीं हो पाती है तो अगले साल हमारी राशि कट जाती है और केन्द्र सरकार मैचिंग ग्रांट हमको देती नहीं है तो मेहरबानी करके इस काम में देरी नहीं हो। उसके लिये थोड़ा आधार भी बढ़ा दें और इसमें ढिलाई न होने की व्यवस्था करें।

(19.00 बजे)

जहां तक निर्बन्ध राशि का सवाल है, 32 जिला 32 काम और विधायक कोटे के अन्तर्गत खर्च की जाने वाली राशि का सवाल है, मैं समझता हूं यह राशि बहुत कम है। जैसा कि आपने कहा था, निर्बन्ध राशि, अपना गांव अपना काम, 32 जिला 32 काम योजना के माध्यम से बहुत अच्छे काम वहां पर हम लोग करवा सकते हैं, मगर राशि थोड़ी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ विधायकगण के विवेक पर दोनों योजना के अन्तर्गत 5-5 लाख रुपये खर्च किये जाने वाले हैं, आज पार्लियामेंट के अन्दर भी आपने पढ़ा होगा कि 2 करोड़ रुपये की राशि सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकार करने के बारे में सरकार ने मानस बनाया है। तो हमें भी 5-5 लाख रुपये की बजाय बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुये, बढ़ी वेजेज को, मैटीरियल की लागत तो देखते हुये कम से कम 10-10 लाख रुपये तो करना चाहिए। यह मांग हम पिछले दो साल से कर रहे हैं एक बार तो माननीय मुख्यमंत्री ने यह कह भी दिया था कि हम घोषणा करने वाले हैं, कर देंगे। फिर पता नहीं ये पीछे क्यों हट गये ? इस बात को मेरे ख्याल से सरकार

(श्री भगराज चौधरी)

के स्तर पर दुबारा टेकअप करना चाहिए, यह अच्छा सुझाव है।

सुनिश्चित रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना। अब रोजगार देने के बारे में आपने तो लम्बी-चौड़ी लिस्ट बना रखी है, मगर उसमें सिर्फ एक अच्छा प्राकृतिक कार्य है, वह है बाढ़ राहत अथवा बाढ़ बचाव। उसको आपने जोड़ा नहीं है। बाढ़ बचाव के कार्य कई बार अन्य योजनाओं के तहत हम करवा नहीं पाते हैं। या तो अकाल पड़ने पर करवा पाते हैं, या फिर सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत हम करवा सकते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करने का है, साथ में अच्छी क्वालिटी के वर्क करने का भी है। ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ बचाव कार्य को इस योजना के अन्दर स्वीकृत करने या शुरु करने की इजाजत दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ना कई जगह लोग कहते हैं कि हमारे गांव डूब रहे हैं, पानी आता है, यह आता है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : सुझाव।

श्री भगराज चौधरी : सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत, जल ग्रहण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आधा पैसा खर्च करने का मामला है। जहां तक जलग्रहण क्षेत्रीय विकास योजना के पैसे का सवाल है, पंचायत स्तर पर खर्च किये जाने की योजना सरकार ने बनाने के आदेश दे रखे हैं। परन्तु पंचायतें किस प्रकार से काम करती हैं आप सभी जानते हैं। न तो इनके पास में टैक्निकल नॉलेज होती है, न जानकारी होती है.....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : दूसरे विभाग के अधिकारी इसमें सहायता देते नहीं हैं, कापरेट करते नहीं हैं। इसके बारे में आपको कोई न कोई हल निकालना चाहिये।

साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के तहत बहुत पहले कहा गया था, मैं भी इसी राय का हूं कि तालाब खुदाई के कार्यक्रम, आपने वाटर आरक्षण स्ट्रक्चर डवलप करने के नाम पर आदेश जारी कर दिये थे। तालाब अधिकतर हमारे सारे गांव में खुदे हुये हैं, नालियां खुदी हुई हैं, उसमें पैसा स्वीकृत करवा करके अगर थोड़ा बहुत काम कराते हैं तो भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : आप नये कार्य अपने स्वीकृत कराएं मगर पुराने कार्य में छोटी-मोटी मिट्टी इधर-उधर करने के नाम पर, वाटर आरक्षण स्ट्रक्चर के नाम पर अगर आप कार्य स्वीकार करने की इजाजत देंगे.....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : तो फिर पैसे का दुरुपयोग होगा जैसा कि पहले काफी जगह हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी 18-20 लाख रुपयों का दुरुपयोग आज से दो साल पहले हुआ था। मैंने बहुत ब्रीफ किया, मगर बी.डी.ओज. और पी.डी. ने

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : काम स्वीकार करा दिये, धनराशि का कोई समायोजन नहीं हो सका है.....

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदया, मैं तो खाली पाइंटस पर बता रहा हूं। मैं कोई दूसरी बात तो कह नहीं रहा हूं। पंचायतों के स्तर पर विभिन्न योजनाओं के तहत जो कार्य करवाये जाते हैं, उसमें पंचायतों के सरपंच पढ़े-लिखे नहीं हैं.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह सभी सुझाव आ चुके हैं। अब समाप्त करें। मैं माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलवा रही हूं। बिराजिये अब आप। श्री नाथूसिंह गुर्जर, पंचायती राज मंत्री।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं कई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते थे लेकिन समयाभाव के कारण नहीं दे पाये लेकिन यहां सदन में बैठकर उन्होंने समय दिया, इसके लिये भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसलिये भी पक्ष और विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ओवर आल विभाग की जो पिक्चर सदन में रखी है। विभाग में हमने कुछ सुधार करने का प्रयास किया इसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया और नीचे के स्तर पर कुछ कमियां हैं उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। मैं उनका स्वागत करता हूं जो कमियां हैं, क्योंकि इतना बड़ा विभाग है। इतने सारे जन-प्रतिनिधि नीचे तक इसमें इनबाल्व हैं। विभाग यहां जयपुर में बैठकर हर स्थिति पर नीचे तक नजर रख सके, हर चीज को कण्ट्रोल कर सके, लोकतन्त्र में, हमारे एक्ट में भी और हमारे स्वराज का जो सपना महात्मा गांधीजी ने देखा था, उसमें हमारी जिला परिषदें हैं, पंचायत समितियां हैं, ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 1 लाख 20 हजार चुने हुये जन-प्रतिनिधि हैं जो सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर विकास योजनाओं का काम कर रहे हैं मुझे खुशी है कि आज लगभग सात सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष इन पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से सरकार का और दूसरा पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च हो रहा है। इतनी बड़ी धनराशि का खर्च होना, इतने सारे जन-प्रतिनिधियों का उसमें सम्मिलित होना, अब इतने बड़े काम में कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती होती है तो वह दिखती है और कहीं बड़ी गलती भी होती है और विभाग के ध्यान में लायी जाती है तो हम उस पर दिल से कार्यवाही करते हैं।

मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं माननीय सदस्यों को कि इसमें राजनैतिक भेदभाव के आधार पर मैंने कभी कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे सामने जब भी इस तरह के प्रकरण आए तो मैंने फाइल में फैक्ट्स देखे। मैंने फाइल में न तो उस व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश की, न उसकी पार्टी देखने की कोशिश की, न वह व्यक्ति कौन है उसकी जाति और धर्म देखने की कोशिश की। हमने फैक्ट्स के

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

आधार पर फैसले किये हैं, मैं यह गर्व से कह सकता हूं। मुझे विश्वास है और मुझे आत्म संतोष है कि मैंने जो भी फैसले किये हैं, इस आधार पर किये हैं। जो दिक्कतें अभी यहां सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखी है, नया संविधान संशोधन हुआ है उसके कारण कुछ तो हमें बहुत लाभ हुआ। जिस तरह से आरक्षण हैं उससे लाभ हुआ। समाज के सभी वर्ग आज इस स्वराज से जुड़े हैं। एक्जीक्यूशन में भागीदार हुये हैं, निर्णय लेने में भागीदार हुये हैं, लेकिन उसका एक माइनस पक्ष भी आया है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने इंगित किया। जब चुनाव हो रहे थे तो मेरे ऊपर प्रेस ने उंगली उठायी, बाकी लोगों ने भी उंगली उठायी, कोई सेमिनार होती थी उसमें भी उंगली उठायी कि आपने पढ़ाई की शर्त क्यों समाप्त कर दी। हमने जान-बूझकर उस समय यह शर्त समाप्त की थी। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ.बी.सी. और महिलाएं, मध्य प्रदेश में चुनाव हुये थे वहां 35 हजार से अधिक पद खाली रह गये थे। उस अनुभव को देखते हुये हमने जान-बूझकर यहां से वह शर्त हटायी और मुझे यह खुशी है कि हमारे यहां पर कोई पद खाली नहीं रहा। उनमें हिम्मत तो आयी कुर्सी पर बैठने की। जो आज तक नीचे बैठकर ऊपर देखा करते थे कि कुर्सी पर बैठने वाला फैसला कैसे करता है, आज वह कुर्सी पर आकर बैठ गये हैं। अब धीरे-धीरे सीखते-सीखते सीख जाएंगे। एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं है। अब पढ़ना शुरु कर दिया।

मुझे यह भी खुशी है, कई महिलाओं को मैंने चुनावों के समय भी देखा था प्रधान और सरपंच घूंघट निकालकर ऊपर मंच पर बैठने से डरती थी। क्योंकि नीचे ससुर बैठा रहता था, जेठ बैठा रहता था। अब इस समय उनकी पोशाक वैसी नहीं थी, देहाती पोशाक खेत में काम करने वाली। सभापति महोदया, पिछले दो तीन साल में, मैं जब जाता हूं वहां पहनावा बदल गया। अब वह मंच पर बैठती हैं। घूंघट हट गया। वह बोलती हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने पढ़ना-लिखना शुरु कर दिया है। दस्तख्त हस्ताक्षर करना सीख गयी, उनमें समझ आ गयी और उनमें पढ़ाई की ललक पैदा हो गयी कि हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसकी एक कमी है.....

श्री खेतसिंह राठौड़ : और रसोई करना छोड़ दिया।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, इस बात की भी खुशी है, अब उसका एक माइनस पक्ष यह रहा, उसका नेगेटिव पक्ष यह रहा कि यह जो नये-नये लोग चुनकर आये विभिन्न वर्गों के.....

इनके जो सैक्रेटीज हैं, कहीं बी.डी.ओ. हैं, कहीं सीई.ओ. हैं, कहीं सचिव हैं, वह सब पढ़े-लिखे हैं, ट्रेण्ड हैं। वह हमेशा हर काम को कानून के अनुसार करते हैं। यह जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं वह जन भावनाओं के अनुसार काम करना चाहते हैं। वह कानून की समझ उतनी नहीं रखते हैं तो वह सीधे कहते हैं कि ऐसे काम करो। अधिकारी रूल्स देखकर काम करते हैं वहां उनमें आपस में कंफ्लिक्ट हो

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

जाता है और कंफ्लिक्ट होने के कारण विकास कार्यों में भी बाधा आती है। आपस में उनकी शिकायतें भी होती हैं। अभी सदन में दो तरह के मत प्राप्त हुये। एक तरफ तो कहा गया कि आप पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं। प्रधान की इच्छा के अनुसार बी.डी.ओ. नहीं लगाते हो। उसका तबादला करते हो तो उसको पूछते नहीं हो और दूसरी तरफ यह बात भी आयी कि आपने प्रधान के कहने से बी.डी.ओ. को हटा दिया। प्रधान के कहने से 3-3 बी.डी.ओ. बदल दिये। प्रधान के कहने से ऐसा कर दिया। यह इसलिये हो रहा है। मैंने जो बताया, मैं इसमें दोनों तरफ का दोष नहीं मानता। इसलिये कि नई-नई व्यवस्था है। नया-नया सिस्टम है। हमें अभी बहुत अनुभव से गुजरना है। इसमें कमियां रहना स्वाभाविक है। इसे मैं अकेले एक दिन में दूर नहीं कर सकता हूं। हम सब लोग जब प्रयास करेंगे धीरे-धीरे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया परिपक्व होने में बहुत समय लगता है स्पेशियली महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का सपना देखा था तो दो शर्त लगाई थी स्वराज्य के साथ। एक शर्त थी आत्मनिर्भरता की, गांव आत्मनिर्भर बनें। और दूसरी शर्त थी स्वावलंबन। इन दो शर्तों में जब तक यह जो गांव से जन-प्रतिनिधि चुनकर आये हैं। इतनी उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, इतना ज्ञान नहीं होगा, मशीनरी में और उनमें तालमेल नहीं होगा। तब तक स्वराज्य की यह कमियां होना, मैं स्वाभाविक मानता हूं।

(19.11 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, हमने कुछ प्रयास किये। यह जितने जन-प्रतिनिधि चुनकर के आये इनको हमने ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की। मैं आज यह कह सकता हूं कि ट्रेनिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये मैंने कोशिश की कि हर संभाग में एक ट्रेनिंग सेन्टर होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दो जगह हमारे पास ट्रेनिंग सेन्टर थे। एक अजमेर में ट्रेनिंग सेन्टर खोला मेरा प्रयास है, हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी जयपुर, कोटा और बीकानेर तीन संभाग हैं। जयपुर में तो बड़ा ट्रेनिंग सेन्टर है हमारे पास, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, उन दो संभागों में मेरा यह प्रयास है, भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजे हैं। प्रयास कर रहा हूं कि वहां भी ट्रेनिंग सेन्टर्स खुलें। जितने भी ट्रेनिंग सेन्टर हैं उनमें पंच से लेकर प्रमुख तक और कुछ अधिकारियों को जो हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 7 हजार लोगों को हमने अभी तक ट्रेनिंग दी है। उनको हमने प्रशासनिक प्रक्रिया, विकास की जो योजनाएं हैं इनकी जानकारी देने का प्रयास किया है। अभी हमारा प्रयास है धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों यह ट्रेनिंग लेंगे उनके क्रिया-कलापों में सुधार आता है और सुधार होता जायेगा। इसलिये यह व्यवस्था हमने की।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कमियां इसलिये भी हैं कि यह जो 73 अमेंडमेंट हुआ, जो मैं कह रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, राजस्थान की वह अच्छी थी। इस नई व्यवस्था के कारण तालमेल टुट गया। कार्डिनेशन समाप्त हो

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

गया। उन्होंने जो एक कल्पना की इसकी, वह जो काउँटी सिस्टम यूरोप में है, यूरोप और अमेरिका में, उस आधार पर इस संविधान संशोधन की रचना की और इस रचना के आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों को आज कोई काम नहीं है। वह मांग करते हैं हमसे। हमको क्या अधिकार दे रहे हैं? हालांकि मैंने कोशिश की उनको अधिकार देने की। मैंने उनको स्कूल चैक करने का अधिकार दिया। मैंने जिला परिषद् के सदस्य को पंचायत समिति में बैठने का अधिकार दिया। मैंने पंचायत समिति के सदस्य को ग्राम पंचायत की मीटिंग में बैठने का अधिकार दिया। स्कूल चैकिंग का अधिकार दिया। विकास कार्यों को चैक करने का अधिकार दिया। लेकिन इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ है उसकी परिकल्पना यह रखी गयी कि ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत एक्जीक्यूटिव एजेंसी हो, पंचायत समिति सुपरवाइजरी एजेंसी हो और जिला परिषद एडवाइजरी एजेंसी हो और इसके लिये उन्होंने अलग-अलग कर दिया। कई बार दिल्ली में बैठकें हुई उसमें हमने पहले वाली राजस्थान की ओर से पक्ष रखा कि इस व्यवस्था को समाप्त कीजिये और व्यवस्था वापस लागू करिये। हमारा समर्थन बहुत राज्यों ने किया। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि 60-40 का रेशो, आज जो सरपंचों की शिकायतें आती हैं, फर्जी मस्टररोल, फर्जी मस्टररोल। यह फर्जी मस्टररोल ज्यादातर इसलिये होते है कि 60-40 का रेशो जे.आर.वाई में कर रखा है, पक्का निर्माण कार्य होता है। कोई सरपंच नहीं करा सकता है 60-40 में, इसलिये एडजेस्ट करना पड़ता है और जो बिरोधी पार्टियां हरेक गांव में सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़ती है वह शिकायत करती हैं। तो इसके लिये तुमने वहां मांग की कि इसको समाप्त करिये, 60-40 रेशों को समाप्त करिये। भारत सरकार को जो सुझाव हमने दिया वह इससे सहमत है और उन्होंने इस बारे में विचार करना शुरू किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कार्डिनेशन नहीं होते हुये भी क्योंकि कांस्टीट्यूशन में व्यवस्था है तो भी मैंने सरपंच को पंचायत समिति में बैठने का अधिकार दिया और प्रधान को जिला परिषद् में बैठने का अधिकार दिया। लेकिन..... वह तो कह रहे हैं लेकिन.....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अधिकार नहीं भी देते तो अच्छा था। पूरा आप वहां पर सैट करके दर्शक के जैसे जाते हैं। जाकर के तमाशा देखकर के वापस आ जाते हैं। उससे क्या फायदा हुआ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैंने पहले ही कह दिया कि यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। यह कांस्टीट्यूशनल पोजिशन है।

श्री जगतार सिंह कंग : यह अधिकार तो आप दे सकते हैं।

श्रीमती कमला : आप गलत बयानी कर गये क्योंकि कार्डिनेशन कायम करने के लिये संविधान संशोधन में मेडेटरी नहीं है कि आप ऐसा रखेंगे। आपको यह छूट है, संविधान देखें अच्छी तरह से। संशोधन में कहीं आपको पाबंदी नहीं है कि आप उनको यह

(श्रीमती कमला)

कह दें कि आप पंचायत समिति में या जिला परिषद में नहीं बैठेंगे। हमने प्रस्ताव रखा था उस कमेटी में कि आप इसको बकायदा मानिये और अगर सारों को एक साथ नहीं बैठाते हैं तो रोटेशन से मान लीजिये। आपको हमने रिकवेस्ट की थी, आपने उसको दर्ज किया था लेकिन जब बिल लाये तब आपने उसके अंदर नहीं रखा।

श्री जगतार सिंह कंग : माननीय मंत्रीजी, जो आप संशोधन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि पंजाब में सरपंचों में से 60 प्रतिशत कोटा पंचायत समिति में हैं। जो सरपंचों में से चुनकर के आते हैं वहां इलेक्शन से, सरपंचों को पूरे अधिकार दिये हैं। आपने यह अमैंडमेंट नहीं रखा। उस समय भी हमने आपको यह कहा था कि सरपंचों को इसमें भागीदार बनाना चाहिये था। एम.एल.ए. को भी आपने वोट का अधिकार नहीं दिया। इस तरह से आप बात को घुमाकर के मत कहिये। सीधी बात कहिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या बहुत सीनियर हैं और मैं समझता हूं कि अगर वह कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट के उस प्रोविजन को पढ़े जिसमें साफ लिखा है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो एक निर्वाचक मंडल बनेगा उसी से होगा। वही उसके मैम्बर होंगे। इसलिये हम सरपंचों को.....मैंने अभी तो मेम्बर बना दिया लेकिन वोटिंग राइट उनको नहीं है।

श्रीमती कमला : सरपंचों को बैठाने और जिला परिषदों में उनके बैठने का आप जो अनौपचारिक रूप से, एडहाक रूप से दे रहे हैं वह बकायदा उसमें रख देते। आपको मना थोड़े ही कर रहे थे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : नहीं, नहीं, एडहाक रूप से नहीं दे रहे हैं। हमने दे दिया..... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : अधिकारों में जब तक भागीदारी नहीं हो तब तक फर्क नहीं आयेगा। हटाने में और चुनाव कराने में होनी चाहिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसी तरह से कांस्टीट्यूशन राइट न तो उनको वोट देने का है और जब तक वोटिंग राइट नहीं होगा उस मीटिंग में They can not do anything. वह केवल वहां पर बैठ सकते हैं। यह तो अधिकार मैंने दे दिया। सुझाव दे सकते हैं लेकिन जो मेरे हाथ में था वह तो दे दिया। अब दिल्ली के हाथ में है वह मैं कैसे दे सकता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 12 तारीख को.....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह रंगीन सपने रोज शाम को देखें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सरपंचों के बारे में तो विचार किया। लेकिन जो पंचायत समिति के सदस्य हैं और जिला परिषदों के सदस्य हैं उनको भी तो कुछ आप काम दें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अभी मैंने बता दिया है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : देखने मात्र के लिये वह क्यों चुनकर के आयेंगे.....(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : गुजरात के अंदर यह कायदा है कि जो अपनी जिला परिषद की कमेटियां बनती है। उस कमेटी के चेयरमैन को पूरी पावर हैं और हमारे राजस्थान में वह पावर नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : एम.एल.एज. को आपने क्या अधिकार दे रखे हैं? एम.एल.ए. के पास कोई एक्जीक्यूटिव पावर हैं क्या? एम.पी. के पास कोई एक्जीक्यूटिव पावर हैं क्या? एक्जीक्यूटिव पावर तो मेम्बर्स के पास किसी के पास नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह पावर्स की बात करते हैं। निवाई से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं तो समझता था। अधिकार कभी भी व्यक्ति को नहीं दिये जाते। संस्था को दिये जाते हैं। विलेज पंचायत एक्जीक्यूटिव एजेंसी है, इसलिये ग्राम पंचायत को अधिकार दे रखे हैं। पंचायत समिति को अधिकार दे रखे हैं। इसलिये पंचायत समिति के सदस्य को और जिला परिषद के सदस्य को हम जितने अधिकार दे सकते थे। उनको चैक करने का, उनको.....

श्रीमती कमला : फेहरिस्त बनी हुई वह ज्यों की त्यों पड़ी है। आपने उसमें से कुछ भी नहीं दिया। पंचायत राज या नगर पालिकाओं को वह शिड्यूल्ड ज्यों का त्यों पड़ा है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अब मैं यह नहीं समझता कि क्या नहीं दिया। आप मेरे साथ कभी बैठ जाइए, आपको गिनाऊँगा कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों को कितने अधिकार दे रखे हैं, पंचायत समितियों को कितने अधिकार दे रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमने केन्द्र सरकार का ध्यान.....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आपका कसूर नहीं है। अधिकार दिए नहीं जाते, अधिकार लिये जाते हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हम विधायकगण पंचायत समितियों के सदस्य भी हैं और विधान सभा में बैठकर विचार कर रहे हैं इसलिये बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग बोल चुके हैं, मेरा भी भाषण सुन लीजिये। मैं जवाब दे दूं, इसके बाद आपकी कोई बात रह जाए तो खड़े होकर पूछ लीजिये, मैं जवाब दूंगा पूरा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमने ये कठिनाइयां, ये सुझाव केन्द्र सरकार को दिए तो मुझे कहते हुये खुशी है कि केन्द्र सरकार ने हमारे सुझावों में से कई मामलों पर सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि व्यावहारिक तौर पर इसको लागू कैसे करें। मैंने यहां तक भी कहा कि पार्लियामेंट में संशोधन लाना है तो लाइए। तब उन्होंने कहा केन्द्रीय मंत्री महोदय ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें राजस्थान को भी सदस्य रखा है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, तीन राज्य उसमें

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स [illegible] है, जिसमें सब मामले हैं, इन पर विचार कर [illegible] एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर [illegible] केन्द्र सरकार निर्णय लेगी। जब-जब [illegible] मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, हमने हमारा [illegible] जोर-शोर से रखा है और रखेंगे भी। इसलिए [illegible] में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि [illegible] यह चीज हो जाएगी तो हमारी [illegible] समस्याओं का वैसे ही निराकरण हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और [illegible] करना चाहता हूं। विभाग में सुधार ऊपर [illegible] होता है, नीचे तो वह परकोलेट होता है। [illegible] ही मैंने तीन काम किए। यहां पर कई [illegible] आई कि ग्राम पंचायतों में करप्शन हो गया, [illegible] पंचायत समितियों में करप्शन हो गया, [illegible] कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से रुकना चाहिए। इसके लिये हमने तीन मेजर स्टेप्स उठाए। एक करप्शन हो सकता है खरीद-फरोख्त में, एक करप्शन हो सकता है रिक्रूटमेंट में, एक करप्शन हो सकता है ट्रांसफर और ये जो धंधे होते हैं इनमें। उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मामलों में मैंने सिंसियरिटी से माननीय सदस्यों के सुझाव भी लिये। मैंने आते ही खरीद-फरोख्त [illegible] मामलों को डिसेंट्रलाइज कर दिया। जिला परिषद् में जिला परिषद के लेवल पर कमेटी बना दी, पंचायत समितियों में पंचायत समितियों के लेवल पर कमेटी बना दी। यहां [illegible] पर कुछ नहीं रखा। जो भी खरीद-फरोख्त वहां पर होगी वह कमेटी के द्वारा होगी और [illegible] मैंने डिसेंट्राइज कर दिया।

दूसरा, मैंने रिक्रूटमेंट सिस्टम में सुधार किया कि जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, पहले [illegible] इन्टरव्यू सिस्टम था, मैंने वह समाप्त करके, चाहे बी.डी.ओ. के डेपुटेशन का मामला हो, चाहे जे.ईएन. का मामला हो, चाहे ग्राम सेवकों का मामला हो, चाहे टीचर्स का मामला हो, [illegible] किसी भी केडर का हो, एग्जाम लेकर मैरिट [illegible] उसमें लागू कर दिया। जो मैरिट में [illegible] उसका सलैक्शन होगा और जो मैरिट में [illegible] आएगा वह चाहे सिफारिश करे, चाहे [illegible] और दबाव लाए, उसका कोई सलैक्शन [illegible]। मैं आज खुशी से कह सकता हूं [illegible] ग्राम सेवकों की कभी कमी थी, जब मैंने [illegible] तो, ग्राम सेवकों की जगह पर [illegible] काम कर रहे थे। आज भी कमी [illegible] हूं कमी है, लेकिन हमने करीब [illegible] ग्राम सेवकों की भर्ती की। रिटर्न टेस्ट [illegible] की कापियां उदयपुर भेजी और [illegible] की कापियां भरतपुर भेजीं और उनको [illegible] लोग घूम रहे थे, जैसा पहले [illegible] लेकिन ईमानदारी से उनका [illegible] हुआ और इन्टेलीजेंट लड़के, एम.ए. [illegible] पास, वे ग्राम सेवक बनकर आज [illegible] पंचायतों में बहुत अच्छा काम कर रहे [illegible]

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह हम पहले [illegible] मैन पावर से डेपुटेशन पर लेते थे, मैन [illegible] से मेरिट लिस्ट आई, उसको किया। [illegible] बी.डी.ओज. के सलेक्शन में पांच-छह [illegible] आर.ए.एस. थे उनका मैंने कैडर बदला, पहले [illegible] पशुपालन से आते थे। मैं यह मानता [illegible] स्वीकार करता हूं कि इस कारण से [illegible] कंसेप्ट का उनको इतना ज्ञान नहीं होता। [illegible] होता है लेकिन कंसेप्ट उतना क्लीयर [illegible] होता, विकास एक कंसेप्ट है। आज

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

दुनिया में रूरल डवलपमेंट एक कंसेप्ट है इसलिये उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैंने अलग-अलग कैडर को उसमें जोड़ा। इतना ही नहीं, पांच-छह आई.ए.एस. अफसरों की एक कमेटी बनी हुई है, वह भी केवल मैरिट के आधार पर हम इन बी.डी.ओज. को डेपुटेशन पर ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मामलों में ऊपर से एक छवि थी विभाग की, नीचे तक हमने चैकिंग की व्यवस्था की। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये खुशी है कि यह जो बी.डी.ओज., आज शिकायत आ रही है, और वह शिकायत सही है माननीय सदस्यों की कि बी.डी.ओज. पशुपालन से आते हैं, इनको डवलपमेंट का कंसेप्ट क्लीयर नहीं होता तो यह विभाग जब मेरे पास आया तो हमने ग्रामीण विकास सेवा के गठन की प्रक्रिया को शुरू किया और आज मंत्रिमण्डल से निर्णय होकर, उसके सम्बन्ध में रूल्स बन रहे हैं। हमने रूल्स बनाकर डी.ओ.पी. को भेज दिए, फाइनेंस से अप्रूव करा लिये, ला से अप्रूव कराकर आर.पी.एस.सी. को भेज रहे हैं। यह सारी प्रक्रिया पूरी होते ही रूरल डवलपमेंट सर्विसेज का गठन होकर नीचे से प्रक्रिया चलेगी। पूरी ग्रामीण विकास सेवा, एक अलग से ग्रामीण विकास के लिये समर्पित सेवा, विभाग की होगी। यह व्यवस्था हमने की है।

एडहाक बेसिस को समाप्त करने के लिये माननीय सदस्य बार-बार मांग करते थे। इसी तरह इंजीनियर्स का मामला भी, मेरे पास जब विभाग आया और मैंने सम्भागीय बैठकें ली तो देखा टीचर्स लगे हुये हैं। पंचायत समितियों में एल.डी.सीज. की कमी थी। मैंने आते ही आदेश दिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 423 एल.डी.सीज. की अब तक भर्ती की है। इसी तरह से 1855 वी.एल.डब्ल्यू. और 267 जे.ईएन. की भर्ती की है। पहले एक पंचायत समिति में एक जे.ईएन. होता था। करोड़ों रुपये विकास के आज जा रहे हैं। हमने एक पंचायत समिति में दो जे.ईएन. लगाने चाहे, इसलिये इतने सारे जे.ईएन. की व्यवस्था पंचायत समितियों में है। एल.डी.सीज, जे.ईएन. की अभी कुछ कमी है, वह भी बताऊँगा कि जो कमी है वहां लगाने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था हमने की। हमने प्रशासनिक दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और सुदृढ़ करने के प्रयासों के साथ-साथ हमने फाइनेंशियली इन पंचायत राज संस्थाओं को स्ट्रोंग करने की व्यवस्था की है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करके, उस रिपोर्ट को हूबहू लागू कर दिया। राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य था, ऐसी रिपोर्ट को लागू करने वाला और रिपोर्ट के अनुसार हमने बहुत सारा पैसा गांवों को दिया। कितना पैसा गांवों को दिया उसका जिक्र करूंगा लेकिन राजस्थान पहला राज्य था।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों को जब मैंने विभाग सम्भाला था तो ढाई रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान मिलता था, उसको मैंने चार रुपये किया और चार रुपये से पांच रुपये किया। पांच रुपए से बढ़ाकर ग्यारह रुपए किया और ग्यारह रुपये के बाद में यह

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

व्यवस्था कर दी कि चाहे कोई सरकार आए, चाहे बजट कैसा भी आए, हर साल यह अनुदान 10 प्रतिशत अपने आप बढ़ता जाएगा। आज की स्थिति में प्रति ग्राम पंचायत में 12 रुपये, अस्सी पैसे प्रति व्यक्ति अनुदान मिल रहा है। जहां कुर्सी टूटी होती थी सरपंचों की, कुर्सी खरीदने के लिये पैसा नहीं होता था लेकिन आज उनके पास बहुत सारा पेसा अनुदान का पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं किया, हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो दूसरी रिकमण्डेशन थी, उनको भी स्वीकार किया और उसके तहत हमने पिछले दो-तीन सालों में जो पैसा दिया है, ग्रांट दी है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले तीन साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसके आधार पर....

श्री उपाध्यक्ष : इस अनुदान के पैसे का सदुपयोग हो, इसकी भी थोड़ी सी निगरानी रखनी चाहिए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वह भी बता रहा हूं। उस पर भी आ रहा हूं। उसमें हमने एस.एफ.सी., स्टेट फाइनेंस कमीशन, से 117.24 करोड़ रुपए पंचायत राज संस्थाओं को दिए। इसी तरह से दसवें वित्त आयोग का पैसा रिकण्डेशन्स के आधार पर 92.83 करोड़ रुपये इन पंचायत राज संस्थाओं को दिया। इस तरह कुल मिलाकर दोनों का, 1995 आनवार्डस, जो पैसा दिया वह 210.07 करोड़ रुपए है।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे आने वाले समय में 1998-99 और 1999 से 2000 तक इन दो सालों में एस.एफ.सी. और टी.एफ.सी. की जो टोटल ग्रांट है वह मिला करके इन पंचायती राज संस्थाओं को 258.93 करोड़ रुपये देंगे। विभिन्न विकास के काम, वहीं पर प्रस्ताव लेकर छोटे-मोटे काम चाहे नाली का है, चाहे कोई बिल्डिंग का है, स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई या पानी की निकासी का काम है। माननीय सदस्य अभी यहां कह रहे थे कि उनके यहां स्कूल की बाउण्ड्री नहीं है तो वहां पर कोई और व्यवस्थाएं भी चाहिए तो वह काम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने पिछले साल यह आदेश दिया कि, एजूकेशन पर जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतना सारा पैसा एस.एफ.सी. और टी.एफ.सी. का मिलाकर ग्राम पंचायतों को दिया, अनुदान की राशि हमने बढ़ाई। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आप कह रहे थे कि आपने बहुत सही कमेंट किया, पैसा तो दे रहे हो मगर इस पर निगरानी तो रखो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब विभाग सम्भाला तो देखा कि लगभग ढाई हजार जांचे पेंडिंग थी, सरपंचों, प्रधानों, पंचायतराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगण और कर्मचारियों के विरुद्ध। भीम से आने वाले माननीय सदस्य दो दिन पहले बहुत ही अच्छा सवाल क्वेशचन आवर में किया था। कि आपने यह कैसे कह दिया कि वह 20 साल से पड़ी थी, 30 साल से पड़ी थी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देना चाहता हूं, जो आंकड़ें मैं लाया हूं,

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

मैं इसलिये लाया हूं क्योंकि मुझे मालूम था कि यहां पर यह बात पूछी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये जांच 1981 से लेकर 1993 तक, मैंने दिसम्बर, 1993 में विभाग संभाला था तब तक कुल 737 जांच प्रकरण विभाग की तरफ से निपटाए गए। 1993 ऑनबर्डस साढ़े चार साल में जो प्रकरण निपटाये गये हैं वे हैं 2062 प्रकरण। अब आप अंदाज लगा लीजिये। ये 2062 प्रकरण निपटाकर मैंने कितना पैसा इकट्ठा किया। जो ब्याज सहित गबन के मामले थे, अनियमितताओं के मामले थे, ब्याज सहित एक करोड़ 80 लाख सरकारी खजाने में वापस जमा कराए। हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में आज तक चुने हुये जन-प्रतिनिधियों से किसी भी पार्टी ने हिम्मत नहीं की, किसी मिनिस्टर ने हिम्मत नहीं की किसी स्टेट ने हिम्मत नहीं की। हमने वह पैसा ब्याज सहित जमा करवाया, रिकवरी की। एक हिस्टोरिकल स्टेप हमने उठाया। ये जांचें कब की पैण्डिग थी यह मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर 30 वर्ष से जो जांच प्रकरण पैण्डिग पड़े थे वे 18 प्रकरण थे। 20 वर्ष से जो जांच प्रकरण पैण्डिग थे वे 185 प्रकरण थे। 15 वर्ष से जो पैण्डिग प्रकरण थे वे 256 थे। 10 वर्ष से पैण्डिग प्रकरण 296 थे और पांच वर्ष से पैण्डिग प्रकरण 287 थे। इस प्रकार 1044 प्रकरण वे थे जो पांच साल से लेकर 30 साल से पैण्डिग पड़े हुये थे। उसके अलावा दूसरे प्रकरण हैं। (व्यवधान) अभी जो टोटल प्रकरण मेरे पास पैण्डिग हैं। वे पुराने प्रकरणों में कोई सौ-सवा सौ के आसपास होंगे। मैं एग्जेक्ट फिगर के लिये क्षमा चाहता हूं। सौ-सवा सौ-डेढ़ सौ के आसपास होंगे, लेकिन जो नये प्रकरण यहां आ रहे हैं, जब जांचें हुई हैं, कार्यवाही हुई है, यहां पर एक आरोप भी लगा दिया गया.....

श्री अमराराम (धोद) : जो मर गये थे उनका क्या हुआ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वह भी मैं कह रहा हूं। जो मर गये थे उनके खिलाफ भी जांच प्रकरण चल रहे थे जिनको मैंने समाप्त किया। उनको नोटिस भेजे जा रहे थे। वे नोटिस पता नहीं स्वर्ग में कैसे पहुंचे होंगे। लेकिन नोटिस भेजे जा रहे थे, वे भी हमने समाप्त किये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ये पैण्डिग मामले जितने भी डिसाइड किए हैं, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा मैंने जब यह निर्णय किया तो मेरे पर बहुत सारे दबाव थे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं सदन में। कोई मामलों में मेरे ऊपर दबाव भी आए, लेकिन उस समय मैंने कहा कि इस मामले में...

श्री परसादी लाल मीणा : हमने तो नहीं किए।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग करते थे। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण को छोड़िए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय मुझे कोई भी यह कह दे, मैंने उस समय यह कहा कि कोई भी व्यक्ति हो जिसने सरकारी पैसा खाया, इसमें

(218)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

मैंने क्राइटेरिया जरूर रखा कि किसी ने टेक्नीकली, अनपढ़ सरपंच था, टेक्नीकली कोई छोटी-मोटी गलती हो गई तो मैंने अधिकारियों को कह दिया इसे छोड़ दो। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया उनके लिये मैंने कहा कि पैसा वसूल करो। हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई कि एक लाख रुपया या दो लाख रुपया सरकार का खाकर कोई किसी पार्टी का दो रुपये का सदस्य बन जाए और वह फिर बचने की कोशिश करे मैं इसका विरोधी हूं। इसलिये मैंने किसी को बचने नहीं दिया जिसने पैसा खाया है, चाहे कितना ही दबाव मेरे पर आया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं कह सकता हूं, अभी यहां पर एक-दो माननीय सदस्यों ने कोशिश की कि ये जो फैसले किए, ये जो सरपंचों की रिकवरी की और एफ.आई.आर. दर्ज करा रहे हैं ये राजनैतिक आधार पर करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी मामले में, मेरे अधिकारी बैठे हुये हैं, मैंने उनको कह रखा है कि जो करप्शन के मामले हैं, जो सरकारी पैसे खाने के मामले हैं इनमें किसी का दबाव मत मानिये। दूध का दूध और पानी का पानी करिए। जिसने पैसा खाया है उससे पैसा वसूल करिए, एफ.आई.आर. दर्ज कराइए, उसके खिलाफ कार्यवाही करिए। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आपने दही का वापस दूध कर दिया। आपने दही बनाकर वापस दूध बना लिया। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : पंचायत समिति लालसोट में पूर्व सरपंच हरिराम मीणा के खिलाफ 27 हजार रुपये बकाया हैं। उस बकाया के लिये आपने एफ.आई.आर. करायी? करायी तो कब करायी, यह बता दें और वसूल किया तो कब किया? वह आपकी पार्टी का है। हम चाहते हैं आप सबसे वसूल करें चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन आपने जान-बूझकर उसके खिलाफ न एफ.आई.आर. दर्ज करायी, न उससे वसूली की।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : माननीय मंत्रीजी, अभी आपने टेन्थ फाइनेंस कमीशन की बात कही और निश्चित रूप से टेन्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर काफी पैसा मिला है और उसमें आपने कैटेगरीज बना दी.....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह परम्परा गलत पड़ रही है। पहले आप अपना पूरा उत्तर दे दें मंत्री महोदय, बीच में आप उनका भी उत्तर देते हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने जो बात कही, हमने एक आदेश दिया कि जो ग्राम पंचायतें आडिट नहीं करा रही है उनको अनुदान का पैसा नहीं मिलेगा। उनका अनुदान हमने रोका।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एक सवाल कल-परसों आया कि अनुदान का पैसा क्यों रोक दिया गया। यह अनुदान का पैसा मैंने रुकवाया और मैंने आदेश दिए कि जो ग्राम पंचायत आडिट नहीं कराए उनके अनुदान का पैसा रोकिए और 194 ग्राम पंचायतों का अनुदान हमने इस आधार पर रोका कि उन्होंने आडिट नहीं करायी। उसका असर यह हुआ

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

कि आज हर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति आडिट कराने लगी। पंचायत समिति को 25 नया पैसा प्रति व्यक्ति अनुदान मिलता था उसको बढ़ाकर हमने सवा रुपया किया। जिला परिषद् को कुछ नहीं मिलता था हमने 30 हजार रुपया प्रति पंचायत समिति, जिला परिषद में जितनी पंचायत समितियां आती हैं उनको 30-30 हजार रुपया दिया। आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वह पैसा पूरा लगे उसके लिये हमने यह व्यवस्था की।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह जो पैसा दिया इसके साथ-साथ और व्यवस्था की। जो चैक की बातें कई माननीय सदस्यों ने उठायी, यह सही है मेरे पास भी ऐसी शिकायतें आयीं कि फलां प्रधान चैक पर दस्तखत नहीं कर रहा है, फलां सरपंच चैक पर दस्तख्त नहीं कर रहा है, फलां बी.डी.ओ. चैक पर दस्तख्त नहीं कर रहा है, चैक रोक रहा है। मैंने इसका तुरन्त समाधान करने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर खुशी होगी हमने इस तरह के आदेश दिये हैं कि यदि ग्राम पंचायत में 10 दिन तक चैक पड़ा रहता है और सरपंच या ग्राम सेवक कोई भी उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तो 10 दिन के अंदर-अंदर वह कारण लिखकर उसको लौटा सकता है। 10 दिन पूरे हो गए तो बी.डी.ओ. उस पर काउंटर साइन करेगा और चैक जारी हो जाएगा। यदि पंचायत समिति में प्रधान साइन नहीं करता है तो 10 दिन तक वह रोक सकेगा और 10 दिन में कारण लिखकर देगा और उसके बाद भी रोकता है तो ग्यारहवें दिन सी.ई.ओ. उस पर हस्ताक्षर करेगा और वह चैक अपने आप जारी हो जाएगा। इसी तरह जिला परिषद् के अंदर....

श्री परसादी लाल मीणा : आर्डर जारी हो गये हैं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आर्डर जारी हो चुके हैं। इसी तरह से जिला परिषद् के अंदर यदि जिला प्रमुख या सी.ई.ओ. दस्तख्त नहीं करेगा तो 10 दिन बाद कलक्टर साइन करेगा और चैक जारी हो जाएगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हमने तीनों स्तर पर पारदर्शिता लाने और उसको रोकने के लिये यह व्यवस्था की।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंचों की शिकायतें आयीं कि पैसा लेकर बैठ गए और काम नहीं करा रहे हैं। चार महीने तक सरपंच के पास पैसा पड़ा है, किसी सरपंच के पास छह महीने तक सरकार का पैसा पड़ा है और वह काम नहीं करा रहा है। बैंक में जमा करा रखा है या कहीं और ब्याज पर दे दिया। इस तरह की शिकायतें मिलीं। इनको रोकने के लिये, जिस-जिस सरपंच के खिलाफ करप्शन की ज्यादा शिकायत मिली, अब आप करप्शन करने के बाद कार्यवाही करते रहो पैसा तो खाकर चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसको रोकने के लिये हमने कानून में यह भी परिवर्तन किया और....

इस तरह के आदेश दिये हैं कि जहां-जहां पर सरपंच काम नहीं कराये या ज्यादा करप्शन की शिकायत आये या सुस्ती से काम करे, ठीक काम नहीं कराये वहां पर कमेटी बना दी

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

जाए गांव की, उसी गांव में जिस गांव में विकास का काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर हमने भ्रष्टाचार को रोकने की, पारदर्शिता को लाने का और विकास कार्यों को गति देने के लिये सिंसियर प्रयास किये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य और भी इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देंगे तो मैं आप सब का स्वागत करूंगा और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी प्रश्न आया था एक-दो दिन पहले कि पंचायत समितियों के क्वार्टर्स पर कई अधिकारी और जन प्रतिनिधि अवैध रूप से कब्जा करके बैठे थे वर्षों से। मैंने आते ही आदेश दिया कि इन सब को बाहर निकालिये। वह खाली हुये। ज्यादातर हुये हैं। हो सकता है कि एक-आध नहीं हुआ हो। आप बताइए। मैं कार्यवाही करूंगा। कई लोग दूसरे के नाम से रहने लग गये लेकिन हमने कोशिश की और ज्यादातर जगह पर उनको खाली करवाया।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो पट्टा दिया जाता है, 10-15 साल पहले सरपंच था और आज पट्टा काटकर दे रहा है किसी जमीन का। इन फर्जी पट्टों को रोकने के लिये भी हमने कानून में व्यवस्था की। व्यवस्था यह कर दी उपाध्यक्ष महोदय, कि जिला परिषद से, अब जिले से फर्जी पट्टों को रोकने के लिये एक पर्टिकूलर डेट दे दी कि जिसके पास भी पट्टा है उसका रजिस्ट्रेशन कराये। उसके बाद हमने पूरे जिले से पट्टों के नम्बर डालकर पट्टे पंचायत समिति वाइज दे दिये, पंचायतों को दे दिये और अब जो पट्टा देगा उस पर काउंटर साइन ग्राम सेवक का होगा और वह पंचायत समिति में बी. डी. ओ. को देगा। पंचायत समिति में रजिस्ट्रेशन करायेगा और बीडीओ उस पर हस्ताक्षर करेगा कि इस तारीख को पट्टा जारी हुआ, इस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ। यह सारी व्यवस्था की है। अब फर्जी पट्टे नम्बर से पकड़े जाएंगे। नम्बर से नहीं तो वह ग्राम सेवक और सरपंच एक साथ नहीं रहेंगे वहां पकड़े जाएंगे, वह बी.डी.ओ. उस समय नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। यह फर्जी पट्टों को रोका। बैक डैट में बन्द कर दिये वह सब।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक काम और किया कि जो ग्राम पंचायतों में पंचायत की सरकारी जमीन होती थी वहां पर दुकानें होती थीं। दुकानें चाहे जिसको जिस तरह से अलोट करते थे। खाली जमीन होती थी वह चाहे जिसको दे देते थे। इसके लिये भी हमने पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला परिषद् स्तर पर भी कमेटियां बनायीं। ग्राम पंचायत स्तर पर नीलामी के द्वारा दुकानें दी जाएंगी। जमीन दी जाएगी तो नीलामी के द्वारा दी जाएगी और उस नीलामी में सरपंच, उप सरपंच, एक वार्ड पंच जो महिला, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, रिजर्व क्लास का होगा, पटवारी, गिरदावर, ग्रुप सचिव, इनको हमने मैम्बर बनाया। वहां पर निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा तो वह भी उसका मैम्बर होगा। इनको मैम्बर बनाकर जगह-जगह कमेटियां बना दीं ताकि जमीन देने में, ऑक्शन करने में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे हमने यह सुधार किये हैं। यह सब पारदर्शिता लाने का हमने प्रयास किया है, हमने भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया है। इसके अलावा फिर भी कई आपस में एग्जीक्यूशन की कमियां रह सकती हैं, समझ की कमी हो सकती है, मानीटरिंग की भी कमी हो सकती है और मैं यह भी कहता हूं कि आपस में तालमेल की भी कमी हो सकती है। इनको दूर करने के लिये इन सब जन-प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए। उनको ट्रैनिंग की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेनिंग की जानकारी के लिये मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी के प्रति, माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति, हमने निवेदन किया, हमारा पंचायत राज संस्थान ट्रेनिंग सैण्टर हमने बहुत अच्छा डवलप किया है। हमारी इच्छा है कि इसको नोर्थ इंडिया का जिस तरह से हैदराबाद में एन.आई.आर.डी. है, उसी लेवल का नोर्थ इंडिया के लिये इसको बहुत बड़ा ट्रेनिंग सैण्टर बनाया जाए और इसके लिये हमने पिछले दिनों सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि एस.आई.आर., डी.ज़ो.ओ.टी.एस., में बैठी है उसको लाकर पंचायती राज संस्थान के साथ मिलाइये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ट्रेनिंग के लिये यह एस.आई.आर.डी. है। अभी हमने बैठक की थी, उस बैठक में उस पर कुछ चर्चा भी हुई। हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा यह प्रयत्न है कि यह एस.आई.आर.डी. इन्दिरा गांधी पंचायत राज संस्थान के साथ सम्मिलित हो और यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे हिन्दुस्तान में नोर्थ इंडिया में एन.आई.आर.डी. के स्तर का इंस्टीट्यूट हो जिसमें बाहर के लोग आकर भी हमारे लोगों के साथ-साथ ट्रेनिंग लें। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्रीजी को कि उनका भी विचार यह था। बाकी लोगों का भी था इसलिये....

श्री रामस्वरूप मीणा : 40 नये मंत्री बने इनको भी आप ट्रेनिंग करा दो। यह भी कुछ समझ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तैयार हो तो करा देंगे.

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं अपोजिशन में था तो आपकी तरफ से विधायकों के लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था होती थी। आजकल वह बन्द हो गयी। इसलिये यह सारी समस्या की जड़ हो गयी है जैसे कभी कोई कभी कोई। इसलिये ट्रेनिंग की व्यवस्था आप कराइये। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह बात भी आयी, यह सही बात है मैं मानता हूं कि शहर के जन प्रतिनिधि हैं उनका तो भत्ता बढ़ जाए, टेलीफोन भत्ता मिले, यह भत्ता मिले और गांव के जो जन प्रतिनिधि हैं उनको कुछ नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इससे और भी आगे जाना चाहता हूं कि विकास का जितना पैसा आता है उसका गांवों की पापुलेशन और शहर की पापुलेशन के रेश्यों के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। इसलिये हमने जहां तक कोशिश की, हमने जो भत्ता था इनका, टीए, डीए, मानदेय, यह सब

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

लगभग डबल कर दिया और यह डबल इसलिये किया, अब आप कहेंगे कि इनका बराबर क्यों नहीं किया तो क्योंकि शहर के अन्दर, मैं सदन का इतना ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, जस्ट डबल कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी चुंगी समाप्त हो गयी, उसके पहले चुंगी की इन्कम थी शहरों में, अभी और अल्टरनेट क्या व्यवस्था आयेगी मुझे मालूम नहीं लेकिन हमारी ग्राम पंचायतों में ऑन इन्कम की कमी थी हमारा यह प्रयास है कि ऑन इन्कम की हम व्यवस्था करें और इसके लिये हमने उनको कर लगाने का, उस समय चुंगी थी तो चुंगी लगाने का, दूसरे टैक्स लगाने का अधिकार इन पंचायत संस्थाओं को दिये हैं। लेकिन फिर भी अभी दिक्कतें हैं, कोई लगा नहीं सकता। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी इसमें व्यवस्था होगी।

इसी तरह से इन जन-प्रतनिधियों का यह भत्ता ही नहीं बढ़ाया, हमने उनको सम्मान देने के लिये, लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधियों का कद हमेशा सरकारी मशीनरी से ऊपर होना चाहिए, उनको सम्मान देने के लिये जब वह जयपुर में आते थे काम से, मीटिंग्स में, तो इधर उधर घूमते फिरते थे। हमने शानदार चौपाल गैस्ट हाउस उनके लिये बनाया। आप सब आमंत्रित हैं, देखकर आइए। आज वह चौपाल में जाकर सब लोग ठहरते हैं। शानदार गैस्ट हाउस बनाकर तैयार किया है। आज वह गैस्ट हाउस में वहां जाकर ठहरते हैं, गर्व के साथ ठहरते हैं। उसमें सारी फैसेलिटीज प्रोवाइड की है हमने।

श्री शंकरलाल अहारी : हमको लेकर तो जाओगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप चलिये, मोस्ट वेल-कम। इसी तरह से हमने पंचायत राज संस्थान में भी कुछ फैसेलिटी डवलप की हैं। इंडोर स्टेडियम, एयर कंडीशन इंडोर स्टेडियम बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब तक शहर के लोग कांफ्रेंस करते थे तो एयर कंडिशन में करते थे और गांव वाले करते थे तो पंखे भी नसीब नहीं होते थे। हमने अब गांव वालों की ट्रेनिंग होगी और उनकी कोई कान्फ्रेंस होगी तो हमारे पंचायत राज संस्थान के एयर कंडीशंड आडिटोरियम में हुआ करेगी, यह उनको बराबर लाने के लिये किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर होस्टल की फैसेलिटी को विकसित करने का हम प्रयत्न कर हे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह राजस्थान पहला प्रदेश था जिसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज की सबसे पहले फार्मेशन की। पूरे राज्यों में पहले हमने जिला आयोजना समितियों का राजस्थान में गठन किया। यह पहला राज्य था।

श्री [illegible] सिंह : हुआ क्या प्लान में ? कोई मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह जिला परिषद् में जिला प्रमुख उसका चेयरमेन है, यह उनका काम है कि वह मीटिंग करें। वह स्वतन्त्र है। हमने [illegible] कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, [illegible], सूचना का [illegible] पूरे हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश है। [illegible] आडिट का आदेश

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है। दो बच्चों का कंसेप्ट, जिस समय लाये उसके बाद जन प्रतिनिधि की अयोग्यता का प्रोविजन लागू करने वाला राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत से केस हैं जिनमें लाइन लगा दी बच्चों की और आज तक सस्पैण्ड नहीं हुये। बहुत से केस हैं। जिनमें बच्चों की लाइन लग गयी और वह सस्पैण्ड नहीं हुये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जरा बिठायें फिर पूछ लें।

श्री रतनलाल ताम्बी : कोई बात नहीं, बाद में समय दे देंगे न पूछने का। बोलने का भी समय नहीं, पूछने का भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले सुन लीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या सुनें? यह आप बाद में मुझसे पूछ लें। तो इस तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाला पहला प्रदेश, रिकवरी करने वाला पहला प्रदेश और जो मैंने गिनाये हैं, इस तरह से लगभग 7-8 विषय ऐसे हैं जिसमें पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान का पहला स्थान है पंचायती राज विभाग का। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में जब भी कभी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम इतने से ही संतुष्ट नहीं है और हम कुछ और भी करना चाहते हैं। इसलिये कुछ और व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया है क्योंकि माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कई टीचर्स पंचायत समितियों में लगे हुये हैं। अभी और इस वर्ष हम 82 एल.डी.सी. और नये भर्ती करने जा रहे हैं, 1380 ग्राम सेवक और नये भर्ती करने जा रहे हैं। करीब 86 इंजीनियर्स डेपुटेशन पर लेने के लिये जा रहे हैं (व्यवधान) जो बच गये, जहां कमी है, अभी कह रहे थे कि 2-2 नहीं हुये। इसके अलावा टीचर्स के बारे में....

इसी तरह से यहां पर यह चर्चा आई कि जिला परिषद् को, पंचायत समितियों को पावर्स दीजिये। (व्यवधान) इसके लिये भी हमने कि इनको क्या अधिकार दिये, हम केन्द्र पर भी दबाव डाल रहे हैं कि जो सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, वे राज्यों को दीजिये तो राज्यों की स्कीम्स, वह स्कीम्स मिलाकर राज्य किस तरह से व्यवस्था करे, यह राज्यों पर छोड़िये, उन पर विश्वास करिये। इसके लिये हमने कहा, जैसे मैंने बताया टास्क फोर्स बनी है, उस पर विचार होगा। उसके लिये हमने भी राज्य सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है कि कौन-कौनसी स्कीम्स जिला परिषद् को ट्रांसफर की जा सकती है, फिजीबल हो सकती है लेकिन यह निर्णय केन्द्र सरकार जब इसका निर्णय करेगी तभी यह निर्णय सम्भव हो पायेगा और टास्क फोर्स भी उन्होंने बना दी है। उसकी अभी मीटिंग होने वाली थी, अभी होगी बहुत जल्दी।

इस तरह हम ग्राम सेवक भर्ती करते थे, यह कमी क्यों हुई। ग्राम सेवक भर्ती करते थे तो रूल्स में था कि प्रशिक्षित ग्राम सेवक, हो, छह मास की उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी थी। अब गांव में उसको जानने के लिये छह माह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की क्या

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जरूरत है। हमने उस ट्रेनिंग पीरियड को घटा कर, केवल 45 दिन कर दिया। हमने रूल्स में परिवर्तन कर 266 में यह कर दिया कि प्रशिक्षित ग्राम सेवक की इसको जरूरत नहीं है, इसलिये यह परिवर्तन किया।

परित्यक्ता, विडो लेडी रोजगार के लिये, भगवान उनके साथ वैसे ही अन्याय कर देता है, उनके लिये भी दिक्कत होती है। हमने इसमें भी निर्णय किया है कि उनको एस.टी.सी., बी.एड. में छूट दी। जब वह भर्ती हो, उनको नौकरी मिल जाये, तीन साल तक का हमने उनको पीरियड दिया है कि तीन साल की अवधि के बाद में एस.टी.सी. और बी.एड. कर ले। यह भी हमने व्यवस्था की है। उनकी वह जो शर्त थी उसको हटा लिया है।

इसी तरह के हमने नई स्कीम्स ली है और नई स्कीम्स के अन्दर स्वच्छता, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी शिक्षा के बारे में बहुत प्रश्न उठे। हमने जितनी स्कूल्स 1993 ऑनवार्डस आज तक खोली है, हमने लगभग 6000 के आसपास स्कूल खोली हैं और इतना ही नहीं, लगभग 29-30 हजार के आसपास अध्यापकों का चयन किया है और लगाया है, नौजवानों को रोजगार दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ढाणियों में स्कूलों के लिये क्या किया?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वह बता रहा हूं एक मिनट। इतना ही नहीं, हमने इस साल भी अभी लगभग 6000 अध्यापकों के चयन के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है जो चालू है और हमने यहां पर बात कही कि एक टीचर होता था एक स्कूल में पहले। हमने यह कम्पलसरी कर दिया, चाहे कितने ही बच्चे हो एक स्कूल में, कम से कम दो अध्यापक होंगे। यह व्यवस्था हमने कर दी। यह लागू होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा, इसके साथ-साथ अभी यह भी प्रश्न आया कि इतनी सी स्कूल खोलने से अब की बार आपने जो स्कूल दिये हैं, उनसे क्या होगा? एक यह प्रश्न भी आया, इस प्रश्न के ऊपर, एक डी.पी.ए.पी. की नई योजना है, इस वर्ष राजस्थान में शुरू होने वाली है। यह 10 जिलों में शुरू होगी और एक जिले में 40 करोड़ रुपये पांच साल में खर्च किया जायेगा तो डी.पी.ए.पी. 10 जिलों में, लोक जुम्बिश 13 जिलों में, 175 ब्लाक्स में शिक्षाकर्मी योजना और उसके बावजूद ये स्कूल्स, मैं समझता हूं, इतनी व्यवस्था जब शिक्षा की हो जायेगी तो माननीय सदस्यों को ज्यादा स्कूल, ये स्कूल जितने जहां-जहां भी चाहेंगे, वहां स्कूल खुलेंगे। उसका क्राइटेरिया भी हमने बदला कि रेवेन्यु विलेज या बड़ा ग्राम हो उसी में खुले। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. पिछड़े हुये लोग, घुमक्कड़ लोग, छोट-छोटी ढाणियों में गरीब लोग रहते हैं, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है इसलिये हमने निर्णय लिया कि इसमें तीन किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है तो सबसे पहले उन ढाणियों में उन गरीबों के लिये स्कूल खोला जायेगा। इसके साथ-साथ एक मांग और आई कि—

श्री रामनारायण चौधरी : पांच साल का लड़का तीन किलोमीटर चला जायेगा?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : पहले तीन किलोमीटर तो कवर हो जाने दीजिये। अभी तक तो 8-8 किलोमीटर पर नहीं था।

इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहूंगा, एक बात और आई, मैंने ट्रांसफर पालिसी क्यों बनाई? 1994 में आते ही टीचर्स की ट्रांसफर पालिसी बनाई। वह इसलिये बनाई कि ये भर्ती होते थे पूर्वी जिले से जहां से मैं भी हूं, इस जिले से मैं भी बिलोंग करता हूं। जयपुर में और बाड़मेर में पांच प्रतिशत का अन्तर पड़ता है। यहां का लड़का जाता है, लड़की जाती है, वहां भर्ती होते हैं पांच प्रतिशत नीचे पर। भर्ती होने के दूसरे दिन से ही प्रेशर लगाकर, सिफारिश लगाकर वे ट्रांसफर कराकर यहां आ जाता है। ट्राइबल बेल्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर स्कूल्स तो खाली पड़े रहते हैं और वे लोग ट्रांसफर करके यहां आ जाते हैं। यहां जिला परिषद् प्रस्ताव पास करता है कि यहां के नौजवान डेपुटेशन लाकर मुझे ज्ञापन देते हैं कि ट्रांसफर करके इन पदों को भर दिया, हम कैसे भर्ती होंगे और स्कूल उधर खाली पड़े रहते हैं। इसलिये 1994 में मैंने ट्रांसफर पालिसी बनाई और लागू की और 1995 से बांड भराना शुरू किया और वह बांड क्या था, जिस समय नौकरी लगती थी वह बांड भराया जाता था कि मैं नौकरी इस शर्त पर ले रहा हूं कि 10 साल तक ट्रांसफर की मांग नहीं करूंगा। जिस जिले में लगूंगा, 10 साल उसी जिले में काम करूंगा इसलिये बांड की व्यवस्था हमने की है। एक सिस्टम और था ट्रांसफर कराने का। ट्रांसफर कराते ही बी.डी.ओ. को लिखाकर कि मैं छोड़ना चाहता हूं, दूसरा कहे कि मैं लेना चाहता हूं और इसमें भ्रष्टाचार होता था। हमने यह सब खतम कर दिया। सिम्पल प्रोफोर्मा किया और सारे के सारे फार्म्स यहां लेते थे, जयपुर में इकट्ठे हो जाते थे डाइरेक्ट्रेट में। मैंने एक सिम्पल फार्म बनाया कब भर्ती हुये, नाम क्या, बाप का नाम क्या है? सिम्पल फोर्म लेकर के जिस पंचायत समिति में काम करता है वह शिक्षक वही दे दे। उसके डाकूमेंट्स को बी.डी.ओ. वेरीफाई करके सी.ई.ओ. के पास भेजेगा। सी.ई.ओ. जिलावाइज वेकेंसी भेज देगा और वह आकर यहां पर ट्रांसफर, उसमें भी हमने प्रायोरिटी दी। 10 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी है यह है कि आम आदमी को यह विश्वास हो जाये कि उसका काम सही है तो बिना सिफारिश और बिना पैसे के होगा और गलत है तो किसी हालत में भी नहीं होगा इसलिये हमने इस व्यवस्था को लागू करने के लिये 10 साल के ऊपर के जितने भी टीचर्स हैं, अपने आप लिस्ट निकाल दी। दूसरी प्रायोरिटी, जो विकलांग थे या मेडिकली बीमार थे, हमने उन सबकी लिस्ट निकाल दी। तीसरी में फौजी बोर्डर पर खड़े रहते हैं, लड़ते हैं हमारे लिये काश्मीर में, पहाड़ों में खड़े रहते हैं बोर्डर पर, उनकी पत्नियां बाहर थी, हमने जितने फौजी थे, उनकी पत्नियों को ट्रांसफर कर दिया जहां चाहते थे और उसके बाद पति-पत्नी प्रकरण थे, उनका नम्बर लिया और उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, उनका नम्बर लिया। उनका नम्बर फिर बाद में लेकर यह व्यवस्था की। इस तरह से हमने एक बहुत

226

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

ही फुलप्रूफ सिस्टम बनाया है। इसके अलावा, (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा।

लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि उप प्रधान, उप प्रमुख, उप सरपंच, यदि जनरल कास्ट का है, पुराना खिलाड़ी है, प्रभावशाली है, इस पद पर महिला है, एस.सी. का आदमी है, एस.टी. का है, ओ.बी.सी. का है तो वह अविश्वास या दूसरे तरीके से हटवाकर खुद चैयर पर बैठना चाहता है। हमने इसमें परिवर्तन करके उसको मंत्री मंडल को भेजा है, सरकार को भेजा है। सरकार इस सम्बन्ध में यह विचार कर रही है कि जो पद खाली हो, उसी पद का व्यक्ति उस पद के ऊपर टेम्परेरी जब तक चुनाव नहीं हो वह बैठे, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : लागू करो, विचार नहीं। आपने कह दिया, लागू किया जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे कैसे बैठेगा?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमने विभाग

श्री रामनारायण चौधरी : अगर खाली होता है तो आप चुनाव करवा दीजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप बिराजिये तो सही। चौधरी साहब हमारे विभाग ने यह इस प्रकार का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, मंत्रिमण्डल निर्णय करके, इस पर मैं अकेला कोई निर्णय नहीं कर सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या प्रस्ताव भेज दिया गया है, क्या धांधलियां की हैं?

(20.00 बजे)

श्री रतनलाल ताम्बी : छह महीने में चुनाव क्यों नहीं हुये उनके।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अंत में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ नई स्कीम हमने हाथ में ली है। हमारे विभाग ने कुछ नई स्कीम्स, जो गांवों के विकास के लिये, अति महत्वपूर्ण है वह हमने हाथ में ली है, जो वहां के विकास के लिए इंटीग्रेटेड डवलपमेंट के लिये, जिसमें स्वच्छता कार्यक्रम भी है, कई माननीय सदस्यों ने, महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया है, बहुत सारे सदस्यों ने चिंता जाहिर की है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से कई कल्याणकारी विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने, ग्रामीण कृषकों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से दो प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसमें प्रधान सड़कों पर सेवा सुविधा के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधा केन्द्रों, जिनमें पैट्रोल पम्प, दुकानें, ढाबा, वाहन चालकों के लिये विश्राम स्थल, स्नानघर, आदि सुविधाओं से युक्त सात केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। यह केन्द्र जयपुर में खातोलाई व महला, दौसा में सिमला गूजर, बांसवाड़ा में मोना डूंगर, बूंदी

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

में बासनी, सीकर में रशीदपुरा एवं कोटा में मंडाना निर्मित हो चुके हैं। इसी प्रकार ग्रामीण आवास हेतु सेवा एवं सुविधा योजना नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित रूप से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अजमेर में बांदनबाड़ा, जयपुर की खटवाड़ा योजना में कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर 436 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं एवं इस वर्ष 50 लाख रुपये राज्य मद से व्यय किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पचास हजार परिवारों को रियायती दरों पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त आवंटित भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इस वर्ष तीस हजार परिवारों को 5200 रुपये प्रति इकाई की दर से आवासीय अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस गतिविधि में 1560 लाख रुपये राज्य मद से व्यय किये जायेंगे। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष एक नई योजना हाथ में ली जा रही है जिसके तहत पायलट आधार पर प्रत्येक जिले की दो-दो पंचायत समितियों के दो-दो चयनित गांवों में सुनियोजित आवासीय भूखण्डों का विकास कर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दृष्टि से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों के घरों में स्वच्छता इकाइयों का निर्माण, शालाओं में शौचालय मय मूत्रालय इकाइयों का निर्माण तथा पेयजल स्रोतों के निकट गंदे पानी के निस्तारण हेतु सुविधाओं के निर्माण की गतिविधि क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ-साथ यूनिसेफ द्वारा भी वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य मद से 228 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। इतनी ही राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। इस प्रकार 456 लाख रुपये इस मद में खर्च किये जायेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार एवं ईंधन की बचत की दृष्टि से राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 1 लाख चूल्हे स्थापित किये जायेंगे। यह योजना भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में क्रियान्वित की जा रही है और इसमें जो 20 रुपये अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ा कर 40 रुपये अनुदान का इस वर्ष किया जायेगा। इसी प्रकार गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से सहायता पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में व्यय किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 100 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख 38 हजार परिवारों को पेंशन उपलब्ध

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

करवाई जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के प्रमुख कमाऊ सदस्य की साधारण मृत्यु होने पर पांच हजार रूपये की एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर दस हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

इस योजना के तहत राज्य में 8200 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। तीसरी योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के नाम से क्रियान्वित की जा रही है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में 19 वर्ष से ऊपर की आयु की महिला के प्रथम दो प्रसव पर तीन सौ रुपये प्रति प्रसव की दर से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत राज्य में 48 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। पूर्व में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा देखी जा रही थी, परंतु दिनांक 23-6-98 से तीनों योजनाएं अब इसी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और पंचायत समिति की, 15 अगस्त 97 के उपरांत जन्मी प्रथम दो बालिकाओं को बालिका समृद्धि योजना के तहत पांच सौ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है एवं ढाई हजार बालिकाओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में नामांकन ठहराव व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा एक से पांच में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तीन किलो गेहूं प्रति माह की दर से शालाओं में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत इस वर्ष 16.6 लाख क्विंटल गेहूं वितरित किया जायेगा जिससे 55.35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस प्रकार यह सारी योजनाएं पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के माध्यम से और माननीय सदस्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में हम लागू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लगभग सात सौ करोड़ रुपये इन ग्रामीण ग्राम पंचायत संस्थाओं के माध्यम से गांवों के विकास के लिये हम अलग-अलग योजनाओं के अलावा खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से राजस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से आगे ले जाने में हम सक्षम होंगे और विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री रामस्वरूप मीणा : करौली जिला परिषद कब तक बनाओगे ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं करौली के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले के दो जिले बने। करौली जिला व परिषद जब बनाने का, गठन का मामला आया तो जो जिला प्रमुख थी सवाईमाधोपुर की, वह करौली क्षेत्र, जो अब जिला है, वहां से चुनी हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, अब यदि हम उसको जिला प्रमुख रखते हैं सवाईमाधोपुर का और वहां नये चुनाव कराते हैं तो दिक्कत....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दोनों जगह कर दो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : वही मैं निवेदन कर रहा हूं। सवाई माधोपुर रिजर्व है। करौली को जनरल माना जाय कि रिजर्व माना जाय। दूसरे जो चुने हुये लोग हैं, हमने लॉ डिपार्टमैंट से राय ली कि यदि फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे तो इनको भंग करके सारे सदस्यों के दुबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, तो यह कई कानूनी पेचीदगियां इसके बीच में आ गई हैं, हमने एडवोकेट जनरल की राय ली, हमने लॉ डिपार्टमैंट की राय ली। इन सभी बिन्दुओं पर विचार करके कानूनी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार इस पर फैसला करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन

(20.08 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये और मेरी बात शांतिपूर्वक सुनी, मैं उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मांग को स्वीकार करके पास करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अनंगकुमार जी।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, मैं तीन-चार प्रश्न के तौर पर माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रही हूं...

श्री सभापति : बिराजिये। अब बहुत समय हो गया। श्री अनंग कुमार जैन। बिराजिये।

श्रीमती कमला : पहला प्रश्न मेरा यह है...

श्री सभापति : बिराजिये आप, बिराजिये न। कोई प्रश्न नहीं। श्री अनंग कुमार जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, एक प्रश्न तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, यह मत कहिये कि कोई प्रश्न नहीं...

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : खुद मंत्री महोदय ने कहा कि मैं प्रश्नों के जवाब दूंगा। इसलिये आप पहले इनसे पूछ लीजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : पूछिये, पूछिये, पूछ लीजिये, जवाब दूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना) : सभापति महोदया, कुल 21 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, यह कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा और पूछिये। आप इनके भाषण के बाद में सदन को समाप्त कर देंगी इसलिये हमें पहले पूछ लेने दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया, पहले यह व्यवस्था हुई है कि मंत्रीजी के जवाब के बाद में प्रश्न किये जा सकते हैं।

श्रीमती कमला : पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाह रही हूं कि माननीय मंत्रीजी...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग को बदल रही हैं क्या? आप उपाध्यक्ष महोदय की रूलिंग को बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट के बाद प्रश्न

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

पूछ लीजियेगा। आप कह दीजिये, मैं रूलिंग बदल रही हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : स्टेटमेंट के बाद उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है।

श्रीमती कमला : इसलिये हमें पूछ लेने दीजिये, बाद में जवाब दे लें।

श्री सभापति : अच्छा, अब इनको भी सुन लीजिये एक बार। फिर प्रश्न कर लेना।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है, गलत परम्परा डाल रही हैं आप। ऐसे नहीं होता है।

श्रीमती कमला : यह बाद में बोल लेंगे, बाद में तो आप सदन को....

श्री सभापति : अब क्या होता और क्या नहीं होता है, बिराजिये आप। आपको प्रश्न पूछने काअवसर दूंगी। बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, बाद में नहीं पूछे जाते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदया, मेरे विभाग से संबंधित....

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने माना है, मंत्री महोदय ने माना है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको अवसर दूंगी। बिराजिये।

श्रीमती कमला : मैं पूछना चाह रही हूं कि आपने तमाम पंचायतों में सचिव दे दिये हैं क्या।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय विशिष्ट योजना मंत्रीजी बोल रहे हैं। उनका नाम पुकार लिया है। विशिष्ट योजना मंत्रीजी बोल रहे हैं। आपको दूंगी अवसर, बिराजिये न अभी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : देखिये, सिक्वेंस टूट जाती है, चेन टूट जाती है, आप समझिए इस बात को, सिक्वेंस और चेन टूट जाती है....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय के जवाब के बाद में तो इजाजत देंगी न आप?

श्री सभापति : हां, दूंगी।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन) : मेरा बहुत संक्षिप्त में उत्तर है। सभापति महोदया, इस विभाग के बारे में कुल 21 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और 41 कट मोशन प्राप्त हुये। उनके जवाब में सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा और जो माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में जो व्यावहारिक रूप से कठिनाइयां कार्य को करवाने में आती हैं उनसे संबंधित सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह ऐसा विभाग है सीधा राज्य सरकार के सभी विभागों को छोड़कर कि इस विभाग का सम्पूर्ण पैसा विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र में खर्च होता है। इसके अलावा ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका पैसा शहरी क्षेत्र या

(श्री अनंग कुमार जैन)

ग्रामीण क्षेत्र में ही खर्च हो तो इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में पैसा खर्च होता है और योजनाओं का क्रियान्वयन भी चुने हुये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। एक समय था जब सभी माननीय सदस्य इस बात पर एतराज करते थे कि जो विकास के कार्य होते हैं वे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा करवाये जाते हैं उसके अन्दर भारी भ्रष्टाचार होता है। माननीय शेखावत साहब ने 1991 में जब पहली बार सरकार सम्भाली तो उन्होंने यह तय किया कि 40-50 साल के बाद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो विकास का असंतुलन बना हुआ है उस असंतुलन को किस प्रकार दूर किया जाए और उस असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान प्रदेश का विकास अपने हाथ में लिया और उन्होंने देखा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे गांव के लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। मुहैया होनी चाहिए उस दृष्टि से उन्होंने कई जो योजनाएं चालू थीं उसके अलावा भी कई नयी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर लागू कीं। इस विभाग के अन्तर्गत तीन प्रकार की योजनाएं चलती हैं एक तो वे योजनाएं जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के बजट से चलायी जाती हैं एक वे योजनाएं जिनका केन्द्र सरकार से पैसा मिलता है और कुछ योजनाएं वे हैं जिसके अन्दर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का अलग-अलग रेशो तय है। जितना पैसा केन्द्र सरकार भेजती है उतने रेशों में राज्य सरकार पैसा देती है और दोनों के बजट से वे योजनाएं चलती हैं और उनके माध्यम से ग्रामीण विकास का कार्य होता है। अब मैं माननीय सदस्यों से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के कार्यों को आपको दूसरे विभाग के कार्यों से थोड़ा हटकर देखना पड़ेगा। कहीं पी.डब्ल्यू.डी. का काम होता है, इरीगिशन का काम होता है, पी.एच.ई.डी. का काम होता है बड़े-बड़े काम होते हैं वर्षों से वह कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है लेकिन इस विभाग के माध्यम से 90% कार्य जो संपन्न कराये जाते हैं उनका रिजल्ट तत्काल मिलता है। आज किसी भी गांव के अंदर आप जाएं तो कहीं स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, उप स्वास्थ्य केन्द्र बन रहा है, पी.एच.सी. की बिल्डिंग बन रही हैं, किसी स्कूल के अन्दर कमरे बनवाये हैं तो आप जब आज मंजूर करवाएंगे तो तीन महीने के अन्दर तो आपको कमरे छत तक बनते हुये नजर आएंगे तो उस दृष्टि से और जो कार्य चुने हुये जन प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाये जा रहे हैं और राज्य सरकार का यह हमेशा से सोच रहा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। अधिकारों का हस्तांतरण नीचे के स्तर तक हो उस दृष्टि से जो स्थानीय स्तर पर सरपंच लेवल के लोग थे उनको अधिकार दिये गये। यहां माननीय सदस्यों ने यह भी कह दिया कि 90% सरपंच बिना पैसा लिये काम नहीं करते। मैं इस बात से एग्री नहीं करता इससे इत्तफाक नहीं करता क्योंकि जहां चुने हुये जनप्रतिनिधि काम कराते हैं आपने एक तरफ तो कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से काम नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि उस पंचायत क्षेत्र की जनता ही ये तय करे ग्राम सभा के

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्दर कि मेरे क्षेत्र में कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। वो जो कार्यसूची बनाकर भेजती हैं पंचायत समितियों के माध्यम से डी.आर.डी.ए. में जाती है वहां से कार्य मंजूर होते हैं और फिर जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वे कार्य सम्पन्न करवाये जाते हैं। अब उसमें माननीय सदस्यों का कहना यह था कि कई-कई जगह 60-40 का रेशो नहीं बैठता है तो फर्जी मस्टररोल भरा जाता है ऐसा नहीं है कि सारा ही कार्य इसी तरह से करवाया जाता है।

मैं इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों की इस राय से भी इत्तफाक करता हूं कि कुछ जगह हो सकता है कि इन कार्यों को सम्पन्न करवाये जाने में कुछ अनियमितताएं बरती गई हों लेकिन अधिकांश जगह जो कार्य करवाया जाता है आज भी मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जो चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करवाये जाते हैं उनके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है वह सरकार, विभाग के द्वारा करवाये जाने से जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है और उसी कारण यह तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो विकास के कार्य करवाये जाएं वे चुनी हुई संस्थाएं करें। आज पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर आप इस बात की कल्पना करें कि 1990 के पहले कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये थे या तो वे ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये थे जो मैन रोड से कनेक्टेड थे, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड थे, स्टेट हाईवे से कनेक्टेड थे या बड़े कस्बे थे जहां सीधा रोड जाता था। अगर वहां कोई ग्राम पंचायत आ जाती थी तो उसको रोड से कनेक्टेड मान लिया जाता था। लेकिन इस योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर ग्राम पंचायत स्तर पर सड़कों का जाल बिछा और वहां सड़कें नजर आने लगीं। जब एक ग्राम पंचायत में सड़क बनीं तो दूसरे गांव वालों की भी इच्छा हुई कि मेरे गांव के अन्दर भी बने तो उस लिहाज से फिर राज्य सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी., कृषि उपज मंडी और डी.आर.डी.ए. तीनों के पैसों का डवटेलिंग करके यह तय किया कि एक बार जो एजेन्सी जहां काम करा सके, ग्रेवल रोड तक डी.आर.डी.ए. के माध्यम से इन रोड्स को बनवाया जाए और ग्रेवल रोड बनकर के जहां-जहां कम्पलीट होती जाए उनके डामरीकरण का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को सौंपा जाए। उस दृष्टि से आज राजस्थान प्रदेश के अन्दर सारे ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़ने के लिये उनका कार्य प्रारम्भ हो गया है और अधिकांश ग्राम पंचायत मुख्यालय आज सड़क से जुड़ चुके हैं। किसी न किसी तरह की सड़कों से चाहे वे ग्रेवल रोड से जुडे हों चाहे वह मिट्टी वाली रोड से जुटे हों। आज कई ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर डामरीकरण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस परिकल्पना को भी अपने दिमाग में रखें कि 40 साल तक पंचायतें तक नहीं जुड पाई तो छोटे गांवों की बात तो बहूत दूर की होती है। माननीय सदस्यों ने कहा कि एक-एक, दो-दो किलोमीटर जो गांव पड़ते हैं उनको जोड़ा जाए

(श्री अनंग कुमार जैन)

लेकिन 40 साल 42 साल के अन्दर जब पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ पाये तो इस सरकार ने यह कार्य प्रारम्भ तो किया कि हर पंचायत मुख्यालय को किसी न किसी तरह की सड़क से जोड़ा। अब मैं जब-जब भी यह चर्चा होती है तो माननीय जो हमारे सामने बैठने....

श्रीमती कमला : जोड़ने वाली सड़कें ही अगर नहीं बनी होती तो क्या जोड़ते आप। सड़कें कौन बनाता जिनसे जोड़ा?

श्री अनंग कुमार जैन : बस यही सवाल है इनके पास अपनी झेप मिटाने के लिये, हर बार यही लाइन कही जाती है। एक और बहुत वरिष्ठतम सदस्य माननीय विश्नोई साहब भी यही कहते हैं कि कोई सौ किलोमीटर की सीधी सड़क तो बता दो जो आपने बना दी हो। यही बात आपने दोहरा दी आज विश्नोई साहब ने नहीं बोली लेकिन मेरा निवेदन यह है....(व्यवधान)....आखिर तो आप यह 40 साल आपने....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया है मैं दो साल से पूछ रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या साहब?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं है सौ मील वाली सड़क....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई बार दे दिया साहब।

श्री अनंग कुमार जैन : कई बार दे दिया साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ठीक है एक-एक बेंत के टुकड़े बना दिये।

एक माननीय सदस्य : लम्बाई बता दी आपको।

श्रीमती कमला : ....(व्यवधान)....काहे से जोड़ते उनको यह बताइए। मुख्य सड़क किसने बनाई?

श्री रामनारायण चौधरी : ....(व्यवधान) ....उसको आप मेन्टेन कर रहे हो इधर से लिंक रोड जोड़ रहे हो।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, ...

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : सरकार ने दो ही काम किये पहले तो मैन रोड़ से सड़क बनाई और मैन रोड से बनाने के बाद फिर अन्दर जो पंचायत मुख्यालय पड़ते हैं उनमें भी सड़क बनाई हां, आपने काम किया लेकिन जिस गति से आपको काम करना चाहिए था उस गति से आप काम करते तो आज 45-50 साल बाद कोई पंचायत मुख्यालय बचता क्या? वहां सड़क से जोड़ने के लिये? एक भी पंचायत मुख्यालय नहीं बचता इसलिये मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन था।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय मंत्रीजी, ढाई हजार पंचायतें नई गठित होने के बाद कमी रहने से अब बनी हैं, वरना पहले ही जुड़ी हुई थीं करीब-करीब सही स्थिति को स्वीकार क्यों नहीं करते हो आप? 80%

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सड़कें पहले बनी हुई थी आप रिकार्ड उठाकर देख लें।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, आज भी 1993.....

श्रीमती कमला : आप भी पंचायत हैडक्वार्टर जोड़ कर जा रहे हो हम आने वाले समय में 500 की आबादी के सारे गांव जोड़ देंगे। ये तो चलने वाला टर्न है जो निरन्तर चलता रहेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 8 साल में एक भी बांध बनाया क्या? राज्य में एक भी बड़ा बांध बनाया क्या 8 साल के अन्दर? कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की है? बात कर रहे हो।

श्री अनंग कुमार जैन : बड़े बांध की बात कर रहे हैं न साहब तो भीम सागर बांध जिसका कार्य राजाओं के राज में प्रारम्भ हुआ था 1945 में और 1977 तक उस पर दो इंज दीवार भी नहीं बनी थी जब ये ललित किशोर जी चतुर्वेदी रात को दो बजे सर्दी में गये और जब गाड़िया गई तो जो आदमी वहां बैठे थे वे हमारी गाड़ियों के आगे खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि भाईसाहब आप क्यों आए हो हमने कहा कि ये बड़े मंत्रीजी आये हैं इस बाध को बनायेंगे। उन्होंने कहा कि यहां कई गाड़िया आ गई और कई कांग्रेस वाले आ गये हमने तो देखा है और जो गये हैं वे भी कई तो ऊपर पहुंच गये लेकिन आज तक इस बांध को कभी नहीं बनाया। वह बड़ा बांध जनता पार्टी के शासन में ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके जैसे अकर्मण्य प्रतिनिधि होंगे।

श्री शंकरलाल अहारी : ऊपर तो सबको जाना है।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या कह रहे हो?

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या बात है कि नहरें इतने टूटी हुई है जगह-जगह वे नहीं बन रही हैं आज पानी बहुत खराब जा रहा है बांधों से (व्यवधान) नहरें खराब होने से।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ...(व्यवधान)...ये चालीस साल की बात करते हैं...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बिराजिये। माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसको छोड़िये आठ साल की बात करिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : वो नहीं बना पा रहे हैं। और बाढ़ सहायता के नाम से दुनिया भर का करोड़ो रुपये का खर्चा बता रहे हैं और उन बांधों की नहरें सब खराब पड़ी हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उन अकर्मण्य मंत्री जी के लड़के भी इस वक्त आपकी पार्टी के सदस्य हैं। अगर जो अकर्मण्य मंत्री थे वहां से तो उन अकर्मण्य मंत्रीजी के पुत्र भी...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं तो आपके जैसे अकर्मण्य जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे थे?

श्री अनंग कुमार जैन : आप कर जाओ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप आठ साल की बात कीजिये। आप आठ साल का + + + और 40 साल की बात भूल जाइए। अगर आप इस धरती के ऊपर हैं तो उसमें आपके पिताजी और दादाजी ने भी कुछ न कुछ तो किया ही होगा। इसलिये बिना आपके पिताजी और दादाजी केआप कुछ नहीं कर सकते थे, आप आठ साल की बात कीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : जवाब तो सुनना ही पड़ेगा आपको मेरा। आप बोले जब हमने सुना। आपने विभिन्न प्रकार के चार्जेज लगाये, हमने कहीं एतराज नहीं किया।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : उस अकर्मण्यता का आंकलन उस वक्त कर लेते आप और जो पुराने माननीय सदस्य बैठे हुये हैं प्रथम पंक्ति में, यह सब 30-40 साल मिनिस्टर रहे हैं, वो उनके साथ मंत्री जी रहे हैं दस साल तक। तो उस वक्त यह बराबर उनको मंत्री बनाते रहे, उस वक्त तो नहीं सोचा आपने यह बात कि झालावाड़ जिले का विकास कहां गया, कोटा जिले का कहां गया, बारां का कहां गया। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि अकर्मण्य मंत्री बनाये तो आपने बनाये हैं, मैंने तो नहीं बनाये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोटा का औद्योगिकीकरण आपके टाइम में हुआ था हमारे टाइम में ?

श्री अनंग कुमार जैन : अकर्मण्य मंत्री का जवाब मैं तो देने से रहा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोटा में जितने बड़े उद्योग स्थापित किये आपके राज में सब बंद हो गये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अकर्मण्य रहोगे, अकर्मण्य रहोगे, आठ साल का + + +

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय तांबी जी बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या अकर्मण्य रहोगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह भी याद है कि नहीं, ऐसा एक बांध राजस्थान में बताओ कहीं, एक बांध नहीं बता सकते हो ऐसा कोई।

श्री सभापति : कल बतायेंगे, बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : दूसरा बांध छाती, तीसरा जंबली, चौथा बैदली, यह सारे बांध वह बता रहा हूं मैं आपको, बीसलपुर..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये ..... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : चार साल पहले आपका क्या वजन था आज क्या वजन हो गया देख लो.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सब हमने किया।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब तो बोरी-बिस्तर बांधो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां पर कुछ नहीं कर सके।

श्री रामस्वरूप मीणा : बांध नहीं, बोरी-बिस्तर बांधो, तीन महीने और है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पब्लिक ने सबक सिखा दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये, आप बिराजिये, आप भी बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : पिछले लोकसभा चुनाव में आठ साल में आपने क्या किया, जनता ने क्या नतीजा दिया? 18-19 सीटों पर क्यों हारे हैं (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : गायब हो जाओगे यहां से, कोई नजर नहीं आयेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें, तांबीजी बिराजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : जो घोषणाएं की थीं, क्या हुआ उनका?

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य, आप भी बिराजें, शांति बनाये रखें। पहले उत्तर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, यह जवाब दे रहे हैं, + + +

श्री अनंग कुमार जैन : मैंने क्या गलत बोला?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + +

श्री सभापति : बिराजिए आप, इस तरह से नहीं बोल सकते आप, बिराजिये आप लोग ..... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री राम प्रताप कासनियां : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शिवचरण जी माथुर की घोषणा का क्या हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बताऊं क्या, बताऊँ, खोलूं इसको?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + +, बात करते हो।

श्री मदन दिलावर : माननीय लक्ष्मण सिंहजी से कहिए कि वे अपने शब्द वापस लें।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये, शांति कुमार जी धारीवाल बिराजिये। रामस्वरूपजी, बैठ जाइए, उधर के भी बैठ गये, आप भी बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय, अपनी विवादास्पद बातों में मत उलझो और सीधा-साधा जवाब दे दो जो सबके गले उतर जाये।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब, शांति रखे, अहारीजी शांति। अब जवाब देने नहीं देते, बिराजिये, शांति कुमारजी, बिराजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, बुलाया आपने ?

श्री सभापति : बिठाया है, बिठाया, बैठ जाइए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनको बिठाओ साहब फिर।

श्री सभापति : दोनों तरफ के माननीय सदस्यगण आसन को संबोधित करें और शांति से बिराजें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, इसीलिये मैं अपने विभाग के बारे में बात करने लगा तो मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था कि अति विनम्र शब्दों में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग है इसको आप संवेदनशील होकर सुने और संवेदनशीलता से देखें। इसको पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी., इर्रिगेशन के विभाग के हिसाब से नहीं देखे, इसीलिये मैंने निवेदन किया था और जहां चुने हुये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास करवाये जा रहे हैं। अभी चर्चा सभी तरह की माननीय सदस्यों ने की, बहुत उपयोगी चर्चा की,कहीं के सरपंच के बारे में कहा कि यहां काम ठीक नहीं हो रहा है, फिर दूसरा आपने यह भी कहा कि चुनी हुई संस्थाओं के अधिकार बढ़ाये जाने चाहिए। फिर आपने कहा कि कलक्टर डी.आर.डी.ए. का चैयरमैन होता है लेकिन जनप्रतिनिधियों की वकत नहीं होती है, फिर दो मैम्बरों ने यह भी कहा कि कलक्टर के और अधिकार बढ़ा दिये जाने चाहिये। 10 लाख की बजाय 15 लाख की पावर दे देनी चाहिये। माननीय सभापति महोदया, मैं तो इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास का असंतुलन था, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, उसको बराबर करने के लिये और ग्रामीण क्षेत्र में जहां 75 प्रतिशत जनता राजस्थान प्रदेश की रहती है, वह विकास की मुख्य धारा से जुड़े। अब इसमें थोडी सी नाराजगी आपको इस बात पर हुई कि मैंने 40 साल का जिक्र कर दिया तो वह मैं बंद कर देता हूं, मैं सीधा ही बोल देता हूं, इससे तकलीफ हुई आपको। माननीय सभापति महोदय, अगर 40 साल और 10 साल का फर्क है....

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, क्यों विघ्न डालते हैं आप बार-बार

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : + + +

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : वह तो सुखाड़िया साहब के जमाने से ही याद आते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : समय का भी ध्यान रखो, अब बोलने तो देते नहीं माननीय सदस्य मंत्री जी को, माननीय धारीवालजी आप बिराज जाइए एक बार, नहीं मैं आपको इजाजत नहीं दे रही, तांबीजी, नहीं मैं इजाजत नहीं दे रही। इंटरप्ट नहीं करिए, बोलने दीजिए आप, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बैठिए आप, सुनिए, इंटरप्त नहीं करिए, आपका सवाल होगा तो सवाल का जवाब मिलेगा, बैठिए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदया, आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए कि वह + + + बातें नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पाइंट आफ इन्फोरमेशन है।

श्री सभापति : कोई पाइंट आफ इन्फोरमेशन नहीं है, मंत्रीजी का वक्तव्य चल रहा है, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे मौका तो दें, साहब।

श्री सभापति : नो, नो पाइंट आफ इन्फोरमेशन। आसन पैरों पर हैं, बिराजिए। आसन पैरों पर है माननीय शांति कुमार धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पाइंट आफ इन्फोरमेशन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट ऑफ आर्डर, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : नो पाइंट ऑफ आर्डर, बिराजिए, आप बिराजिये आसन पैरों पर हैं, आप गरिमा जानते हैं, बिराजिये।

श्रीमती कमला : इसे जल्दी समाप्त करवाइए साहब।

श्री सभापति : कैसे करें जल्दी समाप्त। माननीय वरिष्ठ सदस्या, आपके पीछे वालों पर कोई कंट्रोल नहीं। शालीनता से देंगे, शालीनता से।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, जो इस वक्त योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चल रही हैं उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, पहली जो हंड्रेड परसेन्ट स्टेट बजट से योजनाएं चलाई जाती हैं तीस जिला तीस काम, अनटाइड फंड, अपना गांव अपना काम योजना, रूलर ग्रोथ सेंटर डाग एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, मैसिव योजना, मेवाड़ योजना कम्युनिटी लिफ्ट फोर इर्रिगेशन, यह सारी योजनाएं माननीय सभापति महोदया, राज्य सरकार के बजट से चलाई जा रही है। इसमें चार योजनाएं—

श्री हीरालाल विश्नोई : कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब।

श्री सभापति : ध्यान रखो सब समझ में आयेगा। भाषा अब सांचौर की तो बोलेंगे नहीं।

श्री अनंग कुमार जैन : पिछले दो वर्ष में चार योजनाएं नई प्रारम्भ की गई जिनके माध्यम से इनका पैसा भी ग्रामीण विकास के लिये खर्च किया जायेगा। उसके अलावा दस योजनाएं हैं जो राजस्थान और केन्द्र सरकार दोनों के बजट से संचालित होती है। जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, यूनियन वैल्थ स्कीम, एम्प्लोयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, गंगा कल्याण योजना इंटिग्रेटेड रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग टु रूरल यूथ फोर सैल्फ एम्प्लायमेंट, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, बायो गैस योजना, बांडेड लेबर स्कीम। यह सारी योजनाएं केन्द्र सरकार और राजस्थान

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(239)

(श्री अनंग कुमार जैन)

सरकार के ज्वाइंट फंड से चलती है। माननीय सभापति महोदया, चार योजनाएं ऐसी हैं जो शुद्ध रूप से केन्द्र सरकार द्वारा हमको जो पैसा भेजा जाता है, उनके माध्यम से चलाई जाती है। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम, बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, एम.पी.लोकल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, बेस्ट लैण्ड डवलपमेंट प्रोग्राम्। माननीय सभापति महोदया, यहां दो योजनाओंके बारे में विशेष रूप से जिक्र किया गया एक तो इन्दिरा आवास के बारे में और दूसरा आश्वासित रोजगार योजना के बारे में। माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये, उनको मैंने गंभीरता से लिया और उसमें जो भी आपने कमियां बताई हैं उसके लिये तो राज्य सरकार और विभाग अपने स्तर पर विचार करेगा लेकिन इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, जैसे-जैसे इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को कमी नजर आई उसके आधार पर उसमें समय-समय पर सुधार किया गया। एक समय था जब यह इकट्ठी 8, 10, 15 की संख्या में बनायी जाती थीं लेकिन वह योजना सक्सेसफुल नहीं हुई उसके बाद फिर दूसरी योजना लागू की गई।

अब वर्तमान में इन्दिरा आवास योजना के लिये 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में 22 हजार रुपये दिया जाता है। शुरुआत में इसमें 8 हजार रुपये दिये जाते थे लेकिन जिस प्रकार कास्ट बढ़ी उस हिसाब से राज्य सरकार ने इसके अन्दर पैसे की बढ़ोतरी की और पैसे की बढ़ौत्तरी करके इस योजना में एक और परिवर्तन किया। जो व्यक्ति स्वयं मकान बनाना चाहता है तो सीधा पैसा उसको ही दिया गया, इसमें कहीं दूसरों को बीच में इंटरमीडिएट नहीं रखा गया। जो व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है तो उसी के नाम से चैक दिया जाता है उसको सीधा पैसा दिया गया। इस योजना के माध्यम से अधिकांश मकान बने और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा सामने आया। अब माननीय सदस्यों का कहना था कि इसके अन्दर बहुत भ्रष्टाचार होता है तो जो-जो स्टेज पर हमको पता चलता है, हमने स्टेज में इम्प्रूवमेंट किया। मैं तो माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज तक क्यों नहीं दिया कोई सुझाव, लेकिन आज के बाद भी आप मुझे कोई सुझाव देंगेकि इस योजना में यह परिवर्तन करके भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि उस सुझाव के ऊपर भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा और आपके सुझावों के ऊपर क्योंकि जो पैसा ग्रामीण क्षेत्र और इसमें अधिकांश वह लोग लाभान्वित होते हैं, आई.आर.डी.पी. जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, इन्दिरा आवास योजना में उसी को दिया जाता है जो उसके अन्दर होता है, बी.पी.एल. सर्वे में, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वास्तव में आप और हम मिलकर यदि इन योजनाओं के अन्दर भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकें तो निश्चित रूप से वह हमारी एक उपलब्धि होगी तो आप सुझाव दे दीजिये। मैंने आज भी आपको निवेदन किया था उस वक्त जब आप बोल रहे थे। एक्स-टेम्पो, सब ने यह तो कहा कि इसमें भ्रष्टाचार होता है। मैं यह नहीं

(श्री अनंग कुमार जैन)

कहता इसके अन्दर एक परसेंट भी भ्रष्टाचार नहीं होता, कहीं न कहीं कमी, कोई न कोई गड़बड़ वह कर सकता है लेकिन जब-जब भी सरकार के सामने यह तथ्य लाये जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर सरकार जांच करवाती है और जांच करवाने के बाद कई अधिकारियों के खिलाफ हमने एफ.आई.आर. भी लॉज की है, कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है और उनको दण्डित भी किया है।

अब माननीय सभापति महोदया, दूसरी आश्वासित रोजगार योजना आपने बतायी। अब यह केन्द्र से जो हमको पैसा मिलता है और केन्द्र प्रवृत्तित जो योजनाएं हैं उनमें केन्द्र सरकार की जो गाइड लाइन हैं उन गाइड लाइन से हम पूर्ण रूप से बंधे हुये हैं जिसको माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। जो पैसा केन्द्र सरकार से आता है उसका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक हम वापस उनको नहीं भिजवा देते हैं तब तक वह हमारी नैक्स्ट किश्त रिलीज नहीं करते और यदि हमारा सर्टिफिकेट समय पर पहुंच जाता है तो हमको नैक्स्ट किश्त समय पर मिल जाती है तो वह पैसा सम्बन्धित पंचायत समितियों को डिस्बर्समेंट हो जाता है। यह इतनी आवश्यक बात है। अब सब कामों के लिये चुने हुये जो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सरपंच बनें और प्रधान बनें तो जब तक ये लोग उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम विधायकों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम इन योजनाओं के ऊपर कड़ी निगाह निगरानी रखें और उस निगाह के साथ....

श्री रामस्वरूप मीणा : एस.सी. के एक भी कलक्टर को राजस्थान में नहीं लगा रखा है और बातें करते हो दुनिया भर की। एक भी कलक्टर है क्या राजस्थान में कोई ?

श्री सभापति : बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : भेदभाव कर रहे हो इनके साथ।

श्री अनंग कुमार जैन : आपके बात तो समझ में आती नहीं है। (व्यवधान) साहब इनको दौरा आये तब मैं बैठ जाया करूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अनुसूचित जाति का और जनजाति का एक भी कलक्टर नहीं रख रखा।

श्री अनंग कुमार जैन : यह विषय कहां आ गया यहां ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बताओ आप।

श्री सभापति : बिराजिये, सिरोही कलक्टर अभी बदली होकर आये हैं वह एस.सी. के ही हैं, बिराजें, माननीय शांतीकुमार जी, बिराजिये, अभी जो सिरोही कलक्टर बदली होकर आये हैं न वह भी एस.सी के थे। एस.सी. के भी होते हैं, बिराजिये आप। यहां जातिवाद मत करिये, बैठिये।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय धारीवाल जी, मेरे यहां कलक्टर अनुसूचित जनजाति का, पी.डी. अनुसूचित जनजाति का, सी.ओ. अनुसूचित जनजाति का, सुपरिंटेंडेंट इंजिनियर, पी.एच.ई.डी. अनुसूचित जनजाति का, एक्स.ई.एन. इर्रिगेशन अनुसूचित जाति के तो

(श्री अनंग कुमार जैन)

इतने लोग लग रहे हैं, मेरे यहां तो, हुजूर और चाहो फिर आप ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप आसन की ओर मुखातिब होवें। यह प्रश्न इस चर्चा से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं है न साहब, फिर बाद में जिक्र करेंगे।

श्री सभापति : बिराजिये, रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जन जाति का तो मरवा दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : कुछ करो साहब, ये जोर से + + + हैं, माथा दुख रहा है।

श्री सभापति : कंक्लूड करिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अब सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1985-86 में इस विभाग का बजट कितना सा था और यह सरकार 1991 में बनी।

एक माननीय सदस्य : यह क्या है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या किया बी.के. मीणा के साथ।

श्री अनंग कुमार जैन : 1985-86 में इस विभाग का बजट इतना कम था। अब उपलब्धि अगर मान लीजिये इस सरकार ने की है तो उपलब्धि तो मुझे बतानी पड़ेगी, इसमें नाराज क्यों हो रहे हो? माननीय सभापति महोदया...

श्रीमती कमला : बजट की उपलब्धि नहीं, आपके बाद और भी गवर्नमेंट आयेगी और वह बड़ा बजट लायेगी, यह कोई उपलब्धि हुई क्या, यह तो भ्रम है, चलता रहेगा, इसमें क्या उपलब्धि है ?

श्री सभापति : आप इतनी समझदार वरिष्ठ सदस्या हैं, रखने दीजिये (व्यवधान)

(20.35 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया रामस्वरूप जी, व्यवधान नहीं, कृपया बिराजें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सब निवेदन करने का मतलब यह है कि यह सरकार बनी उसके बाद उसने योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ध्यान दिया। सवाल यह नहीं है कि आपके टाइम पर नहीं हुई लेकिन कौन सी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जिस प्रदेश के अन्दर 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और वह समय था जब यहां भी आपकी सरकार थी, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी और बड़ी पावरफुल गवर्नमेन्ट थी केन्द्र के अन्दर, उसके बावजूद भी 1985-86 से 90 तक आपके समय में क्या बजट रहा और 1990 के बाद चाहे केन्द्र में हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमान् शेखावत साहब ने अपने व्यक्तिगत

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिलोपित किया गया।

(श्री अनंग कुमार जैन)

प्रभाव का उपयोग करके, लगातार मानिटरिंगकरके इस बात की मन में एक टीस रखते हुये कि इस राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर केन्द्र सरकार से भी ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए, खर्च होना चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की कोई चिन्ता नहीं की कि अगर केन्द्र सरकार से हमको पैसा मिलेगा तो राज्य सरकार को भी उसमें एड करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात की चिन्ता नहीं की लेकिन लगातार इस बात की मानिटरिंग की, इस बात की कोशिश की कि केन्द्र सरकार से और प्रदेशों से ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार को मिले और वह पैसा सीधा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अन्दर लगे। अब यह तो आंकड़े हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको मैंने नहीं बनाया है इनके टाइम की किताब हमको मिली थी उसमें से 1985-90 के पढ़ दूंगा मैं और अभी की किताब जो हमने बनायी है उसमें पढूंगा तो अब ये इनकी किताब को ऑनर नहीं करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुन लीजिये साहब, सुन लीजिये। वह कम्पेरेटिव बात कह रहे हैं, आप सुनें तो सही।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1985-86 में इस विभाग का बजट था 63.58 करोड़ रुपये, ये कुल खर्च होते थे और बीच के फिगर छोड़ देता हूं मैं, 1996-97 में हमने 549.24 करोड़ इसमें खर्च किये। अब मैं यह नहीं कहता कि इसमें सारा पैसा राजस्थान सरकार का ही है लेकिन इनकी पार्टी की सरकार थी 5 साल में ये 63 करोड़ से 143 करोड़ रुपये ला सके और हमने 8 साल के अन्दर 63 करोड़ से 549 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आवाज नहीं, कृपया आवाज नहीं, थपथपाना एक दो बार ही बहुत पर्याप्त होता है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति का यह सोच था। यह सोच बना है कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसके बारे में कभी कांग्रेस पार्टी ने सोचा ही नहीं, जो रूटीन का पैसा खर्च होता था वह कर दिया करते थे जो यह उपलब्धियां हैं, और जो....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : ग्रामीण विकास कार्यक्रम इन्दिरा गांधी के जमाने में फुलफ्लेज्ड वे में चले, उन्हीं को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने कोई नया कार्यक्रम नहीं जोड़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके ग्रामीण विकास का सारा बजट सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, आपके सारे डवलपमेंट, आपके सारे प्लान, आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। आपका क्या हिस्सा है?

श्री अनंग कुमार जैन : मैं इनकी कोई बुराई ही नहीं करता। मैं तो कह रहा हूं कि विकास के काम....(व्यवधान) कौन मना कर रहा है? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : एन.आई.ई.पी., जी.एल.आर.ई.पी. ये दो योजनाएं भारत सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बो)

की कब चली, कितना रुपया आया, यह भी साथ बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : सातवीं योजना कांग्रेस की, आठवीं योजना कांग्रेस की इनका पार्ट आपको मिल रहा है, आप क्या पैदा कर रहे हैं मुझे बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को तो सुनना पड़ेगा न आपको, सुनिये। (व्यवधान) अब बिराजें। बिराजिए, थोड़ा और सुन लें। थोड़ा धैर्य रखें, साहब। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं इनके फायदे की बात करता हूं तो सुनते ही नहीं है और सरकार की बात करता हूं तो सुनने लग जाते हैं। मैंने अपने जवाब में प्रथम लाइन में यह कहा कि मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कांग्रेस के टाइम पर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं हुआ। लेकिन जो काम कांग्रेस के टाइम पर हुआ और 8-9 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जिसके मन में एक टीस थी कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान सरकार के बजट का, केन्द्र सरकार के बजट का ज्यादा हिस्सा खर्च होना चाहिए।

श्रीमती कमला : इन बातों से गांव में कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बार-बार नहीं, माननीय सदस्या।

श्री अनंग कुमार जैन : मैंने कब इन्कार किया आपसे। मैंने कभी यह इन्कार नहीं किया कि आपने काम नहीं किया लेकिन जितना काम किया है उतना ही तो बताऊँगा मैं और यदि आपसे कई गुना काम इस सरकार ने किया तो उसको भी मुझे बताना पड़ेगा और वह सुनने में आपको तकलीफ होती है। (व्यवधान) सुनो तो सही आप। जब हमने आपकी बातों को ध्यान से सुना है, आपके सुझावों को नोट किया है। आपके सुझावों को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया है तो सरकार ने जो कुछ अच्छे कार्य किये उनको भी सुनने की आप हिम्मत रखिये और उनको सुनिये। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपना जवाब पूर्ण कर देता हूं। माननीय सदस्यों ने एक बहुत बड़ी पीड़ा यहां रखी। डी.आर.डी.ए. का जो चेयरमैन होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, साहब सुनिये।

श्री अनंग कुमार जैन : आज जो डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन होता है वह चुने हुये जन-प्रतिनिधियों की परवाह नहीं करता है।

श्री शिवनाथ सिंह : गवर्निंग कौंसिल की नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष : मतलब एक ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, साहब, अलग है। गवर्निंग कौंसिल में सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं मोस्टली।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं साहब, अपने मेम्बर्स हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एम.एल.ए. हैं, एम.पी. हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्निंग कौंसिल में केवल एम.एल.ए. हैं, एम.पी. हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन कलक्टर होता है लेकिन डी.आर.डी.ए. की जो गवर्निंग कौंसिल और जनरल बॉडी है उसकी जब भी मीटिंग होती है और उसके आप सदस्यों की संख्या जोड़ें तो गवर्निंग कौंसिल में भी और जनरल बॉडी में भी मेजोरिटी चुने हुये जनप्रतिनिधियों की रहती है। अब विशेष रूप से दिक्कत कहां आती है और यह बिलकुल व्यवहारिक दिक्कत है। मैं खुद हो परता हूं क्योंकि मैंने भी डी.आर.डी.ए. की मीटिंगें अटेण्ड की हैं। पिछली बार, मैं दो बार विधायक रहा तो उस वक्त भी मैं जाता था विधायक की हैसियत से। यह सही है कि गवर्निंग कौंसिल के अन्दर जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वह हूबहू असेप्ट कर लिये जाते हैं। मेरे को, तीसरी बार में विधायक बना लेकिन किसी मीटिंग के अन्दर किसी जनप्रतिनिधि ने यह नहीं कहा कि साहब यह प्रस्ताव हमारी मर्जी के वगैर नहीं आया। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि जब तक हमारे सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख वाली बोडी सशक्त नहीं हो जाएगी तब तक माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी और अधिक बनती है। मैं अब भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गवर्निंग कौंसिल के अन्दर वहीं प्रस्ताव लिये जाते हैं जो वार्षिक कार्य योजना में होते हैं। अगर वार्षिक कार्य योजना के अलावा कोई प्रस्ताव लिया हैं और आप उसमें एग्री मत करिये। हमारा विभाग उसके अन्दर निश्चित रूप से एक्शन लेगा। जो व्यक्ति गलती करेगा चाहे वह कलक्टर हो या कितना ही बड़ा अधिकारी हो, he will be penalised. लेकिन आप मीटिंग में जाकर के यदि दस्तखत करके आ जाते हैं गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग के अन्दर जो प्रस्ताव आते हैं, तो उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि आपकी तो कंसेंट हो गयी वहां पर। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ अधिकारों का उपयोग हमको भी करना पड़ेगा। अब मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो माननीय सदस्य फिर नाराज होंगे। होता क्या है कि अधिकांश हमारे माननीय सदस्य भी कलक्टर और ये सारे अधिकारी बैठे रहते हैं वहां, बड़े प्रसन्न होकर के हां, हां, कलक्टर साहब इसको जल्दी से लो और अब आगे बढ़ाओ इस काम को। अब जब यह मानसिकता हमारे चुने हुये जनप्रतिनिधियों की रहेगी तो उस मानसिकता के अन्दर गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन तो पास करेगा ही करेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं भी विधायक रहा हूं और भी हमारे साथ हमारे जिले के थे, सब विधायक रहे हैं। लेकिन ज्यादातर यह होता है। आप एक बार साहस करिये जो जिले के तीन एम.एल.ए. हैं, नहीं एग्री करते हैं तो डीसेंटिंग नोट उसके ऊपर डालिये। प्रधान साहब से डीसेंटिंग नोट डलवाइये, जिला प्रमुख से डीसेंटिंग नोट डलवाइये और उसके बाद आप मुझे लिखकर दीजिये। मैं इमीजिएट एक्शन लूंगा। जो योजना हमने स्वीकृत भी कर दी है तो इसका काम भी तत्काल रुकवा दिया जाएगा। जब तक आपके डीसेंटिंग नोट का निर्णय नहीं हो

(श्री अनंग कुमार जैन)

जाएगा तब तक कलक्टर या चेयरमैन जो भी हो वह आगे भी काम नहीं करा सकता है। तो मैं, आपने जो पीड़ा व्यक्त की, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत व्यवहारिक बात है यह।

श्री अनंग कुमार जैन : सरकार आपकी जो वास्तविक पीड़ा है उसको निश्चित रूप से जानती है और इसलिये मैंने प्रथम बार में ही कहा था कि इस विभाग को आप को अति संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा। इसको आप पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी. इरिगेशन से कम्पेयर मत करिये। इसको आप वास्तविक धरातल के ऊपर जाकर देखिये कि क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं।

हम स्वयं मंजूर करते हैं कि आज हमारा सरपंच अनुसूचित जाति का, जनजाति का है। आप स्वयं कहते हो कि घूंघट निकालकर आते थे आज स्टेज पर बैठते हैं तो परिवर्तन आया है, निश्चित रूप से आया है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब की बार दुबारा या तिबारा के अन्दर हमारी सशक्त बोड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की आएगी। इसलिये महज यह कह देना कि चूंकि चुने हुये जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से काम नहीं कराया जाए, भ्रष्टाचार होता है, यह भी सत्य नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री महोदय, गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग होती...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले उत्तर आ जाने दीजिये। (व्यवधान) कृपया जवाब नहीं दें बीच में। आप अपनी बात कहिये, मंत्री महोदय, आप केवल मेरी तरफ देखेंगे और जवाब देंगें। जवाब दें पहले।

श्री अनंग कुमार जैन : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये थे उनके बारे में आपके माध्यम से सारी बातें मैंने निवेदन कीं। माननीय सदस्यों ने मेरी बात को सुना, कहीं-कहीं उनको नाराजगी भी लगी लेकिन इन सबके बावजूद भी मैं आज फिर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर इस विभाग के सम्बन्ध में कोई भी गलती या कोई भी कमी आपकी निगाह में आए, मेरे ध्यान में आप जरूर लाएं। निश्चित रूप से, वह चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो...। अब मैं आपसे कहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मानसिकता तो यह बनी हुई है कि आज भी जो मेम्बर बोले, वह यह बोले कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन, कोई नहीं बोला कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन, कलक्टर बांसवाड़ा या कलक्टर डूंगरपुर ने यह गलती की। डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन यह कर रहा है। मतलब आज भी आप कलक्टर को मुंह पर नहीं लाना चाहते हो। यह तो मानसिकता बनी हुई है। इस मानसिकता को भी हमको बदलना पड़ेगा। हम चुने हुये जन-प्रतिनिधि हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, समाप्त करिये।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चुने हुये जन-प्रतिनिधि हैं। हमको इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि कलक्टर तोप नहीं है। आपसे

(श्री अनंग कुमार जैन)

ऊपर नहीं है लेकिन आपको और हमको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मैं अपने आपको आपसे अलग नहीं कर रहा हूं। मैं सभी दलों के सदस्यों की स्थिति निवेदन कर रहा हूं। उस मानसिकता को बदलते हुये आप यदि गवर्निंग कौंसिल के ऊपर डीसेंटिंग नोट डालेंगे और वार्षिक कार्य योजना में यदि वह कार्य शामिल नहीं है तो निश्चित रूप से उस कार्य को रोका जाएगा। उसकी जांच करवायी जाएगी। और यदि कोई दोषी अधिकारी होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

एक बार पुनः माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिये उनके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करते हुये आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस मांग को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी मंत्री महोदय ने कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट रूप से जिला कलक्टर का नाम लिया है, एक बात, डरते नहीं हैं। हमने डीसेंटिंग नोट दिये हैं और जो आप कह रहे हो कि वार्षिक योजना के बाहर, मगर जहां वार्षिक योजना तैयार ही नहीं होती है, पिछले डेढ़ साल से कोई वार्षिक योजना झुंझुनूं जिले में तैयार ही नहीं हुई है, न ही कहीं गवर्निंग कौंसिल के सामने लायी गयी है, न ही कहीं गवर्निंग कौंसिल से वार्षिक योजना मंजूर की गयी है। उस हालत में आप यह कहकर टालना चाहते हो कि हम कलक्टर से दबते हैं, नहीं दबते हैं। दबते होते तो आपके सामने हम यह बात नहीं रखते।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : टालना नहीं चाहते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये आप इसका स्पष्ट वक्तव्य दें कि जो गवर्निग कौंसिल में मामला नहीं आए, उसमें आप क्या करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, वे दे रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका जवाब दे दूं। हां, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ दे दें। (व्यवधान) और सुन लें, और सुन लें। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : और तो कोई नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं। श्रीमती कमला। (व्यवधान) एक-दूसरे को शान्ति से सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : इतने में भूल जाएंगे वे सवालों को।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी से पहला सवाल तो यह पूछना चाहती हूं कि पंचायत, जो पंचायतराज का आधार है उसमें कितनी पंचायतों को आपने अभी तक सचिव नहीं दिये हैं और नहीं दिये हैं तो क्यों नहीं दिये, तथा कब तक दे देंगे? पहला सवाल तो मेरा यह है। दूसरा

(श्रीमती कमला)

सवाल यह है...(व्यवधान) बोलने दीजिए, क्या आप बहुत साहब बन रहे हो। (व्यवधान) पंचायत के लिये कह रही हूं, मैं। आप नहीं चाहते क्या, सचिव लगें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्यों बीच में खड़े हो गये।

श्री किशनाराम नाई : मुझको अधिकार है बोलने का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अधिकार है, अनाधिकार नहीं है। अधिकार है आपको।

श्रीमती कमला : इसलिये मैं आपसे यह जानना चाह रही हूं कि कितने सचिव लगाने अभी बाकी हैं, कब तक लगा लेंगे? दूसरा मेरा यह निवेदन है कि वर्षों पहले जो प्राथमिक शालाएं खुली थीं जहां अभी सिर्फ एक अध्यापक है या आपके कहे मुताबिक कि आपने डबल टीचर स्कूल कर दिया, लेकिन वहां है नहीं, डबल टीचर्स बिलकुल नहीं हैं। इसलिये कहीं दो की जरूरत है, कहीं तीन की जरूरत है, कहीं 4 की जरूरत है जहां दो-दो सौ बच्चे हो गये हैं। वह कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अतिरिक्त अध्यापकों की जरूरत है और आप उनकी पूर्ति कब तक कर देंगे? तीसरा मेरा सवाल यह है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, इतने सवालों का उत्तर कैसे आएगा।

श्रीमती कमला : नहीं, बहुत जरूरी सवाल है। आपने मुझे यह कहा है, सदन को यह कहा है कि हमने सब अधिकार दे रखे हैं। मैं उसके लिये आपसे यह पूछना चाहती हूं कि पी.एच.ई.डी. में किस स्तर के अधिकार और किस स्तर के अधिकारी, कर्मचारी पंचायती राज को दिये हैं।

आपने फोरेस्ट के किस स्तर के अधिकार और किस स्तर के अधिकारी दिये हैं? आपने पी.डब्ल्यू.डी. में किस स्तर के क्या अधिकार दिये हैं, बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। सारा डिटेल मत करिये आप।

श्रीमती कमला : उस शिड्यूल के मुताबिक...

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल। कृपया, बिराजिये। बिराजें।

श्रीमती कमला : आपने यह कहा कि हमने वह...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्रीमती कमला : आपने यह कहा कि हमने बहुत सारे काम किये। भ्रष्टाचार मिटाने की बहुत सारी चैष्टा की। मैं आपके प्रयासों की बहुत-बहुत प्रशंसा करती हूं लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे स्टेट के अन्दर पूरे खुले बोलबाले से फैला हुआ है, आप मुझे यह बताइए कि आपने किस प्रतिष्ठित और रिनाउण्ड एजेन्सी है, हमारे पंचायत राज में भारत सरकार का अरबों रुपया आ रहा है, आपका जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिये, इवेल्यूएशन के लिये आपने क्या व्यवस्था कर दी है?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये, भाषण नहीं, भाषण नहीं होगा।

श्रीमती कमला : उसका क्या परिणाम होगा?

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल।

श्रीमती कमला : सवाल है।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय एस.एस.ओ. मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि आपकी गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग बुलाने का अधिकार कलक्टर को है। जबकि आपकी हर तीन महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। उसमें उन कामों की सेंक्शन होती है, एप्रूवल होती है। आपके कलक्टर गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग छह-छह महीने और आठ-आठ महीने नहीं बुलाते। इसके सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो नियम पंचायतों के चुनाव, एक पंचायत और उसके खाली स्थान में छह महीने का प्रावधान है, पंचायत राज अधिनियम में। पंचायत राज मंत्रीजी आपको सम्बोधित कर रहा हूं....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हां, बोलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपके राजस्थान में ऐसे कितने पद हैं, पंचायतों के और जिला-परिषदों के और आपके....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, राजेन्द्रजी। भूमिका की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं-नहीं, भूमिका नहीं है। सीधा ही पूछ रहा हूं कि कितने पद खाली हैं, जो छह महीने से ज्यादा का समय हो गया, नम्बर-एक। नम्बर-दो, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत राज मंत्रीजी, सिन्धीपुरा पंचायत का गठन हुये लगभग दो साल हो गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर किसी तरह के चुनाव नहीं हुये....

श्री उपाध्यक्ष : आपने सवाल पूछ लिया?

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, और वहां पर कोई तरह के जो विकास के काम जो स्वीकृत हुये हैं, वे शुरु नहीं किये जा रहे हैं, वे क्यों नहीं किये जा रहे हैं, उसके बारे में जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराज जाएं। रामस्वरूपजी। कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो बात है।

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो खुद ही इम्पोर्टेंट हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरा तो मुख्य प्रश्न यह है कि राजस्थान की विधान सभा से आपने वहां पर सूचना भेज़ रखी है, कलक्टरों के पास कि आप जो भी मीटिंग रखें, वह सैटर-डे और संडे, इनमें रखें, अगर हमारे यहां वह कमेटी चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : वह कैन्सिल कर दी। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी जगह क्या किया है?

श्री उपाध्यक्ष : वह कैन्सिल कर दी, बिराज जाए आप। मंत्री महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी सवाल पूछना था।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे आज मौका भी नहीं मिला और सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक ताम्बी साहब का सवाल है। ताम्बी साहब का सवाल है। ताम्बी साहब का एक सवाल है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं पंचायत राज मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हमारी ग्रामीण शिक्षा की बात है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं। निवेदन नहीं करो। सवाल पूछो।

श्री रतनलाल ताम्बी : सवाल ही पूछूंगा साहब। ग्रामीण शिक्षा को शहरी शिक्षा के समकक्ष सुविधाएं और उसका उन्नयन करने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : एक।

श्री रतनलाल ताम्बी : दूसरा यह है कि धारा 38 जो पंचायत राज एक्ट की है, जिस तरह से स्वायत्त-शासन विभाग ने व्यवस्था की है, धारा 63 के अन्तर्गत, जांच को संयुक्त विधि परामर्शी के द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार, घोटाला या अनियमितता की जांच कराकर फिर विभाग उस पर निर्णय करे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसी व्यवस्था पंचायत राज में भी किये जाने के लिये मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत है।

श्री रतनलाल ताम्बी : तीसरा भ्रष्टाचार की जांच के लिये आज जो प्रकरण आते हैं, चाहे डी.आर.डी.ए. के, चाहे पंचायत राज के, आप उसी एजेन्सी को भेजते हैं जो उसमें लिप्त है, इसके लिये स्वतन्त्र एजेन्सी, स्वतन्त्र व्यवस्था, क्या हो सकती है, उसके बारे में राज्य सरकार का क्या इरादा है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराज जाएं। अब नहीं। ज्यादा नहीं। मंत्री महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक लास्ट सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आप बिराज जाएं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप इजाजत दे दें। सब विधायकों से जुड़ा लास्ट सवाल यह है कि राजस्थान में पांच-पांच लाख रुपया निर्बन्ध राशि और....

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ ही इतने सवालों का जवाब चने खाकर के नहीं दिया जा सकता है। कोई बादाम खाए हुये नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं पूछ रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश, गुजरात, हरियाणा पंजाब, वहां की सरकारें विधायकों की अनुशंसा पर, विकास

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कार्य की काफी आवश्यकताएं बढ़ गयीं, जनसंख्या बढ़ गयी....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, नो-नो। पूछ लिया। कमलाजी, वे स्वयं समझदार हैं। पूछ रहे हैं। आप बिराजिये। कृपया बैठिये। मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला : विधायकों का कोटा 30 लाख करेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, अब कृपया शांति से सुन लें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा कि छह-छह महीने, आठ-आठ महीने, तक गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग नहीं होती है। तो जहां-जहां नहीं हुई उसकी सारी इन्फोर्मेशन मंगाकर जहां इस तरह की गलती हुई है, उसकी कार्यवाही की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर तीन माह में, डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग हो जाए।

श्री परसादी लाल मीणा : बहुत बढ़िया।

श्री अनंग कुमार जैन : दूसरा, झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी झुन्झुनूं डी.आर.डी.ए. के बारे में काफी इर्रेगुलेरिटीज की बात की और राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की। इन दोनों डी.आर.डी.ए.एज. का दो माह के अन्दर-अन्दर स्पेशल आडिट करवा लिया जाएगा और स्पेशल उच्चाधिकारी यहां से भेजकर, जांच करवा कर जो तथ्य इन्होंने कहा है, अगर नियमों की अवहेलना उन्होंने की है तो उसमें रिपोर्ट मंगवा ली जाएगी और दोनों डी.आर.डी.एज. की जांच करने के लिये स्पेशली उच्चाधिकारी यहां से भेज दिया जाएगा, ताकि उसमें अगर कोई अनियमितता पायी गयी तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। अब यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायत मंत्री महोदय। कृपया....

श्री शिवनाथ सिंह : एक महीना करो।

श्री रामनारायण चौधरी : एक महीने में करिये।

श्री उपाध्यक्ष : जितना उत्तर वे दे सकते थे, दे दिया। पंचायत मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप अब सुनें।

श्री अनंग कुमार जैन : एक महीने तो आप यही रखोगे।

श्री रामनारायण डूडी : मैं भी केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मंत्रीजी को अवसर दे दिया, अब आप डी.आर.डी.ए. को, अभी ठहरिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या ने और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और अच्छा है कि ग्रामीण की शिक्षा, गांवों में स्कूल में एक-एक ही टीचर है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया वैसे। बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : विस्तार से नहीं, मैं जानकारी दे दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गांवों की स्कूल में अब तक जहां पर पचास विद्यार्थी थे, पांच टीचर लगा देते थे, जहां पर डेढ़ सौ होते थे, एक लगा देते थे, इसको रोकने के लिये, पहले हम पंचायती समिति वाइज टीचर देते थे, अब हमने स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर सीधे ही टीचर्स को देने की व्यवस्था की है। बी.डी.ओज. की जिम्मेदारी डाली है ताकि उतने ही टीचर्स वहां पर स्कूल में रहे, जितने छात्र हैं।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा तो हमको दे रखी है लेकिन एस.डी.आइज. कम है। डाइरेक्टर शिक्षा विभाग में तो, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, उसका पूरा सैक्रेटेरिएट, पूरा लवाजमा है। हमारे केवल पंचायत समिति में एस.डी.आई. और एक आफिसर जिला परिषद् का है। पिछले दिनों हमने शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक की और मेरा यह मानना है कि यदि पंचायत-राज विभाग को यह खाली प्राइमरी शिक्षा दी है तो इसके साथ-साथ ऊपर का जो पूरा का पूरा ढांचा है डाइरेक्टर सारे दूसरे अधिकारी, चैकिंग की, निगरानी का वह सिस्टम भी या तो दिया जाना चाहिए और नहीं तो यह भी लेकर के उनको दे दीजिये। दोनों में से एक व्यवस्था तो करिये। कोई न कोई एक व्यवस्था तो करिये। इसलिये इसके लिये हमने एक बैठक पिछली बार, शिक्षा विभाग और हमने बैठकर के इस पर विचार-विमर्श किया है कि इसकी क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके सुझाव मुझे दे दीजिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने एक बात कही है, गांवों में उन्नयन की, विकास कैसे हो? उसके लिये भी हमने, जैसे मैंने बताया था कि हमने पुलप्रूफ पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिये व्यवस्था की है और उसके साथ-साथ पंचायत राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिये भी प्रोत्साहन राशि तय की है। पूरे राजस्थान में तीन जिला परिषद् जो आएगी, फर्स्ट आएगी उसको आठ लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सैकिण्ड आएगी उसको पांच लाख रुपये, जिला-परिषद को और थर्ड आएगी उसको तीन लाख रुपये जिला-परिषद को दिये जाएंगे, प्रोत्साहन राशि के। इसी तरह एक सम्भाग में तीन पंचायत समिति जो बेस्ट आएगी, उनको पहली को पांच लाख रुपये, दूसरी को तीन लाख रुपये और तीसरी को दो लाख रुपये और एक जिले में तीन ग्राम पंचायतें जो अच्छा काम करेंगी, पहले नम्बर पर आने वाली दो लाख रुपये, दूसरे नम्बर पर एक लाख रुपये और तीसरे नम्बर पर आने वाली को पचास हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा। इसलिये उसको एक प्रोत्साहन राशि भी कि हम दण्ड के साथ-साथ प्रोत्साहन भी करें, यह व्यवस्था भी की जाएगी।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

एक आपने पूछा है कि यह क्या कार्यवाही कर रहे हैं, सब कुछ ? यह किया है हमने स्पेशल आडिट, कोई एजेन्सी से करवाएंगे क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जितनी भी सार्वजनिक सम्पत्तियों के विकास का जो काम गांवों में हुआ है, सार्वजनिक काम और इण्डिविजुअल बेनेफिशिरीज, उन दोनों का सोशल आडिट करवाया है। इण्डिविजुअल बेनेफिशिएरीज का कितने लोगों को गांवों में लाभ मिला और सार्वजनिक कार्य क्या हुये, इस तरह के प्रकरणों की जांच करवाकर कुल हमारे पास नौ हजार प्रकरण पूरे राजस्थान के अन्दर सामने आए हैं।

जिनकी जांच करवाकर सारे जिलों में, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक उनकी कार्यवाही जारी है। अब तक उन आक्षेपों में से 2,834, लगभग तीन हजार आक्षेपों का तो निराकरण कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह कार्यवाही की है।

(21.00 बजे)

जहां तक सिन्धिपुरा का मामला है, हमने बार्डों के पुनर्गठन के लिये कलक्टर को आदेश दे दिए हैं और जहां पर जो स्थान खाली बचे हैं, हमने चार-पांच चिट्ठियां राज्य निर्वाचन आयोग को लिखी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य के खाली पद हैं, हम उनके निर्वाचन के लिये 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, उन सबके चुनाव कराने के आदेश दे रहे हैं।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,64,81,000/- (एक अरब पिच्यासी करोड़ चौसठ लाख इक्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,58,88,00,000/- (एक अरब अट्ठावन करोड़ अट्ठयासी लाख) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही गुरुवार, 23 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.02 बजे गुरुवार, 23 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-208 का विवरण)

आय-विवरण

अवधि		आय (रुपयों में)
30.11.95 से 31.3.97	–	9,02,058.00
1.4.97 से 31.3.98	–	27,81,932.00
1.4.98 से 30.6.98	–	5,54,442.00
योग		42,38,432.00

व्यय विवरण

			व्यय (रुपयों में)
1.	30.11.95 से 31.3.97 कुल व्यय		3,94,459.00
	एक्सरे फिल्म क्रय की गई		3,90,429.00
	एक्सरे मशीन की मरम्मत पर व्यय		2,550.00
	(प्रिंटीग) रसीद बुक मुद्रण करवाई		1,480.00
	योग		1,3,94,459.00
2.	1.4.97 से 31.3.98 कुल व्यय		26,52,535.00
	एक्सरे फिल्म	—	4,22,124.00
	एक्सरे मशीन क्रय	—	2,25,000.00
	सोनोग्राफी मशीन क्रय	—	5,75,000.00
	एक्सरे उपकरण एवं औजार	—	2,10,232.00
	एक्सरे मशीन मरम्मत	—	2,704.00
	2 सोनोग्राफी प्रिंटर क्रय	—	86,000.00
	पेपररोल/सोनोग्राफी जैली	—	32,945.00
	फिक्सर एवं डवलोपर	—	7,960.00

मुद्रण	—	46,700.00
फर्नीचर	—	14,784.00
कार्यालय व्यय	—	11,886.00

सार्वजनिक विभाग को निम्न कार्य हेतु हस्तांतरित किया

1. लाइफ लाईन स्टोर बनवाने हेतु	18,200.00
2. एक्सरे एवं सोनोग्राफी के रूम व्यवस्था	49,000.00
3. चिकित्सालय की चार दीवारी का निर्माण	2,50,000.00
4. 100 पंखे चिकित्सालय हेतु एवं वार्ड बनवाने	2,00,000.00
बैंक में एफ.डी.आर. (प्राकृतिक आपदा एवं सहायतार्थ)	5,00,000.00
योग II	26,52,535.00

3. 1.4.98 से 30.6.98 कुल व्यय — 3,56,455.00

उपकरण आदि पर व्यय	76,014.00
उपयोग में आने वाले सामान का क्रय (जैली/केमीकल्स/पेपररोल आदि)	39,691.00
मुद्रण व्यय	21,350.00
कार्यालय व्यय	7039.00
उपकरणों की मरम्मत (एक्सरे मशीन)	2,250.00
एक्सरे फिल्म	1,60,111.00
लाईफ लाईन स्टोर के खाते में हस्तांतरित	50,000.00
योग III	3,56,455.00

महायोग : I + II + III = 34.03.449.00

परिशिष्ट-2
(तारांकित प्रश्न संख्या-210 का विवरण)

परिशिष्ट-1

जन सेवा मण्डल पहुंना के वर्तमान सदस्यों के नाम व पते की सूची

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद	पता
1.	श्री रामस्वरूप अजमेरा	अध्यक्ष	द्वारा जनसेवा मण्डल,मु.पो.पहुंना तहसील-राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2.	श्री मनोहरलाल नाहर	उपाध्यक्ष	
3.	श्री मूलचन्द सोनी	मंत्री	मु.पो. ग्राम-आरणी तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
4.	श्री माधवलाल भारती	कोषाध्यक्ष	मु.पो.ग्राम ऊँचा, तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
5.	श्री पारस नाथ सिंह	सदस्य	द्वारा चित्तौड़ जिला ग्रामोद्योग संघ, स्टेशन रोड कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
6.	श्री जीतमल कच्छारा	सदस्य	दयाल शाह किला रोड, राजसमंद
7.	श्री पुखराज जैन सदस्य		द्वारा खादी ग्रामो. विकास मण्डल मु.पो. देवगढ़ तहसील-देवगढ़ जिला राजसमंद (राजस्थान)
8.	श्री शफीमोहम्मद छीपा	सदस्य	द्वारा जनसेवा मण्डल पहुंना मु.पो. पहुंना तहसील राश्मी जिला-चित्तौड़
9.	श्री छोगा लाल बुनकर	सदस्य	मु.पो. ग्राम मरमी, तहसील राश्मी जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
10.	श्रीमती पुष्पादेवी शर्मा	सदस्य	द्वारा जनसेवा मण्डल, मु.पो. पहुंना तहसील राश्मी, जिला-चित्तौड़गढ़।

परिशिष्ट-2

जन सेवा मण्डल का गत 10 वर्षों का आय-व्यय विवरण व अनुदान का विवरण निम्नानुसार है: —

क्रमांक	वर्ष	आय	व्यय	लाभ	हानि	भुगतान किया गया अनुदान
1.	87-88	2.70	2.23	0.47	–	–
2.	88-89	2.18	1.77	0.41	–	–
3.	89-90	2.28	1.59	0.69	–	0.23
4.	90-91	1.95	1.72	0.23	–	–
5.	91-92	1.71	1.50	0.21	–	–
6.	92-93	1.82	1.57	0.25	–	–
7.	93-94	2.35	1.90	0.45	–	–
8.	94-95	2.88	2.25	0.63	–	–
9.	95-96	4.27	2.69	1.58	–	–
10.	96-97	4.28	2.47	1.81	–	–

परिशिष्ट-3

जन सेवा मण्डल पहुंना की चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है: —

क्रमांक	चल सम्पत्ति	राशि (लाख रु. में)	क्रमांक	अचल सम्पत्ति	राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मोटर	0.05	1.	कृषि भूमि	0.08
2.	मशीनरी	1.43	2.	कुई निर्माण	0.02
3.	फर्नीचर	2.92	3.	भवन गोदाम बुनकर शैड	20.96

Page No. 257

(257)

1	2	3	4	5	6
4.	उपकरण	0.25	4.	नल एवं बिजली	0.18
5.	रेडियो एवं टी.वी.	0.06	5.	अम्बर प्रशिक्षणालय	1.03
6.	ट्रक आर.जे.एस. 4511	1.55	6.	दुकान	0.54
7.	मोबाईल वाहन 09 जी 30	3.01	7.	ट्यूब वैल	0.14
8.	छहताकू अम्बर	0.23			
9.	साहित्य	0.05			
10.	स्टोर सामान	1.86			
11.	ताम्बा कडाह	0.09			

परिशिष्ट-4

जनसेवा मण्डल की लेनदारिया एवं देनदारियां की सूचना

क्रमांक		लेनदारियां (लाख रुपयों में)	देनदारियां (लाख रुपयों में)
1.	प्रान्तीय	22.96	6.47
2.	पर प्रान्तीय	9.43	16.51
3.	सरकारी विभाग	5.15	–
4.	अन्य	2.65	2.00
	कुल	40.19	14.98

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-212 का विवरण)

		चीनी (मात्रा मै. टनों में)		कैरोसीन (मात्रा कि.ली.)		गेहूं (मात्रा मै. टनों में)	
क्र.सं.	नाम माह	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव	आवंटन	उठाव
1.	जनवरी, 98	928.4	928.4	1950	1950	6172.0	5438.9
2.	फरवरी, 98	928.4	928.4	2348	2348		
3.	मार्च, 98	928.4	928.4	1950	1950	5672.0	5182.4
4.	अप्रेल, 98	928.4	928.4	2356	2356		
5.	मई, 98	928.4	928.4	2356	2344	3352.0	2760.5
6.	जून, 98	927.0	927.0	2406	2406		

नोट : — गेहूं का आवंटन दो माह का एक साथ किया जाता है।

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मत्स्य अभिकरण के कर्मियों का समायोजन

214. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मत्स्य अभिकरण का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं उसमें किस-किस जिले में कितने-कितने कर्मचारियों व नियुक्ति की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मत्स्य अभिकरण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य निर्धारित किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अभिकरण को सौंपे गये कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से काम कितने-कितने प्रतिशत शेष रहे एवं अब सरकार इन्हें कब तक पूरा कराये जाने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अभिकरण को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? क्या सरकार उक्त अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन अन्य विभागों में करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 15 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का गठन अलग-अलग वर्षों में किया गया था। राज्य में अभिकरणों का गठन एव उनमें नियुक्त किये गये कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट एक पर दर्शाया गया है।

(2) राज्य में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजनानुसार निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये थे: —

1. मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पहचान करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों को जलाशय आवंटन करना।

3. जलाश्यों का जिर्णोद्धार/नवीनीकरण करना।

4. निजि भूमि/सिपेज से अनुपयोगी भूमि में सर्वेक्षण पश्चात् जलाश्यों को निर्माण में सहायता देना।

5. उन्नत तकनीक का प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन करना।

6. कृषकों के लिए इनपुट, खाद, मत्स्य बीज आदि उपलब्ध कराना।

7. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ कृषकों को देना।

8. वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराना आदि।

(राज्य मंत्री, मत्स्य)

(3) जी नहीं। जिन कार्यों के लिए इन मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का गठन किया गया था उन कार्यों को पूरा करने में यह अभिकरणें असफल रही। अभिकरणों द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्यों में औसतन 46.37 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रही जबकि जल क्षेत्र आवंटन के 67.56 प्रतिशत लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी रही। अभिकरण वार लक्ष्यों की उपलब्धि व शेष रहे लक्ष्यों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट दो पर दर्शायी गयी है।

शेष रहे लक्ष्यों की पूर्ति अब विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) जी हां।

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 5 (20) पपा/97 पार्ट दिनांक 15-5-98 द्वारा राज्य में कार्यरत मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को उनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

जी हां। इन अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को जिला कलेक्टरों द्वारा जिले में स्थित जलाग्रामीण विकास अभिकरणों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में समायोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

परिशिष्ट-1

प्रदेश में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के स्तर से नियुक्त कर्मचारियों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	अभिकरण का स्थापना वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों के नाम/पदनाम	नियुक्ति दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1977-78	9	1. श्री फतेह सिंह चौधरी, कलि.	11.4.80	
				2. श्री याद राम शर्मा, कनि.	15.4.80	
				3. श्री सुनील कुमार, वाहन चालक	19.7.83	
				4. श्री रामदेव, चश्रे. कर्मचारी	11.11.78	
				5. श्री जयसिंह, चश्रे. कर्मचारी	1.12.78	
				6. श्री सोहन सिंह, मत्स्य पालक	1.4.83	
				7. श्री इसबगनी, मत्स्य पालक	11.12.85	

1	2	3	4	5	6	7
				8. श्री मोहनलाल, मत्स्य पालक	22.2.86	
				9. श्री प्रभुदयाल छाबडी, म.पालक	16.3.94	
2.	अलवर	1985-86	4	1. श्री दिलिप कुमार, कलि.	7.2.86	
				2. श्री ललित सिंह, वाहन चालक	8.9.87	
				3. श्री बाबूलाल, च.श्रे.क.	20.12.86	
				4. श्री महेश चन्द्र, मत्स्य पालक	8.9.87	
3.	बांसवाड़ा	1988-89	3	1. श्री दीपक जोशी, वलि.	2.7.93	
				2. श्री दिनेश चन्द्र मोई, कलि.	2.7.93	
				3. श्री गुलाब यादव, मत्स्य पालक	2.7.93	
4.	भरतपुर	1991-92	1	1. श्री शिवशंकर, मत्स्य पालक	13.10.95	
5.	भीलवाड़ा	1976-77	11	1. श्री डमरी लाल बडोला, कलि.	19.6.76	
				2. श्री रतन लाल, वा.चा.	11.7.85	
				3. श्री नरपत सिंह, च.श्रे.क.	15.10.79	
				4. श्री गोपाललाल, च.श्रे.क.	6.9.76	
				5. श्री लक्ष्मणलाल रेगर, म.पा.	1.7.85	
				6. श्री देवालाल, मत्स्य पालक	3.5.78	
				7. श्री छुट्टन लाल मीणा, म.पा.	13.7.94	
				8. श्री खेमराज मीणा, म.पा.	3.9.85	
				9. श्री हरिकिशन, म.पा.	12.7.93	
				10. श्री किशन नायक, म.पा.	12.7.94	
				11. श्री अब्दुल कलाम, म.पा.	19.3.82	
6.	चित्तौड़गढ़	1993-94	–	(कोई नियुक्ति नहीं हुई)	—	
7.	डूंगरपुर	1988-89	4	1. श्री ताराचंद, कनिष्ठ लिपिक	19.6.93	
				2. श्री धुलेश्वर मीणा, वा.चा.	7.7.95	
				3. श्री सत्यनारायण सैनी, म.पा.	19.6.93	

Page No. 262

(262)

1	2	3	4	5	6	7
				4. श्री राजेन्द्र कुमार, म.पा.	19.6.93	
				5. श्री अरविन्द कुमार, म.पा.	18.9.93	
				नोट—क्रम सं. 4 राजेन्द्र कुमार को भरतपुर स्थानान्तरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री अरविन्द कुमार को दिनांक 18.9.93 को म.पा. के पद पर नियुक्त किया गया।		
8.	गंगानगर/ हनुमानगढ़	1993-94	निल	निल (कोई नियुक्ति नहीं हुई)	निल	
9.	जयपुर	1985-86	3	1. श्री नेम सिंह, मत्स्य पालक	7.8.93	
				2. श्री मंगला राम, मत्स्य पालक	13.10.95	
				3. श्री लक्ष्मीनारायण वाहन-चालक	1.7.87	
				नोट—क्रम सं. 1 अलवर से दिनांक 2-8-94 को स्थानान्तरित होकर आये। क्रम सं. 2 दिनांक 3-9-97 को स्थानान्तरित होकर आये। एवं क्रम संख्या 3 दैनिक श्रमिक वाहन चालक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय 26-2-96 के अनुसार पुनः दैनिक श्रमिक वाहन चालक रखा गया।		
10.	झालावाड़	1988-89	1	श्री ओम प्रकाश, मत्स्य पालक	25.9.93	
11.	कोटा	1991-92	2	1. श्री राधेश्याम, वाहन चालक	29.3.93	
				2. श्री गोपीचन्द, मत्स्य पालक	13.6.93	
12.	पाली	1993-94	–	कोई नियुक्ति नहीं हुई	निल	
13.	सवाईमाधोपुर	1990-91	5	1. श्री सुरेन्द्र कुमार, क.लि.	2.1.97	
				2. श्री जितेन्द्र सिंह, वा.चा.	21.1.94	
				3. श्री हीरालाल, च.श्रे.क.	2.1.97	

1	2	3	4	5	6	7
				4. श्री शंकरलाल, मत्स्य पालक	27.8.93	
				5. श्री भरतलाल, मत्स्य पचालक	27.8.93	
14.	टौंक	1978-79	10	1. श्री रामदयाल, च.श्रे.क.	1.4.79	
				श्री रामदयाल क.लि.	26.4.80	
				श्री रामदयाल व.लि.	6.2.92	
				2. श्री सरफ सिंह, मत्स्य पालक	29.8.83	
				श्री सरफ सिंह, क.लि.	1.3.93	
				3. श्री रहुफ, मत्स्य पालक	1.4.78	
				4. श्री रणजीत सिंह, म.पा.	1.1.87	
				5. श्री रामसहाय, म. पालक	1.1.87	
				6. श्री लाडला, मत्स्य पालक	5.2.87	
				7. श्री मिश्रीलाल, मत्स्य पालक	14.6.85	
				8. श्री शम्भू दयाल, च.श्रे.क.	14.7.78	
				9. श्री रामअवतार, च.श्रे.क.	1.7.87	
				10. श्री कन्हैयालाल, मत्स्य पालक	30.7.78	
				श्री कन्हैयालाल, वाहन चालक	15.10.87	
15.	उदयपुर	1984-85	5	1. श्री बंशीलाल टेलर, व.लि.	7.10.88	
				2. श्री प्यारे लाल, क.लि.	1.11.93	
				3. श्री हरिसिंह महेरिया, म.पालक	1.8.87	
				4. श्री शान्तिलाल तेली, च.श्रे.क.	1.9.88	
				5. श्री मोहन लाल तेली, वा. चालक	1.11.93	

(264)

परिशिष्ट-2

योजना के प्रारम्भ से मत्स्य पालक विकास अभिकरण समाप्ति तक-अभिकरण द्वारा निर्धारित कार्यों की उपलब्धि व कमी का विवरण

क्र. सं.	अभिकरण के जिले	कृषकों की पहचान कर प्रशिक्षण देना (संख्या)			प्रशिक्षित कृषकों को जलाशय आवंटन (संख्या)		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि	कमी %	लक्ष्य (सख्या)	उपलब्धि	कमी %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	1900	826	56.53	1900	429	77.42
2.	अलवर	1235	504	59.19	1235	425	65.59
3.	बांसवाड़ा	950	698	26.53	950	223	76.53
4.	भरतपुर	665	403	39.40	665	146	78.05
5.	भीलवाड़ा	2090	1173	43.88	2090	1077	48.47
6.	चित्तौड़गढ़	475	292	38.53	475	240	43.47
7.	डूंगरपुर	950	613	35.47	950	177	81.37
8.	गंगानगर/ हनुमानगढ़	475	127	73.26	475	16	96.63
9.	जयपुर	1235	837	32.23	1235	381	69.15
10.	झालावाड़	950	394	58.53	850	198	79.16
11.	कोटा	665	303	54.44	665	107	83.91
12.	पाली	475	313	34.11	475	216	54.53
13.	सवाईमाधोपुर	665	333	49.42	665	218	67.22
14.	टौंक	1900	926	51.26	1900	673	64.58
15.	उदयपुर	1235	735	40.49	1235	621	49.72
	योग	15865	8477	46.57	15865	5147	67.56

जिला सीकर का डार्क जोन प्रकरण

215. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले को "डार्क जोन" घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब से?

(2) डार्क जोन घोषित करने के पूर्व वर्षा का औसत क्या था और उसके पश्चात् क्या रहा?

(3) क्या डार्क जोन घोषित किये जाने के पश्चात् वर्षा के पानी से कुओं का जल स्तर बढ़ा है? यदि हां, तो कितना?

(4) क्या डार्क जोन घोषित करने के पश्चात् पुनः सर्वे करवाया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि "डार्क जोन" घोषित किये जाने से किसानों को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है?

(6) क्या डार्क जोन घोषित किये जाने के पश्चात् पुनः सर्वे करवाये जाने की जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन द्वारा भी मांग की गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिले के 15 पोटेन्शियल जोनों में से 12 डार्क जोन की श्रेणी में आ गये हैं एवं 2 को ग्रे व 1 व्हाईट श्रेणी में है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्ष 1990 से डार्क जोनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(2) पूर्व वर्षों का औसत परिशिष्ट "अ" पर संलग्न दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं। डार्क जोन घोषित होने के उपरान्त जिले के सभी पंचायत समितियों में भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट पाई गई है।

(4) जी हां। प्रत्येक जिले का भू-जल सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। नवीन आंकड़ों के आधार पर जिले का भू-जल पुनःमूल्यांकन वर्ष 1.1.98 को लिया गया है। भू जल पुनःमूल्यांकन प्रतिवेदन केन्द्रीय भूजल मण्डल की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद राज्य स्तरीय भू-जल आंकलन समिति के अनुमोदन पश्चात् स्थिति स्पष्ट होगी।

(5) जी हां। डार्क जोन घोषित क्षेत्र में स्प्रिंक्लर सेट, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एवं नालियों के निर्माण हेतु ऋण सुविधा यथावत् मिल रही है।

(6) जी हां। पुनः 1.1.98 को सर्वे कराकर प्रतिवेदन केन्द्रीय भू-जल मण्डल की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात् राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति द्वारा अनुमोदित होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

परिशिष्ट-अ

विभिन्न भू-जल मूल्यांकन वर्षों में सीकर जिले में पोटेन्शियल जोनों का वर्गीकरण

मूल्यांकन वर्ष	सीकर जिले में कुल पोटेन्शियल जोन्स	पोटेन्शियल जोन्स का वर्गीकरण		
		व्हाइट	ग्रे	डार्क
मार्च, 1984	16	13	1	2
जून, 1988	12	6	2	4
1.1.1990	27	5	6	16
1.1.1992	15	4	–	11
1.1.1993	15	2	1	12
1.1.1995	15	1	2	12

चामुण्डा मन्दिर, पैंघोर (कुम्हेर) की देखरेख

216. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या देवस्थान राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या तहसील कुम्हेर के ग्राम पैंघोर में स्थित चामुण्डा मंदिर के मेले व अन्य प्रबन्ध हेतु तहसीलदार कुम्हेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह समिति कार्य कर रही है?

(2) क्या वर्तमान में उक्त मंदिर की देखरेख सरकार द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में उक्त समिति कार्य नहीं कर रही है। क्योंकि कि उक्त समिति के मात्र 3 सदस्य ही जीवित है।

(2) जी नहीं, ग्राम पैंघोर स्थित चामुण्डा जी का मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है।

श्रीगंगानगर में खालों का कीमत प्रकरण

217. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले के काश्तकारों के खालों की कीमतों की वसूली को माफ करने के उपरान्त भी सरकार द्वारा किसानों की फसलों को कुर्क करने के नोटिस दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(2) क्या सरकार जिन अधिकारियों वसूली माफ करने के बावजूद भी कार्यवाही की है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। खालों के निर्माण के लिए राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से काश्तकारों को उपलब्ध कराये गये ऋणों की वसूली को राज्य सरकार द्वारा स्थगित किया गया है तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि इन ऋणों का भुगतान राज्य सरकार अपने स्तर पर बैंकों को करेगी। कुल 11 बैंकों में से 6 बैंकों के साथ समझौते हो चुके हैं तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। शेष 5 बैंकों से शीघ्र ही समझौता कर काश्तकारों द्वारा इन बैंकों को देय राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2) कुछ काश्तकारों द्वारा खालों के निर्माण के लिए बैंकों से सीधे ही ऋण प्राप्त किये गये थे। इन ऋणों पर राज्य सरकार की प्रत्याभूति नहीं थी तथा इन ऋणों की वसूली को स्थगित नहीं किया गया था। अतः बैंकों द्वारा राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाइयां निवारण) अधिनियम, 1974 (रोडा एक्ट) के तहत वसूली की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन ऋणों का पुनर्भुगतान राज्य सरकार करेगी तथा माननीय उप मुख्य मंत्री (वित्त) के वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई है कि किसानों को राहत देने हेतु राज्य सरकार ने बैंकों से चुकारे बाबत समझौते के आधार पर राज्य सहायता देकर प्रकरण को निबटाने का निर्णय लिया है। सम्बन्धित बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि इन ऋणों की वसूली हेतु की जा रही कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। जो ऋण राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से दिये गये थे उनकी वसूली के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। काश्तकारों द्वारा बैंकों से जो सीधे ऋण प्राप्त किये गये थे उनकी वसूली को स्थगित नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान बजट में इन ऋणों का भुगतान करने का निर्णय लिया है तथा बैंकों को काश्तकारों से वसूली नहीं करने के लिए लिख दिया गया है।

प्रश्न संख्या-218
(स्थगित)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बासंवाड़ा) का रोगी वाहन प्रकरण

219. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम्बुलेंस नहीं है? यदि हां, तो उक्त केन्द्र पर अब कब तक एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जावेगी।

उत्तर

जी हां, समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ विचार कर रोगी वाहन उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

मकराना क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों तक सड़क निर्माण

220. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कों से जुड़े हुए नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भरनाई तथा कुकड़ोद डामर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो अब इसे कब तक डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के कुल 19 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं है। इनमें से 7 के लिये पूर्ण स्वीकृति एवं 5 के लिए आंशिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, वर्तमान में भरणाई पंचायत मुख्यालय (1137/1991) 4 किमी. लम्बी ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। मेटलीकरण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी स्वीकृति के तहत प्रगति पर है। पंचायत मुख्यालय कूकडोद (1311/1991) वर्तमान में 7 किमी. लम्बी ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। मेटलीकरण का कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 3 किमी. लम्बाई में जारी स्वीकृति के तहत प्रगति पर है। पंचायत मुख्यालय भरणाई एवं कुकडोद को सड़क विकास नीति अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध संसाधनों अनुसार डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र मकराना में उन पंचायत मुख्यालयों की सूची जो डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं है

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम एवं जनसंख्या 1971 की गणनानुसार		डामर सड़क की स्वीकृति	अधूरी स्वीकृति	स्वीकृति प्राप्त नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	खारडीया	1150	हां,	—	—
2.	इन्दोखा	1437	हां	—	—
3.	बीचावां	1706	हां	—	—

1	2	3	4	5	6
4.	आनन्दपुरा	1422	हां	—	—
5.	परेवड़ी	1343	हां	—	—
6.	सरनावड़ा	850	—	हां	—
7.	भरनाई	726	—	—	हां
8.	सकेड बडी	878	—	—	हां
9.	गैलासर	1294	—	हां	—
10.	धानन्वा	875	—	—	हां
11.	चाड़ी	821	—	—	हां
12.	कूकडोद	942	—	—	हां
13.	जूसरिया	989	—	—	हां
14.	बरवाली	1276	—	हां	—
15.	नारायणपुरा	644	—	—	हां
16.	रूपपुरा	1216	हां	—	—
17.	उगरपुरा	1445	—	हां	—
18.	चारणवास	653	हां	—	—
19.	पदमपुरा	1471	—	हां	—
		योग	7	5	7

जिला भरतपुर में कस्टोडियन भूमि प्रकरण

221. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) गत पांच वर्षों से भरतपुर जिले में कस्टोडियन की भूमि की खातेदारी के कितने प्रकरण जिला स्तर/उपखण्ड स्तर व तहसील स्तर पर विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) खातेदारी की कार्यवाही किस स्तर पर सम्पादित की जाती है? उक्त जिले में गत पांच वर्षों में कितनी गैरखातेदारी (पट्टेदारी), आवंटियों को खातेदारी प्रदान की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? सरकार अब कब तक खातेदारी प्रदान करने का विचार रखती है? प्राप्त आवेदनों की सूची मय देरी के कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में तहसील स्तर पर कस्टोडियन भूमि की खातेदारी के 174 केस लम्बित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट-क

(2) खातेदारी अधिनियम, तहसीलदार कम मैनेजिंग आफीसर द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विगत पांच वर्षों में 306 आवंटियों (पट्टेदारान) को खातेदारी दी गई। 174 लम्बित प्रकरण तहसील स्तर पर जांच के लिए विचाराधीन हैं, शीघ्र ही नियमानुसार खातेदारी प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	**आवेदक का नाम व पता**
1	2
तहसील-डीग	
1.	काशीराम, सुन्दरलाल, प्रेमप्रकाश वगैरा पि. गुरुदत्त मल, निवासी करमूकाप्यारी, तहसील-डीग
2.	परभाती पुत्र जलसिंह, कोम माली, साकिन खोह, तहसील-डीग
3.	रतनसिंह (फोत), रामस्वरूप पुत्र हीरसिंह, मु. सरवती वेवा रतनसिंह, गंगारराम पुत्र रतनसिंह, जाति फोजदार, नि. खोह तहसील-डीग
4.	परभाती वगैरा पुत्र छज्जू, बृजकिशोर वगैरा, सा. खोह, तहसील-डीग
5.	मेडूराम पुत्र कन्हैयालाल, जाति माली, नि. कस्बा डीग

1	2
तहसील-पहाड़ी	
6.	नसरूद्दीन, फकरूद्दीन वगैरा पिस. मोहम्मद अली, नि.खाल्लूका, तह. पहाडी
7.	कलबन्दसिंह पुत्र लछमनसिंह, जाति सिख, नि.सहसन
8.	नत्थी पुत्र गंगाराम माली, नि. कान्हौर
9.	सहजमल पुत्र लल्लू मेव, निवासी थलचाना
10.	मूसा पुत्र धनीराम जाटव, निवासी पहाड़ी
11.	सुफेदा पुत्र निवाल खां मेव, नि. दाहिना
12.	मु. फूलवती वेवा मन्नो, व लल्लू पुत्र रूपाराम, जाति लुहार, नि. खाल्लूका
13.	हरपाल सिंह पुत्र अमरसिंह, जाति सिख, नि. सहसन
14.	गुरजरसिंह पुत्र गुरुदत्त, कोम सिख, निवासी सहसन
15.	हरलाल पुत्र पूरन, नि. जसौती
16.	अख्तार पुत्र जुम्मे खां, निवासी झण्डीपुर
17.	ईसाक पुत्र भल्लू, निवासी झण्डीपुर
18.	सद्दीक पुत्र कलुआ, निवासी सरवरका
19.	त्रिलोक पुत्र लक्ष्मीनारायण, कोम ब्राह्मण, नि. पहाडी
20.	सुक्का पुत्र चुन्नी, कोम लुहार, निवासी कठौल
21.	ठाकुरसिंह पुत्र मानसिंह, सिख, नि. भोजपुर
22.	हरफूलसिंह पुत्र किशन सिंह,कोम सिख, नि. सहसन
23.	चम्पी वेवा सांवलसिंह, नि. सरवरका
24.	मूसाराम पुत्र धनीराम, नि. खण्डेवला
25.	रामजीलाल पुत्र मूला, जाति जाट, नि. पहाडी
26.	अमरनाथ पुत्र कुन्दननाथ, कोम ब्राह्मण, निवासी कठौल
27.	विजेन्द्र पुत्र सोनपाल वगैरा, जाति जाटव, नि. मौदूका
28.	कमाल पुत्र छोटू मेव, नि. थलवाना
29.	जगतारसिंह पुत्र रामसिंह जाति सिख, नि. भोजपुर
30.	हनीफ पुत्र हंसमल जाति मेव, निवासी सरवरका

1	2
31.	मु. हमीदी वेवा चतरु मेव, वशीर, सबीर पुत्रान चतरु मेव, निवासी फतेहपुर
32.	रसूल खां पुत्र एवज जाति मेव, निवासी थलवाना
33.	रमेश कुमार पुत्र अमरनाथ ब्रा., निवासी कठौल
34.	कुन्दन सिंह पुत्र बनता सिंह, निवासी सहसन
35.	अमरीक सिंह पुत्र अरुणसिंह, जाति सिख, नि. सहसन
36.	मजीद पुत्र मुन्नी, झण्डीपुर
37.	प्रताप सिंह, इन्द्रपाल सिंह वगैरा पुत्र जोविन्दसिंह, नि. गंगोरा
38.	जमील पुत्र, विलायत जाति मेव, निवासी थलवाना
39.	इलियास आस मोहम्मद वगैरा पि. जहूर खां, जाति मेव, निवासी घोमरो
40.	चाव खां, हुसैन खां, रुजदार पुत्र घसीटा, जाति सक्का, साकिन-लिवासना,
41.	मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह, कोम सिख, सा. पीलसू
42.	संतोषी पुत्र कान्हा, जाति जाटव, सा. खेडली मन्ना
43.	शब्बीर पुत्र छतरु, कोम मेव, नि. फतहपुर
44.	मनीराम, गिर्राजप्रसाद पुत्र प्यारेलाल, कोम ब्राह्मण, सा. कान्हौर
45.	पूरन पुत्र हसमल, कोम जाटव,सा. खेडली नगर, तह. पहाड़ी
46.	सुखचेन पुत्र भवानी, कोम माली, सा. सतबाडी
47.	जीसुख पुत्र खन्जू, कोम जाटव, सा.क़स्बा पहाड़ी
48.	बतासी वेवा हरसहाय, धीरसिंह कोम जाटव,
49.	नूरमोहम्मद पुत्र उमराव मेव, सा.मालीकी, तह. पहाड़ी
50.	नत्थी पुत्र गंगाराम माली, साकिन कान्हौर, तह. पहाड़ी
51.	मु. राम चमेली देवी वेवा, रिवेलचंद वगैरा
52.	अरजन दास पुत्र दुलीचंद वगैरा, निवासी पहाड़ी
53.	युसूफ पुत्र सिताव मेव, साकिन दाहिना
54.	फारूक पुत्र सिताव मेव, साकिन दाहिना
55.	इदरीस, जजरोस पुत्र इमरत जाति मेव, साकिन दाहिना
56.	जमील, अजमत पुत्र इमरत जाति मेव, निवासी दाहिना

Page No. 273

(273)

1	2
57.	रामगोपाल पुत्र गोरधन चमार, निवासी रांफ
58.	रेखी, ईश्वरी, सीताराम पुत्र दुरगी कुम्हार, नि. पहाड़ी
59.	बलवीर पुत्र देवला माली, निवासी धधवाड़ी
60.	रामजीलाल पुत्र छोटेलाल, ब्राह्मण, निवासी आलमपुर
61.	रहीम खां पुत्र बुधासिंह, मेव, निवासी जोतरूहल्ला
62.	शांति वेवा सुखराम जाटव, निवासी पहाड़ी
63.	रामजीलाल पुत्र भूरा चमार, निवासी खल्लूका
64.	दयालसिंह पुत्र रांझा सिंह सिख, निवासी भोजपुर
65.	जगदीश पुत्र प्यारेलाल अहीर, निवासी पहाड़ी
66.	भगवत, राम किशन पुत्र काडूला मेव, निवासी मोठूका
67.	रमेशचन्द, सुरेशचन्द पुत्र आनन्दा माली, नि. कान्हौर
68.	मंगल पुत्र छदम्मी कोम चमार, सा. डाबक, तह. नगर
69.	शिवलाल पुत्र जयलाल, सा. गोविन्दपुर, तह. नगर
70.	मु. छुटनी पुत्री मामला मेव, सा. दुनांवल
71.	शिवलाल पुत्र जयलाल निवासी आलमशाह
72.	समयचन्द पुत्र किशनलाल, हरकिशन पुत्र सियाराम जाटव, नि. खेस्ती
73.	अलोमोहम्मद, सुचान खां, पुत्रान दलमीर, बदलू वगैरा, सा. जहवास
74.	मोहर खां पुत्र सिन्तू मेव, सा.जहवास
75.	बुद्धाराम, कादीराम पुत्रान मंगली, साकिन पुनाय
76.	भागू पुत्र बुद्धा मेव सा. मिठूपुरा
77.	सियाराम पुत्र भूराराम कोम. ब्रा. साकिन इमकारी
78.	जयराम प्रसाद निवासचन्द पुत्रान नवलकिशोर, नि. जलालपुर
79.	रतीराम, किशोर, मोहन पिसरान पांच्या, साकिन कुरकेन
80.	जसौदी पुत्र मीरचन्द जाति बंजारा, सा. रुस्तमपुर
81.	दीनू पुत्र गूजर, साहबुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन वगैरा, मेवान, सा. बनैनीगढ़ी
82.	मोती, नवलू, कमलू, पिसरान छोटा, जाति मेव, साकिन नगला श्याम
83.	सुलेमान खां पुत्र मामूरा फकीर, साकिन थून

1	2
84.	अखैसिंह, इदरीस, निशार अहमद पुत्रान बुद्धा मेव, सा.उडकीमोहम्मदा
85.	गंगाराम, कन्हैया, रामप्रसाद, पिसरान ग्यासी, साकिन, खेस्ती
86.	नन्नूराम, मामरिया, गुटकिया, सुखराम पि. परभाती जाति माली, साकिन कामिलपुर पट्टी
87.	संतोकसिंह पुत्र गुरुवाई व गुरुदीप कौर वगैरा सिक्ख, साकिन तेस्की
88.	पीरु पुत्र सिमरु, जाति भंगो, साकिन धानौता
89.	रामचंद पुत्र भम्बू, चन्दू, पुत्र छुट्टन, जाति चमार, नि. भट्टपुरा
90.	कौशल्यादेवी वेवा जगन्नाथ, तिलकराम, अशोक कुमार वगैरा सा. सोलपुरपट्टी
91.	मु.शकुन्तला कौर वेवा जसवन्त सिंह, गुरुदीपसिंह, अमरीकसिंह वगैरा पुत्रान जसवन्तसिंह सिक्ख साकिन अवातपुर
92.	मूलचन्द पुत्र छज्जू, निवासी पुनाय
93.	घीसा पुत्र छदम्मी चमार साकिन डावक
94.	मल खां पुत्र चांदसिंह कोम मेव सा. उडकी मोहम्मदा
95.	नेमीचन्द-लालचन्द-सुरेशचन्द पि. मूलचन्द कोम वैश्य सा.गुलपाड़ा, तह. नगर

तहसील-कामां

96.	आझाराम पुत्र गोविन्दराम, साकिन रोशियाका ग्राम मूसेपुर
97.	मक्खन पुत्र दल्लू जाति जाटव, निवासी धर्मशाला
98.	नसरूद्दीन, जाकिर पुत्र चन्दरा जाति मेव, निवासी नगला सहजाद
99.	खुशी खां पुत्र वक्तू जाति मेव, निवासी दांतका
100.	शोकत खां पुत्र जैन खां जाति मेव नि. गढ़ अजान
101.	दीनू पुत्र छुट्टू जाति मेव निवासी गढ़ अजान

तहसील–नदबई

102.	रेवती पुत्र झानी जाट, साकिन खटोटी
103.	अमरचन्द पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी नदबई

1	2
104.	जगदीश पुत्र रामचन्द, जाति सिख, नि. नदवई
105.	अहलचन्द पुत्र रामनारायण खत्री, निवासी नदवई
106.	जेठानन्द पुत्र देवीदत्त, जाति खत्री, निवासी नदवई
107.	घनश्याम पुत्र होताराम, जाति सिक्ख, निवासी नदवई
108.	नवनीत पुत्र रामनारायण खत्री, निवासी नदवई
109.	मनोहरलाल पुत्र जगनप्रसाद वैश्य, निवासी नदवई
110.	सुखराम पुत्र खूंटी जाति जाटव, निवासी अखैगढ़
111.	मु. कंचनिया वेवा मंगल, निवासी कारोमेव
112.	बृजलाल पुत्र जीवनदास खत्री, निवासी नदवई
113.	पूरना पुत्र मूला माली, निवासी पहरसर
114.	घनश्याम पुत्र होंताराम, निवासी नदवई
115.	रामचन्द पुत्र गिरवर, निवासी नदवई
116.	मनोहरी पुत्र सन्नू धोबी, निवासी नदवई
117.	बेलाराम पुत्र रोशनलाल, निवासी नदवई
118.	मांगी पुत्र विपती जाति जाटव, निवासी करोली
119.	सूरजमल पुत्र पूरनप्रसाद जाति ब्रा., निवासी नदवई
120.	भगवानदास पुत्र बुलाकीराम, निवासी नदवई
121.	सतीशकुमार पुत्र भगवतप्रसाद, निवासी अखेगढ़
122.	शंकर, मवासी पिसरान सोनी, निवासी करोली
123.	टीकम पुत्र टन्डू कोली, निवासी नदवई
124.	सतीशकुमार पुत्र भगवत, निवासी अखैगढ़
125.	होता पुत्र टीकवाराम, निवासी नदवई
126.	नोताराम पुत्र उत्तमचन्द, निवासी नदवई
127.	जगदीश पुत्र रामचन्द खत्री, निवासी नदवई
128.	सुखराम पुत्र भोला जाट, निवासी नदवई
129.	श्रीमती विद्यावती पुत्र हरीदत्त शर्मा, निवासी अखैगढ
130.	हीरामल पुत्र रामू मल, निवासी नदवई

(276)

1	2
	तहसील-बयाना
131.	नत्थीराम पुत्र रामसिंह, दरयाब सिंह पिस. रामहेत, सा.फरसो, तह. बयाना
132.	मु. रामप्यारी पत्नी मांगीलाल, निवासी बयाना
133.	हरीसिंह पुत्र प्यारे, धाकड़, निवासी ग्राम पिदावली
134.	सूखाराम पुत्र लोहरे सा. गाजीपुर, तह. बयाना
135.	भंवरी पुत्र चिरमोली साकिन खोहरा हाल पन्नीपुरा, तह. बयाना
136.	रतना पुत्र कमला सा. गाजीपुर, तह. बयाना
137.	फूलसिंह पुत्र जयसिंह पि. सन्नू, कोम चमार, साकिन बयाना
138.	राममूली वेवा समयसिंह जाट सा. बाजौली, तह. बयाना
139.	यादराम पुत्र धूजी, बाबूलाल, रामस्वरूप, जगदीश पुत्र सोनपाल, कोम वैश्य साकिन काचेरा, तह. बयाना
140.	अमरसिंह पुत्र डरोला, निवासी मालीपुरा, तहसील बयाना
141.	नारायनसिंह पुत्र दरबसिंह, नि. झामरा, तह. बयाना
142.	विशम्भर पुत्र नन्दराम जाति धाकड़, सा. खोहरा
143.	शांतिराम उर्फ शांतिस्वरूप पुत्र श्यामदास खत्री, हाल आबाद बयाना
144.	रामरज पुत्र टुकरीया जाटव, व प्रभू पुत्र शंकर जाटव, सा. फरसो
145.	बनैसिंह, पूरनसिंह व रूपसिंह पिसहीरासिंह नि. बाजोली
146.	बाले पुत्र गंगाधर पुजारी, साकिन सूपा, तहसील बयाना
147.	नहने पुत्र शिवलाल, पूरन, हरीराम पुत्र छत्तर, अशोक कुमार वगैरा, साकिन फरसो, तहसील बयाना
148.	रा.मा.वि. ब्रह्मबाद
149.	गंगाधर पुत्र अमरचंद गूजर, सिंघालखेड़ा बनाम गिरधारी, महेश पुत्र पून्ना नाई वगैरा, कस्बा बयाना
150.	राम मूली वेवा समयसिंह ग्राम बीजोली, तह. बयाना
	तहसील-रूपवास
151.	निरोतीलाल पुत्र परसादी व किसना पुत्र सेडुआ, नि. बुराना
152.	दीवानसिंह पुत्र निहालसिंह गूजर साकिन पुराना

1	2
153.	मु. चन्द्रवती साकिन रुपवास
154.	बलवीर व पृथ्वी पुत्र शिब्जी कोम गूजर, ग्राम वरिघा
155.	लालचंद पुत्र सोलाराम, निवासी खानुआ
156.	मोहम्मद पुत्र शिवराती कोम सक्का, नि. नयागांव
157.	छीतर पुत्र हरिया जोगी, निवासी खिजूरी
158.	पूरन पुत्र कुमरपाल जाति गोला, साकिन नया गांव तहसील रूपवास
159.	पन्ना पुत्र भूरोसिंह, मु. रामकली वेवा रामप्रसाद, मु. प्रेमवती वेवा खूबीराम, व नारायणसिंह कोम काछी, नि. नगला ओही मगरा खनुआ, तह. रूपवास
160.	बाबूलाल पुत्र बुद्धा एवं रोशन पुत्र सरमन कोली, तह. रूपवास
161.	भंवरसिंह पुत्र मटोली ग्राम सेंदपुरा, तहसील रूपवास
162.	रामजीलाल पुत्र चोखा नाई, नि. बुराना, तह. रूपवास
163.	नवलसिंह पुत्र भजना ठाकुर निवासी समाद, तहसील रूपवास
164.	शिब्बो, पतरे पुत्र नत्थी जाटव, निवासी बरकोली
165.	बिस्सा पुत्र नदोले, जाति जाटव, नि. बरकोली
166.	रामलाल पुत्र मंसाराम, नि.खानुआ
167.	रामसिंह पुत्र चम्पू, जाति काछी, निवासी बूराना
168.	विपती पुत्र सरदार, जाति जाट, साकिन मदरियापुरा, तहसील रूपवास
169.	मुन्ना खां, शरीफ मोहम्मद वगैरा पुत्र नत्थी गां, नि. सोनोठी
170.	भजोरी पुत्र मटोली, जाति काछी, निवासी सैदपुरा
171.	अतरसिंह, दुलीचंद पुत्र भैरो, जाति खाति, नि. ओडेल गद्दी
172.	श्रीमती भगवानदेई पत्नी लद्दाराम निवासी खानुआ
173.	मुन्नालाल पुत्र पन्नीलाल, महेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप, सा. नगला गूजर
174.	रामबाबू, राधोलाल, बच्चूलाल, चेतराम, विष्णुकुमार पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राह्मण साकिन बरकोली, तहसील रूपवास

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर, भरतपुर

बहुद्देशीय राशन कार्डों का उपयोग

222. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री के लिए वर्तमान में निर्धारित राशन कार्डस को अन्य प्रदेशों की भांति बहुउद्देशीय राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस रूप में?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जारी राशन कार्डस को बहुउद्देशीय बनाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित विधायकों एवं अधिकारियों की समीति द्वारा राशन कार्ड का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किये जाने का सुझाव दिया गया है, जो अभी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या-223
(स्थगित)

चम्बल की दाईं मुख्य नहर पर पुल निर्माण प्रकरण

224. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) दाईं मुख्य नहर में रामचन्द्रपुरा में बनवाये गये फुट ब्रिज में चार वर्ष का विलम्ब क्यों हुआ? इस कार्य पर मूलतः कितनी लागत आंकी गई थी व अन्त में कुल कितनी लागत आई है?

(2) उक्त कार्य की निविदा कितनी बार आमंत्रित की गई? इनकी दरें क्या आई और उनको स्वीकृत न करने के क्या कारण थे? अन्ततः उच्च दर पर कार्य करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) उक्त स्थान पर पहले जो पुल बना हुआ था, उसकी सामग्री का क्या उपयोग किया गया?

उत्तर

(1) फुट ब्रिज निर्माण में लगभग 2 वर्ष 3 माह का विलम्ब हुआ। विलम्ब का मुख्य कारण निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया थी। वर्ष 1991 की बी.एस.आर. के आधार पर इस पुल की लागत 3.50 लाख रुपये आंकी गई थी। वर्ष 1996 में कार्य के पूर्ण होने पर कुल लागत 7.00 लाख रुपये आई।

(2) इस कार्य हेतु तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गई। प्रथम बार 2.16 लाख द्वितीय बार 8.14 लाख एवं तृतीय बार 6.23 लाख रुपये दर प्राप्त हुई। प्रथम निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार डिजाईन व ड्राईंग नहीं दी गई थी, इस कारण निविदा निरस्त की गई। दूसरी बार दर काफी अधिक होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की गई। तीसरी बार प्राप्त दरों को उचित मानते हुए इस कार्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, सीएडी, कोटा द्वारा प्रदान की गई थी। यह कार्य नियमानुसार निविदा के आधार पर कराया गया है अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

(3) पूर्व में निर्मित आर.सी.सी. स्लेब का पुल क्षतिग्रस्त हालत में था। इस कारण इसकी निर्माण सामग्री नहर में बहकर एवं बिखरकर बेकार हो चुकी थी जो अन्य कार्य में उपयोग लेने लायक नहीं थी। इस सामग्री को नहर से बाहर निकाल कर बाहर डाल दिया गया।

प्रश्न संख्या-225
(स्थगित)

राजकीय चिकित्सालय, बूंदी का क्रमोन्नयन

226. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिला मुख्यालय पर एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें गत पांच वर्षों में रोगियों की संख्या 'ए' श्रेणी के बराबर लगभग रही है? यदि नहीं, तो अप्रेल 1994 से जून 1998 तक प्रतिवर्ष रोगियों की संख्या कितनी रही?

(2) क्या सरकार बूंदी जिले के उक्त अस्पताल को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार बालचन्द पाड़ा, रजत-गृह कालोनी, विकास नगर में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां, रोगियों की संख्या लगभग 'अ' श्रेणी के चिकित्सालयों के बराबर रही है।

(2) जी हां, समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अस्पताल की क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) बालचन्द पाडा, में एडपोस्ट कार्यरत हैं। जिस पर मेल नर्स ग्रेड पद स्थापित है। रजत-गृह कालोनी विकास नगर में राज्य के अन्य शहरों के साथ डिस्पेन्सरी खोले जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

निमेड़ा-पाडली (फागी) सड़क की मरम्मत

227. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी में निमेड़ा से पाडली सड़क अत्यधिक क्षति ग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फागी में निमेड़ा से पाडली सड़क पर मासी नदी से बजरी लाने वाले भारी वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण सड़क को काफी क्षति होती है, जिसका समय-समय पर रख-रखाव मद से साधारण मरम्मत का कार्य किया जाता है। अतः आये दिन केवल मात्र सड़क के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना नहीं होती है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क पर बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावित किया जायेगा।

सामुदायिक केन्द्र चौहटन की एक्स-रे मशीन

228. श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन में एक्स-रे मशीन लम्बे समय से खराब पड़ी है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मशीन को ठीक करवाकर चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,।

(2) जी हां, मशीन को सीमेन्स कम्पनी से ठीक करवाने की प्रक्रिया जारी है।

राजीव गांधी टेक्नोलॉजी मिशन की सिफारिशों पर कार्यवाही

229. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) केन्द्र द्वारा गठित राजीव गांधी टैक्नोलाजी मिशन द्वारा राज्य में पेयजल टीकाकरण, साक्षरता, आयल सीड्स, डेयरी के संबंध में क्या सिफारिशें सरकार को की गई हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त मिशन की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा इन विषयों पर क्या अमली कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिशन द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, इनमें से कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिये और शेष लक्ष्यों को प्राप्त न करने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) टैक्नोलॉजी मिशन द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई, संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्य अवश्य रखे थे। कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) कार्यक्रमानुसार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि संलग्न है।

तकनीकी मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

कार्यक्रम लक्ष्य	उपलब्धि
1	2
साक्षरता	
1995 तक 60 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया था।	वर्ष 1994 तक 50.50 लाख निरक्षरों को साक्षर किया जा चुका था। वर्ष 97-98 में साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च तक 73.88 लाख व्यक्तियों को नामांकित कर लाभान्वित किया जा रहा है।
तिलहन	
तिलहन उत्पादन 1984-85 तक 11.57 लाख टन से 1989-90 तक 14.70 लाख टन तथा 1999-2000 तक 21.00 लाख टन बढ़ाना	1993-94 में ही 32.46 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे तथा वर्ष 1996-97 में 35.24 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
डेयरी—	
उत्पादन और उत्पादेयता को विकसित करने तथा 1994-95 तक 3956 दुग्ध सहकारी समितियों का संगठन करना।	वर्ष 1994-95 तक 2730 दुग्ध ग्रामीण सहकारी समितियां संगठित की गई थी एवं जनवरी, 98 तक 5158 दुग्ध ग्रामीण सहकारी समितियां संगठित की गई है।
टीकाकरण—	
क–एक-एक डोज बी.सी.जी व मिजल्स एवं 3-3 डोज पोलियो डीपीटी, वेक्सीन देकर 85% शिशुओं को तथा दो/एक बूस्टर डोज टिटनेस टॉक्साइड देकर शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित करना। **ख**–नवजात शिशुओं को होने वाला धनवात से संभावित मृत्युदर को घटाकर एक प्रति हजार जीवित जन्म तक लाना तथा 5 वर्ष के बालकों में पोलियो जन्म अपंगता को घटाकर 0.33 प्रति हजार तक लाना।	वर्ष 85-98 अवधि में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित शिशुओं एवं गर्भवती माताओं का विवरण अनुलग्नक 1-1 पर संलग्न है। गर्भवती माताओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्यों को वर्ष 1998 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति न होने के कारण— 1. दुर्गम मरुस्थलीय क्षेत्र 2. सड़क मार्ग से यातायात की अपर्याप्त उपलब्धता 3. छोटी-छोटी ढाणियों में जनसंख्या का वितरण

1	2
ग–कार्यक्रम में प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में प्रति प्राप्तियां	4. साक्षरता विशेषकर, महिला साक्षरता का कम होना 5. पारंपरिक, सामाजिक, रूढियां एवं अंधविश्वास
पेयजल	
राज्य सरकार द्वारा 2973 अलाभान्वित समस्यागस्त ग्राम एवं 1102 ग्रामों को आंशिक से पूर्व लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था	फरवरी, 98 तक 5017 ग्रामों को पूर्ण/आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है।

अनुलग्नक–1.1

उपलब्धियों का विवरण

	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92
गर्भवती महिलाएं (लक्ष्य लाखों में)	0.7	3.1	6.8	9.9	16.5	15.6	15.6
उपलब्धि (प्रतिशत)	45.5	55.0	63.5	62.6	67.0	76.4	80.
शिशु लक्ष्य (लाखों में)	0.6	2.3	5.2	7.6	12.4	14.8	13.8
उपलब्धि (प्रतिशत) डी पी टी-3	71.4	75.6	83.7	79.2	88.4	91.2	92.9
ओ पी वी-3	72.5	73.0	77.7	78.2	85.3	91.5	92.9
बी सी जी	59.1	61.7	81.7	78.1	87.5	90.9	88.3
मिजल्स	20.5	68.5	99.1	83.4	81.8	83.3	91.2

उपलब्धियों का विवरण

	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
गर्भवती महिलाएं (लक्ष्य लाखों में)	14.0	15.62	16.02	17.303	17.472	17.472
उपलब्धि (प्रतिशत)	80.0	83.88	8.65	78.49	82.01	80.75
शिशु लक्ष्य (लाखों में)	15.6	14.01	14.37	15.452	15.661	15.704
उपलब्धि (प्रतिशत)						
डी पी टी-3	91.9	90.63	90.05	87.31	85.37	93.28
ओ पी वी-3	91.7	90.99	90.68	37.39	95.46	93.30
बी सी जी	92.9	91.79	88.41	88.25	96.66	94.72
मिजल्स	89.3	87.37	87.17	80.56	89.44	87.04

अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार

230. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जन जाति की महिलाओं पर गत पांच वर्षों में अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है?

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कितने मामले महिलाओं के सम्बन्ध में दर्ज हुए, इनमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के सम्बन्ध में वर्ष 1996 से मई, 1998 तक दर्ज अभियोगों का निस्तारण सहित विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

परिशिष्ट-क

अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम में अनु. जाति/जनजाति की महिलाओं पर हुए अत्याचारों के संबंध में वर्ष 1996 से मई, 1998 तक दर्ज अभियोगों का वर्षवाइज विवरण

वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	पेण्डिग
1996	240	121	119	–
1997	258	140	113	5
मई, 1998	127	46	49	32

चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञों के रिक्त पद

231. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मेडिकल कालेजों में एनाटोमी, फिजियोलाजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मोकोलोजी, पेथोलोजी, माइक्रो बायोलाजी, फोरेसिक मेडिसन तथा प्रीवेन्टिव स्पेशन मेडिसन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में शिक्षकों के पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि एम.बी.बी.एस. शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमि का निभाने वाले उक्त विषयों के शिक्षकों को प्रेक्टिस करने की अनुमती नहीं है? यदि हां, तो उन्हें वर्तमान में कितनी-कितनी राशि नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ते के रूप में मिल रही है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विषयों के अध्यापकों के आर्थिक स्तर में अन्तर तथा निजी क्षेत्र में हो रहे चिकित्सा सेवा विस्तार की वजह से योग्य चिकित्सकों का अभाव बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार नान प्रेक्टिसंग भत्ते में समुचित वृद्धि कर इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस रूप में? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, रिक्त पदों की कालेज वार सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त विभागों (विशिष्टताओं) में कार्यरत शिक्षकों को प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं है एवं इन्हें वर्तमान में नॉन क्लिनिकल/प्रक्टिसिंग भत्ता मूल वेतन का 20% मिल रहा है।

(3) जी हां, वह सही है कि उक्त विभागों में स्टाफ की कमी रहती है। परन्तु इसका कारण निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा का विस्तार नहीं है। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 18 (2) एफ.डी.(रूल्स) 88 दिनांक 16.5.98 के अन्तर्गत नान प्रेक्टिसिंग भत्ता वेतन का 20% कर दिया गया है। उक्त आदेश में यह वर्णित है कि किन विशिष्टताओं में एवं किन पदों पर उक्त भत्ता देय है।

परिशिष्ट-क

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. सह आचार्य	2	4.3.98, 26.3.98
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	19.8.97
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. सह आचार्य	1	23.1.97
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सहायक आचार्य	1	15.1.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	11.3.96
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. सहायक आचार्य	3	5.4.96, 29.8.97, 31.8.97
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	1.5.91
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. सहायक आचार्य	3	5.2.97, 1.3.97
	कुल रिक्त पद	
	सह आचार्य	2
	सहायक आचार्य	8
	वरिष्ठ प्रदर्शक	3
फिजियोलोजी विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. सह आचार्य	2	1.7.97, 3.1.98
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	3	26.1.95, 23.2.97, 5.9.97
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	3	10.11.95, 12.4.96, 1.7.97
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सहायक आचार्य	1	12.10.95

285

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	जनवरी 98
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	2	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. आचार्य	1	3.1.98
2. सहायक आचार्य	2	25.1.95, 5.11.96
3. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	25.7.95
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. सहायक आचार्य	2	14.5.95, 4.5.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	9.4.97
	कुल रिक्त पद	
	आचार्य	1
	सह आचार्य	2
	सहायक आचार्य	6
	वरिष्ठ प्रदर्शक	10
बायोकेमिस्ट्री विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. सह आचार्य	1	26.10.96
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सह आचार्य	1	4.7.97
2. सहायक आचार्य	2	30.11.95, 24.7.96
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. आचार्य	1	1.10.97
2. सहायक आचार्य	1	1.9.93
3. वरिष्ठ प्रदर्शक	2	1.7.94, 10.7.96
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. सहायक आचार्य	2	2.12.92, 24.1.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	3	9.4.94, 11.1.97

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
	कुल रिक्त पद	
	आचार्य	1
	सह आचार्य	2
	सहायक आचार्य	6
	वरिष्ठ प्रदर्शक	5
फार्माकोलोजी विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. आचार्य	1	1.5.98
2. सहायक आचार्य	2	7.4.98, 30.7.97
3. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	14.4.98
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	12.4.96
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सहायक आचार्य	2	4.10.95, 19.2.97
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	नवम्बर 97
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. सह आचार्य	1	30.10.97
2. सहायक आचार्य	1	18.3.96
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	1.1.98
	कुल रिक्त पद	1
	आचार्य	1
	सह आचार्य	1
	सहायक आचार्य	6
	वरिष्ठ प्रदर्शक	3
पैथोलोजी विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. सहायक आचार्य	1	25.2.97

288

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सहायक आचार्य	1	26.12.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	17.4.96
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	फरवरी 98
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	3	13.3.97, 22.5.97, 22.5.97
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	3	7.1.96, 13.2.98, 5.3.98
	कुल रिक्त पद	
	सहायक आचार्य	3
	वरिष्ठ प्रदर्शक	8
माईक्रोबायोलोजी विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. सहायक आचार्य	2	18.4.96, 24.4.95
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	28.3.97
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सहायक आचार्य	1	29.11.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	7.2.97
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	मार्च 98
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. सह आचार्य	1	17.9.97
2. सहायक आचार्य	1	25.10.97
	कुल रिक्त पद	
	सह आचार्य	1
	सहायक आचार्य	5
	वरिष्ठ प्रदर्शक	3

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
पी.एस.एम. विभाग		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. आचार्य	1	31.1.98
2. सहायक आचार्य	2	अक्टूबर 97, 13.1.96
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	4.4.98
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. आचार्य	1	31.12.97
2. सह आचार्य	1	17.3.96
3. सहायक आचार्य	1	22.2.96
4. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	19.9.97
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. सहायक आचार्य	1	जनवरी 98
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. सह आचार्य	1	29.12.97
2. सहायक आचार्य	1	1.4.92
	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	
1. आचार्य	1	1.11.95
2. सह आचार्य	1	10.4.96
3. सहायक आचार्य	1	20.7.96
4. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	23.5.98
	कुल रिक्त पद	
	आचार्य	3
	सह आचार्य	3
	सहायक आचार्य	6
	वरिष्ठ प्रदर्शक	3
फोरेन्सिक मेडिसिन		
	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	2	दि. 7.6.98 (दोनों)

एनाटोमी	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	
1. वरिष्ठ प्रदर्शक	2	10.4.97, 15.1.98
	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	
1. सह आचार्य	1	26.10.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	7.1.98
	मेडिकल कॉलेज, कोटा	
1. आचार्य	1	फरवरी, 98
2. सहायक आचार्य	1	नवम्बर, 95
3. वरिष्ठ प्रदर्शक	1	अगस्त, 96
	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	
1. सह आचार्य	1	26.6.96
2. वरिष्ठ प्रदर्शक	5	24.1.94, 15.2.97, 6.7.97, 7.1.98, 4.4.98
	कुल रिक्त पद	
	वरिष्ठ प्रदर्शक	11
	सहायक आचार्य	1
	सह आचार्य	2
	आचार्य	1

तहसील सांचौर (जालौर) में सड़क निर्माण

232. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक तहसील सांचौर, जिला जालौर में सड़कों की स्वीकृति दी गई है यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन से क्षेत्र के लिए? सूची वर्षवार व क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य लम्बे अर्से बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का कार्य अपूर्ण है?

(3) क्या सांचौर तहसील में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के लिए कोई स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों के लिए?

Page No. 291

(291)

(श्री हीरालाल विश्नोई)

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1995-96 में सेवाड़ा, चितलवाना, तहसील सांचौर की सड़क मरम्मत कार्य की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त सड़क के मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां, तहसील सांचोर जिला जालौर में स्वीकृत की गई 51 सड़कों की वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1994-95 के स्वीकृत सभी 8 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। वर्ष 1995-96 में स्वीकृत 24 सड़क कार्यों में से 21 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा 3 कार्य प्रगति पर है (सूची संलग्न है) वर्ष 1996-97 में स्वीकृत 19 कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, शेष 13 सड़क कार्य प्रगति पर है (सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जीरादर (941/91) व भाटकी (1166/91) पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है।

(4) जी हां। सेवाड़ा चितलवाना सड़क की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक होने के कारण सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त सड़क का नवीनीकरण कार्य नहीं किया गया, लेकिन आवश्यकतानुसार साधारण मरम्मत कार्य करवा दिया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 271 की सूचना)

जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध वर्ष 1990 से मार्च, 1998 तक दर्ज हुए प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
1.	श्री ओंकार लाल पुत्र श्री अर्जुनलाल गाडरी, निवासी सरदारनगर (सरपंच)	164/4.10.90 धारा 467, 468, 471, 409 भादंसं थाना बनेड़ा, भीलवाड़ा	मुलजिमान द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार कर सरकारी गेहूं को खूर्द-बूर्द करना	पेण्डिग न्यायालय चालान दि. 5.5.92	पेण्डिग न्यायालय
2.	श्री नारायण लाल पुत्र श्री जेठमल, बिडला, नि. मांडल (सरपंच)	206/10.7.97, धारा 409, 120-बी भादंसं. थाना मांडल, भीलवाड़ा	1200 सीमेन्ट के कट्टे मय कुछ रुपये 2,52,220/- रु. का गबन करना।	चालान	
3.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग, नि. अमलीगढ़, पाछली, पूर्व सरपंच	91/13.6.96 धारा 467, 468, 471, 420 भादंसं. थाना हमीरगढ़, भीलवाड़ा	1,26,925 रु. की राशि का गबन करने पर।	एफ. आर. 2.6.91 रिओपन 19.6.98 तफतीश प्रारम्भ की गई।	पेंडिंग पुलिस एफ. एस. एल. से रिपोर्ट प्राप्त होनी शेष है।
4.	श्री रामलाल मीणा पूर्व सरपंच, पंचायत समिति शाहपुरा	115/12.8.91 धारा 406, 420 भादंसं थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	5,515/- रु. का गबन करने पर	चालान 29.11.91	ड्रोप दि. 15.7.92

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
5.	श्री बन्नालाल सरपंच ग्राम पंचायत लूलास	195/9.2.92 धारा 409, 420 भादंसं थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा	1,16,000/- रु. की अमानत पर खयानत करना	एफ. आर. 31.12.97	एफ. एस. एल. से नतीजे के अभाव में
6.	श्री भवानीशंकर पुत्र रामनाथ मीणा पूर्व सरपंच जहाजपुर	21./1.2.92 धारा 420, 467, 468, 471 भादंसं थाना जहाजपुर भीलवाड़ा	मस्ट्रोल में फर्जी हाजरी भरकर पैसा उठा कर हजम करना	चालान 4.6.92	पेंडिंग न्यायालय
7.	श्री काना उर्फ श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रतन लाल मीणा, भूतपूर्व सरपंच उवां	39/18.2.95 धारा 147, 467, 468, 420 109, 120-बी भादंसं थाना जहाजपुर	मृत बताकर दुसरे के नाम जमीन करने बाबात	चालान 6.7.95	" "
8.	श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री रघुराज मीणा, नि. लुहारीकला हाल सरपंच लुहारी	233/4.7.97 धारा 420, 408, भादंसं थाना जहाजपुर भीलवाड़ा	मुलजिम द्वारा राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करना	विचाराधीन पुलिस	असल दस्तावेज लेना शेष है
9.	श्री गीगाराम मीणा, चेयरमैन नगरपालिका, जहाजपुर	14/17.1.98 धारा 405, 406, 408, 409, 420, 467 भादंसं थाना जहाजपुर, भीलवाड़ा	जी.पी.एफ. एवं अन्य फण्ड की राशि काट कर हजम कर लेना।	पेंडिंग पुलिस	असल दस्तावेज लेना शेष है।

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
10.	श्री सोहनलाल पुत्र जयकिशन धाकड़, नि. मोहल्ला हाल सरपंच डाबला चान्दा	170/17.10.96 धारा 467, 468, 469, 409, 420, 511 भादंसं थाना पण्डेर, भीलवाड़ा	मस्टरोल में फर्जी हाजरी भरकर कुटरचित दस्तावेज तैयार करना।	एफ.आर. अदमवकू दि. 31.12.96	—
11.	श्री जीवणलाल पुत्र रामजीलाल शर्मा, नि. आसोप, उप प्रधान पंचायत समिति कोटडी	106/1.10.90 धारा 467, 471, 120-बी भादंसं थाना कोटडी, भीलवाड़ा	मुलजिम द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार करना	एफ.आर. दि. 29.11.90	—
12.	श्री भैरूलाल पुत्र रामचन्द्र शर्मा, नि. विरामिया, भू. पू. सरपंच	162/26.9.91 धारा 408, 467, 468 भादंसं थाना कोटली	मुलजिम द्वारा रकम का गबन करना	एफ.आर. दि. 7.2.96	—
13.	श्री भैरूलाल पुत्र रामचन्द्र शर्मा, नि. विरामिया, भू. पू. सरपंच	173/5.10.91 धारा 420, 467 468 भादंसं थाना कोटडी	मुलजिम द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने बाबत	एफ.आर. दि. 7.11.91	—
14.	श्री चांदमल भू. पू. सरपंच पारोली	45/22.2.92 धारा 467, 468, 409 भादंसं थाना कोटडी	मुलजिम द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार कर गबन कना	एफ.आर. 31.5.92	—

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिग
15.	श्री जमना लाल डीडवानिया, सरपंच, पं.स.कोटली	46/23.2.92 धारा 467, 468, 420, 120-बी भादंसं थाना कोटडी	फर्जी रिकार्ड तैयार करना	एफ. आर. 24.4.93	—
16.	श्री देवीलाल पुत्र किशन नाई सरपंच प. उदलियाज	69/2.4.92 धारा 467, 468, 420, 406, भादंसं थाना कोटडी	मस्टरोल फर्जी मेन्टेन कर रकम उठाने पर	चालान 30.9.92	—
17.	श्री शिवनारायण पूर्व सरपंच, आकोला पंचायत	72/7.4.92 धारा 467, 468, 420, 406 भादंसं थाना कोटडी	गलत रिकार्ड मेन्टेन करना	एफ.आर. 24.10.92	—
18.	श्री नाथुलाल पुत्र हजारीजाट, पूर्व सरपंच मनसा	40/4.4.93 धारा 409, 420, 467 भादंसं थाना कोटडी	फर्जी हिसाब भेजकर बैंक से रकम उठाना	एफ.आर. 30.11.94	—
19.	श्री सीताराम दास भू.पू. सरपंच नि.आटापडा	56/1.4.90 धारा 420, 467, 120-बी भादंसं थाना गंगापुर भीलवाड़ा	सरपंच द्वारा फर्जी मस्टरोल भरना	एफ.आर. 24.11.91	—

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
20.	श्री लालूराम पुत्र त्रिलोक कुमावत, नि.सुरोस, भू. पू. सरपंच ग्रा.पं. भगोलिया	45/15.4.98 धारा 467, 468, 471, 472, 406 भादंसं थाना रायपुर	" " "	चालान 9.12.94	जैर तजबीज न्याया.
21.	श्री रघुराम सिंह, भू. पू. सरपंच ग्रा.पं. कारोई	मु.नं 98/26.12.91 धारा 409, 420, 467, 468 भादंसं थाना कारोई भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान खाखले का फर्जी वितरण करना	चालान	—
22.	श्री मोहनलाल गुर्जर, भू .पू. सरपंच रामपुरिया	95/23.9.94 धारा 409 भादंसं थाना कारोई	रुपये जमा नहीं कर गबन करना	एफ.आर.अदमसबूत	—
23.	श्री लक्ष्मण सिंह, सरपंच खेतुरिया	96/23.9.94 " "	" "	पुनः तफतीश खोली गई	—
24.	श्री रामनिवास, सरपंच भोजपुरा	152/1.2.90 धारा 420, 467, भादंसं थाना गुलाबपुरा	मुलजिम द्वारा पट्टे का दूसरे को अलाट करने बाबत।	एफ.आर.अदमवकू 30.9.90	—
25.	श्री ओंकार सिंह, भू. पू. सरपंच	24/15.4.93 धारा 409 भादंसं थाना गुलाबपुरा	सरकारी गेहूं व वारदाने का गबन करना	चालान 30.11.94	—

क्र. स.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
26.	श्री उक्त	25/15.4.93 " "	" "	एफ.आर. 16.2.94	—
27.	श्री छगनलाल जाट, भू.पू. सरपंच जागीडा	26/15.4.93 " "	" "	" " "	—
28.	राजमल रैगर सरपंच हुरडा	9/10.1.97 धारा 420, 409, 467 भादंसं थाना गुलाबपुरा	सरकारी रकम की खुर्द बुर्द करने बाबत	एफ.आर. 10.3.97	—
29.	श्री सोहन लाल सारस्वत, भू. पू. सरपंच ब्राह्मण का सरेरी	142/7.11.90 धारा 409, 467, 468, भादंसं थाना आसिन्द	फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंचायत को धोखा देकर रकम हड़प करना	एफ.आर. 2.3.94	—
30.	श्री सोहन लाल सारस्वत, भू.पू. सरपंच ब्राह्मण का सरेरी	143/7.11.90 " "	सरकारी राशि का गबन	चालान 16.7.96	जैर ट्रायल न्याया.
31.	श्री सोहन लाल सारस्वत, भू.पू. सरपंच ब्राह्मण का सरेरी	144/7.11.90. " "	सरकारी राशि का गबन	चालान 28.10.96	जैर ट्रायल न्यायालय
32.	श्री सोहन लाल सारस्वत, भू. पू. सरपंच, ब्राह्मण का सरेरी	145/7.11.90 " "	सरकारी राशि का गबन	एफ.आर. 25.12.90	—

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
33.	श्री सोहन लाल सारस्वत, भू. पू. सरपंच, ब्राह्मण का सरेरी	146/7.11.90 " "	सरकारी राशि का गबन	एफ.आर. 31.12.94	–
34.	श्री सोहनलाल सारस्वत, नि. सरेरी, पूर्व सरपंच, ब्राह्मण की सरेही	147/7.11.90 धारा 408, 409 भादंसं थाना आसिन्द भीलवाड़ा	मुलजिम द्वारा रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर गबन करना	एफ.आर. 25.12.90	–
35.	श्री रहमतअली भू. पू. सरपंच भोजपुरा	109/10.2.91 धारा 409, 467, 468, 471 भादंसं थाना बदनौर, भीलवाड़ा	मुलजिम द्वारा राजकीय राशि का गबन करना	एफ.आर. 12.8.92	–
36.	श्री डूंगरसिंह नि. अमेसर सरपंच ग्रा.पं. अमेसर	21/2.3.91 धारा 409 भादंसं थाना शम्भूगढ़	मुलजिम द्वारा सरकारी राशि को अपने कार्य में खर्च करना	चालान 31.3.91	–
37.	श्री डूंगरसिंह नि. अमेसर सरपंच ग्रा.पं. अमेसर	74/2.2.90 धारा 409, 420 भादंसं थाना शम्भूगढ़	सरकारी राशि को गबन कर अपने कार्य में खर्च करना	चालान 1.12.98	–

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि का नाम मय पद	मु.नं. दिनांक धारा व थाना जिला	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	लिया गया निर्णय	वर्तमान स्थिति एवं कारण पेंडिंग
38.	श्री विक्रमसिंह भू. पू. सरपंच टोकरवाड	34/17.5.92 धारा 409, 467, भादंसं थाना शम्भूगढ़	फर्जी रिकार्ड तैयार कर सरकारी राशि का गबन करना	एफ.आर. 31.8.92	—
39.	श्री दौलतसिंह राजपूत भू. पू. सरपंच सौदार	19/16.2.93 धारा 409, 420 भादंसं थाना शम्भूगढ़	मुलजिम द्वारा फर्जी मस्टरोल तैयार कर गबन करना।	एफ.आर. 30.10.93	—
40.	श्री कुन्दनमल गुर्जर, सरपंच टोकरवाड	28/4.3.98 धारा 467, 468, 409 भादंसं	फर्जी कार्यवाही कर रकम उठाने पर	जैर तफतीश	विभाग से असल रिकार्ड लेना शेष है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 281 का विवरण)

पुलिस थाना सामोद जिला जयपुर ग्रामीण के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में परीक्षणाधीन अभियोगों का विवरण

क्र.सं.	अभियोग संख्या/धारा तथा थाना	परीक्षण हेतु प्राप्त होने की तिथि
1.	113/97 धारा 420, 467, 468, 471 120-बी भा.द.सं., सामोद।	दि. 17-5-97
2.	114/97 धारा 363, 366, 365, 342 आईपीसी, सामोद	दि. 20-3-97
3.	600/97 धारा 302, 201 आईपीसी, सामोद	दि. 10.10.97
4.	18/97 धारा 174 सी.आर.पी.सी., सामोद	दि. 11-7-97
5.	11/97 धारा 174 सी.आर.पी.सी., सामोद	दि. 31-7-97
6.	22/97 धारा 174 सी.आर.पी.सी., सामोद	दि. 26-9-97
7.	574/97 धारा 147, 149, 498ए. 302, 201, आई.पी.सी., सामोद।	दि. 10-10-97

परिशिष्ट-7
(अतारांकित प्रश्न संख्या 283 का विवरण)

नाम माह	चीनी वितरण का दिनांक व मात्रा (क्वि. में)
फरवरी, 97	11 चीनी नहीं उठायी
मार्च, 97	11 (16.8.97)
अप्रेल, 97	11 (23.8.97)
मई, 97	11 (24.10.97)
जून, 97	11 (24.10.97)
जुलाई, 97	नहीं उठायी गयी।
अगस्त, 97	केवीएसएस चौमू द्वारा चीनी नहीं
सितम्बर, 97	उठाने से लैप्स की गई है। संपूर्ण
अक्टूबर, 97	तहसील क्षेत्र में वितरण नहीं हुई।
नवम्बर, 97	चीनी नहीं उठायी
दिसम्बर, 97	चीनी नहीं उठायी
जनवरी, 98	11 (27.1.98)
फरवरी, 98	11 (9.3.98)
मार्च, 98	चीनी नहीं उठायी
अप्रेल, 98	11 (10.7.98 को मियाद बढ़ायी)
मई, 98	11 (10.7.98 को मियाद बढ़ायी)

302

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 284 का विवरण)

क्र.सं.	नाम माह	कैरोसीन (मात्रा किलो लीटर में)	चीनी (मात्रा क्विंटल में)
1.	अप्रेल, 97	351	1019
2.	मई, 97	376	1030
3.	जून, 97	383	1013
4.	जुलाई, 97	394	1023
5.	अगस्त, 97	429	1009
6.	सितम्बर, 97	346	1002
7.	अक्टूबर, 97	317	1007
8.	नवम्बर, 97	356	949
9.	दिसम्बर, 97	339	1034
10.	जनवरी, 98	347	1032
11.	फरवरी, 98	361	1027
12.	मार्च, 98	345	1024
13.	अप्रेल, 98	411	1009
14.	मई, 98	352	645 (वितरण चालू है)
15.	जून, 98	331	बैकलॉग है।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 285 की सूची)

विधानसभा क्षेत्र लाडनूं में स्वीकृत उपकेन्द्र एवं उन पर कब से स्टाफ पदस्थापित है की सूची

स्वीकृत उपकेन्द्र का नाम	स्टाफ कब से पदस्थापित है	स्वीकृत उपकेन्द्र का नाम	स्टाफ कब से पदस्थापित है
1. ध्यावा	6/98	2. रोडू	9/90
3. सींवा	1/95	4. चन्द्राई	9/90
5. भरनावा	8/88	6. मीठा घिरडोदा	9/90
7. सांवराद	2/98	8. सारड़ी	10/89
9. मालगांव	[illegible]93	10. ढींगसरी	11/96
11. फिरवासी	5/94	12. रींगण	4/98
13. कुसुम्बी अलीपुरा	5/96	14. डाबडी	9/90
15. ओडिन्ट	9/90	16. रत्ताऊ	10/97
17. बाकलिया	8/97	18. सीलनवाद	6/98
19. खामीयाद	6/98	20. हुडास	3/98
21. लाछडी	7/92	22. मणु	7/94
23. उदरासर	3/90	24. हुसैनपुरा	6/98
25. बैड	6/98	26. छमारा	10/94
27. रोजा	6/98	28. गैनाणा	7/94
29. तंवरा	7/94	30. सिकराली	4/98
31. धोलीया	11/96	32. सुनारी	3/98
33. मंगलपुरा	2/98	34. खींवज	6/98
35. रायधना	रिक्त	36. बिठुडा	रिक्त
37. खोखरी	6/98	38. पालोट	6/91
39. मण्डाबासनी	6/98	40. दुदोली	7/94
41. सिंघाणा	6/95	42. आजवा	6/95
43. कलवानी	6/98	44. थाणे	2/98
45. अम्बापा	11/96	46. सुपका	10/97
47. सेवा	10/91	48. ललासरी	9/86
49. बम्बोट	2/98	50. मावा	6/98
51. चौलू खां	11/98	52. फोगडी	6/98
53. दुजार	रिक्त		

परिशिष्ट-10
(अतारांकित प्रश्न संख्या 288 की सूची)

पंचायत समिति	उप स्वा. केन्द्र का नाम	भवन उपलब्धता की स्थिति		निर्माण कार्य की प्रगति		
		भवन हैं	भवन नहीं हैं	भवन पूर्ण	निर्माण कार्य चालू है	निर्माण कार्य चालू होना शेष है
1	2	3	4	5	6	7
उदयपुर वाटी	1. धमोरा	हैं	—	—	—	—
	2. भाडीवाड	हैं	—	—	—	—
	3. बजावा	हैं	—	—	—	—
	4. मानकसास	हैं	—	—	—	—
	5. सराय	हैं	—	—	—	—
	6. छावसरी	हैं	—	—	—	—
	7. इन्द्रपुरा	हैं	—	—	—	—
	8. बामलास	हैं	—	—	—	—
	9. सुरपुरा	हैं	—	—	—	—
	10. हासलसर	हैं	—	—	—	—
	11. केड	हैं	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उदयपुरवाटी	12. भोजगढ़	हैं	—	—	—	—
	13. जहाज	हैं	—	—	—	—
	14. बासडी	हैं	—	—	—	—
	15. कोट	—	नहीं	—	—	—
	16. दुडिया	—	नहीं	—	—	—
	17. रघुनाथपुरा	—	नहीं	—	—	—
	18. बागोरा	—	नहीं	—	—	—
	19. सिगनौर	—	नहीं	—	—	—
	20. सीथल	—	नहीं	—	—	—
	21. किरपुरा	—	नहीं	—	—	—
	22. पोसाना	—	नहीं	—	—	—
	23. मझांऊ	—	नहीं	—	—	—
	24. बडवाली ढाणी	—	नहीं	—	—	
	25. जैतपुरा	—	नहीं	—	—	—
	26. गिरावडी	—	नहीं	—	—	—
	27. गुडा	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	28. पापडा	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उदयपुरवाटी	29. पकराना	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	30. नवेरी	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	31. बागोली	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	32. किशोरपुरा	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	33. जगदीशपुरा	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	34. नाटास	—	—	निर्माण पूर्ण	—	—
	35. जोधपुरा	—	—	—	कार्य प्रगति पर है	—
	36. गोदारा की ढाणी	—	—	—	कार्य प्रगति पर है	—
	37. हुकमपुरा	—	—	—	कार्य प्रगति पर है	—
	38. नगली गुजरान	—	—	—	कार्य प्रगति पर है	—
	39. नांगल	—	—	—	कार्य प्रगति पर है	—
	40. छऊ	—	—	—	—	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ
	41. गठलाकला	—	—	—	—	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ
	42. मैनपुरा	—	—	—	—	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ
	43. करोठ	—	—	—	—	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
योग-कुल उप स्वा. केन्द्र	43	14	12	08	05	04

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 292 का विवरण)

तहसील छबड़ा एवं छीपाबड़ौद के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों का विवरण

1. तहसील छबड़ा

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैपला
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाली
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ी

उप केन्द्र

1. निपानिया	2. कडियानोहर	3. झरखेड़ी	4. भीलवाड़ा नीचा
5. मदनाखेड़ी	6. दिलोद	7. तीतर खेड़ी	8. फलिया
9. गूगोर	10. बापचा	11. कडैयाहाट	12. कोटड़ापार
13. हानाहेड़ी	14. घाटाखेड़ी	15. तेलनी	16. बारई
17. सैमली	18. मूंडकिया	19. मून्डला	20. चांचोड़ा
21. रीझा	22. कडैयावन	23. भूवाखेड़ी	24. भूलोन

2. तहसील छीपाबड़ौद

1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छीपाबड़ौद
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनावदाशाहजी
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतकोलू

उप केन्द्र

1 बिलेड़ी	2. टांचा	3. गोरधनपुरा	4. ढोलम
5. गगचाना	6. अजनावर	7. मोखमपुरा	8. कालपाजागीर
9. झंझनी	10. बेजारी	11. नलखेड़ी	12. पीपल्याचोकी
13. सहजनपुर	14. पीपलहेड़ा	15. बडाय	16. अमलाव दाहाली
17. राई	18. खजूरिया	19. बमोरीघाटा	20. खेडलाजागीर
21. दिगोद जागीर	22. पघाड़ा	23. मानपुर	24. कालाटोला
25. भटगांव	26. फूल बड़ौद	27. भावपुरा	28. पीथपुरा
29. देवरीजोध			

(308)

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट-क

(अतारांकित प्रश्न संख्या 298 का विवरण)

क्र.सं.	सड़क का वर्गीकरण	वर्ष 1995 से 98 में सड़कों के कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	सड़क कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति	
			पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1.	राज्य मार्ग	4	4	–
2.	मुख्य जिला सड़के	4	4	–
3.	अन्य जिला सड़के	11	7	4
4.	ग्रामीण सड़के	198	75	123
5.	परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण सड़क कार्य	65	44	21
	योग	282	134	148

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 300 का विवरण)

सारांश

परिशिष्ट-क

क्र.सं.	सड़क श्रेणी	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वर्ष 1998-99 में स्वीकृत बजट प्रावधान (लाखों में)
1.	राज्य राजमार्ग	196.43	82.68
2.	मुख्य जिला सड़कें	39.45	16.52
3.	अन्य जिला सड़कें	25.00	1.50
4.	ग्रामीण सड़कें	2480.39	1022.06
	योग	2741.27	1122.76

परिशिष्ट-ख

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 1998-99 में सड़कों पर आवंटित बजट प्रावधान की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	वर्ष 1998-99 स्वीकृत बजट लाखों में प्रावधान
1	2	3	4
(1) 5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
1.	निर्माण कार्य चुई से चुआ सड़क	5.00	2.90
2.	हिम्मतनगर से जालसू नानक	10.00	1.50
3.	एस.एच. 21 से बिखरनियाकलां	10.00	3.06
4.	चकढाणी से राजोद	6.00	3.76
5.	सांजू से खींवताना	7.40	2.00

(310)

1	2	3	4
6.	रेण से सिरासना	10.00	3.00
7.	ईडवा से बंवरला	5.0	2.00
8.	बामना से बरना	9.00	2.50
9.	अपग्रेडेशन कार्य एस.एच. 21 से सुदवाड़	4.00	–
10.	बंवरला से तिरोली कलां	4.00	0.61
11.	निबडी कोठारिया से राजलोता	4.00	–
12.	संपर्क सड़क सुदवाड़	6.00	1.20
13.	खींवताना	4.00	0.12
14.	हिम्मतनगर से जालसुनानक	4.00	1.50
15.	चुई से चुआ सड़क	2.00	0.20
16.	बामना से बरना	2.00	–
17.	संपर्क सड़क बिखरनिया कला	4.00	1.05
		96.40	25.40
(2)	**5054 बी.एम.एस.पी.**		
1.	रेण से सिरासना	37.50	20.00
(3)	**5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (नाबार्ड)**		
	आर.आई.डी.एफ. III		
1.	निम्बड़ी कोठारियां से गोठड़ा सड़क	51.46	–
(4)	**8443-III सिविल जमाएँ अन्य कार्य**		
1.	बाढ़ से क्षतिग्रस्त को डिया सथाना	4.12	–
2.	–टेहला से नृसिंह बासनी	2.70	0.20
		6.82	0.20
(5)	**8443-III सिविल जमाएं निर्बन्ध निधि योजना**		
1.	ढाढरिया से निंबडी चांदावता	5.00	0.40

1	2	3	4
(6) 8443-III सिविल जमाएं सुनिश्चित रोजगार योजनाएं			
1.	संपर्क सड़क सुदवाड़ 6.30 3.30		
2.	संपर्क सड़क चोलियास	3.15	1.50
3.	संपर्क सड़क राजलौता	2.10	1.00
4.	संपर्क सड़क सी.डी. कार्य राजलोता	3.00	2.00
5.	निंबडी चांदावता से ढाढरिया कलां	10.00	10.00
6.	संपर्क सड़क आछोजाई	7.00	7.00
7.	संपर्क सड़क गूंदीसर	1.80	1.80
8.	बगडवास से गुंद	6.00	6.00
		39.35	32.60
	नई सड़कों के निर्माण हेतु राशि का कुल योग		**78.60**
(7) 3054-आर. एण्ड बी. नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत			
1.	अजमेर बाडीघाटी तरनाउ सड़क किमी. 39 72/0 से 74/0 में सिनिवल का कार्य	5.18	0.40
2.	डेगाना से बग्गड़ सड़क किमी. 4/0 से 6/0 पर रिनिवल का कार्य	3.00	2.50
3.	डेगाना-हरसोर सड़क किमी. 2/0 से 5/0 में 20 एम. एम. पीएमसी का कार्य	4.80	4.00
4.	रिड से लेगो की ढाणी किमी. 4/0 से 6/0 पर रिनिवल का कार्य	3.24	2.80
5.	रेण से सांजू सड़क किमी. 0/0 से 6/0 एवं 7/0 से 9/0 रिनिवल का कार्य (0/0 सांजू गांव)	6.30	6.31
6.	मेड़ता सिटी बग्गड डेगाना सड़क किमी. 10/0 से 13/0 एवं 14/0 से 17/0 पर 13 एम एम पी एम सी का कार्य	9.00	6.00

(312)

1	2	3	4
7.	संपर्क सड़क आकेली 'बी' फ्रोम नागौर-मेड़ता किमी. 4/0 से 6/0 पर रिनिवल का कार्य	2.00	2.00
8.	अजमेर बाडीघाटी भैरूदा डेगाना सड़क पर थांवला गांव में 20 एम एम पी एम सी का कार्य	2.17	1.90
9.	" किमी. 40 एवं 55 पर "	5.34	0.30
10.	विभिन्न सड़कों की साधारण मरम्मत कार्य	12.84	12.84
	योग	53.87	39.05

(8) 2245 प्राकृतिक विपदाओं के कारण राहत कार्य :

1.	डोडियाना-थांवला सड़क किमी. 10 से 12 में प्रोटेक्शन दीवार का कार्य	0.50	0.50
	योग	0.50	0.50
	नवीनीकरण/मरम्मत राशि का योग		39.55 लाख

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट-क

कोटा जिले की इटावा पंचायत समिति में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम जो डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं है

क्र.सं. 1	नाम पंचायत मुख्यालय 2	वर्तमान स्थिति 3	विशेष विवरण 4
1.	नीमोला	जोड़ा नहीं	ए.डी.पी. में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
2.	पीपल्दा खुर्द	एम.आर.	के.यू.एम. "
3.	अयानी	एम.आर.	के.यू.एम."
4.	बागली	एम.आर.	के.यू.एम."
5.	बम्बुलिया कलां	जी.आर.	ए.डी.पी. "
6.	डडवाड़ा	जी.आर.	स्वीकृत नहीं
7.	डूंगरली	एम.आर.	स्वीकृत नहीं
8.	मियाना	जी.आर.	स्वीकृत नहीं
9.	जलौदा खातियान	एम.आर.	नाबार्ड परियोजना में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
10.	ककरावदा	जी.आर.	विश्व बैंक परियोजना में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
11.	नीमतरा	जुडा नहीं	सुनिश्चित रोजगार योजना में ग्रेवल रोड स्वीकृत
12.	रोन	एम.आर.	के.यू.एम. में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
13.	शहनावदा	जी.आर.	" "
14.	दुर्जनपुरा	जी.आर.	" "

Page No. 314

(314)

1	2	3	4
15.	दी री चम्बल	जी.आर.	विश्व बैंक परियोजना में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
16.	सीनोता	जी.आर.	स्वीकृत नहीं
17.	ढीकरदा	जोड़ा नहीं	सुनिश्चित रोजगार योजना में ग्रेवल रोड की स्वीकृति

परिशिष्ट

पंचायत समिति इटावा के पंचायत मुख्यालय जो अभी डामर सड़क से जुड़े नहीं हैं

क्र.सं.	नाम पंचायत मुख्यालय	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	अयानी	मेटल रोड	कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से डामरीकरण हेतु स्वी.
2.	बागली	मेटल रोड	" "
3.	बालूपा	ग्रेवल	" "
4.	दुर्जनपुरा	" "	" "
5.	शहनावदा	" "	" "
6.	लक्ष्मीपुरा	" "	" "
7.	बम्बूलियां कलां	ग्रेवल रोड	विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से डामरीकरण हेतु स्वीकृत
8.	ढीपरी चम्बल	" "	" "
9.	निगोला	" "	" "
10.	ककरावदा	""	" "
11.	जलोटा खातियान	मेटल रोड	नाबार्ड परियोजना में डामरीकरण हेतु स्वीकृत
12.	डूंगरती	" "	" "